



# 2019-20 वार्षिक रिपोर्ट



## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

(यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार,  
के तत्वावधान में कार्यरत एक स्वायत्तशासी निकाय है)

5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016



# वार्षिक रिपोर्ट

---

## 2019-20



**राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान**

(यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के तत्वावधान में कार्यरत एक स्वायत्तशासी निकाय है)



## विषय - सूची

|                                                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| निदेशक की कलम से                                                                                        | (vii) |
| अध्याय 1 बच्चों एवं महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं | 1     |
| अध्याय 2 अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं के अन्तर्गत क्षमता निर्माण कार्यक्रम                | 35    |
| अध्याय 3 अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन एवं अन्य परियोजनाएं                                                 | 51    |
| अध्याय 4 प्रलेखन एवं प्रकाशन                                                                            | 71    |
| अध्याय 5 संगठन एवं प्रबंधन                                                                              | 77    |
| लेखा परीक्षा की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे                                                                 | 83    |
| अनुलग्नक                                                                                                | 155   |



***निदेशक  
की कलम से***



## निदेशक की कलम से

मुझे निपसिड की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक गर्व की अनुभूति हो रही है। यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। यह संस्थान, महिला एवं बाल विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्रवाई एवं अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक प्रमुख संगठन के रूप में विख्यात है। संस्थान की मूल शक्ति इसकी अद्वितीय अध्ययन कला है, जिसे विभिन्न हितधारकों की मांगों को पूरा करने के लिए लगातार अद्यतित किया जाता रहता है। निपसिड एक शैक्षिक संस्थान है, हमारे यहां महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान प्रदान किया जाता है।



निपसिड की स्थापना वर्ष 1966 में नई दिल्ली में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत की गई थी। निपसिड अब तक कुल पांच क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित कर चुका है, जो इस प्रकार हैं – गुवाहाटी (1978), बेंगलुरु (1980), लखनऊ (1982), इन्दौर (2001) और मोहाली (2019)। निपसिड समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में वर्ष 1975 से कार्य करता आ रहा है। आईसीडीएस योजना का नाम अब अम्बेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना कर दिया गया है, यह आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं विकास के लिए पूरे विश्व में सबसे बड़ा और अनन्य कार्यक्रम है। निपसिड को एक नोडल संसाधन एजेन्सी के रूप में नई समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

संस्थान अपने पाठ्यक्रमों, कार्यक्रमों एवं अनुसंधान में लगातार प्रगति करता रहा है, जिसमें बाल संरक्षण, महिला विकास एवं सशक्तिकरण समेत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाता है। प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रलेखन के माध्यम से इन क्षेत्रों को विशेष रूप से शामिल किया गया है, जिसमें इन विषयों पर विशेष बल दिया जाता है – साइबर सुरक्षा, बाल एवं परिवार आधारित हस्तक्षेप, हितधारकों के लिए सहायक लर्निंग हस्तक्षेप, परामर्श सेवाएं, खाद्य सुरक्षा मानक, मातृत्व, किशोर एवं बाल पोषण, जेंडर बजटिंग एवं प्रबन्धन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, लैंगिक पक्षपात के चलते गर्भसमापन, घरेलू हिंसा आदि।

संस्थान के दो प्रमुख निकाय हैं – साधारण निकाय एवं कार्यकारी परिषद। साधारण निकाय के अन्तर्गत जहां संस्थान की सभी नीतियों के सूत्रीकरण की जिम्मेदारी होती है, वहीं कार्यकारी परिषद के ऊपर संस्थान के प्रबन्धन एवं प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इन दोनों निकायों में सरकारी, नागरिक समाज एवं स्वैच्छिक संगठनों का प्रतिनिधित्व है। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हमारे संस्थान के साधारण निकाय की सभापति हैं, संस्थान उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। साधारण निकाय की सभापति ही कार्यकारी परिषद की अध्यक्ष भी हैं।

संस्थान के उद्देश्यों में है समाज विकास एवं स्वैच्छिक कार्य का विकास करना और इसे बढ़ावा देना। राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसरण में सुसंगत आवश्यकता-आधारित कार्यक्रम विकसित करना और उन्हें बढ़ावा देना; सामाजिक विकास में सरकारी एवं स्वैच्छिक कार्य के बीच समन्वय करने के लिए के लिए उपाय विकसित करना; सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से बच्चों के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रूपरेखा एवं परिप्रेक्ष्य को विकसित करना; तथा संलग्न निकायों एवं अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अभिकरणों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी निकायों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।

संस्थान बाल अधिकारों, बाल संरक्षण एवं बाल विकास के क्षेत्र में एक वैश्विक संगठन बनने की आकांक्षा रखता है।

## वर्ष 2019–20 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान ने कुल 461 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 17121 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 305 कार्यक्रम ऐसे मुद्दों पर आयोजित किए गए थे जो महिला एवं बाल विकास से संबंधित थे और उनमें बाल संरक्षण और किशोर न्याय अधिनियम पर कार्यक्रम भी शामिल थे। 156 प्रशिक्षण कार्यक्रम अम्ब्रेला आईसीडीएस के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में क्रमशः 11789 और 5332 सहभागियों ने भाग लिया। इनके अलावा संस्थान में महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर 19 अनुसंधान अध्ययन/दस्तावेज भी पूरे किए। शैक्षिक उत्कृष्टता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी गतिविधियां साथ-साथ चलाई जाती हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संस्थान ने पूरी तरह से ई-ऑफिस पर काम किया है, इस प्रकार एक कागज-रहित प्रणाली और बेहतर जवाबदेही तथा पारदर्शिता का मार्ग भी प्रशस्त किया है। संस्थान ने ई-आरकाइव पोर्टल के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना जारी किया हुआ है, जिसके माध्यम से महिला और बाल विकास से संबंधित विभिन्न दस्तावेज, शोध अध्ययन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अन्य संदर्भ सामग्री उपलब्ध की जाएगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस ई-आरकाइव पोर्टल पर कुल 2000 प्रलेखों को अपलोड किया गया है।

इसके अलावा संस्थान लगातार अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न ई-लर्निंग पाठ्यक्रम प्रदान करता रहा है और हमारे पाठ्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। वर्ष के दौरान वेबसाइट पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 1100 थी तथा अभी तक इस वेबसाइट पर कुल 7, 82,834 हिट्स मिले हैं। पोर्टल के उपयोगकर्ताओं में 61% महिलाएं तथा 39% पुरुष हैं।

## वर्ष के मुख्य आकर्षण

संस्थान ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 19 से 21 दिसम्बर, 2019 तक **“हौसला 2019”** आयोजित किया। निपसिड ने इस दौरान बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) में रहने वाले बच्चों के लिए एक अन्तः बाल देखभाल संस्था उत्सव का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य इन बच्चों को प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना और उन्हें अपने सपनों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करने का अवसर देना था। बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सुरक्षित पड़ोस परियोजना, खेल-कूद प्रतियोगिता, फुटबाल और शतरंज प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस कार्यक्रम में 23 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 750 से अधिक बच्चों ने भाग लिया जो देशभर की विभिन्न बाल देखभाल संस्थाओं से आए थे।

संस्थान ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश पर 21 जून, 2019 को **पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** का आयोजन किया। राज्य मंत्री (महिला एवं बाल विकास) सुश्री देबाश्री चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारम्भ किया और हमारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योग के महत्व पर प्रकाश डाला। संस्थान के लॉन में पूर्वाह्न 7:00 बजे आयोजित किए गए योग शिविर में लगभग 300 सहभागियों समेत निपसिड एवं मंत्रालय के अधिकारियों (मुख्यालय और क्षेत्रीय केन्द्रों के नियमित, संविदा आधार पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ सीसीआई के बच्चे) ने भाग लिया।

संस्थान के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्रों 1 से 7 सितंबर, 2019 तक **राष्ट्रीय पोषण सप्ताह** मनाया। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें शामिल हैं: आंगनवाड़ी केन्द्रों का दौरा; बाल देखभाल संस्थाओं में क्रियाकलाप जैसे कि फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता एवं स्मार्ट ईटिंग फूड; बाल देखभाल संस्थाओं में माताओं द्वारा स्वास्थ्यवर्द्धक व्यंजन-विधि प्रतियोगिता; आंगनवाड़ी केन्द्रों में शिशु और छोटे बच्चे के आहार (आईवाईसीएफ) प्रथाओं पर सामुदायिक परामर्श सत्र; स्वास्थ्य मुद्दों पर वार्ता, आदि। तन्दरुस्त भारत आन्दोलन पर भी जोर दिया गया और भोजन केन्द्रित क्रियाविधि के बजाय पोषण केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाने पर प्रकाश डाला गया था।

संस्थान ने 1 से 15 सितंबर, 2019 के दौरान **“हिन्दी पखवाड़ा”** मनाया, जिसमें “हिन्दी श्रुतलेख” तथा “हिन्दी अनुवाद एवं ज्ञान प्रतियोगिता” जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त संस्थान में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के कर्मचारियों एवं संकाय हेतु ‘हिंदी कार्यशाला’ का आयोजन भी किया गया था।

संस्थान तथा इसके क्षेत्रीय केन्द्रों ने 11 सितंबर से 27 अक्टूबर, 2019 तक **“स्वच्छता ही सेवा अभियान”** भी चलाया, जिसका प्रमुख विषय था ‘प्लास्टिक अपशिष्ट जागरूकता एवं प्रबंधन’। संस्थान ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की एवं सफाई अभियान चलाए। निपसिड के कर्मचारियों ने रैलियों का आयोजन किया, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर साफ-सफाई एवं स्वच्छता पर प्रशिक्षण सत्रों का

आयोजन किया, स्वच्छता पर पोस्टरों एवं स्लोगन का प्रदर्शन किया तथा इसके अलावा निपसिड में विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने इस अभियान में सक्रिय रूप से सहभागिता की और भारत को साफ-सुथरा, हरा-भरा और प्लास्टिक मुक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए सभी समर्थकों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया।

## प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्थान ने सेवारत व्यावसायिकों एवं विभिन्न हितधारकों को उनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण जारी रखने में सक्षम बनाने की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी है। संस्थान ने विभिन्न श्रेणियों एवं विशिष्ट व्यावसायिक प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न **क्षमता-निर्माण कार्यक्रम** आयोजित किए। परिवार आधारित मध्यस्थताएं: बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के परिवारों को सशक्त बनाना विषय पर सुग्राह्यता कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: पेशेवरों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को दिव्यांगता या विकासात्मक विकार वाले बच्चों वाले परिवारों की चुनौतियों को समझने में सक्षम बनाना; उन्हें बच्चे की शक्तियों की पहचान एवं पोषण करने हेतु परिवार को सशक्त बनाने की रणनीतियों में अनुशिक्षित करना; उन्हें ऐसे हस्तक्षेप की योजना बनाने में अनुशिक्षित करना जो पारिवारिक सहायता गतिविधियों के माध्यम से पारिवारिक इकाई की दृढ़ता को मजबूत बनाए।

अकादमिक वर्ष 2019-20 में संस्थान ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम **बाल निर्देशन एवं परामर्श में उच्च डिप्लोमा** के माध्यम से युवाओं का मार्गदर्शन करना जारी रखा, जिसका आरम्भ सितम्बर 2019 में हुआ, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: बच्चों के साथ मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के रूप में कार्य करने के लिए सुगम बनाने वाले रवैया, मूल्यों एवं विश्वास को गहराई से समझना; परामर्श के संदर्भ में सैद्धांतिक रचनाओं तथा सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की समझ तथा ज्ञान प्राप्त प्राप्त करना; बच्चों से सम्बन्धित प्रणालियों तथा बच्चों के लिए परामर्श मध्यवर्तन की योजना बनाने, प्रदान करने एवं उनका निरीक्षण करने का कौशल विकसित करना; तथा संसाधन जुटाने एवं नेटवर्क बनाने एवं हितधारकों के साथ गठबंधन करने का कौशल विकसित करना।

**बाल और किशोर परामर्श पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम** आयोजित किया गया, जिसके उद्देश्य इस प्रकार थे: अभ्यासकर्ताओं और परामर्शदाताओं को उन रणनीतियों के साथ सुग्राह्य बनाना जो उनके बच्चों को विकासात्मक विकारों के साथ समर्थन करने के लिए अभिभावकीय संसाधनों को बढ़ाती हैं; शिक्षकों को वर्तमान समाज में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने में सक्षम बनाना तथा उनके विकास में विद्यालयों की भूमिका आदि। इसके अतिरिक्त, मानसिक कष्ट, दुर्यवहार एवं उपेक्षा से प्रभावित बच्चों के लिए परामर्श मध्यस्थताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, ताकि प्रतिभागियों को उपेक्षा, दुर्यवहार, मानसिक कष्ट के बीच के सम्बन्ध तथा बच्चों के विकास पर उसके प्रभाव को समझने में सक्षम बनाया जा सके तथा उन्हें बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए विभिन्न परामर्श हस्तक्षेपों में अनुशिक्षित किया जाए।

**अभिभावकी शिक्षा कार्यशालाओं** की श्रृंखला आयोजित की गई, जिसके उद्देश्य थे – किशोरों की मनो-लैंगिक चिंताओं को संबोधित करने के उनके कौशल और नज़रिए को समझना और सरल बनाना, बच्चों के व्यवहार और सीखने में आने वाली सामान्य समस्याओं के बारे में अभिभावकों को सुग्राह्य बनाना। अभिभावकों को अपने विशेष जरूरत वाले बच्चों की जरूरतों के बारे में गहराई से समझने में सुसज्जित करना, तथा अभिभावकों एवं बच्चों के बीच में सहयोगात्मक सम्बन्ध को बढ़ावा देना।

ज्ञान संवर्द्धन के अपने अधिदेश को पूरा करते हुए संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली द्वारा, **ड्रग एवं नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर हितधारकों हेतु कार्यशाला** आयोजित की गई, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: क्षेत्र में ड्रग और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग एवं प्रभावों पर चर्चा करना; भिन्न हितधारकों द्वारा ड्रग एवं नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए की गई पहलों के बारे में साझा करना; ड्रग और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिका के बारे में चर्चा करना; क्षेत्र में ड्रग और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार करना।

इसी के साथ संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी ने बाल गृह, फतासिल में किशोर बालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक **रचनात्मक कार्यशाला आयोजित** की, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं कि भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक संतुलन हासिल करने के तरीकों के प्रति बालकों में समझ विकसित करना तथा उन्हें किशोरावस्था के मुद्दों से निपटने हेतु उपयुक्त स्व-देखभाल कौशल के बारे में अवगत कराना। विभिन्न हितधारकों के लिए बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं – विद्यालयों के बच्चों से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर शिक्षकों को सुग्राह्य बनाना। शिक्षकों को बच्चों की सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याओं से अवगत कराना तथा शिक्षकों को समय रहते मध्यवर्तन करने या विशेष संस्थाओं से सहायता मांगने के लिए सक्षम बनाना।

इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, रोकथाम एवं प्रबन्धन करने पर **बाल विकास परियोजना अधिकारियों हेतु सुग्राह्यता कार्यक्रम** आयोजित किया गया था, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के बारे में अनुशिक्षित करना; विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु विभिन्न दिशानिर्देश/विधान/योजनाओं के बारे में चर्चा करना; आंगनवाड़ी केन्द्रों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्क्रीनिंग एवं पहचान के लिए प्रतिभागियों के बीच में योग्यता विकसित करना; तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की विविध आवश्यकताओं को प्रबन्धित करने के लिए प्रतिभागियों की योग्यताओं का निर्माण करना; तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेदन हेतु रणनीतियाँ विकसित करना।

स्वच्छ भारत के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने **स्वच्छ भारत अभियान/स्वच्छ एवं स्वस्थ बचपन पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए, जिनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए सम्प्रेषण प्रक्रिया के प्रभावी मूल्य वर्द्धन हेतु कौशल विकसित करना, तथा सामाजिक एवं व्यावहारिक बदलाव सम्प्रेषण हेतु आवश्यकता आधारित मॉडल विकसित करने के लिए प्रतिभागियों को सक्षम बनाना। इसके अतिरिक्त, संपूरक पोषण में खाद्य सुरक्षा पर अनुशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं – खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने वाले कानूनों के बारे में प्रतिभागियों अवगत कराना तथा पोषण कार्यक्रमों में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खाद्य सुरक्षा उपायों एवं मानकों के बारे में सुग्राह्य करना।

राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए संस्थान ने **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम** (एनवीबीडीसीपी) के साथ गठबंधन में आईसीडीएस एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं हेतु जापानी एन्सेफेलाइटिस/गम्भीर एन्सेफेलाइटिस पर सुग्राह्यता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं – जापानी एन्सेफेलाइटिस/गम्भीर एन्सेफेलाइटिस लक्षण के प्रमुख कारण, संकेत, लक्षण, रोकथाम एवं प्रबन्धन करना; तथा विभिन्न स्तरों पर जेई/ईएस का मुकाबला करने के लिए कार्य योजनाएं एवं सूक्ष्म योजना प्रक्रियाएं तैयार करना।

भारतीय संविधान में जेन्डर समानता सुनिश्चित की गई है, जो ना केवल लैंगिक आधार पर भेदभाव की रोकथाम करता है बल्कि इससे आगे बढ़कर महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक पक्षपात की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, हमारा देश महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव दूर करने की संधि (सीईडीएडब्ल्यू) का हस्ताक्षरी भी है, जिसके अन्तर्गत हमारे ऊपर यह दायित्व है कि हम जेन्डर समानता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें। इस संवैधानिक लक्ष्य को पहचानते हुए संस्थान ने विभिन्न **सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यकर्ताओं के लिए आपदा प्रबन्धन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के सम्बन्ध में जेन्डर मुद्दों पर कार्यशालाएं** आयोजित की।

संस्थान के मुख्यालय ने विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध पर परामर्श बैठक एवं कार्यशालाएं भी आयोजित की, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं – बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति सुरक्षा जोखिमों की प्रकृति, कारण एवं परिणामों के बारे में विचार करना; सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौजूदा क्रियातंत्र; तथा बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनके विरुद्ध अपराधों की रोकथाम में सम्बन्धित हितधारकों की भूमिका।

इसके अतिरिक्त संस्थान के मुख्यालय ने **महिला आश्रय गृहों के कार्यकर्ताओं हेतु देखभाल एवं मनो-सामाजिक पहलुओं पर तीन सुग्राह्यता कार्यक्रम** आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रतिभागियों को जेंडर भेदभाव तथा जेंडर आधारित हिंसा के बारे में सुग्राह्य करना; प्रतिभागियों को महिलाओं के संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों एवं विधिक विनियमों के बारे में अवगत कराना; प्रतिभागियों को संकटग्रस्त महिलाओं हेतु सम्भावित खतरों तथा बचाव प्रबन्धन प्रदाय प्रणाली पर सुग्राह्य करना; तथा महिलाओं के संरक्षण के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करना।

महिलाओं एवं बच्चों के **अनैतिक व्यापार की रोकथाम पर सुग्राह्यता कार्यक्रम** आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रतिभागियों को महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार की प्रकृति एवं स्तर से अवगत कराना; विधिक रूपरेखा के बारे में ज्ञान प्रदान करना; समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में उन्हें अवगत कराना; अनैतिक व्यापार से पीड़ित महिलाओं/बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास एवं इसकी रोकथाम के लिए रणनीतियाँ विकसित करना; तथा महिलाओं एवं बच्चों अनैतिक व्यापार की रोकथाम में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण करना।

संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों ने **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्य बल के सदस्यों और जिला नोडल अधिकारियों के लिए अनुशिक्षण सह समीक्षा प्रशिक्षण की शृंखला** आयोजित की, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: कार्यकर्ताओं को सामाजिक बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में सुग्राह्य एवं प्रशिक्षित करना, तथा सीएसआर, जन्म पर लिंग अनुपात (एसआरबी) तथा विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन एवं प्रतिधारण में सुधार हेतु समुदायिक जुड़ाव को संघटित करना; जिला/ब्लॉक/जमीनी स्तर

पर बेहतर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-संस्थागत तालमेल के लिए जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना; प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न कार्यकर्ताओं एवं हितधारकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा की गई और कन्या शिशु के महत्व को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां एवं साधन प्रदान किए गए थे; इस प्रकार उचित पक्ष-समर्थन योजना के माध्यम से सीएसआर एवं बालिका शिक्षा में सुधार करना।

संस्थान ने विद्यालय शिक्षकों/प्रशासकों/विधि प्रवर्तन अभिकरणों/सरकारी अधिकारियों/आईसीसी एवं एलसीसी के सदस्यों/केस कार्यकर्ताओं/पुलिस सुगमता अधिकारियों तथा चिकित्सीय कानूनी अधिकारियों/परामर्शदाताओं/स्वैच्छिक संगठनों/संरक्षण अधिकारियों आदि के लिए **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, वन स्टॉप सेन्टर योजना पर उनके क्षमता निर्माण कार्यक्रम** के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जारी रखी।

इसके अतिरिक्त, संस्थान ने **आंगनवाड़ी सेवा योजना में प्रबन्धन सूचना प्रणाली पर सांख्यिकी सहायकों/कार्यकर्ताओं हेतु अनुशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला** आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना में मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण प्रणाली तथा संशोधित एमआईएस का सिंहावलोकन प्रदान करना।

विकासात्मक कार्यक्रमों का सूत्रीकरण एवं प्रबन्धन प्रमुख क्षेत्र है, जो स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं में कुछ विशिष्ट कौशलों की मांग करता है। ऐसा देखा गया है कि स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं में व्यावहारिक परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के कौशल की कमी होती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, **स्वैच्छिक संगठनों के लिए निधि जुटाने की तकनीकों एवं संसाधन प्रबन्धन पर कई प्रशिक्षण** आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: स्वैच्छिक संगठन के प्रतिभागियों को निधियां जुटाने के तरीकों एवं तकनीकों से अवगत करवाना; निधियों के प्रभावी उपयोग एवं प्रबन्धन हेतु आंतरिक नियंत्रण एवं लेखांकन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा; आयकर नियमों एवं क्रियाविधियों के बारे में चर्चा करना। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए सूक्ष्म उद्यम विकास गतिविधियों तथा स्वदेशी संसाधनों का प्रयोग करने के माध्यम से लघु बचत, उत्पादन, माइक्रो फाइनेंस एवं आय सृजन को बढ़ावा देने पर एक अनुशिक्षण/कौशल प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए थे, ताकि प्रतिभागियों को महिलाओं हेतु लघु बचत एवं मितव्ययिता के महत्व की जरूरत के बारे में अनुशिक्षित किया जाए और स्थानीय स्तर पर लघु/मध्यम उत्पादन इकाईयां स्थापित किए जाने हेतु व्यवहार्य आर्थिक गतिविधियों पर ज्ञान एवं कौशल प्रदान किया जाए।

शैक्षणिक संस्थानों एवं अभिभावकों के लिए विशेष रूप से **ऑनलाइन दुर्व्यवहार से बच्चों के संरक्षण/साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम/अनुशिक्षण कार्यशाला** आयोजित की गई थी, ताकि भारत में बच्चों के विरुद्ध साइबर-अपराधों के हाल के रुझानों के बारे में चर्चा की जाए; बच्चों के ऑनलाइन संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न विधानों, नीतियों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में सूचना साझा करना तथा मौजूदा क्रियातंत्र के सहयोग से मुद्दों का समाधान करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करना।

**बाल अधिकारों तथा संरक्षण मुद्दों, बच्चों की रक्षा एवं सुरक्षा**, पर विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट), किशोर न्याय प्रणाली एवं समेकित बाल संरक्षण योजना विभिन्न हितधारकों के लिए तैयार एवं आयोजित किए गए, मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समितियों/एसजेपीयू के सदस्यगण/पुलिस कर्मचारी (रेलवे संरक्षण बल एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी) आदि के लिए, जिनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: बाल अधिकारों तथा विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों की समझ को बेहतर बनाने समेत उनकी भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां।

दत्तक ग्रहण क्रियाविधि के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संस्थान ने विशेषज्ञ दत्तक-ग्रहण एजेन्सियों (एसएए) के कार्यकर्ताओं हेतु **दत्तकग्रहण विनियम, 2017 पर विभिन्न अनुशिक्षण प्रशिक्षण** आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—प्रतिभागियों को दत्तकग्रहण विनियम, 2017 तथा संरक्षक देखभाल दिशानिर्देशों के बारे में अनुशिक्षित करना।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निपसिड को एक “बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एनसीसीपी)” स्थापित करने का दायित्व सौंपा है। एनआरसीसीपी का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन करने के लिए क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ एवं मोहाली ने **बाल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एनआरसीसीपी) पर परामर्श बैठक** आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: बाल संरक्षण के क्षेत्र में संसाधनों एवं सामग्रियों को एकत्रित, समानुक्रमित एवं उपलब्ध कराना तथा देश में बाल संरक्षण सेवाओं के अन्तर्गत कार्यरत हितधारकों को तकनीकी सूचना प्रदान करना; नीतियों में आगे बदलाव हेतु बाल संरक्षण क्षेत्र में सामने आने वाली बाधाओं/चुनौतियों की पहचान करना; बाल संरक्षण सेवाओं की दक्षता एवं कारगरता को सुधारने हेतु विस्तृत संस्तुतियां तैयार करना; तथा राज्य स्तर पर कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को प्रलेखित करना।

बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को आईसीडीएस कार्यक्रम के बारे में अनुशिक्षित करने तथा उनकी कार्य जिम्मेदारियों सम्बन्धित उनकी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में परिचय कराने के लिए निपसिड ने अपने मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में आरम्भिक कार्य प्रशिक्षण प्रदान किया, ताकि उन्हें प्रभावी नेतृत्व, सहायक पर्यवेक्षण एवं आईसीडीएस परियोजनाओं के प्रबन्धन की जानकारी से सुसज्जित किया जा सके। **वार्षिक संदर्भित आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए गए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को बाल विकास के महत्व, सिद्धांतों एवं प्रक्षेत्रों से परिचित बनाना, तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में संदर्भित आईसीडीएस पाठ्यक्रम आरम्भ करने एवं कार्य योजना तैयार करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय आईसीडीएस नीति समेत पाठ्यक्रम रूपरेखा एवं गुणवत्ता मानक के बारे में अनुशिक्षित करना।

इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा एक **राष्ट्रीय समीक्षा बैठक** भी आयोजित की गई थी, जिसके उद्देश्य इस प्रकार थे – राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में वार्षिक आईसीडीएस पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना; आईसीडीएस पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में सामने आने वाली चुनौतियां साझा करना; आईसीडीएस कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने में राज्य आईसीडीएस परिषद की भूमिका पर चर्चा करना; तथा राज्यों में आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यचर्या के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सम्भव रणनीतियों के बारे में चर्चा करना एवं सुझाव देना।

**नेतृत्व विकास पर कौशल आधारित प्रशिक्षण**, शिशुगृह प्रबन्धन, वृद्धि मॉनिटरिंग, मातृ शिशु रक्षा कार्ड, शिशु और छोटे बच्चे के आहार, बाल लर्निंग परिणामों का मूल्यांकन, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचईडी) का आयोजन, सक्रिय प्रशिक्षण तकनीकों का उपयोग, विकेन्द्रीकृत नियोजन, प्रबन्धन एवं मॉनिटरिंग क्रियातंत्र का आयोजन किया गया था, और इनकी योजना विशेष रूप से अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यकर्ताओं के लिए बनाई गई थी।

**आईसीडीएस/एनएचएम कार्यकर्ताओं एवं नागरिक समाज संगठनों के लिए कुपोषण के समुदाय आधारित प्रबन्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए गए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: बच्चों की लम्बाई नापने तथा अवरुद्ध-विकास का मूल्यांकन करने के लिए इन्फैन्टोमीटर एवं स्टैडियोमीटर का प्रयोग करने के आवश्यक कौशलों से उन्हें सुसज्जित करना; सामुदायिक परिवेश में सहयोगपूर्ण तरीके से ऐसी रणनीतियां तैयार करना जो कुपोषित बच्चों के प्रबन्धन हेतु समन्वित एवं तालमेलपूर्ण कार्यों के सूत्रीकरण में सहायता करें ताकि बच्चों को कोई चिकित्सीय समस्याएं ना हों।

इसके अतिरिक्त, निपसिड एवं इसके क्षेत्रीय केन्द्रों ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के साथ गठबंधन में **ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों** पर जागरुकता निर्माण कार्यक्रम की श्रृंखला आयोजित की।

संस्थान महिला एवं बाल विकास के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्यों को प्राथमिकता देता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान उन्नीस अनुसंधान अध्ययनों एवं प्रलेखन में शामिल था, जो निम्न हैं:

1. निपसिड कार्यक्रमों में किशोर न्याय प्रणाली, समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत कार्यकर्ताओं एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिभागियों का डेटाबेस
2. बाल देखभाल संस्थानों के देखभालकर्ताओं (घरेलू पिता एवं घरेलू माताओं) के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का समय प्रबन्धन एवं अतिरिक्त कार्य परिनियोजन
4. आईसीडीएस में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी), कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर), तथा स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) की भागीदारी पर अध्ययन
5. असम, नगालैंड के बच्चों में अविधिक गतिविधियों के चलन पर अध्ययन
6. आरम्भिक बाल्यावस्था गृह उत्प्रेरण गतिविधियां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पुस्तिका
7. जिला बाल संरक्षण इकाईयों के अन्तर्गत विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारियों तथा बाल देखभाल संस्थाओं में परिवीक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका
8. अधिगम एवं व्यवहारात्मक समस्याओं का गहराईपूर्वक विश्लेषण: बाल निर्देशन केन्द्र में रिपोर्ट किए गए मामलों पर अध्ययन
9. उत्तर पूर्वी राज्यों में आईसीडीएस कार्यकर्ताओं हेतु वर्टिकल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभाविता के मूल्यांकन पर अध्ययन
10. उत्तर प्रदेश राज्य में आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (आईसीडीएस) दिवस की जागरुकता एवं उपयोगिता पर अध्ययन

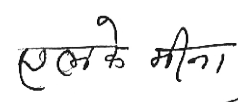
11. महाराष्ट्र में बाल देखभाल संस्थाओं में नागरिक समाज साझेदारी पर अध्ययन
12. मध्य प्रदेश राज्य के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर सर्वोत्तम प्रथाएं: पर केस अध्ययन
13. असम के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों में स्वच्छता अभ्यासों पर अध्ययन
14. असम एवं त्रिपुरा में आईसीडीएस के अन्तर्गत संपूरक पोषण के प्रदाय का तुलनात्मक विश्लेषण
15. मध्य प्रदेश में बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) की स्थिति एवं कार्यप्रणाली पर अन्वेषी अध्ययन
16. भारत के उत्तरी राज्यों में आंगनवाड़ी सेवा योजना में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रलेखन
17. दिल्ली में बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) में स्वास्थ्य एवं पोषण मानक की समीक्षा
18. अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (ब्रिज पाठ्यक्रम शिक्षक, बाहरी कार्यकर्ता, तथा सामुदायिक स्वयंसेवी) के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका
19. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का अद्यतन

संस्थान की बहु-विषयक उपलब्धियां माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा साथ ही निपसिड के अध्यक्ष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से समय-समय पर मिलने वाले मूल्यवान मार्गदर्शन का परिणाम हैं। संस्थान सामान्य निकाय के सम्मानित सदस्यों तथा संस्थागत समीक्षा बोर्ड के सदस्यों के प्रति भी अपना धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने समय-समय पर संस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना बहुमूल्य समय एवं उपयोगी सुझाव दिए हैं।

मैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है। विभिन्न साझेदार संगठन जिनके साथ हम विभिन्न गतिविधियों में मिल-जुलकर कार्य करते हैं, उनका भी यहां पर विशेष उल्लेख किए जाने योग्य है। मैं, संस्थान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरे वर्ष समर्पित होकर कठोर परिश्रम करने के लिए अपने कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं संस्थान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निपसिड संकाय एवं स्टॉफ के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए जाने वाले परिश्रम एवं सहयोग का उल्लेख एवं सराहना भी करना चाहूंगा।

महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में एक नेतृत्वकर्ता बनने के हमारे दूरगामी लक्ष्य के साथ यह हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम भारत में बहुपक्षीय शिक्षण, प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुझे वर्ष 2019-20 की इस व्यापक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक गौरव की अनुभूति हो रही है।

हमारे कार्यों से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट <[www.nipccd.nic.in](http://www.nipccd.nic.in)> देख सकते हैं।



(एल.के. मीणा)  
निदेशक



**अध्याय**

# 1

**बच्चों एवं महिलाओं से सम्बन्धित  
मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम,  
परामर्श बैठकें एवं कार्यशालाएं**



## बच्चों एवं महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श बैठक एवं कार्यशाला

### बच्चों और किशोरों का विकास

भारत में कुल जनसंख्या का पांचवा हिस्सा किशोरों का है। यह अवधि एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन को प्राप्त करती है जिसे समग्र विकास के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने की आवश्यकता है, जिसमें उनके जीवन के भौतिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी शामिल हैं। किशोरों का समग्र विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, सक्षम और सुरक्षात्मक वातावरण, कौशल, वित्तीय सशक्तीकरण, आजीविका, नागरिक जुड़ाव, भागीदारी, लिंग और सामाजिक समावेश के मुख्य मुद्दों पर केंद्रित है। किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए बढ़ते हुए सबूत हैं, और कार्रवाई के लिए प्राथमिकताओं के बारे में बढ़ती सहमति है कि क्या किया जाना चाहिए और कैसे। **कार्यक्रमों का मुख्य फोकस अच्छी नागरिकता के मूल्यों को विकसित करने, धर्मनिरपेक्ष तरीके से सोचने और व्यवहार करने, कौशल विकास और युवाओं को एक उत्पादक और संगठित व्यवहार अपनाने में मदद करने पर रहा है।** इस बात को ध्यान में रखते हुए, संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने बच्चों के घर में किशोर लड़कों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए मुख्य कार्यशाला का आयोजन किया, मुख्य उद्देश्य के साथ: भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक संतुलन हासिल करने के तरीकों के बारे में बच्चों में समझ विकसित करना; किशोरावस्था के मुद्दों से निपटने हेतु उपयुक्त स्व-देखभाल कौशल के बारे में उन्हें अवगत कराना। **इसमें प्रमुख रूप से ये विषय शामिल थे:** बच्चों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन; बच्चों के मुद्दों और चिंताओं; कला, शिल्प, चित्रकला, आंदोलन, कहानी, संगीत जैसे परामर्श के रचनात्मक उपकरण; शरीर की कल्पना से संबंधित गतिविधियाँ, व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करना, निर्णय लेने के कौशल और समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ाना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|---------------------|------------------------|----------|
| 02-03 सितम्बर, 2020 | 25                     | गुवाहाटी |

क्षेत्रीय केंद्र मोहाली द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम और मादक द्रव्यों के सेवन पर हितधारकों के लिए कार्यशाला का आयोजन इन मुख्य उद्देश्यों के साथ किया गया था: क्षेत्र में ड्रग और नशीले

पदार्थों के दुरुपयोग एवं प्रभावों पर चर्चा करना; भिन्न हितधारकों द्वारा ड्रग एवं नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए की गई पहलों के बारे में साझा करना; ड्रग और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिका के बारे में चर्चा करना; क्षेत्र में ड्रग और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार करना। शामिल सामग्री: दवा और मादक द्रव्यों के सेवन के कारण और प्रभाव, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए दवा और मादक द्रव्यों की रोकथाम के लिए की गई पहल, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए कानून और विधान, बचाव और पुनर्वास के लिए नीतियां और कार्यक्रम, विभिन्न हितधारकों की भूमिका, नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति और मादक द्रव्यों का सेवन आदि।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|-------------------|------------------------|--------|
| 13-14 फरवरी, 2020 | 37                     | मोहाली |

इसके अलावा, संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ ने समाज के मुख्य उद्देश्यों के साथ समाज में बच्चों के कल्याण पर क्षेत्रीय बैठक भी आयोजित की: बाल कल्याण से संबंधित विभिन्न मौजूदा विकास और हस्तक्षेपों पर चर्चा करना; और बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अभिसरण क्रियाओं के बिंदुओं पर चर्चा करना।

| तिथि                 | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान |
|----------------------|------------------------|-------|
| 15 - 16 अक्तूबर 2019 | 91                     | लखनऊ  |

मातृ, किशोर और बाल पोषण पर जिला एसडीजीएस अधिकारियों की क्षमता निर्माण क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी द्वारा मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया था: बाल, किशोर और मातृ पोषण और आवश्यक पोषण क्रिया (व्यावहारिक और सिद्धांत का संयोजन) पर प्रतिभागियों के ज्ञान में वृद्धि; 6-24 महीने की उम्र के बच्चों के लिए और जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से दूसरों के लिए पर्याप्त आहार को मापने पर कौशल विकसित करना; उन्हें घर की यात्राओं के महत्व और तकनीकों के बारे में उन्मुख करना।

| तिथि           | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|----------------|------------------------|----------|
| 20–24 मई, 2019 | 15                     | गुवाहाटी |

कुपोषण निवारण पर परामर्श बैठक और पश्चिमी क्षेत्र में बच्चों के बीच कुपोषण से होने वाली मौतों की रोकथाम संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र इंदौर में मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित की गई थी: पश्चिमी राज्यों में बाल कुपोषण और कुपोषण से संबंधित बाल मौतों के रुझानों पर अलग-अलग हस्तक्षेप पर चर्चा करना; बाल कुपोषण और कुपोषण से संबंधित बाल मौतों वाले सफल मॉडलों पर विचार-विमर्श; समस्या क्षेत्रों में उच्च बाल कुपोषण और संबंधित मौतों से निपटने के लिए सफल मॉडलों के आधार पर एक रणनीति बनाएं।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान |
|-----------------|------------------------|-------|
| 4–5 मार्च, 2020 | 18                     | इंदौर |

राष्ट्रीय कौशल शिक्षा संस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए जीवन कौशल शिक्षा पर प्रशिक्षण पर एक अन्य कार्यक्रम क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी द्वारा आयोजित किया गया था जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: किशोरावस्था चरण के दौरान विकास की जरूरतों के लिए प्रतिभागियों को उन्मुख करना; वर्तमान परिदृश्य में किशोरों की चुनौतियों को समझना; किशोरों के समग्र विकास हेतु जीवन कौशल शिक्षा की अवधारणा के लिए उन्हें उन्मुख करना; किशोरों के लिए जीवन कौशल शिक्षा के संचालन के लिए उन्हें विभिन्न गतिविधियों से परिचित कराना। कार्यक्रम की सामग्री ने किशोरावस्था के चरण के दौरान विकासात्मक आवश्यकताओं पर जोर दिया; जीवन कौशल शिक्षा की अवधारणा और किशोरों में उनकी भलाई के लिए इसे कैसे विकसित किया जा सकता है; जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने की क्षमता विकसित करना; किशोरों के तनाव और भेद्यता के साथ मुकाबला करने में सामाजिक संरचना को मजबूत करना, और आरकेएसके के कार्यकर्ता किशोरों के बीच उन जीवन कौशल को आत्मसात करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 16–18 मार्च, 2020 | 11                     | गुवाहाटी |

## बचपन की विकलांगता और सीखने की समस्याएँ

**परिवार आधारित मध्यस्थाओं पर सुग्राह्यता कार्यशाला:** बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के परिवारों को सशक्त बनाना मुख्यालय द्वारा मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया था: दिव्यांगता या विकासात्मक विकारों वाले बच्चों के साथ परिवार की चुनौतियों को समझने के लिए पेशेवरों, शिक्षकों और माता-पिता स्वयंसेवकों को सक्षम कराना बच्चों की पहचान और पोषण करने के लिए परिवारों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें रणनीतियों के साथ उन्मुख करना; उन्हें ऐसे हस्तक्षेप की योजना बनाने में अनुशिक्षित करना जो पारिवारिक सहायता गतिविधियों के माध्यम से पारिवारिक इकाई की दृढ़ता को मजबूत बनाए। कार्यशाला ने बचपन की विकलांगता या विकास संबंधी विकारों से प्रभावित परिवारों के समर्थन के तरीकों की भी पहचान की, ताकि उनकी जरूरतों में सुधार हो और विशेष जरूरतों के साथ बढ़ते बच्चे के विकास की जरूरतों को पूरा करने के तरीकों की खोज की जा सके। रोल प्ले और केस स्टडी का उपयोग बच्चे और परिवार की आवश्यकता और तरीकों को समग्र रूप से समझने के लिए किया गया था।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 11–12 जुलाई, 2019 | 26                     | नई दिल्ली |
| 07 फरवरी, 2020    | 100                    | नई दिल्ली |
| 25 फरवरी, 2020    | 50                     | हरियाणा   |

मुख्य उद्देश्यों के साथ संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र मोहाली द्वारा स्कूल शिक्षकों के लिए सहायक और शिक्षण हस्तक्षेप पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण आयोजित किया गया था: शिक्षकों को वर्तमान समाज में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने में सक्षम बनाना तथा उनके विकास में विद्यालयों की भूमिका; उन्हें बच्चों में सीखने एवं व्यवहार सम्बन्धी विभिन्न कठिनाईयों के बारे में अनुशिक्षित करना; बच्चों में सीखने एवं व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं के आरम्भिक लक्षणों की पहचान करने की शिक्षकों की क्षमता को बेहतर बनाना; तथा उन्हें बच्चों में भावनात्मक कल्याण एवं उपलब्धि को बढ़ावा देने की रणनीति के बारे में बारीकी से अवगत कराना; स्कूलों के लिए सहायक हस्तक्षेप की योजना के लिए अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करने में सक्षम कराना।

इस पाठ्यक्रम में सीखने एवं व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं वाले बच्चों की पहचान, मूल्यांकन एवं प्रबन्धन करने से सम्बन्धित रणनीतियों एवं कौशलों की समीक्षा भी शामिल थी।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|---------------------|------------------------|--------|
| 15-19 जुलाई, 2019   | 43                     | मोहाली |
| 29-31 अक्तूबर, 2019 | 38                     | मोहाली |

**बच्चों के बीच सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान और प्रबंधन पर शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन क्षेत्रीय केंद्र मोहाली द्वारा मुख्य उद्देश्यों के साथ किया गया था:** बच्चों के व्यवहार और सीखने की समस्याओं की प्रकृति और परिमाण के बारे में शिक्षकों को परिचित कराना; व्यवहार और सीखने की समस्याओं वाले बच्चों की पहचान करने के लिए उन्हें प्रक्रिया / विधियों के साथ सक्षम कराना; उन्हें व्यवहार संशोधन तकनीकों और उपचारात्मक शिक्षण रणनीतियों के लिए स्कूल में इस्तेमाल किया जा सकता है और एक सहायक वातावरण के उपलब्ध प्रावधानों से परिचित कराना। प्रशिक्षण ने व्यवहार संशोधन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया, व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों की पहचान करने और व्यवहार की समस्याओं वाले बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों के लिए रेटिंग पैमाने; स्कूलस्तिक समस्याओं के साथ बच्चों के निदान के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन उपकरण के साथ अप्रत्यक्ष अनुभव भी विचार-विमर्श किया गया।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|--------------------|------------------------|--------|
| 25-26 नवम्बर, 2019 | 38                     | मोहाली |

संस्थान मुख्यालय ने मुख्य उद्देश्यों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में दिव्यांग बच्चों के शुरुआती जांच और समावेश पर मास्टर ट्रेनरों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की: **प्रतिभागियों को मानव विविधता, पूर्वाग्रहों के साथ इसका सम्बन्ध, भेदभाव की प्रथाओं तथा बाल विकास की सामान्य प्रक्रियाओं से बच्चों के अपवर्जन के बारे में प्रतिभागियों को सुग्राह्य करना; समुदाय में दिव्यांग वाले बच्चों की शीघ्र पहचान हेतु रणनीतियों का पता लगाना; बच्चे के साथ बातचीत करने तथा उसके 'खेलकूद के तौर-तरीके' से विभिन्न प्रक्षेत्रों में बच्चों के विकास का अवलोकन करना एवं उसे ट्रैक करना; आंगनवाड़ी में मनो-सामाजिक उत्तेजना और हानि और दिव्यांग बच्चों के समावेश के लिए कौशल प्रदान करना; पूर्व-विद्यालयों/आंगनवाड़ी केंद्र में अलग-अलग बच्चों को शामिल करने के तरीकों और तरीकों की पहचान करना।**

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 17-19 जुलाई, 2019 | 22                     | नई दिल्ली |

इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, रोकथाम एवं प्रबन्धन करने पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों हेतु सुग्राह्यता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के बारे में अनुशिक्षित करना; विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु विभिन्न दिशानिर्देश/विधान/योजनाओं के बारे में चर्चा करना; आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्क्रीनिंग एवं पहचान के लिए प्रतिभागियों के बीच में योग्यता विकसित करना; तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की विविध आवश्यकताओं को प्रबन्धित करने के लिए प्रतिभागियों की योग्यताओं का निर्माण करना; तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेदन हेतु रणनीतियां विकसित करना। विशेष सामग्री वाले बच्चों के लिए कल्याणकारी और पुनर्वास योजनाएं शामिल थीं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना में समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से संबंधित कानूनी ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय समझौते, सामुदायिक स्तर पर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का प्रबंधन: **विधियों और तकनीकों, विशेष जरूरतों वाले बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याएं और इसके प्रबंधन, दिव्यांग बच्चों के साथ शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप आदि।**

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान |
|--------------------|------------------------|-------|
| 20 - 21 अगस्त 2019 | 16                     | लखनऊ  |

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने मुख्य उद्देश्यों के साथ मेघालय में व्यावसायिक सामाजिक कार्य अभ्यास से संबंधित बहु-हितधारक बाल विशिष्ट हस्तक्षेपों पर एक सम्मेलन आयोजित किया: **मेघालय में बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर प्रतिभागियों की समझ बढ़ाना; राष्ट्रीय और राज्य स्थानीय एजेंसियों के साथ रणनीतिक हस्तक्षेप की योजना विभिन्न हितधारकों के बीच अभिसरण और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना।**

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|-----------------|------------------------|--------|
| 18 नवम्बर, 2019 | 46                     | मेघालय |

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता हेतु विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के सामाजिक पुनर्वास पर अभिभावक कार्यशाला का आयोजन मुख्य उद्देश्यों के साथ संस्थान के मुख्यालय द्वारा किया गया था: विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की विभिन्न समस्याओं की प्रकृति और परिमाण के बारे में माता-पिता को परिचित कराना; उन्हें उन तरीकों और तकनीकों के बारे में समझाना जो एक सहायक घर का वातावरण प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है; विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के स्वस्थ छोड़ने के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास के महत्व के बारे में उन्मुख माता-पिता; माता-पिता की मृत्यु के दौरान विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध विभिन्न लाभों के बारे में सूचित करना। कार्यशाला में विशेष जरूरतों, मौजूदा कानूनों/योजनाओं और विशेष जरूरतों वाले बच्चों और उनके माता-पिता, समुदाय आधारित पुनर्वास और तकनीकों और माता-पिता को बनाने में मदद करने वाले तरीकों के साथ माता-पिता और बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं की प्रकृति और परिमाण पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया। घर पर अपने बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान |
|-----------------|------------------------|-------|
| 11 नवम्बर, 2019 | 530                    | केरल  |

## मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

भारत सरकार की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2014 की परिकल्पना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के सार्वभौमिक उपयोग के उद्देश्य के साथ एक सही आधारित फ्रेम कार्य में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। मानसिक स्वास्थ्य को क्रॉस कटिंग मुद्दों की विशेषता है जो नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में दूरगामी प्रभाव डालते हैं। भारत में जातीय, वर्ग, संस्कृति और आर्थिक मतभेदों की विविध आबादी के साथ शिक्षण समुदाय में विपरीत विश्वास और मूल्य हैं। आत्मविश्वास की कमी, गरीबी, बीमारी या नौकरी का तनाव, तलाक आदि माता-पिता की भागीदारी की कमी में योगदान करते हैं जो शिक्षकों को इस धारणा को मजबूत करता है कि माता-पिता बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भागीदार नहीं हैं। स्कूलों में बाल मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए माता-पिता को शामिल करने वाले शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में ध्यान दिया जाता है। शिक्षकों को अपने कर्तव्यों को पूरा करने और बच्चे के व्यवहार को आकार देने के लिए ठोस

कौशल, ज्ञान और सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास की आवश्यकता होती है। अभिभावक शिक्षक संबंध के आंतरिक मूल्य को पहचानते हुए स्कूली अधिकारियों के लिए बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित प्रशिक्षण क्षेत्रीय केंद्र इंदौर और लखनऊ द्वारा आयोजित किए गए थे, जिनके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: विद्यालय अधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा एवं बच्चों पर उनके निहितार्थ का समझने में सहायता करना; उन्हें विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से परिचित करवाना; उन्हें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रबन्धित करने के लिए अपनायी जाने वाली विभिन्न मध्यवर्तन रणनीतियों से परिचित करवाना।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|--------------------|------------------------|--------|
| 22-24 अप्रैल, 2019 | 36                     | इन्दौर |
| 28 - 29 जनवरी 2020 | 25                     | लखनऊ   |

इसके अलावा संस्थान के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय केंद्र ने नवोदय तथा केंद्रीय विद्यालयों और अन्य विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बाल मानसिक स्वास्थ्य पर तीन सुग्राह्यता कार्यक्रम एवं अनुशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: विद्यालयों के बच्चों से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर शिक्षकों को सुग्राह्य बनाना। शिक्षकों को बच्चों की सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याओं से अवगत कराना तथा शिक्षकों को समय रहते मध्यवर्तन करने या विशेष संस्थाओं से सहायता मांगने के लिए सक्षम बनाना। इसकी विषय-वस्तु में निम्नलिखित विषय विषय शामिल थे: बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याएं; डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऑटिज़्म, स्कोलास्टिक बैकवर्डनेस आदि; सीखने और व्यवहार की समस्याओं वाले बच्चों की पहचान करने के लिए कौशल; बाल निर्देशन केन्द्र की सेवाएं।

| तिथि                  | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान |
|-----------------------|------------------------|-------|
| 07 - 09 अगस्त, 2019   | 25                     | लखनऊ  |
| 22 अगस्त, 2019        | 13                     | लखनऊ  |
| 16 - 18 सितम्बर, 2019 | 24                     | लखनऊ  |
| 25 अक्टूबर, 2019      | 47                     | लखनऊ  |
| 06 - 08 नवम्बर 2019   | 26                     | लखनऊ  |
| 31 जनवरी, 2020        | 32                     | लखनऊ  |

इसके अतिरिक्त संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली द्वारा **बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ट्राइसिटी के विद्यालय प्रधानाचार्यों / उप प्रधानाचार्यों के लिए सुग्राह्यता कार्यक्रम** आयोजित किया गया, जिनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: विद्यालय प्रधानाचार्यों/उप प्रधानाचार्यों को मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा एवं बच्चों पर उनके निहितार्थ का समझने में सहायता करना; विद्यालय प्रधानाचार्यों/उप प्रधानाचार्यों को बच्चों के सामने आने वाली विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से परिचित करवाना; तथा उन्हें बच्चों में भावनात्मक कल्याण एवं उपलब्धि को बढ़ावा देने की रणनीति के बारे में बारीकी से अवगत कराना; तथा उन्हें विद्यालय में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रबन्धित करने के लिए अपनायी जाने वाली विभिन्न मध्यवर्तन रणनीतियों से परिचित करवाना। शामिल सामग्री: मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, बाल विकास की प्रकृति; बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारण और कारक; मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले बच्चों की पहचान, स्कूल में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई को बनाए रखने में विभिन्न प्रथाओं / रणनीतियों का परिचय।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|-------------------|------------------------|--------|
| 06-07 फरवरी, 2020 | 34                     | मोहाली |

## परामर्श में प्रशिक्षण

स्कूल के पदाधिकारियों को समकालीन समाज में बच्चों की चुनौतियों को समझने और उनके विकास के समर्थन में स्कूलों की भूमिका के लिए मुख्य उद्देश्यों के साथ कार्यक्रम ने समीक्षकों को प्रतिभागियों को भावनात्मक भलाई और बच्चों में उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों से अवगत कराया ताकि बच्चे सक्षम हों विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करें। पाठ्यक्रम ने उन्हें बच्चों में विभिन्न सीखने और व्यवहार की कठिनाइयों और कठिन परिस्थितियों में बच्चों की विशेष जरूरतों के लिए उन्मुख किया और बच्चों में सीखने और व्यवहार की समस्याओं के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने और अनौपचारिक आकलन करने के लिए शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाया। कार्यक्रम ने बच्चों और बच्चों की भावनात्मक भलाई को बढ़ावा देने के लिए बच्चों और परिवारों की काउंसलिंग में व्यापक कौशल का प्रदर्शन किया और बच्चों और बड़े होने से संबंधित महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं पर शिक्षकों और माता-पिता के लिए जागरूकता और संवेदीकरण कार्यशालाओं को पूरा करने के लिए कौशल प्रदान

किया। इस प्रकार यह कार्यक्रम जीवन कौशल शिक्षा, कामुकता शिक्षा, सीसीई, शारीरिक दंड के उन्मूलन, समावेशी शिक्षा जैसी स्वस्थ विद्यालय नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों में दक्षताओं पर केंद्रित है ताकि बच्चों को एक ऐसे वातावरण का अनुभव हो जो आत्म-अन्वेषण के लिए अनुकूल हो, व्यक्तिगत के बारे में जागरूकता विकसित करना विशिष्टता, उनकी बुद्धिमत्ता के कई डोमेन का पोषण करते हैं और बच्चे आत्मसम्मान, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और प्रभावी अध्ययन कौशल के साथ बढ़ सकते हैं। मॉड्यूल के निवारक और प्रचारक घटक ने बच्चों की पसंदीदा सीखने की शैली को समझने और प्रभावी अध्ययन कौशल विकसित करने, संघर्ष को संभालने और सामाजिक जिम्मेदारी संभालने में बच्चों को शामिल करने के लोकतांत्रिक तरीकों को भी बढ़ाया। बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण एक व्यक्तिगत शिक्षक उद्यम नहीं है, इसलिए शिक्षक मुख्य अभिभावक मुद्दों पर माता-पिता के लिए कार्यशालाओं का संचालन करने के लिए और शिक्षकों के साथ-साथ एक सकारात्मक डोमेन में बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए उनकी धारणा और प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए सुसज्जित किया जा रहा था।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 02-27 सितम्बर, 2020 | 33                     | नई दिल्ली |

परिवार वह जगह है जहां बच्चे अपने माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदारों के साथ घनिष्ठ संबंधों का आनंद लेते हैं, जहां उन्हें बिना शर्त प्यार, देखभाल और पोषण मिलता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए धीरज का विकास होता है और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के लिए खिलते हैं। हालाँकि हमारे देश में बड़ी संख्या में बच्चे इस बुनियादी भावनात्मक देखभाल से वंचित हो सकते हैं। इनमें से कई को माता-पिता द्वारा छोड़ दिया जाता है, भाग्य या स्थितियों से अनाथ हो जाते हैं जहां माता-पिता अत्यधिक गरीबी, बीमार स्वास्थ्य या परेशान मानसिक स्थिति जैसे कारणों के कारण अपनी माता-पिता की जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असमर्थ हैं। माता-पिता की मृत्यु, टुकड़ाए जाने, तलाक, अलगाव, परित्याग के कारण पारिवारिक विघटन, गलत संगत, घर से भागने, उदंडता और आवारापन जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिससे बच्चे परिवार से दूर

अपना पेट भरने के लिए फुटपाथ पर आ जाते हैं। ऐसे सभी बच्चों को तत्काल विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सरकार ने संस्थानों या 'घरों' की संरचना बनाकर निराश्रित और अनाथ बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली है। हालांकि, अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप जो मानसिक आघात को कम करने और आघात को कम करने में मदद करते हैं और अपनी सामान्य विकास प्रक्रिया को बनाए रखने या फिर से स्थापित करने के लिए संकट में बच्चों को प्रदान की गई देखभाल का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इस संदर्भ में संस्थान के मुख्यालय ने **सदमे, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से प्रभावित बच्चों के लिए परामर्श हस्तक्षेप पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार और आघात और बच्चों के विकास पर इसके प्रभाव के बीच संबंधों को समझने में सक्षम कराना; बच्चों की मनोसामाजिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए उन्हें विभिन्न परामर्श हस्तक्षेपों के लिए उन्मुख करना; बच्चों के साथ काम करने के कौशल और दृष्टिकोण को तेज करने के लिए प्रशिक्षण पर हाथों के अवसर प्रदान करना; उन्हें क्षेत्र की स्थितियों और नवीन दृष्टिकोणों को क्षेत्र में आजमाने के लिए बेनकाब करना। प्रतिभागियों को बच्चों पर ट्रामा के प्रभाव और बेसिक काउंसलिंग स्किल के आकलन के लिए प्रशिक्षण दिया गया और बच्चों में जीवन कौशल विकास किया गया। प्रशिक्षण का एक अन्य घटक बच्चों और किशोरों द्वारा लैंगिकता और बाल यौन शोषण और मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित मुद्दों को समझने पर केंद्रित है। प्रतिभागियों को प्रभावी संचार कौशल में प्रशिक्षित किया गया था, जो बच्चों में लचीलापन विकसित करने के लिए खेल आधारित तकनीकों का उपयोग कर लगातार प्रतिक्रिया दे रहा था। यह प्रतिभागियों को अपने स्वयं के पेशेवर बर्नआउट से निपटने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभावी रणनीतियों के साथ जोड़ा गया था ताकि वे बच्चों के लिए अधिक उपलब्ध हों। मैनेजिंग स्ट्रेस पर एक विशेष सत्र उनकी ऊर्जा को ताज़ा करने और उन्हें जीवन के लिए और उन महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्हें उन्होंने खुद के लिए चुना था।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 12-21 मार्च, 2020 | 13                     | नई दिल्ली |

इसके अतिरिक्त, संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु और गुवाहाटी ने परिवार परामर्श केंद्र (एफसीसी) के काउंसलर, चाइल्ड लाइन के स्वयंसेवकों और समन्वयकों के साथ वार्डन / सरकारी मुख्य विद्यालयों के छात्रावासों के प्रभारियों के साथ काउंसलिंग पर प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रशिक्षुओं को परामर्श के प्रमुख घटकों एवं तकनीकों के बारे में अवगत कराना; और उन्हें परामर्श के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण से परिचित कराना और प्रतिभागियों की परामर्श कौशल को तेज करना ताकि वे अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकें।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|---------------------|------------------------|----------|
| 24-26 अप्रैल, 2019  | 34                     | बेंगलुरु |
| 22-24 मई, 2019      | 21                     | बेंगलुरु |
| 04-06 सितम्बर, 2019 | 34                     | गुवाहाटी |
| 27-29 फरवरी, 2020   | 25                     | बेंगलुरु |
| 06-10 मई, 2020      | 38                     | गुवाहाटी |

### बाल निर्देशन एवं परामर्श में उत्तम डिप्लोमा

संस्थान बाल और किशोर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम चलाता है। वर्तमान में पाठ्यक्रम के पंद्रहवें बैच का लेन-देन किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय से संबद्ध है और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रमाणित है। छात्रों को उनके अधिकारों और पारिस्थितिकी के संदर्भ में बच्चों के लिए विकासात्मक सेवाओं की योजना और अवधारणा बनाने में दक्षता प्राप्त होती है। वे व्यापक टूल किट प्राप्त करते हैं, जिसमें सकारात्मक पेरेंटिंग, जीवन कौशल विकास और किशोरों के लिए पारिवारिक जीवन शिक्षा, विकास संबंधी विकारों और दिव्यांगों के संदर्भ में बच्चों और परिवारों के साथ आकलन और उपचार करना शामिल है। वे कठिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ सहायक, हस्तक्षेप करने के साथ ही करियर काउंसलिंग कराने में भी सक्षम हैं। वे प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं और बच्चों से संबंधित विभिन्न कृत्यों और विधानों को लागू करने के लिए प्रभावी एजेंट के रूप में कार्य करने की माँग करते हैं, यह है जेजे कानून, पोक्सो, आईटीपीओ, दत्तक और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम। इस कौशल को क्लासरूम इंटरचेंज, स्किल लैब और क्लिनिक, प्रीस्कूल, स्कूल और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनाइजेशन में सक्रिय

प्रयोग के जरिए सम्मानित किया जाता है। छात्रों को क्षेत्र से प्रशिक्षित और अनुभवी पेशेवरों के माध्यम से सक्रिय रूप से सलाह दी जाती है। कोर्स पूरा होने के बाद छात्र काम की दुनिया के संदर्भ में हासिल किए गए कौशल को मजबूत करने के लिए दो महीने की इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। संस्थान द्वारा प्रशिक्षित पेशेवरों को पुनर्वास काउंसलर के रूप में काम करने के लिए आरसीआई द्वारा एक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस दिया जाता है और स्कूलों और मानसिक स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए उच्च प्रकार का होता है।

| तिथि                                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 11 सितम्बर, 2019 – 30 सितम्बर, 2020 | 30                     | नई दिल्ली |

## अभिभावकीय कार्यशालाएं

अभिभावकता संपूर्ण मानवजाति में स्वाभाविक है। अभिभावकता के तौर-तरीके अधिकतर किसी समाज के आदर्शों, आस्थाओं और प्रथाओं पर निर्भर करते हैं। हालांकि यह प्राकृतिक होता है और सभी अभिभावक अपने बच्चों का अच्छे से पालन-पोषण करने का प्रयास करते हैं। फिर भी, कई परिस्थितियों में अभिभावक अपने बच्चों को आवश्यक समर्थन नहीं दे पाते। असंगत और अनुपयुक्त अभिभावकता न केवल बच्चों के निर्माणत्मक वर्षों पर प्रभाव डाल सकता है, बल्कि उनके बाद के जीवन पर भी प्रभाव डाल सकता है। अभिभावकों को उनके अभिभावकता के कौशल को बढ़ाने के लिए जानकारी देने के लिए, विशेषतः व्यवहार संबंधी समस्या वाले और सीखने संबंधी कमी वाले बच्चों से तथा किशोरावस्था के दौरान संकट से व्यवहार करते हुए, अभिभावकों को एक आम मंच प्रदान किया गया जिससे वे बाल्यावस्था देखभाल एवं विकास से संबंधित आम चिंताओं पर चर्चा कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्थान के मुख्यालय द्वारा अभिभावकीय **शिक्षा कार्यशालाओं** की श्रृंखला आयोजित की गई। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: किशोरों की मनो-लैंगिक चिंताओं को संबोधित करने के उनके कौशल और नज़रिए को समझना और सरल बनाना, बच्चों के व्यवहार और सीखने में आने वाली सामान्य समस्याओं के बारे में अभिभावकों को सुग्राह्य बनाना। माता-पिता को उनके विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की जरूरतों और माता-पिता, बच्चों और सीजीसी सुविधाओं के कर्मचारियों के बीच प्रशंसनीय संबंधों की जरूरतों के बारे में गहरी समझ से लैस करें। **इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे:** स्कूली प्रदर्शन से संबंधित हाई स्कूल के बच्चों की समस्याएं; किशोरों के प्रबंधन में

माता-पिता की भूमिका; सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों का समर्थन करना; शुरुआती और देर से बचपन के दौरान समर्थन; पेरेंटिंग कौशल बढ़ाना; बच्चों में विद्वतापूर्ण, सामाजिक, व्यवहारिक और भावनात्मक समस्याएं, बच्चों में विद्वतापूर्ण, सामाजिक, व्यवहारिक और भावनात्मक समस्या, बच्चों को सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याओं का समर्थन करना, शुरुआती और देर से बचपन के दौरान समर्थन, माता-पिता के कौशल को बढ़ाना, बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के प्रबंधन में माता-पिता की भूमिका आदि।

| तिथि             | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|------------------|------------------------|-----------|
| 11 फरवरी, 2019   | 100                    | गुवाहाटी  |
| 03 अप्रैल, 2019  | 153                    | गुवाहाटी  |
| 30 अप्रैल, 2019  | 22                     | नई दिल्ली |
| 30 जून, 2019     | 292                    | इन्दौर    |
| 21 जुलाई, 2019   | 187                    | इन्दौर    |
| 28 अगस्त, 2019   | 120                    | गुवाहाटी  |
| 28 अगस्त, 2019   | 126                    | चंडीगढ़   |
| 04 सितम्बर, 2019 | 20                     | नई दिल्ली |
| 30 सितम्बर, 2019 | 130                    | इन्दौर    |
| 23 अक्टूबर, 2019 | 56                     | गुवाहाटी  |
| 14 नवम्बर, 2019  | 60                     | गुवाहाटी  |
| 22 नवम्बर, 2019  | 132                    | मोहाली    |
| 06 दिसम्बर, 2019 | 87                     | नई दिल्ली |
| 08 दिसम्बर, 2019 | 200                    | इन्दौर    |
| 21 दिसम्बर, 2019 | 34                     | मोहाली    |
| 25 जनवरी, 2020   | 85                     | नई दिल्ली |
| 08 फरवरी, 2020   | 67                     | इन्दौर    |
| 11 फरवरी, 2020   | 97                     | नई दिल्ली |
| 22 फरवरी, 2020   | 41                     | पंजाब     |
| 28 फरवरी, 2020   | 90                     | नई दिल्ली |
| 28 फरवरी, 2020   | 63                     | पंजाब     |

इसके अलावा, संस्थान के बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय केंद्र ने **अभिभावकों और हितधारकों के लिए बच्चों से संबंधित मुद्दों पर कार्यशालाओं** की श्रृंखला आयोजित की। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: बच्चों से संबंधित विभिन्न मनोसामाजिक मुद्दों पर अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय परामर्शदाताओं को सुग्राह्य बनाना; बच्चों के साथ बेहतर ढंग से व्यवहार करने के लिए हितधारकों के कौशल में वृद्धि करना; और बच्चों के बीच नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए उन्हें योग्य बनाना।

| तिथि             | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|------------------|------------------------|----------|
| 06 मार्च, 2019   | 34                     | बेंगलुरु |
| 15 अप्रैल, 2019  | 27                     | बेंगलुरु |
| 30 अप्रैल, 2019  | 33                     | बेंगलुरु |
| 12 जून, 2019     | 101                    | गुवाहाटी |
| 18 जून, 2019     | 29                     | बेंगलुरु |
| 15 जुलाई, 2019   | 40                     | बेंगलुरु |
| 29 अगस्त, 2019   | 34                     | बेंगलुरु |
| 30 सितम्बर, 2019 | 20                     | बेंगलुरु |
| 28 दिसम्बर, 2019 | 41                     | बेंगलुरु |

## लड़कियों एवं महिलाओं का विकास एवं सशक्तिकरण

महिलाएं केवल विश्व की आधी जनसंख्या मात्र नहीं हैं, बल्कि वे शेष आधी जनसंख्या की वृद्धि का स्रोत भी हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति के चलते वे दुर्व्यवहार एवं शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। यह भेदभाव लिंग भेदभाव का परिणाम है, जो कि विश्व के सभी समुदायों का एक अन्तर्निहित अंग रहा है। भारतीय समाजों में प्रचलित कुछ लिंग आधारित पूर्वाग्रह कुप्रथाएं हैं, कन्या भ्रूण उन्मूलन, बालिकाओं की जन्म के समय हत्या, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और स्वतंत्रता के तहत पुरुष बच्चे के लिए वरीयता, बाल विवाह, दहेज हत्या, कानूनी भेदभाव, पेशे पुरुषों के लिए विशेष रूप से चिह्नित, अनिश्चित विधवा जीवन, आदि। महिलाओं की भेद्यता को देखते हुए, उन्हें परिवार के सदस्यों द्वारा कई बार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और यौन हिंसा के अधीन किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए महिलाओं को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे अपना ध्यान रखते हुए समाज में एक बेहतर जीवन यापन कर सकें। इसे ध्यान में रखते हुए लखनऊ स्थित क्षेत्रीय केन्द्र ने नेहरू युवा केन्द्र / नागरिक समाज संगठन के जिला समन्वयकों / कार्यकर्ताओं के लिए किशोरियों के विकास एवं पारिवारिक जीवन शिक्षा एक सुग्राह्यता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: किशोर स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रतिभागियों में समझ विकसित करना; किशोर स्वास्थ्य और विकास की मौजूदा रणनीतियों पर चर्चा करना; उन्हें प्रभावशाली संचार के लिए कौशल विकसित करने में सक्षम बनाना। प्रतिभागियों के बीच किशोरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर

परिप्रेक्ष्य विकसित करना; किशोरावस्था के दौरान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के बारे में उन्हें उन्मुख करना और किशोरों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों; प्रतिभागियों को किशोरों के शैक्षिक, प्रजनन स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों से अवगत कराते हैं और उन्हें किशोरों के विकास के समग्र के लिए सेवाओं के अभिसरण में उनकी भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

एक अन्य, चाय बागानों के क्षेत्रों में किशोर लड़कियों के समग्र विकास पर कार्यशाला का आयोजन क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी द्वारा किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य हैं: चाय बागानों के क्षेत्रों में किशोर लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करना; चाय बागान क्षेत्रों में किशोर लड़कियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं की स्थिति का विश्लेषण; एक अभिसरण दृष्टिकोण के साथ चायगार्डन क्षेत्रों के किशोरों के लिए सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए रणनीति तैयार करना।

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर द्वारा पश्चिमी राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों/आश्रम शालाओं के कार्यकर्ताओं हेतु जनजातीय किशोरों को सशक्त बनाने पर जीवन कौशल शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को एक उभरती आवश्यकता के रूप में जीवन कौशल शिक्षा पर सुग्राह्य बनाना; उन्हें जीवन कौशल शिक्षा के आयाम और परिवार तथा समुदाय/संस्थान पर इसके प्रभाव के बारे में अनुशिक्षित करना; महिलाओं/किशोरों के सशक्तिकरण के लिए उपकरण के रूप में जीवन कौशल शिक्षा के दृष्टिकोण पर प्रतिभागियों की क्षमताओं में वृद्धि कराना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 01-03 मई, 2019    | 30                     | इन्दौर    |
| 29 - 31 मई 2019   | 23                     | लखनऊ      |
| 19-21 जून, 2019   | 30                     | नई दिल्ली |
| 23-24 जुलाई, 2019 | 43                     | गुवाहाटी  |
| 01-03 मई, 2019    | 18                     | गुवाहाटी  |

इनके अलावा, संस्थान के मुख्यालयों ने क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली में आपदा प्रबंधन में लैंगिक मुद्दों को शामिल करने पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: आपदा प्रबंधन में लिंग संबंधी चिंताओं और जरूरतों को समझना; लिंग विश्लेषण के माध्यम से आपदा प्रबंधन के चरणों में प्रमुख लिंग संबंधी मुद्दों की पहचान करने और

उन्हें संबोधित करने की क्षमता विकसित करना; तथा आपदा प्रबंधन की समग्र आयोजना में जेंडर परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने के लिए रणनीतियां बनाना; कार्यशाला में आपदा प्रबंधन के विशेष संदर्भ के साथ लिंग और लिंग मुख्यधारा पर बुनियादी अवधारणाओं को शामिल किया गया; आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों की वैचारिक समझ; महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर आपदाओं का अंतर प्रभाव; आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत और कानूनी ढांचे; समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन: एक अवलोकन; लिंग विश्लेषण रूपरेखा: कमजोरियों, क्षमताओं और तैयारियों को समझना; आपदाओं में लिंग आधारित हिंसा: निवारक उपायों और बचे लोगों के लिए मनो-सामाजिक देखभाल; आपदा प्रतिक्रिया, वसूली, पुनर्वास और पुनर्निर्माण: लिंग संबंधी चिंताओं को एकीकृत करना और आपदा प्रबंधन आदि में मुख्य धारा के लिंग की रणनीति।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|--------------------|------------------------|--------|
| 26–28 नवम्बर, 2019 | 50                     | मोहाली |

संस्थान के मुख्यालय ने भी मुख्य उद्देश्यों के साथ खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिंग समानता पर कार्यशाला का आयोजन किया: लैंगिक समानता और खाद्य और पोषण सुरक्षा की बुनियादी अवधारणा के बारे में प्रतिभागियों के बीच स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करना; उन्हें भोजन एवं पोषण सुरक्षा के विभिन्न आयामों तथा उनमें महिलाओं की भूमिका की पहचान करने में सक्षम बनाना; जेंडर समानता एवं खाद्य सुरक्षा की दिशा में सरकारी एवं गैर सरकारी पहल; तथा जेंडर समानता सुनिश्चित करने एवं उसके द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरीय मध्यस्थता की अनुशंसा करना; प्रशिक्षण ने लैंगिक अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने पर जोर दिया; जेंडर समानता की बुनियादी अवधारणा; खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के विभिन्न आयाम; लैंगिक समानता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना: एसडीजी का अवलोकन; खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के जेंडर पहलू; जेंडर आधारित भेदभाव एवं भोजन तक घरेलू एवं पृथक पहुंच; जेंडर समानता एवं खाद्य सुरक्षा की दिशा में सरकारी पहल; लिंग विश्लेषण रूपरेखा: जेंडर समानता लाने के द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान |
|-------------------|------------------------|-------|
| 27–29 अगस्त, 2019 | 20                     | लखनऊ  |

संस्थान के मुख्यालय ने क्षेत्रीय केंद्र मोहाली और दिल्ली में स्कूलों/सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों/महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा पर एक परामर्श बैठक कार्यशालाओं का आयोजन किया और स्कूल जाने वाली लड़कियों को सुरक्षा और सुरक्षा खतरों के कारण और परिणाम पर विचार-विमर्श किया; विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्तमान तंत्र; बालिकाओं के साथ अपराध के निरोधक पहलू; विद्यालय जाने वाली बालिकाओं के साथ अपराध की रोकथाम में विद्यालय प्रशासकों, शिक्षकों, अभिभावकों/परिवार, पुलिस/ कानून, तथा प्रवर्तन एजेंसियों आदि की भूमिका, तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 12–14 दिसम्बर, 2019 | 36                     | मोहाली    |
| 12–13 मार्च, 2020   | 23                     | नई दिल्ली |

इसके अतिरिक्त, संस्थान के मुख्यालय ने दिल्ली के उद्देश्यों में महिला आश्रय गृहों के कार्यकर्ताओं के लिए देखभाल और मनो-सामाजिक पहलुओं पर तीन संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए: प्रतिभागियों को जेंडर भेदभाव तथा जेंडर आधारित हिंसा के बारे में सुग्राह्य करना; प्रतिभागियों को महिलाओं के संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों एवं विधिक विनियमों के बारे में अवगत कराना; प्रतिभागियों को संकटग्रस्त महिलाओं हेतु सम्भावित खतरों तथा बचाव प्रबन्धन प्रणाली पर सुग्राह्य करना; तथा महिलाओं के संरक्षण के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करना; इसके अलावा, कार्यक्रम की सामग्री ने हिंसा के शिकार महिलाओं के लिए मौजूदा समर्थन सेवाओं पर चर्चा करने पर विशेष जोर दिया; जेंडर-आधारित हिंसा से निपटने एवं सुरक्षा प्रदान करने में स्वैच्छिक संगठनों, महिलाओं के लिए सामुदायिक सुरक्षा समितियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में भूमिका।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 29–30 जनवरी, 2020 | 24                     | नई दिल्ली |
| 11–12 फरवरी, 2020 | 30                     | नई दिल्ली |
| 17–18 फरवरी, 2020 | 26                     | नई दिल्ली |

संस्थान के मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ ने मुख्य उद्देश्यों के साथ महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा के संयोजन पर अनुक्षिण कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन किया: प्रतिभागियों को जेंडर आधारित हिंसा के बारे में सुस्पष्ट रूप से समझाना; समस्या को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए नीतियों, मौजूदा सहायता सेवाओं एवं विधिक सुरक्षा उपायों के बारे में आंतरिक जानकारी प्रदान करना; हिंसा से बचाए गए व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने समेत परामर्श, जीवनयापन एवं पुनर्वास के लिए क्षमताएं बढ़ाना; तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ हिंसा की रोकथाम करने के लिए रणनीतियां विकसित करना।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|--------------------|------------------------|-----------|
| 21-23 मई, 2019     | 42                     | नई दिल्ली |
| 24-28 जून, 2019    | 33                     | ओडिशा     |
| 17 - 18 मार्च 2020 | 28                     | लखनऊ      |

विभिन्न हितधारकों के लिए महिलाओं की लैंगिक समानता और सशक्तीकरण पर कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान के मुख्यालय और संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ द्वारा मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए थे: महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विधिक, सशक्तीकरण आदि समेत सशक्तीकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रतिभागियों की समझ को बेहतर बनाना; महिला सशक्तीकरण के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी पहलों को साझा करना; और महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के दायरे को बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करना और महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के दायरे को बढ़ाने के लिए विकास कार्यक्रमों में लिंग को मुख्यधारा में लाने पर ज्ञान और कौशल प्रदान करना। कार्यशाला में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित विषय शामिल हैं: बुनियादी अवधारणाएं; महिला सशक्तीकरण के पहलू- आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी सशक्तीकरण; जेंडर आधारित हिंसा तथा महिलाओं के सशक्तीकरण पर इसका प्रभाव; महिला सशक्तीकरण: नेतृत्व एवं सम्प्रेषण कौशल विकसित करना; लिंग विश्लेषण: लिंग को मुख्यधारा में लाने और जेंडर नियोजन के लिए कार्यपद्धति लिंग संवेदनशील परियोजनाओं आदि की योजना और निर्माण करना।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 14 - 16 मई 2019 | 19                     | लखनऊ      |
| 25-27 जून, 2019 | 36                     | नई दिल्ली |

इसके अतिरिक्त, मुख्य उद्देश्य के साथ क्षेत्रीय केंद्र मोहाली में मुख्यालय द्वारा परेशान महिलाओं को देखभाल प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए परामर्श कौशल पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था: समाज में अपने समग्र भावनात्मक कल्याण और एकीकरण को पूरा करने के लिए संकट में महिलाओं की तात्कालिक और दीर्घकालिक जरूरतों के जवाब में व्यथित महिलाओं को परामर्श कौशल, विधियों और रणनीतियों के साथ देखभाल प्रदान करने वाले संस्थानों के अधिकारियों को लैस करना; भारत में महिलाओं के साथ हिंसा के प्रकटीकरण, मौजूदा नीतियों, महिलाओं के लिए सहायता सेवाओं तथा विधिक सुरक्षापायों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करना; (संकटग्रस्त महिलाओं के लिए परामर्श मध्यस्थता की भिन्न कार्यपद्धतियां एवं प्रकार के बारे में समझ विकसित करना; तथा संकटग्रस्त महिलाओं को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए परामर्श कौशल को बेहतर बनाना। इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे: महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार को समझना; काउंसलिंग की जरूरत और गुंजाइश की खोज; परामर्श के बुनियादी सिद्धांत; कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए रेफरल सेवाएं; महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए विधिक सुरक्षा-उपाय; तथा परामर्श के लिए प्रमुख तत्व।

| तिथि                    | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|-------------------------|------------------------|--------|
| 30 अप्रैल - 02 मई, 2019 | 35                     | मोहाली |
| 24-26 फरवरी, 2020       | 29                     | मोहाली |

इसके अतिरिक्त संस्थान के मुख्यालय द्वारा ने महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम पर एक सुग्राह्यता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार की प्रकृति एवं स्तर से अवगत कराना; विधिक रूपरेखा के बारे में ज्ञान प्रदान करना; समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में उन्हें अवगत कराना; अनैतिक व्यापार से पीड़ित महिलाओं/बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास एवं इसकी रोकथाम के लिए रणनीतियां विकसित करना; तथा महिलाओं एवं बच्चों अनैतिक व्यापार की रोकथाम में गैर सरकारी

संगठनों की भूमिका का विश्लेषण करना। इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे: महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार की अवधारणा एवं कारण; तस्करी की प्रक्रिया और चरणों; विधिक सुरक्षोपाय; बचाव कार्य और विभिन्न हितधारकों की भूमिका के लिए दिशानिर्देश; बचाव के बाद देखभाल और तस्करी से बचे लोगों का पुनर्वास; उज्ज्वला योजनाएं: तस्करी का मुकाबला करने के लिए हस्तक्षेप; तस्करी से बचे लोगों के लिए परामर्श तकनीक: अवधारणा और रूपरेखा; तस्करी व परिवार के साथ पुनः एकीकरण के पुनर्निवेश केलिए वकालत तथा नेटवर्किंग।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 15-17 मई, 2019    | 34                     | नई दिल्ली |
| 28-30 जनवरी, 2020 | 21                     | नई दिल्ली |

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी और लखनऊ ने मुख्य उद्देश्यों के साथ नेतृत्व विकास के माध्यम से महिलाओं की क्षमता निर्माण पर संवेदीकरण कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन किया: नेतृत्व के क्रमिक विकास तथा महिलाओं के लिए इसकी प्रासंगिता के बारे में एक समझ विकसित करना; प्रतिभागियों को महिलाओं के बीच में नेतृत्व को बढ़ावा देने वाले मौजूदा तंत्र के कार्यक्षेत्र एवं तंत्र को समझने में सक्षम बनाना; नेतृत्व भूमिकाएं ग्रहण करने के लिए महिलाओं के कौशल एवं क्षमताएं विकसित करने में परिवर्तन अभिकर्ता की भूमिका के बारे में चर्चा करना; तथा नेटवर्किंग के माध्यम से महिलाओं के बीच में नेतृत्व कौशल के लिए रणनीतियां एवं मध्यवर्तन विकसित करना। इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे: नेतृत्व की विशेषताएं और नैतिकता; महिलाओं के संवैधानिक प्रावधान और कानूनी अधिकार: अवलोकन; नेतृत्व शैली एवं टीम निर्माण के तौर-तरीके; महिलाओं पर प्रबंधन और निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाना: तकनीकों और रणनीतियों; संचार और बातचीत कौशल के माध्यम से नेतृत्व में वृद्धि; तथा महिलाओं की क्षमता निर्माण करने के लिए हितधारकों के बीच में नेटवर्किंग एवं भागीदारी को बढ़ावा देना; महिलाओं में नेतृत्व के विकास में चुनौतियों का सामना करना: जीवन कुशलता दृष्टिकोण।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|---------------------|------------------------|----------|
| 04-06 सितम्बर, 2019 | 27                     | लखनऊ     |
| 06-08 जनवरी, 2020   | 18                     | गुवाहाटी |

महिलाओं के लिए कानूनी अधिकारों और प्रवेश पर अनुक्षिण कार्यक्रम मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित किए गए थे: महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना; उन्हें महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और विधानों से अवगत कराना; महिलाओं के लिए मौजूदा समर्थन सेवाओं के बारे में उन्हें परिचित करना और अपने अधिकारों के लिए महिलाओं को सहायता सेवाएँ प्रदान करने वाले गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|---------------------|------------------------|----------|
| 9-11 जुलाई, 2019    | 26                     | इन्दौर   |
| 14-18 अक्तूबर, 2019 | 36                     | बेंगलुरु |

## बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर के मीडिया अभियान और बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई के माध्यम से 100 निम्न बाल लिंग अनुपात वाले जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है। प्रारंभ में यह योजना 100 महत्वपूर्ण जिलों में शुरू की गई और 2016 में अतिरिक्त 61 जिलों को जोड़ा गया। इस पृष्ठभूमि के साथ, संस्थान के मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों ने जिला नोडल अधिकारियों के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर अनुशिक्षण-सह-समीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य संस्थान के मुख्यालयों द्वारा किया गया था: कार्यकर्ताओं को सामाजिक बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में सुग्राह्य एवं प्रशिक्षित करना, तथा सीएसआर, जन्म पर लिंग अनुपात (एसआरबी) तथा विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन एवं प्रतिधारण में सुधार हेतु समुदायिक जुड़ाव को संघटित करना; जिला/ब्लॉक/जमीनी स्तर पर बेहतर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-संस्थागत तालमेल के लिए जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना; सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के लिए पक्ष-समर्थन अभियान के बारे में प्रशिक्षकों को उन्मुख करना; राज्यों में दस्तावेज़ का सर्वोत्तम अभ्यास। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न अधिकारियों और हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बालिकाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान

करने और बालिकाओं के महत्व को बढ़ावा देने के लिए रणनीति और उपकरण प्रदान करने के लिए चर्चा की गई; इस प्रकार उचित पक्ष-समर्थन योजना के माध्यम से सीएसआर एवं बालिका शिक्षा में सुधार करना।

| तिथि           | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|----------------|------------------------|----------|
| 17 जनवरी, 2020 | 47                     | मोहाली   |
| 18 जनवरी, 2020 | 24                     | मोहाली   |
| 07 फरवरी, 2020 | 28                     | गुवाहाटी |
| 08 फरवरी, 2020 | 34                     | गुवाहाटी |
| 25 फरवरी, 2020 | 23                     | इन्दौर   |
| 26 फरवरी, 2020 | 28                     | इन्दौर   |
| 27 फरवरी, 2020 | 66                     | लखनऊ     |
| 28 फरवरी, 2020 | 50                     | लखनऊ     |

बीबीबीपी पर मां और कानून में बेटी के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम विशेष रूप से संस्थान के मुख्यालय द्वारा जिला अधिकारियों के अनुरोध पर मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया था ताकि समुदाय को बाल लिंगानुपात में गिरावट के बारे में जागरूक किया जा सके और एक इकाई के रूप में परिवार कैसे सुधार में योगदान दे सके। सीएसआर, जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) और स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान      |
|-----------------|------------------------|------------|
| 02 नवम्बर, 2019 | 25                     | उत्तराखण्ड |

इसके अतिरिक्त संस्थान के मुख्यालय ने **जेंडर के आधार पर लिंग पक्षपातपूर्ण गर्भसमापन एवं कन्या शिशु हत्या की रोकथाम पर एक कार्यशाला** आयोजित की, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को भारत में जेंडर के आधार पर लिंग पक्षपातपूर्ण गर्भसमापन एवं कन्या शिशु हत्या पर जोर देते हुए बालिकाओं की स्थिति के बारे में अनुशिक्षित करना तथा जेंडर भेदभाव के चलते कन्या भ्रूण हत्या; प्रतिभागियों को गिरते लिंग अनुपात के परिणामों एवं बच्चों के लिंग अनुपात के बारे में अनुशिक्षित करना; प्रतिभागियों को बालिकाओं से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी नीतियों, अधिकारों, विधानों एवं योजनाओं से परिचित करवाना; तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के बारे में चर्चा करना तथा रणनीतियां बनाने के लिए मंच प्रदान करना।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|--------------------|------------------------|-----------|
| 20-22 नवम्बर, 2019 | 40                     | नई दिल्ली |

## कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

महिलाओं को अपने जीवन में बहुत से पहलुओं पर हिंसा का सामना करना पड़ता है। यद्यपि कुछ महिलाएं यह कह सकती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की यौन हिंसा का सामना नहीं किया है। शायद नौकरी पेशा महिलाओं के लिए सबसे आम परन्तु व्यापक अनुभव उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना होती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का एक गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर होता है तथा यह महिलाओं की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत गरिमा को गहन आघात पहुंचाता है। इसलिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक असमान एवं भेदभावकारी व्यवहार है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में, संस्थान ने स्कूल शिक्षकों / प्रशासकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / सरकारी अधिकारियों / आईसीसी और एलसीसी के सदस्यों / स्कूल में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर कार्यशाला/सुग्राह्यता/अनुशिक्षण कार्यक्रम की एक श्रृंखला आयोजित की। मुख्य उद्देश्यों के साथ मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र: भारत में महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा की अभिव्यक्ति में अंतर्दृष्टि प्रदान करना; महिलाओं के लिए मौजूदा नीतियां और समर्थन सेवाएं; कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और नियमों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की मुख्य विशेषताओं के बारे में समझ विकसित करना और कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की समस्या के समाधान के लिए रणनीति तैयार करना। इसकी विषय वस्तु में प्रमुख रूप से ये विषय शामिल थे: कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं, परिणाम, अभिव्यक्ति और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की भयावहता; कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की समस्या के समाधान के लिए हितधारकों की भूमिका और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रतिभागियों की संवेदनशीलता के लिए संवेदीकरण।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 29-30 अप्रैल, 2019  | 35                     | बेंगलुरु  |
| 18-19 जून, 2019     | 43                     | बेंगलुरु  |
| 15-16 जुलाई, 2019   | 22                     | बेंगलुरु  |
| 18-19 जुलाई, 2019   | 54                     | गुवाहाटी  |
| 20-21 अगस्त, 2019   | 43                     | बेंगलुरु  |
| 27-28 अगस्त, 2019   | 21                     | बेंगलुरु  |
| 26-27 सितम्बर, 2019 | 30                     | नई दिल्ली |
| 26-27 सितम्बर, 2019 | 38                     | गुवाहाटी  |
| 3-4 अक्तूबर, 2019   | 32                     | बेंगलुरु  |
| 04-05 नवम्बर, 2019  | 22                     | मोहाली    |
| 5-6 नवम्बर, 2019    | 30                     | बेंगलुरु  |
| 14-15 नवम्बर, 2019  | 27                     | मोहाली    |
| 14-15 नवम्बर, 2019  | 35                     | मोहाली    |
| 05-06 दिसम्बर, 2019 | 36                     | नई दिल्ली |
| 18-19 दिसम्बर, 2019 | 17                     | लखनऊ      |
| 15-16 जनवरी, 2020   | 34                     | नई दिल्ली |
| 23-24 जनवरी, 2020   | 31                     | नई दिल्ली |
| 29-30 अप्रैल, 2020  | 28                     | इन्दौर    |

## वन स्टॉप सेन्टर योजना

हिंसा महिलाओं के कल्याण एवं विकास में एक प्रमुख बाधा है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर उचित एवं समस्त सहायता नहीं मिलती है, और उन्हें अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाने एवं विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए संस्थागत आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं सहायता तंत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत महसूस की गई – ताकि हिंसा से पीड़ित महिलाओं की जरूरतों को प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से दूर होने / उसे छोड़ने से रोका जा सके। इसी के परिणामस्वरूप वन स्टॉप सेन्टर (ओएससी) स्थापित किए गए, ताकि हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सेवाएं एवं हर प्रकार की सहायता प्रदान की जा सके, जिसमें पुलिस एवं न्यायिक प्रतिवेदन, विधिक एवं स्वास्थ्य सेवा सेवाएं, मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं अन्य समर्थन सेवाएं शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरम्भिक तौर पर प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक वन स्टॉप

सेन्टर स्थापित किया है, ताकि निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर, परिवार में, समुदाय में एवं कार्यस्थल पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं/लड़कियों की सहायता की जा सके। वन स्टॉप सेन्टर के कार्यान्वयन से जुड़े कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण वन स्टॉप सेन्टर की नई शुरू की गई योजना के अधिदेश को हासिल करने में कारगर ढंग से सहायक हो सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, संस्थान के क्षेत्रीय केंद्रों ने वन स्टॉप सेंटर/आशा ज्योति केंद्र के काउंसलर और परिवार परामर्श केंद्र/पुलिस सुविधा केंद्रों के अधिकारियों और मेडिको लीगल ऑफिसर्स/ सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर और केस वर्कर्स के लिए एक स्टॉप सेंटर योजना पर संवेदीकरण कार्यक्रम/ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। मुख्य उद्देश्य: संकटग्रस्त महिलाओं के साथ कार्य करने की संवेदनशीलता बढ़ाना; प्रतिभागियों को परामर्श के प्रमुख घटकों के बारे में अवगत कराना; उन्हें परामर्श की तकनीकों से सुसज्जित करना; और प्रतिभागियों को परामर्श के कौशल प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है और सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए उनकी समग्र क्षमताओं को मजबूत करना। इसमें प्रमुख रूप से ये विषय शामिल थे: महिलाओं के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, परामर्श की अवधारणा, परामर्श का सिद्धांत, मूल्यांकन और लक्ष्य तैयार करना, समस्या समाधान, सकारात्मक आत्म-चर्चा और समूह परामर्श, आदि महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधान; ओएससी योजना का कार्यान्वयन और पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे उनकी समस्याओं के निवारण के लिए मेडिको-कानूनी सहायता प्रदान करने पर ज्ञान बढ़ाया। सामग्री में हिंसा से प्रभावित महिलाओं से निपटने में विभिन्न हितधारकों/ पदाधिकारियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भी शामिल थीं।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 27 - 29 मई, 2019  | 34                     | लखनऊ      |
| 20-21 अगस्त, 2019 | 20                     | मोहाली    |
| 3-4 अक्तूबर, 2019 | 42                     | मोहाली    |
| 5-6 फरवरी, 2020   | 24                     | नई दिल्ली |
| 5-7 फरवरी, 2020   | 27                     | मोहाली    |
| 9-13 मार्च, 2020  | 33                     | बेंगलुरु  |

क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी द्वारा वन स्टॉप सेंटर्स और स्वाधार होम के काउंसलर के लिए काउंसलिंग कौशल पर प्रशिक्षण मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया था: महिलाओं के अधिकारों और

सशक्तीकरण से संबंधित लैंगिक मुद्दों पर प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना; प्रतिभागियों को संकट में महिलाओं की समस्याओं को समझने में मदद करना; परामर्श की तकनीक और कौशल से संबंधित प्रतिभागियों को व्यापक प्रदर्शन प्रदान करें।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 05-09 अगस्त, 2019 | 28                     | गुवाहाटी |

## घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्रों ने सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं, पुलिस अधिकारियों तथा संरक्षण अधिकारियों के लिए 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005' के कार्यान्वयन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण से सम्बन्धित विधिक प्रावधानों के बारे में अनुशिक्षित करना; महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रम पहलों के बारे में प्रतिभागियों को अनुशिक्षित करना; महिलाओं और बच्चों की देखभाल और सुरक्षा में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर चर्चा करना और महिलाओं और बच्चों के संबंध में विकास प्रक्रिया को तेज करना; व्यवहार्य कार्य योजनाओं के विकास के माध्यम से समुदाय में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए उपायों और जागरूकता पहल को रणनीतिक बनाना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|---------------------|------------------------|----------|
| 26-28 जून, 2019     | 27                     | इन्दौर   |
| 22-24 अक्तूबर, 2019 | 47                     | बेंगलुरु |
| 19-20 नवम्बर, 2019  | 21                     | मोहाली   |

इसके अलावा संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के प्रशिक्षकों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: महिलाओं के सशक्तीकरण तथा पंचायती राज संस्थाओं के कार्य-संचालन से जुड़े मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श करना; महिलाओं, बच्चों एवं अन्य असहाय समूहों के लिए योजनाओं एवं विधानों के बारे में चर्चा करना; स्थानीय शासन में संभागी आयोजना की प्रक्रिया वर्णित करना;

विकास हेतु बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए तालमेल एवं सम्पर्कों के महत्व से अवगत करवाना; तथा महिलाओं को उनकी अपनी नेतृत्व क्षमता की पहचान करने में सक्षम बनाना ताकि वे परिवर्तन प्रतिनिधि के रूप में प्रभावी रूप से योगदान कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन विषयों को विस्तारपूर्वक शामिल किया गया: पंचायती राज व्यवस्था, निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां से सम्बन्धित विवरण; लिंग जनित मुद्दे; समाज के दुर्बल वर्गों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून; सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम; संभागी आयोजना; लोक कार्य, सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी एवं नेतृत्व कौशल।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान |
|--------------------|------------------------|-------|
| 16 - 18 मार्च 2020 | 16                     | लखनऊ  |

## डायन प्रथा

डायन प्रथा का तात्पर्य उत्पीड़न, यातना और अक्सर व्यक्तियों, जोड़ों या एक पूरे परिवार को 'चुड़ैलों' के रूप में मारने के बाद और उन्हें काला जादू का अभ्यास करके दूसरों या लक्षित व्यक्तियों को नुकसान, चोट / बीमारियों और मृत्यु का कारण / उत्पीड़न करने का आरोप लगाने से है। वर्तमान समय में, व्यक्तिगत स्कोर को निपटाने के लिए, अकेली विधवा या असहाय बुजुर्ग दंपति की संपत्तियों को हड़पने के लिए या कुछ अन्य कारणों से अक्सर इसकी रिपोर्ट की जाती है। हालांकि, किसी को भी एक चुड़ैल के रूप में प्रचारित किया जा सकता है, फिर भी, महिलाएं, विशेष रूप से विधवा, जो अकेले रहती हैं या बच्चे और अनपढ़ हैं, आमतौर पर लक्षित होती हैं। असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि राज्य नियमित रूप से डायन के शिकार की भयावह घटनाओं के गवाह हैं, जो उत्पीड़न, उत्पीड़न और गांवों से बाहर निकलने, संपत्ति हथियाने, शारीरिक दंड और अक्सर क्रूर हत्याओं का रूप लेती हैं। सौभाग्य से, सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, महिलाओं के संगठनों, मीडिया आदि ने डायन के शिकार की बढ़ती घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है और इस गंभीर सामाजिक पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं। बुराई। गैर सरकारी संगठन विशेष रूप से इस उभरते सामाजिक खतरे से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डायन शिकार की समस्या को संबोधित करते हुए, इसके उन्मूलन के लिए डायन शिकार की तेजी से उभरती

समस्या के विभिन्न आयामों को समझना महत्वपूर्ण है। इसलिए, इस मुद्दे पर एनजीओ के पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाना और उन्हें इस संबंध में संभावित भूमिका से अवगत कराना महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी ने मुख्य उद्देश्यों के साथ पूर्वी क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों के लिए चुड़ैल शिकार की रोकथाम के लिए एक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया: एनजीओ कर्मियों को डायन के शिकार, उसके कारणों और विभिन्न पहलुओं की समस्या के बारे में जागरूक करना; उन्हें चुड़ैल के शिकार के परिणामों से परिचित कराएं; विच हंटिंग की रोकथाम के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निर्माई जाने वाली भूमिकाओं के साथ प्रतिभागियों को परिचित कराएं। इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे: पूर्वी क्षेत्र में चुड़ैल के शिकार की घटनाओं के संबंध में स्थितिजन्य विश्लेषण; महिलाओं और बच्चों को चुड़ैल का शिकार करने के कारण और परिणाम; मौजूदा कानूनी प्रावधान; चुड़ैल के शिकार की रोकथाम में गैर सरकारी संगठनों के पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों और अधिकारियों की भूमिका; चुड़ैल के शिकार की रोकथाम के लिए रणनीति बनाना।

| तिथि           | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|----------------|------------------------|----------|
| 27-29 मई, 2019 | 19                     | गुवाहाटी |

## अनुसंधान पद्धति एवं सांख्यिकी विश्लेषण

समाज विज्ञान अनुसंधान – मानव व्यवहार एवं सामाजिक जीवन को विस्तारित करने, संशोधित करने एवं उसके ज्ञान का सत्यापन करने के क्रम में मानव जीवन से जुड़ी बातों को गहराई से समझने, विश्लेषण करने एवं संकल्पित करने की एक नियमबद्ध पद्धति है। समाज अनुसंधान अनुत्तरित घटनाओं का कारण खोजने, संदेह का स्पष्टीकरण देने, तथा सामाजिक जीवन से जुड़े मिथ्या-कल्पित तथ्य को सही करने का प्रयास करता है। सामाजिक अनुसंधान के पीछे प्रमुख विचार यह है कि नए अंतर-सम्बन्ध, नए ज्ञान, नए तथ्यों की खोज की जाए एवं पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जाए। सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि मानव सम्पर्क एवं व्यवहार का अध्ययन करने वाले हेतु उचित दिशानिर्देश बन सकने वाले कानूनों की खोज की जाए। इस सम्बन्ध में संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर ने समाज विज्ञान में अनुसंधान पद्धति एवं सांख्यिकी विश्लेषण पर विभिन्न हितधारकों के लिए पुनश्चर्या एवं अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को समाज विज्ञान में अनुसंधान पद्धति एवं

सांख्यिकी विश्लेषण के इस्तेमाल में नवीनतम प्रवृत्तियों के बारे में अनुशिक्षित करना; एक शोध अध्ययन को डिजाइन करते समय उचित कार्यप्रणाली का उपयोग करने में प्रतिभागियों के ज्ञान को उन्नत करना और उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीकों के अनुप्रयोग द्वारा डेटा विश्लेषण में प्रतिभागियों के कौशल को बढ़ाना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 19-21 अगस्त, 2019 | 22                     | नई दिल्ली |
| 26-28 अगस्त, 2019 | 29                     | इन्दौर    |

## स्वैच्छिक संगठनों/एनजीओ का क्षमता निर्माण परियोजना की योजना बनाना, रूप-रेखा तैयार करना तथा संकल्पना तैयार करना

स्वैच्छिक संगठन हाल के वर्षों में संसाधनों के प्रवाह के प्रमुख माध्यम के रूप में सामने आए हैं। हमारे सभी विकासात्मक एवं कल्याण प्रयासों में उनकी उपस्थिति महसूस की गई है। स्वैच्छिक संगठनों ने अपने प्रयासों के माध्यम से सुनिश्चित किया है कि विभिन्न विकास कार्यक्रम समुदायों तक पहुंचें, और इसलिए अब उन्हें विकास प्रक्रिया में सक्रिय साझेदार माना जाता है। इन संगठनों ने विकास एवं सामाजिक बदलाव लाने के लिए सरकार के साथ सक्रिय साझेदारों के रूप में योगदान किया है। विकासात्मक कार्यक्रमों का सूत्रीकरण एवं प्रबन्धन प्रमुख क्षेत्र है, जो स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं में कुछ विशिष्ट कौशलों की मांग करता है। ऐसा देखा गया है कि स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं में व्यावहारिक परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के कौशल की कमी होती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए गुवाहाटी एवं मोहाली स्थित संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्रों ने स्वैच्छिक संगठनों के लिए निधियां जुटाने की तकनीकों एवं संसाधन प्रबन्धन पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: स्वैच्छिक संगठन के प्रतिभागियों को निधियां जुटाने के तरीकों एवं तकनीकों से अवगत करवाना; निधियों के प्रभावी उपयोग एवं प्रबन्धन हेतु आंतरिक नियंत्रण एवं लेखांकन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा; आयकर नियमों एवं क्रियाविधियों के बारे में चर्चा करना। इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे: परियोजना निर्माण; किसी संगठन के भरण-पोषण के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में निधियां जुटाना; निधियां जुटाने हेतु योजना बनाना; निधियां जुटाने की चुनिंदा तकनीकों, निधियां जुटाने की सर्वोत्तम प्रथाओं,

निधियां जुटाने के संदेश सम्प्रेषण का एक सिंहावलोकन; निधियों के प्रभावी प्रबन्धन हेतु आंतरिक नियंत्रण एवं लेखांकन प्रणाली विकसित करना, स्वैच्छिक संगठनों को प्रशासित करने वाले आयकर नियम तथा क्रियाविधियां अपनाना।

| तिथि                  | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-----------------------|------------------------|----------|
| 29 अप्रैल-03 मई, 2019 | 33                     | गुवाहाटी |
| 16-18 दिसम्बर, 2019   | 18                     | मोहाली   |

**स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं हेतु स्वैच्छिक संगठन की स्थापना एवं प्रबन्धन पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण** आयोजित किया गया था, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: स्वैच्छिक संगठन की स्थापना के लिए प्रतिभागियों को उन्मुख करना; संस्थान निर्माण की प्रक्रिया, और इसके प्रशासन और प्रबंधन; उन्हें परियोजना प्रस्तावों की योजना बनाने एवं रूपरेखा तैयार करने, तथा संसाधन जुटाने के तरीकों एवं माध्यमों को सीखने में सहायता करना; स्वैच्छिक संगठनों में अच्छे शासन, उत्तरदेयता, एवं पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना। शामिल सामग्री: स्वैच्छिक कार्य की संकल्पनात्मक रूपरेखा एवं सामाजिक विकास में इसकी सुसंगतता; स्वैच्छिक संगठनों का पंजीकरण—सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, कम्पनी अधिनियम 1956, लोक न्यास अधिनियम आदि के अन्तर्गत नियम एवं विनियम आदि; संस्था निर्माण एवं इसका प्रबन्धन: संगठनात्मक लक्ष्य एवं प्रचालनात्मक लक्ष्य निर्धारित करना (दूरदर्शिता एवं लक्ष्य), संरचना एवं कार्य, बोर्ड सदस्यों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां; लेखांकन, अंकेक्षण एवं निष्पादन बजटिंग; कराधान नियम एवं विधिक मुद्दे; विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के विनियम, आयकर विवरणी तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए इन्टरनेट का उपयोग; संगठनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने, टकरावों को प्रबन्धित करने के लिए नेतृत्व एवं टीम निर्माण; संगठनों का अच्छा शासन; संगठनात्मक प्रबन्धन; संसाधनों का प्रबन्धन; स्वैच्छिक संगठन में सम्प्रेषण तंत्र विकसित करना; संगठनों में उत्तरदेयता, पारदर्शिता एवं नैतिक मुद्दे; तथा परियोजना प्रस्तावों की योजना एवं रूपरेखा बनाना।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|--------------------|------------------------|--------|
| 18-22 नवम्बर, 2019 | 30                     | मोहाली |

इसके अतिरिक्त संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ एवं इन्दौर ने स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए सूक्ष्म उद्यम गतिविधियों तथा स्वदेशी संसाधनों का प्रयोग करने के माध्यम से लघु बचत, उत्पादन, माइक्रो फाइनेंस एवं आय सृजन को बढ़ावा देने पर एक अनुशिक्षण प्रशिक्षण आयोजित किया जिनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को महिलाओं के लिए मितव्ययिता एवं लघु बचत की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में अनुशिक्षित करना; प्रतिभागियों को माइक्रो फाइनेंस तथा आय सृजन गतिविधियों की अवधारणा से परिचित कराना; सूक्ष्म-वित्त के लिए व्यवहार्य आर्थिक गतिविधियों, ऋण, विपणन और अन्य सहायक सेवाओं पर ज्ञान और कौशल प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर छोटी/मध्यम उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर कौशल प्रदान करना; नेटवर्किंग/मार्केटिंग अवसरों की खोज करना; व्यावसायिक संस्थाओं के साथ तालमेल के मामले में उनकी क्षमता विकसित करना; आय सृजन गतिविधियों हेतु माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका समझने में प्रतिभागियों की सहायता करना, प्रभावी वित्तीय प्रबन्धन हेतु गैर सरकारी संगठनों के कौशल विकसित करना तथा सूक्ष्म उद्यम के प्रबन्धन के बारे में रिपोर्ट करना एवं प्रतिभागियों के अनुभव साझा करना। इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे: आय सृजन गतिविधियां (आईजीए) तथा सूक्ष्म उद्यम का प्रचार, सूक्ष्म ऋण प्रबन्धन, माइक्रोफाइनेंस प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रचालनात्मक मुद्दे, अभिलेख रखरखाव, अंकेक्षण एवं ऋण प्रबन्धन, तथा विभिन्न हितधारकों के साथ नेटवर्किंग एवं जुड़ाव तथा सूक्ष्म ऋण में मॉनिटरिंग की भूमिका आदि।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|---------------------|------------------------|--------|
| 24-26 अप्रैल, 2019  | 16                     | लखनऊ   |
| 17-21 जून, 2019     | 24                     | इन्दौर |
| 16-20 दिसम्बर, 2019 | 36                     | इन्दौर |

इसके अलावा, क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु ने मुख्य उद्देश्यों के साथ स्वैच्छिक संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की रोकथाम पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया: भोजन और पोषण सुरक्षा के अधिकार पर पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना; पोषण पर उन्हें उन्मुख — सरकार द्वारा विशिष्ट और पोषण संवेदनशील कार्यक्रम; पोषण मूल्यांकन,

विश्लेषण एवं प्रलेखन में कौशल निर्मित; कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाले चुनौतियों के बारे में चर्चा करने के लिए एक फोरम प्रदान करना; बच्चों में कुपोषण की रोकथाम और दूर भगाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का विश्लेषण और उनपर विमर्श करना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 10-14 फरवरी, 2019 | 51                     | बेंगलुरु |

क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने मुख्य उद्देश्यों के साथ सिविल सोसाइटी संगठनों के कामकाज के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर एक ओरिएंटेशन प्रशिक्षण आयोजित किया: महिलाओं और बाल विकास के कार्यक्रम / योजना में स्वैच्छिक कार्रवाई की अवधारणा और प्रासंगिकता साझा करना; महिलाओं और बाल विकास और मौजूदा पैटर्न, प्रक्रिया और अनुदान की प्रक्रिया के लिए कार्यक्रम / योजना के बारे में प्रतिभागियों को उन्मुख करना; सरकारी योजनाओं के संदर्भ में एक परियोजना की अवधारणा और क्रियान्वयन में कौशल विकसित करना; परियोजना की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन एवं संवहनीयता हेतु लागत आकलन करने एवं कार्यान्वयन तंत्र तैयार करने में उनके ज्ञान को बेहतर बनाना। इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे: महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन; परियोजना की संकल्पना करना: प्रमुख चरण; एक परियोजना का निष्पादन, महिलाओं और बाल विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संसाधन जुटाव और प्रबंधन (समय, सामग्री, धन और जनशक्ति) की तकनीक, परियोजना स्थिरता, जवाबदेही और पारदर्शिता; गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्तीय लेखा प्रणाली; एनजीओ के लिए लीगल फ्रेम में करना काम।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 28-29 अगस्त, 2019 | 31                     | गुवाहाटी |

मुख्य उद्देश्यों के साथ संस्थान के मुख्यालय द्वारा आयोजित सरकारी कार्यक्रम के प्रचार के लिए स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए संचार और परामर्श कौशल पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम: **व्यवहार परिवर्तन के लिए परामर्श के सिद्धांतों के साथ प्रतिभागियों को परिचित करना**; परामर्श के लिए संचार कौशल सीखें और अभ्यास करें; प्रतिभागियों को

स्वास्थ्य पेशेवरों के रूप में अपने काम में उपयोग के लिए परामर्श कौशल हासिल करने में मदद ; सामग्री में शामिल हैं: सिद्धांतों और परामर्श के चरण; संचार के सूक्ष्म कौशल; व्यवहार परिवर्तन द्वारा भूमिका निर्वाहन पर मनोवैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से चर्चा करना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|---------------------|------------------------|--------|
| 14-16 अक्टूबर, 2019 | 21                     | मोहाली |

**संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर द्वारा नागरिक समाज संगठनों के लिए सामुदायिक संसाधनों को जुटाने एवं प्रबन्धित करने पर एक और अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे:** प्रतिभागियों को विकास कार्यक्रमों हेतु समुदाय को जुटाने की आवश्यकता के बारे में सुग्राह्य करना; प्रतिभागियों को सामुदायिक जुटाव तकनीकों के बारे में अनुशिक्षित करना; विकास कार्यक्रमों में शामिल समुदाय के लिए पीएलए गतिविधियों के महत्व के बारे में चर्चा करना। कार्यक्रम संसाधनों की आवश्यकता और महत्व पर विचार-विमर्श किया; संसाधनों के जुटाव की पद्धतियां एवं तकनीकें; संसाधन जुटाने के लिए रणनीति विकसित करना; मजबूतियों, कमजोरियों, अवसरों, जोखिमों (स्वॉट) का विश्लेषण; समुदाय के लिए संसाधन जुटाव; एक अभियान की योजना बनाना; परियोजना उत्तरदेयता एवं पारदर्शिता; वित्तीय प्रबन्धन एवं निधि प्रबन्धन; स्वैच्छिक संगठनों के लिए कर छूट एवं विधिक रूपरेखा आदि।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|---------------------|------------------------|--------|
| 14-18 अक्टूबर, 2019 | 28                     | इन्दौर |

सरकारी अधिकारियों और वीओ के लिए किशोर लड़कियों के पारिवारिक जीवन की शिक्षा और समग्र विकास पर संवेदीकरण कार्यक्रम क्षेत्रीय केंद्र मोहाली द्वारा मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया था: किशोरावस्था के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों और चुनौतियों के बारे में प्रतिभागियों को उन्मुख करना; उन्हें प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों और किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं से अवगत कराया; किशोरों के समग्र विकास के लिए पारिवारिक जीवन शिक्षा में उनकी भूमिका के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाना; तथा उन्हें बच्चों की बाल्यावस्था के दौरान उनके भावनात्मक कल्याण एवं उपलब्धि को बढ़ावा

देने की रणनीति के बारे में बारीकी से अवगत कराना। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ये विषय शामिल थे: उभरते मुद्दे और किशोरियों से संबंधित चुनौतियाँ; स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताएँ और किशोरों की समस्याओं, रोकथाम, उपचार और प्रबंधन के मुद्दे; और किशोरों के बीच समग्र विकास को बढ़ावा देने में पारिवारिक जीवन शिक्षा, सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की भूमिका।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|---------------------|------------------------|--------|
| 21–23 अक्तूबर, 2019 | 35                     | मोहाली |
| 13–15 जनवरी, 2020   | 37                     | मोहाली |

## मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन

किसी कार्यक्रम या योजना के कार्यान्वयन की सफलता मुख्य रूप से कार्यक्रम के प्रभावी मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन पर निर्भर करती है। यद्यपि यह देखा गया है कि बहुत ही योजनाओं में यह महत्वपूर्ण तत्व अंतःनिर्मित होने के बावजूद भी कार्यान्वयन एजेन्सियों, मुख्य तौर पर स्वैच्छिक संगठनों के पास मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के पर्याप्त ज्ञान एवं कौशल की कमी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्थान के मुख्यालय ने महिलाओं एवं बच्चों के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन पर स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए दो अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को सामाजिक विकासात्मक कार्यक्रमों में मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व के बारे में अनुशिक्षित करना; उन्हें कार्यक्रम की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन की नवीनतम पद्धतियों/तकनीकों से अवगत कराना; तथा महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण के उनके कौशल को बेहतर बनाना। इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे: महिलाओं एवं बच्चों के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम; स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन का महत्व; सामाजिक विकासात्मक कार्यक्रम में मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन की अवधारणा; विकासात्मक कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव तैयार करना; परियोजना के मॉनिटरिंग की तकनीकें एवं रूपरेखा तैयार करना; प्रतिचयन तकनीकें; मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु संकेतक विकसित करना; अनुसूची एवं प्रश्नावली तैयार करने के लिए तकनीकें; आंकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचना; विवरणात्मक एवं आनुमानिक सांख्यिकी एवं रिपोर्ट लेखन।

| तिथि           | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|----------------|------------------------|-----------|
| 27–31 मई, 2019 | 19                     | नई दिल्ली |

## अन्य कार्यक्रम

इसके अतिरिक्त संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर ने पश्चिमी क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनों एवं सरकार के कार्यकर्ताओं हेतु जेंडर विकास के लिए जेंडर बजटिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: महिला विकास पर मुद्दों के बारे में प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना; जेंडर बजटिंग के बारे में उन्मुख प्रतिभागी- जेंडर बजटिंग की एक उभरती हुई आवश्यकता, अवधारणा, आवश्यकता और महत्व; उन्हें लिंग और विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जागरूक करें नवीनतम दिशानिर्देश और सरकार के परिपत्र। जेंडर बजटिंग/एपीआईपी पर भारत का सही परिप्रेक्ष्य/ संदर्भ में लिंग बजट का उपयोग और लिंग बजट के प्रस्तावों में कौशल में सुधार; लिंग और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकारी संगठनों एवं स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|-------------------|------------------------|--------|
| 22–24 जुलाई, 2019 | 33                     | इन्दौर |

एनएचएम, आंगनवाड़ी सेवाओं और एसबीएम के कार्यकर्ताओं के लिए सेम प्रबंधन, डायरिया प्रबंधन और डब्ल्यूएसएसएच पर प्रशिक्षण इन मुख्य उद्देश्यों के साथ संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी द्वारा आयोजित किया गया था: सेम प्रबंधन, डायरिया प्रबंधन और डब्ल्यूएसएसएच पर पदाधिकारियों की क्षमता का निर्माण; सेवाओं के अभिसरण के लिए बहु-क्षेत्रीय प्रोग्रामिंग की सुविधा; प्रतिभागियों को प्रभावी समन्वय और सेवाओं के अभिसरण के लिए प्रासंगिक रणनीति विकसित करने में सक्षम बनाना; सैम बच्चों की रोकथाम और प्रबंधन में हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में प्रतिभागियों को उन्मुख करता है। शामिल सामग्री: बच्चों में कुपोषण की समस्या का विश्लेषण; सेम की पहचान और प्रबंधन, डायरिया प्रबंधन, सेम और डायरिया के प्रबंधन में जल, स्वच्छता और स्वच्छता (डब्ल्यूएसएसएच) का महत्व, एसएसएम बच्चों की

रोकथाम और प्रबंधन में हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, एसएएम के प्रबंधन के समन्वय, और अभिसरण।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 28-30 जनवरी, 2020 | 20                     | गुवाहाटी |

क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने मुख्य उद्देश्यों के साथ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बाल विवाह की रोकथाम पर एक परामर्श बैठक आयोजित की: पूर्वी राज्यों में बाल विवाह से सम्बन्धित सामाजिक-आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों को समझना; पूर्वी राज्यों में बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच करना; बाल विवाह की रोकथाम हेतु सामाजिक संघटन एवं संचार अभियानों के क्रियातंत्रों का विश्लेषण करना; तथा पूर्वी राज्यों में बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए रणनीतियां तैयार करना। प्रशिक्षण ने बाल विवाह के लिए कारकों को भी हतोत्साहित किया; बाल विवाह और इसके कार्यान्वयन से निपटने के लिए मौजूदा संवैधानिक और कानूनी ढांचे का विश्लेषण किया, पीसीएमए के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना किया, बाल विवाह को रोकने में सर्वोत्तम प्रथाओं और बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक कार्य योजना तैयार की।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 02-03 जुलाई, 2019 | 75                     | गुवाहाटी |

सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों/वरिष्ठ शिक्षकों के लिए बाल उत्पीड़न की रोकथाम पर संवेदनशीलता कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी में किया गया था जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: बाल दुर्व्यवहार की समस्या के लिए स्कूलों के प्रधानाचार्यों/उप-प्राचार्यों को संवेदनशील बनाना; प्रतिभागियों को, बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने से सम्बन्धित मौजूदा नीतियों एवं विधायी उपायों तथा कार्यक्रमों की जानकारी देना; स्कूलों में बाल दुर्व्यवहार की घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिभागियों को उचित कार्रवाई करने में सक्षम बनाएं। शामिल सामग्री: बाल शोषण की वैचारिक रूपरेखा: बच्चों पर इसके विभिन्न रूप और प्रभाव; उत्तर पूर्व के विशेष संदर्भ के साथ बाल दुर्व्यवहार की स्थिति का विश्लेषण क्षेत्र; शारीरिक दंड: स्कूलों में शारीरिक दंड की रोकथाम के लिए परिभाषा, रूप और मौजूदा निर्देश; बाल उत्पीड़न की रोकथाम के लिए

बच्चों और कानूनी सुरक्षा उपायों का अधिकार; पोक्सो अधिनियम और नियम, 2012 का अवलोकन, घर और स्कूल में बच्चों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता; अवांछित/अवांछित व्यवहार वाले बच्चों को संभालने के तरीके और तकनीक उपयोग करना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|---------------------|------------------------|----------|
| 24-26 सितम्बर, 2019 | 27                     | गुवाहाटी |

महिला और बाल विकास में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की भूमिका पर कार्यशाला, सिविल सोसाइटी संगठन और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों को क्षेत्रीय केंद्र इंदौर द्वारा मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया था: प्रतिभागियों को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के उद्देश्यों एवं प्रक्षेत्रों के बारे में सुग्राह्य करना; गैर सरकारी संगठनों तथा कॉर्पोरेट घरानों के बीच में बेहतर समझ एवं समन्वयन के लिए एक मंच प्रदान करना; शामिल सामग्री: कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों की आवश्यकता एवं महत्व; पारस्परिक हित के क्षेत्र; समुदाय में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधियन के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रभावी तंत्र स्थापित करना; कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों में स्वैच्छिक संगठनों एवं सरकारी/निजी कम्पनियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|-------------------|------------------------|--------|
| 08-10 जनवरी, 2020 | 43                     | इन्दौर |

## साइबर सुरक्षा

ऑनलाइन उद्देश्य/साइबर सुरक्षा से बच्चों के संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम/ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन मुख्य उद्देश्यों के साथ संस्थान मुख्यालय द्वारा शैक्षिक संस्थानों और अभिभावकों के लिए किया गया था: भारत में बच्चों के खिलाफ किए गए साइबर अपराधों के हालिया रुझानों पर चर्चा करने के लिए; बच्चों के ऑनलाइन संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनों, नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी साझा करना; मौजूदा तंत्र के समर्थन के साथ मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक मार्ग का निर्माण करना। इस कार्यक्रम ने डिजिटल युग में बच्चों के लिए साइबर विशिष्ट अपराधों और खतरों के रुझान को हतोत्साहित किया; बच्चों के खिलाफ साइबर बदमाशी और ऑनलाइन अपराध; वेब-सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी - ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्स ऐप,

इंस्टाग्राम, गूगल; बच्चों को साइबर अपराधों (पोक्सो अधिनियम, जेजे अधिनियम, आईटी अधिनियम, आईपीसी आदि) से बचाने के लिए कानून, नीतियां और योजनाएं; बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को संबोधित करने के लिए शिक्षकों और परामर्शदाताओं की भूमिका; और, उसी के लिए रणनीति विकसित करना।

| तिथि           | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान        |
|----------------|------------------------|--------------|
| 22 जनवरी, 2020 | 53                     | उत्तर प्रदेश |
| 24 जनवरी, 2020 | 43                     | नई दिल्ली    |
| 29 फरवरी, 2020 | 200                    | उत्तर प्रदेश |

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र इंदौर ने मुख्य उद्देश्य के साथ **स्कूल के अधिकारियों के लिए स्कूली छात्रों के बीच सोशल मीडिया की लत पर एक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन** किया: स्कूल के छात्रों के बीच सामाजिक मीडिया की लत के लिए स्कूल के अधिकारियों को परिचित करना; शैक्षणिक प्रदर्शन पर सामाजिक मीडिया की लत के प्रभाव पर उन्हें उन्मुख; माता-पिता, पारस्परिक संबंधों और स्वास्थ्य के साथ संबंध; स्कूल अधिकारियों को सोशल मीडिया की लत से निपटने में छात्रों की मदद के लिए स्थापित मौजूदा स्कूल में सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने की सुविधा प्रदान करना। सामग्री में शामिल हैं: सोशल मीडिया की लत की अवधारणा; सोशल मीडिया की लत के संकेत और लक्षण; लत के कारण; आदत और लत के बीच अंतर; अकादमिक पर लत का प्रभाव; बच्चे के सामाजिक और स्वास्थ्य पहलुओं; उपचार तकनीक और लत के साथ मुकाबला करने के लिए रणनीतियाँ बनाना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|---------------------|------------------------|--------|
| 14-15 अक्तूबर, 2019 | 38                     | इन्दौर |

## बाल संरक्षण एवं किशोर न्याय प्रणाली

### पोक्सो अधिनियम, 2012

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) की प्रस्तावना संविधान एवं अन्तरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की पुष्टि करती है: यौन अपराधों की परिभाषा व्यापक है तथा यह केवल दुष्कर्म तक ही सीमित नहीं है। यह अधिनियम बालक और बालिकाओं दोनों को यौन हमलों, यौन उत्पीड़न, और अश्लील-सामग्रियों से सुरक्षा प्रदान करता है। पोक्सो अधिनियम, 2012 एक व्यापक कानून है, जिसमें बच्चों के साथ यौन अपराधों तथा उनसे सम्बन्धित मामलों के द्रुत ट्रायल हेतु

विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने का प्रावधान दिए गए हैं और उसके साथ ही साथ न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर बच्चों के हितों की सुरक्षा करने दृष्टिकोण से अपराधों की रिपोर्टिंग, साक्ष्य रिकॉर्डिंग, जांच एवं ट्रायल हेतु बच्चों के अनुकूल क्रियातंत्र शामिल किया गया है। इस अधिनियम में इस बात को समझा गया है कि यौन अपराधों के पीड़ित बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चे द्वारा अपना अभिकथन रिकॉर्ड करवाए जाने से लेकर ट्रायल समाप्त होने तक बच्चे की सहायता के लिए विशेष क्रियाविधियां स्थापित की गई हैं। पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित बाल-अनुकूल क्रियाविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में पुलिस को एक प्रमुख भूमिका दी गई है। यह अधिनियम कुछ क्रियाविधि सम्बन्धी दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिसे पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत किसी यौन अपराध के पीड़ित बच्चे (18 वर्ष की आयु से कम का कोई भी व्यक्ति) के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा पालन किया जाना होता है, तथा यह यौन हिंसा से गुजरने वाले बच्चों के लिए विशेष क्रियाविधियां प्रदान करने में एक उत्तरोत्तर कदम है। यौन दुर्व्यवहार के पीड़ित बच्चों के साथ व्यवहार करते समय पुलिस को अवश्य ही एक संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए, ताकि इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अधिनियम में पुलिस द्वारा बच्चे के संवेदनशील संचालन के लिए कुछ वैधानिक दायित्व निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न हितधारकों के अधिनियम और भूमिका की महत्वपूर्ण विशेषताओं को पहचानते हुए, संस्थान के मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय केंद्रों ने अनुशिक्षण प्रोग्राम/क्षेत्रीय कार्यशाला/संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम/यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पर जागरूकता शिविर, 2012 (पोक्सो अधिनियम), 2012 की श्रृंखला आयोजित की। एसजेपीयूस/एनजीओ/स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक/पुनर्वास/विशेष विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के व्यावसायिक पेशेवरों/पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि/बच्चे/काउंसलर/पुलिस अधिकारी/स्वैच्छिक संगठन/चिकित्सा पेशेवर/सीसीपीओ/युवा क्लब/सामाजिक कार्यकर्ता/सीसीआई के अधीक्षक/प्रतिनिधि सीडबलूओ/जेजेबी/एडब्लूटीसी/एमएलटीसी/कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्य मुख्य उद्देश्यों के साथ: पोक्सो अधिनियम और नियम, 2012 की मुख्य विशेषताओं के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान में वृद्धि; प्रतिभागियों को बच्चों के साथ किए जाने वाले यौन अपराधों, तथा पोक्सो अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्रावधानों के बारे में अनुशिक्षित करना; विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियम के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका की समझ विकसित करना और पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा करना; बाल

यौन दुर्व्यवहार के मामलों को प्रबन्धित करने के तौर-तरीकों के बारे में चर्चा; तथा अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं, तथा बाल यौन दुर्व्यवहार के मामलों को प्रबन्धित करने के कौशल के बारे में चर्चा करना।

| तिथि                       | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|----------------------------|------------------------|-----------|
| 25-26 अप्रैल, 2019         | 27                     | गुवाहाटी  |
| 29 अप्रैल, 2019            | 51                     | लखनऊ      |
| 1 मई, 2019                 | 19                     | नई दिल्ली |
| 17-18 जून, 2019            | 26                     | गुवाहाटी  |
| 20-21 जून, 2019            | 15                     | मोहाली    |
| 24-25 जून, 2019            | 23                     | इन्दौर    |
| 1 जुलाई, 2019              | 17                     | नई दिल्ली |
| 25-26 जुलाई, 2019          | 30                     | बेंगलुरु  |
| 25-26 जुलाई, 2019          | 37                     | गुवाहाटी  |
| 05-06 अगस्त, 2019          | 39                     | इन्दौर    |
| 07-08 अगस्त, 2019          | 34                     | गुवाहाटी  |
| 22-23 अगस्त, 2019          | 28                     | गुवाहाटी  |
| 05-06 सितम्बर, 2019        | 21                     | मोहाली    |
| 12-13 सितम्बर, 2019        | 19                     | गुवाहाटी  |
| 30 सितम्बर-1 अक्टूबर, 2019 | 29                     | बेंगलुरु  |
| 10-11 अक्टूबर, 2019        | 48                     | इन्दौर    |
| 31 अक्टूबर, 2019           | 17                     | नई दिल्ली |
| 21-22 नवम्बर, 2019         | 14                     | इन्दौर    |
| 28-29 नवम्बर, 2019         | 23                     | बेंगलुरु  |
| 16-17 दिसम्बर, 2019        | 25                     | मोहाली    |
| 10-11 फरवरी, 2020          | 17                     | नई दिल्ली |
| 12-13 फरवरी, 2020          | 19                     | मोहाली    |
| 14 फरवरी, 2020             | 20                     | पंजाब     |
| 15 फरवरी, 2020             | 51                     | नई दिल्ली |
| 27-28 फरवरी, 2020          | 25                     | लखनऊ      |
| 28-29 फरवरी, 2020          | 78                     | नई दिल्ली |
| 02 मार्च, 2020             | 36                     | हरियाणा   |

## बाल अधिकार एवं संरक्षण

बाल अधिकार और संरक्षण के मुद्दों पर कार्यक्रम संस्थान के मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा विभिन्न हितधारकों के लिए आयोजित किए गए थे, जिनमें सीसीआई के कार्यवाहक, बाल संरक्षण सेवा के अंतर्गत ओपन शेल्टर, राष्ट्रीय सेवा

योजना के समन्वयक / अधिकारी (एनएसएस) / स्वैच्छिक संगठन और बाल संरक्षण योजना के अन्य अधिकारी शामिल हैं। (डीसीपीयू) मुख्य उद्देश्यों के साथ: प्रतिभागियों को देश में बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण के संदर्भ में बच्चों के वर्तमान परिदृश्य की समझ विकसित करने में सक्षम बनाना; प्रतिभागियों को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं इसके नियम, 2016 के बारे में अनुशिक्षित करना; आईसीपीएस के संदर्भ में किशोर न्याय अधिनियम एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों की भूमिका के बारे में चर्चा करना। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए पदाधिकारियों द्वारा अनुभव और चुनौतियों का सामना करना; यूटी में बेहतर बाल अधिकारों और बाल संरक्षण सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीति और समाधान विकसित करना। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से इनसे सम्बन्धित विवरण शामिल थे – बाल अधिकारों के लिए अधिकार आधारित रणनीति के लिए क्रियातंत्र तथा बाल संरक्षण की अवधारणात्मक रूपरेखा; जेजे अधिनियम, 2015 और उसके नियम, 2016; पोक्सो अधिनियम; दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 और कार्यपालकों की भूमिका; बाल संरक्षण सेवाएँ और बच्चों से संबंधित कानूनों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में हितधारकों की भूमिका।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान        |
|---------------------|------------------------|--------------|
| 25-26 अप्रैल, 2019  | 56                     | लक्षद्वीप    |
| 7-9 मई, 2019        | 30                     | बेंगलुरु     |
| 27-31 मई, 2019      | 42                     | इन्दौर       |
| 28-31 मई, 2019      | 26                     | दिल्ली       |
| 10-13 जून, 2019     | 27                     | मोहाली       |
| 17-19 जुलाई, 2019   | 31                     | पश्चिम बंगाल |
| 17-19 जुलाई, 2019   | 21                     | इन्दौर       |
| 27-28 अगस्त, 2019   | 29                     | नई दिल्ली    |
| 04-06 सितम्बर, 2019 | 17                     | मोहाली       |
| 11-13 सितम्बर, 2019 | 24                     | बेंगलुरु     |
| 16-18 अक्टूबर, 2019 | 18                     | नई दिल्ली    |
| 20-22 नवम्बर, 2019  | 29                     | बेंगलुरु     |
| 11-13 दिसम्बर, 2019 | 30                     | बेंगलुरु     |
| 20-22 जनवरी, 2020   | 29                     | बेंगलुरु     |
| 10-14 फरवरी, 2020   | 16                     | इन्दौर       |
| 02-06 मार्च, 2020   | 41                     | बेंगलुरु     |
| 09-13 मार्च, 2020   | 41                     | बेंगलुरु     |

शिक्षक और छात्रों के लिए बाल संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम/ जागरूकता सृजन शिविर का आयोजन संस्थान के मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र द्वारा मुख्य उद्देश्यों के साथ किया गया था: बाल अधिकारों, विकासात्मक नीतियों और बच्चों के लिए कार्यक्रमों की ओर कानून विभाग के शिक्षकों और छात्रों को उन्मुख करना; उन्हें बाल संरक्षण सेवाओं के तहत सेवा वितरण तंत्र और बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों को समझने में सक्षम बनाना; बाल संरक्षण में कानून और सामाजिक कार्य विभाग के शिक्षकों और छात्रों की भूमिका की स्पष्ट समझ बनाएं। सामग्री में शामिल हैं: बाल अधिकारों के लिए अधिकार आधारित रणनीति के लिए क्रियातंत्र तथा बाल संरक्षण की अवधारणात्मक रूपरेखा; किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा मॉडल नियम, 2016 की प्रमुख विशेषताएं; पोक्सो अधिनियम, 2012 और उसके संशोधन अधिनियम, 2019 का अवलोकन; राज्य और जिला स्तर पर बाल संरक्षण सेवा योजना और सेवा वितरण संरचना और, बाल संरक्षण में शिक्षकों और छात्रों की भूमिका।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान        |
|---------------------|------------------------|--------------|
| 06 सितम्बर, 2019    | 41                     | उत्तर प्रदेश |
| 23 अक्टूबर, 2019    | 45                     | उत्तराखण्ड   |
| 14 नवम्बर, 2019     | 79                     | इन्दौर       |
| 16-18 दिसम्बर, 2019 | 34                     | इन्दौर       |
| 29 जनवरी, 2020      | 27                     | चंडीगढ़      |

इसके अतिरिक्त संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु एवं इन्दौर ने किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समितियों/एसजेपीयू के सदस्यों/मजिस्ट्रेटों के लिए बाल संरक्षण पर अनुशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: आईसीपीएस कार्यक्रम ढांचे की गहराई से समझ प्रदान करना, बच्चों द्वारा उनके समग्र विकास के लिए चुनौतियों का सामना करना; प्रतिभागियों को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, तथा इसके संशोधित अधिनियम, 2016 तथा आईसीपीएस एवं पोक्सो अधिनियम, 2012 के बारे में सुग्राह्य एवं अनुशिक्षित करना; जेजेबी/सीडब्ल्यूसी/एसजेपीयू/चाइल्डलाइन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ-साथ अनुभव और चुनौतियों के बारे में प्रतिभागियों को बताएं और जेजेबी सदस्यों और एसजेपीयू/चाइल्डलाइन के अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों व उनके बारे में बताना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 29-30 अगस्त, 2019 | 30                     | इन्दौर   |
| 23-24 जनवरी, 2020 | 17                     | इन्दौर   |
| 28-29 जनवरी, 2020 | 63                     | बेंगलुरु |

इसके अतिरिक्त संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के प्रधानाध्यापकों हेतु बाल अधिकारों एवं संरक्षण पर दो अनुशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित कीं, जिनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: बाल देखभाल एवं संरक्षण से सम्बन्धित संवैधानिक/विधिक प्रावधानों एवं मुद्दों के बारे में प्रतिभागियों को अनुशिक्षित करना; बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रम पहलों के बारे में प्रतिभागियों को अनुशिक्षित करना; तथा बाल संरक्षण सम्बन्धित मुद्दों में उनकी भूमिका पर चर्चा करना।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-----------------|------------------------|----------|
| 7-9 अगस्त, 2019 | 20                     | बेंगलुरु |

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली ने समेकित बाल संरक्षण योजना कार्यकर्ताओं हेतु बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण में नवीनतम पहलों पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में समझ विकसित करने में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना; प्रतिभागियों को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा इसके नियम, 2016 के बारे में अनुशिक्षित करना; तथा प्रतिभागियों को बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण में हाल की पहलों के बारे में जानकारी देना तथा समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकर्ताओं के कार्यों, भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 24-25 जून, 2019   | 25                     | राजस्थान |
| 26-28 जून, 2019   | 32                     | मोहाली   |
| 06-10 जनवरी, 2020 | 31                     | मोहाली   |

संस्थान के मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र मोहाली ने मुख्य उद्देश्यों के साथ पुलिस कर्मियों (रेलवे सुरक्षा बल और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों) के लिए बाल अधिकार और बाल संरक्षण पर विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया:

बाल अधिकारों और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 और उसके नियमों की समझ को बढ़ाना, अधिनियम की कार्यान्वयन में पुलिस/आरपीएफ की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित; भारतीय रेलवे संरचनाओं और परिवहन प्रणाली से गुजरने वाले कमजोर बच्चों से निपटने के लिए उपलब्ध रणनीतियों और विकल्पों पर चर्चा करें; बच्चों को संवाद और समझने के लिए आरपीएफ कर्मियों के कौशल में वृद्धि; समन्वय तंत्र को जानबूझकर और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पाए गए बच्चों को बचाने और बहाल करने के लिए हितधारकों के बीच चुनौतियों का सामना करना।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|--------------------|------------------------|--------|
| 13-14 जून, 2019    | 29                     | मोहाली |
| 14-15 नवम्बर, 2019 | 40                     | जम्मू  |

बच्चों को प्रभावित करने वाले विभिन्न देखभाल और संरक्षण के मुद्दों की समीक्षा के लिए **बाल संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श बैठक** आयोजित की गई; बच्चों से जुड़ी विभिन्न सरकारी नीतियों के साथ ही साथ विधानों एवं कार्यक्रम पहलों के बारे में विचार-विमर्श करना; तथा बाल देखभाल एवं संरक्षण मुद्दों में हितधारकों की भूमिका के बारे में चर्चा करना; और बाल सुरक्षा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रणनीतियों के साथ सामने आना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 26-27 दिसम्बर, 2019 | 24                     | नई दिल्ली |
| 29-30 अगस्त, 2019   | 27                     | मोहाली    |

क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली द्वारा **बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण पर एससीपीसीआर/वरिष्ठ अधिकारियों हेतु किशोर न्याय प्रणाली पर एक बैठक** का आयोजन किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: बाल संरक्षण सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों एवं मुद्दों के बारे में चर्चा करना; बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन की स्थिति तथा बच्चों को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका के बारे में चर्चा करना; एससीपीसीआर के सहायक पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग हेतु प्रभावी रणनीतियां विकसित करना।

| तिथि           | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|----------------|------------------------|--------|
| 30-31 मई, 2019 | 17                     | मोहाली |

इसके अतिरिक्त संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी द्वारा **चाइल्डलाइन कार्यकर्ताओं के लिए बाल संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा नियम, 2016 के बारे में अनुशिक्षित करना; देखभाल और सुरक्षा के लिए बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए संचार और परामर्श कौशल पर उन्हें बधाई देना; उन्हें जेजे एक्ट के साथ-साथ आईसीपीएस के तहत उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में समझाना। इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे: भारत में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण; बाल अधिकारों पर वैचारिक ढांचा; किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय नियम, 2016 की प्रमुख विशेषताएं; लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012; संशोधित समेकित बाल संरक्षण योजना; बाल संरक्षण प्रणाली में बच्चों और चाइल्डलाइन कार्यकर्ताओं की भूमिका से निपटने के लिए परामर्श और संचार कौशल।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|---------------------|------------------------|----------|
| 09-10 दिसम्बर, 2019 | 39                     | गुवाहाटी |

मुख्य उद्देश्यों के साथ एकीकृत **बाल संरक्षण योजना के तहत वैकल्पिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम** पर क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी द्वारा एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था: सीपीएस के तहत उपलब्ध वैकल्पिक देखभाल के लिए प्रतिभागियों को उन्मुख करना; दत्तक ग्रहण, पालक देखभाल, प्रायोजन और देखभाल के बाद दिशानिर्देशों और विनियमों पर प्रतिभागियों को परिचित करना; सीपीएस में वैकल्पिक देखभाल सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में उनकी भूमिका को समझने में प्रतिभागियों की सुविधा।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 18-19 फरवरी, 2019 | 32                     | गुवाहाटी |
| 12-13 मार्च, 2019 | 13                     | गुवाहाटी |

## बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) के कार्यकर्ताओं हेतु कार्यक्रम

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु ने मुख्य उद्देश्यों के साथ **कानूनी सह परीवीक्षा अधिकारियों (एलपीयू) और सीसीआई के परीवीक्षा अधिकारियों के लिए एक अनुशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम** का आयोजन किया: कठिन परिस्थितियों में बच्चों को

जवाब देने के लिए बुनियादी ज्ञान और कौशल के साथ कानूनी सह परीक्षा अधिकारी प्रदान करना भारतीय संदर्भ में बाल अधिकारों और संरक्षण के मुद्दे पर अपना ज्ञान-आधार विकसित करना; कानून के साथ संघर्ष में किशोर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समझ विकसित करना, मौजूदा किशोर न्याय प्रणाली और इन मुद्दों को दूर करने के लिए प्रचलित कानून; उन्हें समेकित बाल संरक्षण योजना की विशेषताओं, तथा किशोर न्याय प्रणाली एवं बाल संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न हितधारकों की भूमिका तथा उनके घटकों को समझने में सहायता करना; जेजे एक्ट और नियमों में निर्धारित प्रोबेशन अधिकारी की विशिष्ट भूमिका की व्याख्या करें; जेजे एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन और बाल मनोविज्ञान को समझने में अपने कौशल को बढ़ाएं, बच्चों के साथ प्रभावी ढंग से और केस वर्क करें।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान   |
|-----------------|------------------------|---------|
| 13-15 मई, 2019  | 34                     | बंगलुरु |
| 26-28 जून, 2019 | 26                     | बंगलुरु |

इसके अतिरिक्त, संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र बंगलुरु एवं गुवाहाटी ने बाल देखभाल संस्थाओं के अधीक्षकों एवं कार्यकर्ताओं हेतु अनुशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, मौजूदा किशोर न्याय प्रणाली तथा बच्चों से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों के बारे में समझ विकसित करने में सक्षम बनाना; समेकित बाल संरक्षण योजना की विशेषताओं के बारे में अनुशिक्षित करना, किशोर न्याय प्रणाली तथा बाल संरक्षण योजनाओं तथा उनके अंतर-सम्बन्ध के अन्तर्गत विभिन्न हितधारकों की भूमिका तथा उनके घटक; आईसीपीएस के कार्यान्वयन में अधीक्षकों की भूमिका पर चर्चा करना संस्थानों में देखभाल के न्यूनतम मानकों के अनुपालन पर उन्मुख; उनके बीच प्रबंधकीय दक्षताओं का निर्माण।

| तिथि           | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|----------------|------------------------|----------|
| 13-17 मई, 2019 | 43                     | गुवाहाटी |
| 27-31 मई, 2019 | 28                     | बंगलुरु  |

इसके अतिरिक्त संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ ने बाल देखभाल संस्थाओं के कार्यकर्ताओं हेतु बच्चों में व्यवहारात्मक समस्याओं पर सुग्राह्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: बाल मनोविज्ञान और बाल विकास पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; बच्चों और उसके प्रबंधन में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याओं

पर उन्हें परिचित कराना; और सीसीआई में बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए उन्हें परामर्श कौशल पर अनुशिक्षित करता है। इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे: बाल मनोविज्ञान को समझना, आम व्यवहारात्मक समस्याएं तथा बच्चों में आचरण विकार, आचरण विकार वाले बच्चों का गृह आधारित प्रबन्धन, बुनियादी परामर्श कौशल तथा बाल संरक्षण के क्षेत्र में हाल में आए परिवर्तन एवं नवप्रवर्तन।

| तिथि           | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान |
|----------------|------------------------|-------|
| 20-22 मई, 2019 | 17                     | लखनऊ  |

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्रों ने भी बाल देखभाल संस्थाओं के कार्यकर्ताओं हेतु बाल गृह/बाल देखभाल संस्थाओं के प्रबन्धन पर विभिन्न अनुशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए: प्रतिभागियों को बाल देखभाल संस्थाओं के विभिन्न पहलुओं के प्रबन्धन की पर्याप्त समझ विकसित करने में सक्षम बनाना; उन्हें विशेष रूप से देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून तोड़ने वाले बच्चों के सम्बन्ध में विकास की दृष्टि से उपयुक्त आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल तथा विकास सेवाएं विकसित करने के लिए सुग्राह्य बनाना; संस्थागत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां विकसित करने में उनकी सहायता करना; तथा बाल देखभाल संस्थाओं में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का गुणवत्तापरक मूल्यांकन करने में प्रतिभागियों की सहायता करना। इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे: देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के विशेष संदर्भ में बच्चों की आवश्यकताएं एवं अभिलक्षण; संस्थागत बच्चों के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां; बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण आवश्यकताएं; बाल देखभाल संस्थाओं का प्रबन्धन; बाल देखभाल संस्थाओं के कार्यकर्ताओं हेतु टीम निर्माण एवं प्रेरणा; बाल देखभाल संस्थाओं का पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग एवं गुणवत्ता का मूल्यांकन; बाल देखभाल संस्थाओं आदि को चलाने में सामने आने वाली समस्याओं का प्रबन्धन।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|---------------------|------------------------|----------|
| 19-22 अगस्त, 2019   | 25                     | गुवाहाटी |
| 21-23 अगस्त, 2019   | 23                     | मोहाली   |
| 17-20 सितम्बर, 2019 | 26                     | गुवाहाटी |
| 11-13 दिसम्बर, 2019 | 30                     | मोहाली   |
| 11-14 फरवरी, 2020   | 37                     | गुवाहाटी |

## बाल देखभाल संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और आईसीपीएस के अन्य कार्यकर्ताओं के लिए परामर्श पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण

संस्थान के मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों ने बाल देखभाल संस्थानों के पदाधिकारियों के लिए परामर्श पर कई अनुशिक्षण प्रशिक्षण आयोजित किए, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता, देखभालकर्ता और बाल संरक्षण योजना के अन्य कार्यकलाप शामिल हैं: किशोर संघर्ष के संदर्भ में देश में बच्चों की स्थिति के बारे में उन्मुख प्रतिभागियों कानून और बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता; प्रशिक्षार्थियों को परामर्श के प्रमुख घटकों एवं तकनीकों के बारे में अवगत कराना; तथा प्रतिभागियों को परामर्श का कौशल हासिल करने एवं बाल देखभाल केन्द्रों की सेवाओं के प्रभावी प्रदाय हेतु उनकी समग्र क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने में उनकी सहायता करना। देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा बाल देखभाल संस्थान के सदमे से ग्रस्त बच्चों को आवश्यक राहत प्रदान करने में तथा परामर्श में आचार-नीति के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करना। इसमें प्रमुख रूप से ये विषय शामिल थे: बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों और किशोरों को समझना: मुद्दों और चुनौतियों, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, परामर्श, चरणों और परामर्श के कौशल, चिंता, तनाव, अवसाद और ओसीडी को समझना, बच्चों और किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान और प्रबंधन। बाल देखभाल संस्थानों में बौद्धिक अक्षमताओं और उनके प्रबंधन को समझना, आदि।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 11-12 जून, 2019     | 30                     | मोहाली    |
| 24-26 जून, 2019     | 19                     | लखनऊ      |
| 10-12 जुलाई, 2019   | 23                     | लखनऊ      |
| 17-19 सितम्बर, 2019 | 27                     | लखनऊ      |
| 10-11 अक्तूबर, 2019 | 21                     | मोहाली    |
| 06-10 जनवरी, 2020   | 27                     | गुवाहाटी  |
| 13 जनवरी, 2020      | 40                     | नई दिल्ली |
| 14 जनवरी, 2020      | 40                     | नई दिल्ली |
| 02-04 मार्च, 2020   | 28                     | गुवाहाटी  |

सीसीआई और शैक्षिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन संस्थान के मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र द्वारा मुख्य उद्देश्यों के साथ किया गया था: पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की समस्याओं और बाल पीड़ितों के समर्थन के मुद्दे पर चर्चा करना; प्रतिभागियों को बाल अधिकारों एवं संरक्षण की अवधारणात्मक रूपरेखा के बारे में अनुशिक्षित करना; अधिनियम के समर्थन में बाल देखभाल संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों के कर्मचारियों के अधिकारियों की भूमिका के बारे में एक समझ विकसित करना; घरों में बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए सेवा वितरण तंत्र और कानूनी प्रावधानों को समझने के लिए उन्हें सक्षम करें; बच्चों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें समझाना, संस्थागत सेटिंग में बच्चों के मनोविज्ञान को समझना और उपेक्षा, बच्चों में उत्तेजना की कमी और दुरुपयोग के प्रभाव; सीसीआई/ स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना; बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानून आईसीपीएस (जेजे अधिनियम, 2015/पॉक्सो, 2012) और सीसीआई के अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियां (अधिकारी-प्रभारी, प्रोबेशन अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, केस वर्कर, पुनर्वास-सह-प्लेसमेंट अधिकारी और हाउस फादर एंड हाउस मदर) बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेजे प्रणाली या स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भूमिका के दायित्व।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान      |
|-------------------|------------------------|------------|
| 01-02 जुलाई, 2019 | 43                     | उत्तराखण्ड |
| 07-08 जनवरी, 2020 | 32                     | इन्दौर     |
| 14 जनवरी, 2020    | 40                     | नई दिल्ली  |
| 30-31 जनवरी, 2020 | 31                     | नई दिल्ली  |
| 17-18 फरवरी, 2020 | 16                     | मोहाली     |
| 19 फरवरी, 2020    | 28                     | पंजाब      |
| 29 फरवरी, 2020    | 28                     | मोहाली     |

इसी तरह, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन संस्थान के मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र द्वारा मुख्य उद्देश्यों के साथ किया गया था: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित सीसीआई में बाल संरक्षण के उभरते मुद्दों पर चर्चा करना उन्हें विभिन्न कानूनों और योजनाओं के तहत प्रावधानों और समर्थन सेवाओं की व्याख्या करना इन

बच्चों के प्रबंधन में चाइल्ड केयर संस्थानों के पदाधिकारियों की भूमिका के बारे में समझ विकसित करना; विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए निवारक उपाय सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सक्षम करना; प्रतिभागियों को परामर्श की परिभाषा, सिद्धांत, घटकों एवं चरणों के बारे में अनुशिक्षित करना; उन्हें परामर्श प्रक्रिया में आवश्यक संवाद कौशल विकसित करने में सक्षम बनाना; उन्हें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के विशेष संदर्भ के साथ अपनी कार्य स्थितियों में प्रयोग के लिए परामर्श की विभिन्न सेवाओं से परिचित करवाना; प्रतिभागियों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा सदमे से ग्रस्त बच्चों एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को आवश्यक राहत प्रदान करने में तथा परामर्श में आचार-नीति के बारे में जागरूक करना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|---------------------|------------------------|--------|
| 25-27 सितम्बर, 2019 | 28                     | मोहाली |
| 18-20 फरवरी, 2020   | 61                     | केरल   |

## किशोर न्याय प्रणाली

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के संरक्षण हेतु एक व्यापक विधिक रूपरेखा प्रदान करता है। वास्तव में सुधार एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना तथा दंड ना दिया जाना किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत जो संस्थान एवं निकाय स्थापित किए हैं, उनके द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास के लिए तथा उनके सर्वोत्तम हित में मामलों को निपटाया जाना तथा बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी उचित देखभाल, संरक्षण, विकास, व्यवहार, सामाजिक पुनःएकीकरण के माध्यम से बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके अलावा यह अधिनियम पुनर्स्थापक न्याय प्रथाओं पर ध्यान केन्द्रित करता है, जो कि दाण्डिक न्याय प्रथा से भिन्न हैं। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने मुख्य उद्देश्यों के साथ चाइल्ड लाइन और बहु-हितधारकों की बाल कल्याण समितियों/सदस्यों के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए जे जे अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन पर अनुशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन किया: प्रतिभागियों को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं नियम, 2016 के प्रावधानों बारे में अनुशिक्षित करना; देखभाल और संरक्षण में बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में मुद्दों और चुनौतियों

पर चर्चा करना; देखभाल और सुरक्षा के लिए बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए संचार और परामर्श कौशल पर उन्मुख; विभिन्न एजेंसियों की सेवाओं के समन्वय और अभिसरण के लिए व्यवहार्य रणनीति विकसित करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना; अधिनियम एवं नियमों के कार्यान्वयन उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों की समझ विकसित करना; और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और मॉडल नियमों, 2016 के कार्यान्वयन में उनके द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में उनके साथ चर्चा करना। कार्यक्रम की विषयवस्तु बाल अधिकारों से संबंधित विस्तृत जानकारी, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और नियम 2016, सीपीएस योजना, संचार और परामर्श कौशल, विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां और समन्वय और अभिसरण की आवश्यकता और महत्व।

| तिथि                 | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 30 अप्रैल, 2019      | 51                     | नई दिल्ली |
| 29-30 अप्रैल, 2019   | 27                     | मोहाली    |
| 30-31 जुलाई, 2019    | 24                     | मोहाली    |
| 08-09 अगस्त, 2019    | 17                     | मोहाली    |
| 03 - 05 सितम्बर 2019 | 39                     | लखनऊ      |
| 19-20 सितम्बर, 2019  | 11                     | मोहाली    |
| 27-29 नवम्बर, 2019   | 38                     | मोहाली    |

इसके अलावा, मुख्य उद्देश्यों के साथ क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा जे.जे. सिस्टम और आईसीपीएस में सुधार के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा किया गया था: कर्नाटक के बेल्लारी जिले में बाल संरक्षण के मुद्दों और चुनौतियों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; प्रतिभागियों को बाल संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रम पहलों के बारे में अनुशिक्षित करना; प्रतिभागियों को बाल देखभाल एवं संरक्षण से सम्बन्धित संवैधानिक/विधिक प्रावधानों के बारे में अवगत कराना; प्रतिभागियों को बाल संरक्षण की स्थिति तथा बच्चों को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका के बारे में सुग्राह्य करना; बाल संरक्षण सेवाओं के अभिसरण के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए रणनीति विकसित करना, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में विभिन्न हितधारकों के साथ अंतर-क्षेत्रीय समन्वय।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 19 अगस्त, 2019    | 41                     | राजस्थान |
| 27 अगस्त, 2019    | 31                     | राजस्थान |
| 08 अगस्त, 2019    | 41                     | राजस्थान |
| 22 अगस्त, 2019    | 35                     | राजस्थान |
| 30 अगस्त, 2019    | 36                     | राजस्थान |
| 11-12 फरवरी, 2020 | 150                    | बंगलुरु  |

जेजे प्रणाली के तहत बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण पर एक और परामर्श बैठक क्षेत्रीय केंद्र बंगलुरु द्वारा मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित की गई थी: जेजे प्रणाली के तहत बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं पर प्रतिभागियों को परिचित करना; बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण पर विभिन्न विभागों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं/नवाचारों या पहलों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना; आईसीपीएस योजना जेजे अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन में कमी और अंतराल की पहचान करना; बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिए जेजे एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीति विकसित करना।

| तिथि             | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान   |
|------------------|------------------------|---------|
| 7-8 नवम्बर, 2019 | 70                     | बंगलुरु |

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र ने मुख्य उद्देश्यों के साथ आईसीपीएस के हितधारकों के लिए जेजे सिस्टम के तहत प्रलेखन प्रक्रिया पर कार्यशाला का आयोजन किया: जिला स्तर पर हितधारकों के बीच अभिसरण और समन्वय के मुद्दे की जांच; किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों की भूमिका के बारे में चर्चा करना; देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून तोड़ने वाले बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, मौजूदा किशोर न्याय प्रणाली तथा बच्चों से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों के बारे में समझ विकसित करने में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान   |
|---------------------|------------------------|---------|
| 22-24 अक्टूबर, 2019 | 24                     | बंगलुरु |
| 13-15 नवम्बर, 2019  | 22                     | बंगलुरु |

एसजेपीयू के सदस्यों और परिवीक्षा अधिकारियों के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 और बाल संरक्षण योजना पर प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोहाली द्वारा मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया था: बच्चों के लिए यूएनसीआरसी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर प्रतिभागियों को अनुशिक्षित करना; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 और उसके नियम 2016 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और 2012 (संशोधित) अधिनियम 2019 पर समझ विकसित करने वाले प्रतिभागियों को सक्षम करना; बाल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना; देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता में बच्चों के साथ संघर्ष, सुरक्षा, पुनर्वास और कानून के संघर्ष में बच्चों के पुनर्निवेश पर चर्चा करना; बाल संरक्षण प्रणाली में संरचनात्मक और कार्यात्मक सुधार के लिए रणनीति विकसित करना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|---------------------|------------------------|--------|
| 24-26 अप्रैल, 2019  | 57                     | इन्दौर |
| 22-24 अक्टूबर, 2019 | 41                     | लेह    |

## बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी) एवं किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी)

इसके अलावा, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता में जेजेबी/अध्यक्षों और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के लिए बच्चों के साथ काम करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनुशिक्षण कार्यशाला/प्रशिक्षण मुख्य उद्देश्यों के साथ संस्थान के क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा आयोजित किए गए थे: राज्यों में बाल संरक्षण तथा समेकित बाल संरक्षण योजना की वर्तमान स्थिति को साझा करना; प्रतिभागियों को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा इसके नियम, 2016 के बारे में सुग्राह्य एवं अनुशिक्षित करना; इस अधिनियम के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न कार्मिकों एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में सुस्पष्ट रूप से समझाया जाना; प्रतिभागियों को बाल कल्याण समिति की कार्यप्रणाली, तथा इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जिम्मेदारियों के बारे में अनुशिक्षित करना; किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा किए जाने को सुगम बनाना; समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का सिंहावलोकन प्रदान करना; अधिनियम के अनुसार भिन्न

हितधारकों की भूमिका को समझना; पुनर्वास एवं सामाजिक पुनःएकीकरण की अवधारणा की समझ निर्मित करना तथा विकल्पों के प्रभावी मूल्यांकन को सक्षम बनाना; तथा मामलों के तीव्र निपटान को सुगम बनाने के माध्यमों पर विचार करना। बाल संरक्षण प्रणाली में संरचनात्मक और कार्यात्मक सुधार के लिए रणनीति विकसित करना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 20-24 मई, 2019      | 20                     | गुवाहाटी  |
| 10-12 नवम्बर, 2019  | 54                     | केरल      |
| 25-29 नवम्बर, 2019  | 29                     | गुवाहाटी  |
| 06-07 दिसम्बर, 2019 | 31                     | मोहाली    |
| 19-20 दिसम्बर, 2019 | 11                     | बेंगलुरु  |
| 7-8 जनवरी, 2020     | 25                     | बेंगलुरु  |
| 30-31 जनवरी, 2020   | 20                     | बेंगलुरु  |
| 25-26 फरवरी, 2020   | 24                     | नई दिल्ली |
| 16-17 मार्च, 2020   | 30                     | नई दिल्ली |

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिए कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के साथ व्यवहार में महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्यशाला संस्थान के मुख्य उद्देश्यों के साथ मुख्यालय द्वारा आयोजित की गई थी: प्रतिभागियों को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा इसके मॉडल नियम, 2016 के बारे में सुग्राह्य एवं अनुशिक्षित करना; इस अधिनियम के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न कार्मिकों एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करना; किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा किए जाने का अवसर प्रदान करना; और पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करें; कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्हें तैयार करें।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 03-04 अक्टूबर, 2019 | 12                     | नई दिल्ली |

## समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण

संवेदनशील बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यतंत्र स्थापित

किए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक राज्य/के.शा.प्र. में राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस), राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेन्सी (एसएआरए), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), बाल देखभाल संस्था (सीसीआई), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू), विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेन्सी (एसएए), आदि। यह योजना इन तंत्रों के कार्य संचालन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, तथा कार्यकर्ताओं के मानदेय का भुगतान करती है। हालांकि कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की अत्यधिक कमी है। उपरोक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों ने **समेकित बाल संरक्षण योजना क्षेत्र स्तरीय समीक्षा बैठक / परामर्श की एक श्रृंखला** आयोजित की, जिनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण क्रियातंत्र की समीक्षा करना; प्रतिभागियों को समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण से सम्बन्धित हाल की पहलों के बारे में अनुशिक्षित करना; तथा विभिन्न सीपीएस कार्यकर्ताओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करना; तथा समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत हाल की पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रणनीतियां तैयार करना। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु में प्रमुख रूप से ये विषय शामिल थे: बाल अधिकारों और बाल दुर्व्यवहार, बाल संरक्षण योजना (हालिया पहल), गैर-संस्थागत देखभाल मॉडल, पालक देखभाल दिशानिर्देश, गोद लेने के दिशानिर्देश 2017, भारत में गोद लेने से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति संस्थागत बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया आदि।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 29-30 जुलाई, 2019   | 23                     | इन्दौर    |
| 28 - 29 अगस्त 2019  | 20                     | लखनऊ      |
| 30 सितम्बर-         |                        |           |
| 01 अक्टूबर, 2019    | 26                     | नई दिल्ली |
| 10-11 अक्टूबर, 2019 | 26                     | बेंगलुरु  |
| 10-11 अक्टूबर, 2019 | 20                     | इन्दौर    |
| 14-15 अक्टूबर, 2019 | 38                     | गुवाहाटी  |
| 09-10 जनवरी, 2020   | 17                     | इन्दौर    |
| 04-05 फरवरी, 2020   | 33                     | गुवाहाटी  |
| 02-03 मार्च, 2020   | 15                     | इन्दौर    |

इसके अतिरिक्त, संस्थान ने मुख्य उद्देश्यों के साथ आईसीपीएस के तहत संरक्षण अधिकारियों के लिए बाल अधिकारों और बाल संरक्षण में बच्चों और हाल के विकास से संबंधित विधानों पर एक प्रशिक्षण भी आयोजित किया: देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून तोड़ने वाले बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में समझ विकसित करने में प्रतिभागियों को सक्षम बनाना; मौजूदा किशोर न्याय प्रणाली; इन मुद्दों के समाधान के लिए देश में प्रचलित कानून; बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में हाल में आए बदलावों के बारे में प्रतिभागियों को अनुशिक्षित करना; तथा विभिन्न विधानों के कार्यान्वयन में संरक्षण अधिकारियों की भूमिका के बारे में चर्चा करना।

| तिथि                 | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान |
|----------------------|------------------------|-------|
| 14 – 16 अक्टूबर 2019 | 13                     | लखनऊ  |

इसके अलावा, आईसीपीएस के समारोह के लिए बच्चों के साथ काम करने पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया था: बाल देखभाल संरक्षण और बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; बच्चों के साथ काम करने में प्रतिभागियों के संचार और परामर्श कौशल को बढ़ाना; बच्चों से निपटने में रणनीतियों और चुनौतियों पर चर्चा करना। सामग्री में शामिल हैं: बाल अधिकार एवं संरक्षण मुद्दे; बाल संरक्षण पर नीतियां एवं विधान; बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के साथ प्रभावी संचार; परामर्श में आवश्यक तत्व और परामर्श की समझ; बच्चों से निपटने में विभिन्न दृष्टिकोण; सामाजिक एकीकरण और बच्चों का पुनर्वास; काउंसलर, सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 28–30 अगस्त, 2019 | 19                     | बेंगलुरु |
| 18–20 फरवरी, 2020 | 25                     | बेंगलुरु |

इसके अलावा, संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु ने मुख्य उद्देश्यों के साथ राज्य स्तरीय समारोह के लिए आईसीपीएस के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्यशाला में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया: बाल संरक्षण से सम्बन्धित विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करना; राज्यों में बाल संरक्षण सेवाओं तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं

संरक्षण) अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में चर्चा करना; बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन में एससीपीएस और एसएआरए के कार्यकर्ताओं द्वारा अनुभव और चुनौतियों का सामना करना; राज्यों में बाल संरक्षण सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रभावी रणनीति के साथ सामने आना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 11–12 जुलाई, 2019 | 14                     | बेंगलुरु |

## विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेन्सी

भारत में गैर-संस्थागत वैकल्पिक देखभाल को मुख्यतः चार तरीकों में विभाजित किया जा सकता है; दत्तक-ग्रहण, प्रायोजन, रिश्तेदार देखभाल एवं संरक्षक देखभाल। दत्तक-ग्रहण बच्चों एवं दत्तक माता-पिता के बीच में एक विधिक सम्बन्ध स्थापित करता है। इसके परिणामस्वरूप दत्तक माता-पिता के पास सभी अभिभावकीय अधिकार एवं जिम्मेदारियां अंतरित हो जाती हैं। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत दत्तक-ग्रहण क्रियाविधि के प्रभावी कार्यान्वयन तथा दत्तकग्रहण विनियम, 2017 के कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेन्सियों के कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में दत्तकग्रहण विनियम, 2017 के कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेन्सी के कार्यकर्ताओं के ज्ञान एवं कौशल को बेहतर बनाया जाना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्थान के क्षेत्रीय केंद्रों ने विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेन्सियों के कार्यकर्ताओं हेतु दत्तकग्रहण विनियम, 2017 पर विभिन्न अनुशिक्षण प्रशिक्षण आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को दत्तकग्रहण विनियम, 2017 के बारे में अनुशिक्षित करना; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संरक्षक देखभाल दिशानिर्देश; विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेन्सियों के कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में चर्चा करना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|-------------------|------------------------|--------|
| 15–17 मई, 2019    | 26                     | लखनऊ   |
| 28–30 जनवरी, 2020 | 15                     | मोहाली |

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की देखभाल और प्रबंधन पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) और चाइल्ड केयर संस्थानों (सीसीआई) के कार्यकलापों के लिए ओरिएंटेशन प्रशिक्षण क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी द्वारा आयोजित किया गया था: प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के

बचपन से दिव्यांगों के लिए अनुशिक्षित करना और शुरुआती पहचान के लिए उनके कौशल को बढ़ाना; आरपीडब्लूडी अधिनियम 2016 पर प्रतिभागियों को परिचित करना; अपंगताओं की रोकथाम और प्रबंधन में विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेंसियों एवं बाल देखभाल संस्थानों की भूमिका को समझने में प्रतिभागियों की सहायता करना। प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और नियम, 2016 पर चर्चा की गई। जेजे अधिनियम, 2015 के अनुसार बाल देखभाल संस्थानों में न्यूनतम मानक देखभाल: विशेष हस्तक्षेप के लिए क्षेत्र; विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016; सीसीआई में बचपन विकार और इसका प्रबंधन; विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष पोषण की आवश्यकता; सीसीआई में बच्चों और उसके प्रबंधन की व्यवहार संबंधी समस्याएं; बच्चों में सीखने की क्षमता; सीसीआई सेटिंग में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समझना; सीसीआई में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेप; सीसीआई में विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए बाल देखभाल संस्थाओं में अनुभव दौरा एवं कार्य योजना बनाना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 04-06 मार्च, 2020 | 22                     | गुवाहाटी |

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ ने नवजात और बाल्यावस्था की बीमारियों के समेकित प्रबंधन पर एसएए के कार्यकर्ताओं के लिए अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को नवजात एवं बाल्यावस्था रोगों से अवगत करवाना; नवजात एवं बाल्यावस्था रोगों के प्रबंधन में उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करना; नवजात एवं बाल्यावस्था रोगों की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान |
|-------------------|------------------------|-------|
| 19-21 अगस्त, 2019 | 18                     | लखनऊ  |

### राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र

महिला और बाल विकास मंत्रालय, सरकार। भारत ने, निपसिड को "बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र" (एनआरसीसीपी) स्थापित करने के लिए सौंपा है। एनआरसीसीपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के लिए

काम करने वाले सभी हितधारकों की समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। हितधारकों में सरकारी विभाग शामिल हो सकते हैं जैसे कि— महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, श्रम, न्यायपालिका, पुलिस, आदि; शिक्षाविद/विश्वविद्यालय के संकाय, बाल संरक्षण, बाल अधिकार कार्यकर्ता, नागरिक समाज संगठनों आदि के लिए काम करना, क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ और मोहाली ने नेशनल रिसोर्स सेंटर ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन (एनआरसीसीपी) के उद्देश्यों के साथ परामर्श बैठक की: बाल संरक्षण के क्षेत्र में संसाधनों एवं सामग्रियों को एकत्रित, समानुक्रमित एवं उपलब्ध कराना तथा देश में बाल संरक्षण सेवाओं के अन्तर्गत कार्यरत हितधारकों को तकनीकी सूचना प्रदान करना; नीतियों में आगे बदलाव हेतु बाल संरक्षण क्षेत्र में सामने आने वाली बाधाओं/चुनौतियों की पहचान करना; बाल संरक्षण सेवाओं की दक्षता एवं कारगरता को सुधारने हेतु विस्तृत संस्तुतियां तैयार करना; तथा राज्य स्तर पर कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को प्रलेखित करना। इसकी विषय-वस्तु में ये विषय शामिल थे: एनआरसीसीपी की गतिविधियाँ (अर्थात डेटा बेस, नॉलेज हब, रिपोर्टिंग सिस्टम, थीम आधारित कार्यशालाओं का संगठन, क्रॉस स्टेट शेयरिंग वर्कशॉप, शोध और प्रलेखन, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रलेखन, दिशानिर्देश तैयार करना, क्षमता निर्माण और निगरानी और मूल्यांकन), कार्यान्वयन रणनीतियाँ और हितधारकों की क्षमता निर्माण करना।

| तिथि         | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान  |
|--------------|------------------------|--------|
| 01 जून, 2019 | 43                     | मोहाली |
| 14 जून, 2019 | 38                     | लखनऊ   |

डीसीपीयू के कानून प्रवर्तन एजेंसियों/शिक्षकों/कानूनी-सह-परिवीक्षा अधिकारियों के लिए बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर कार्यशाला का आयोजन मुख्य उद्देश्यों के साथ संस्थान के मुख्यालय द्वारा किया गया था: भारत में बच्चों के खिलाफ किए गए साइबर अपराधों के हालिया रुझानों पर चर्चा करें; बच्चों के ऑनलाइन संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनों, नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी साझा करें; मौजूदा तंत्र के समर्थन के साथ मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक मार्ग का निर्माण करें। सामग्री में शामिल हैं: डिजिटल युग में बच्चों के लिए विशेष साइबर अपराधों और खतरों की प्रवृत्ति; बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध और ऑनलाइन अपराध; वेब-सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी – ट्विटर, फेसबुक,

व्हाट्स ऐप, इंस्टाग्राम, गूगल; बच्चों को साइबर अपराधों (पोक्सो अधिनियम, जेजे अधिनियम, आईटी अधिनियम, आईपीसी आदि) से बचाने के लिए कानून, नीतियां और योजनाएं; बच्चों से संबंधित साइबर-अपराध के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शिक्षकों और पुलिस की भूमिका; और, उसी के लिए रणनीति विकसित करना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 26–27 दिसम्बर, 2019 | 27                     | नई दिल्ली |
| 3–4 फरवरी, 2020     | 53                     | नई दिल्ली |

## स्वच्छ भारत अभियान

आईसीडीएस पदाधिकारियों और स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्वच्छ भारत अभियान / स्वच्छ भारत स्वच्छ बच्चन पर व्यवहार परिवर्तन संचार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र इंदौर द्वारा किया गया था: प्रतिभागियों को स्वच्छ भारत अभियान के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना; व्यवहार परिवर्तन संचार के सिद्धांत; स्वच्छ भारत अभियान के लिए संचार प्रक्रिया के प्रभावी मूल्यवर्धन के लिए

कौशल विकसित करना और प्रतिभागियों को अपने संबंधित कार्य स्थानों में सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए आवश्यकता आधारित मॉडल विकसित करने के लिए समृद्ध करना; बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति के आकलन के संबंध में प्रतिभागियों की अंतर्दृष्टि विकसित करना, बच्चों के वजन और विकास की निगरानी पर व्यावहारिक सत्र; पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान और संबंधित मंत्रालयों के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में प्रतिभागियों को बताना; बच्चों की उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास के लिए शिशु एवं छोटे बच्चे का आहार के महत्व को उजागर करना कुपोषण के प्रबंधन के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराना; प्रशिक्षार्थियों को शिशु की स्वस्थ तरीके से देखभाल करने के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए माताओं की बैठक आयोजित करने के कौशल के साथ सुसज्जित करना।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 19–21 जून, 2019 | 20                     | इन्दौर    |
| 2–3 मार्च, 2020 | 37                     | नई दिल्ली |



**अध्याय**

# 2

**अम्बेला आईसीडीएस के  
तहत आंगनवाड़ी सेवाओं के  
अन्तर्गत क्षमता निर्माण कार्यक्रम**



## अम्बेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं के अन्तर्गत क्षमता निर्माण कार्यक्रम

### प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) अम्बेला समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है, इसलिए संस्थान प्रशिक्षण की योजना बनाने, इसके आयोजन, समन्वय और प्रशिक्षण की निगरानी; प्रशिक्षण देने में लगी विभिन्न संस्थाओं की क्षमताओं के निर्माण; प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करके; आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यकर्ताओं के सभी श्रेणियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्याएं तैयार करने; इन्हें संशोधित करने और इनका मानकीकरण करने; प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने और प्रशिक्षण संदर्भ सामग्री विकसित, अधिप्राप्त और इसका वितरण करने के लिए जिम्मेदार है। हाल के वर्षों में, अम्बेला आईसीडीएस योजना के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जैसे आईसीडीएस का नाम बदलकर आंगनवाड़ी सेवाएं; किशोरियों के लिए योजना; बाल संरक्षण योजना के रूप में समेकित बाल संरक्षण योजना; राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना; जमीनी स्तर गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के प्रदाय हेतु राष्ट्रीय आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, वार्षिक संदर्भकृत ईसीसीई पाठ्यक्रम, ईसीसीई में गुणवत्ता मानक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक सुनिश्चित करना, अगली पंक्ति के कार्यकर्ताओं का भूमिका निर्धारण करना, ई-लर्निंग आदि प्रस्तुत किया जाना। ये सभी प्रयास कारगर सेवा प्रदाय के लिए क्षमता बढ़ाने और मूलभूत स्तर के कार्यकर्ताओं के कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए किए गए हैं। संस्थान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी), भारत सरकार को आंगनवाड़ी सेवा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के विभिन्न घटकों पर तकनीकी सहायता और प्रतिपुष्टि भी प्रदान कर रहा है और प्रशिक्षण रणनीतियां तैयार कर रहा है।

निपसिड मुख्यालय और इसके बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर और मोहाली स्थित पांच क्षेत्रीय केंद्र जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ), बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। संस्थान ईसीसीई, एमआईएस, डब्ल्यूएचओ के नए बाल वृद्धि मानकों, मातृ शिशु रक्षा कार्ड, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण (एसबीसीसी), एमआईएस, कुपोषण प्रबंधन, चाइल्ड लर्निंग नतीजों के आकलन, विकेंद्रीकृत योजना और प्रबंधन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण

केंद्रों/ मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों के अनुदेशकों के प्रशिक्षण कौशल, शिशु एवं छोटे बच्चे के आहार (आईवाईसीएफ), महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून, विकलांगता की शीघ्र पहचान और प्रबंधन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), वन स्टॉप सेंटरों के प्रशिक्षकों के अनुशिक्षण प्रशिक्षण, आईसीटी, मानव संसाधन प्रबंधन और निगरानी, खाद्य सुरक्षा और मानक इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर प्रशिक्षक तैयार करता है। मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय केंद्रों ने आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों एवं मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) भी आयोजित किया। पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्रमशः आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों/ मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किए जाते हैं, जिनका चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और ये राज्य सरकारों द्वारा ही चलाए जाते हैं।

आईसीडीएस के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में संस्थान की गतिविधियां और अन्य संबंधित कार्यों के विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रस्तुत किए गए हैं।

### आंगनवाड़ी सेवा योजना के कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण

#### बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) और पर्यवेक्षकों के लिए कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (जेटीसी)

निपसिड और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में इन मुख्य उद्देश्यों के साथ सीडीपीओ और पर्यवेक्षकों को प्रारंभिक कार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: आईसीडीएस परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को आईसीडीएस कार्यक्रम—स्वप्न, उद्देश्य, कार्यदायित्वों के साथ-साथ उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों से उन्हें परिचित कराना; उन्हें अम्बेला आईसीडीएस परियोजना के समन्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन के मामले में अन्य खण्ड कार्यकर्ताओं के कार्य दायित्वों के साथ-साथ उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों से परिचित करवाना; कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर सेवाओं के तालमेल की आवश्यकता, महत्व एवं रणनीतियों को उनके साथ साझा करना;

आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल, स्वास्थ्य एवं पोषण तथा सामुदायिक सहभागिता में बुनियादी स्तर के कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन हेतु उनके पूर्वापेक्षित कौशलों को विकसित बनाना; तथा उन्हें प्रभावी नेतृत्व, सहायक पर्यवेक्षा तथा आईसीडीएस के प्रबन्धन से सुसज्जित करना। कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

| तिथि                      | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------------|------------------------|-----------|
| 1-30 मई, 2019             | 27                     | मोहाली    |
| 3 जून-3 जुलाई, 2019       | 36                     | बेंगलुरु  |
| 10 जून-9 जुलाई, 2019      | 31                     | बेंगलुरु  |
| 10 जून -09 जुलाई, 2019    | 15                     | गुवाहाटी  |
| 1-30 जुलाई, 2019          | 21                     | नई दिल्ली |
| 1 - 30 जुलाई 2019         | 22                     | लखनऊ      |
| 1-30 जुलाई, 2019          | 24                     | इन्दौर    |
| 4 जुलाई - 2 अगस्त, 2019   | 41                     | बेंगलुरु  |
| 2 सितम्बर-3 अक्टूबर, 2019 | 29                     | नई दिल्ली |
| 03 सितम्बर -              |                        |           |
| 4 अक्टूबर, 2019           | 33                     | इन्दौर    |
| 4 सितम्बर-5 अक्टूबर, 2019 | 34                     | बेंगलुरु  |
| 4 नवम्बर-4 दिसम्बर, 2019  | 28                     | मोहाली    |
| 04 नवम्बर -               |                        |           |
| 04 दिसम्बर, 2020          | 21                     | गुवाहाटी  |
| 04 नवम्बर -               |                        |           |
| 4 दिसम्बर, 2019           | 30                     | इन्दौर    |
| 12 नवम्बर -               |                        |           |
| 13 दिसम्बर, 2019          | 18                     | लखनऊ      |
| 06 जनवरी-5 फरवरी, 2020    | 26                     | मोहाली    |
| 13 जनवरी -                |                        |           |
| 12 फरवरी, 2020            | 21                     | इन्दौर    |
| 3 फरवरी-4 मार्च, 2019     | 21                     | बेंगलुरु  |

## बाल विकास परियोजना अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

सीडीपीओ अधिकारी परियोजना के नेतृत्वकर्ता हैं। इन्हें आईसीडीएस के तहत सेवाओं के प्रभावी प्रदाय को प्रबंधित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आंगनवाड़ी सेवा योजना एवं महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सामान्य जानकारी के साथ-साथ नवीनतम विकास को साझा करने के लिए संस्थान एवं इसके

क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा इन अधिकारियों के लिए समय-समय पर आंगनवाड़ी केंद्रों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि इनके पर्यवेक्षी, निगरानी और संपर्क कौशल को बढ़ाया जा सके।

| तिथि                 | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 29 अप्रैल-3 मई, 2019 | 20                     | बेंगलुरु  |
| 27-31 मई, 2019       | 15                     | बेंगलुरु  |
| 10-14 जून, 2019      | 22                     | बेंगलुरु  |
| 10-14 जून, 2019      | 15                     | इन्दौर    |
| 17-21 जून, 2019      | 9                      | नई दिल्ली |
| 17-21 जून, 2019      | 25                     | मोहाली    |
| 24 - 28 जून 2019     | 21                     | लखनऊ      |
| 1-5 जुलाई, 2019      | 13                     | बेंगलुरु  |
| 22-26 जुलाई, 2019    | 16                     | लखनऊ      |
| 5-9 अगस्त, 2019      | 19                     | इन्दौर    |
| 19-23 अगस्त, 2019    | 27                     | बेंगलुरु  |
| 19-23 अगस्त, 2019    | 15                     | इन्दौर    |
| 02-06 सितम्बर, 2019  | 10                     | गुवाहाटी  |
| 16-20 सितम्बर, 2019  | 16                     | मोहाली    |
| 23-27 सितम्बर, 2019  | 11                     | मोहाली    |
| 23-27 सितम्बर, 2019  | 20                     | बेंगलुरु  |
| 21-25 अक्टूबर, 2019  | 12                     | गुवाहाटी  |
| 2-6 दिसम्बर, 2019    | 18                     | इन्दौर    |
| 02-06 दिसम्बर, 2019  | 08                     | मोहाली    |
| 9-13 दिसम्बर, 2019   | 14                     | इन्दौर    |
| 13 - 17 जनवरी 2020   | 12                     | लखनऊ      |
| 27-31 जनवरी, 2020    | 18                     | नई दिल्ली |
| 27-31 जनवरी, 2020    | 20                     | गुवाहाटी  |
| 03 - 07 फरवरी 2020   | 12                     | लखनऊ      |
| 3-7 फरवरी, 2020      | 07                     | इन्दौर    |
| 24-28 फरवरी, 2020    | 09                     | इन्दौर    |
| 2-6 मार्च, 2020      | 14                     | लखनऊ      |

इसके अतिरिक्त, संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों/मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए दो पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: राज्यों में विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में आईसीडीएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा; आईसीडीएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना; आईसीडीएस

कार्यक्रम में हाल के विकास एवं चलनों के बारे में अनुदेशकों को अवगत कराना; आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं विकास समेत पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में प्रतिभागियों को नवीनतम जानकारी देते हुए उनका ज्ञानवर्द्धन करना; तथा उनके सम्प्रेषण, परामर्श-सेवा एवं प्रबन्धकीय कौशलों को बेहतर बनाना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 27-31 मई, 2019    | 24                     | नई दिल्ली |
| 26-30 अगस्त, 2019 | 14                     | मोहाली    |

### अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों के लिए के लिए कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के अलावा – आंगनवाड़ी सेवाओं, गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों/ मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न कौशल प्रशिक्षण, सुग्राह्यता प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए। संस्थान द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनके विवरण इस प्रकार हैं:

### खाद्य सुरक्षा मानक

खाद्य सुरक्षा एक तेजी से महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है, जिसे तब से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ताकि अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण हो कि सेवन किया गया भोजन पौष्टिक, पौष्टिक हो और एक ही समय में सुरक्षित हो, रोगजनित रोग से मुक्त हो। आईसीडीएस का पूरक पोषण कार्यक्रम भारत में बाल कुपोषण का समाधान करने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है और खाद्य सुरक्षा का समाधान करने वाली एक मुख्य सेवा भी है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा में सुधार का एक अनिवार्य घटक है और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है। आईसीडीएस के अंतर्गत पूरक पोषण में एक ठोस गुणवत्ता आश्वासन तंत्र विकसित करने की सख्त आवश्यकता है ताकि इसकी सूक्ष्मजीवी गुणवत्ता और खाद्य पदार्थों में मिलावट सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा का आकलन किया जा सके। इस तथ्य के मद्देनजर कि खरीद, परिवहन, हैंडलिंग, भंडारण और वितरण के सभी स्तरों पर पूरक पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आईसीडीएस के अधिकारियों की महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका है, मुख्य उद्देश्यों के साथ खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा पर एक अनुशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी: भारत में खाद्य सुरक्षा के वर्तमान परिदृश्य के लिए प्रतिभागियों को उन्मुख करना; खाद्य

सुरक्षा अधिनियम और खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने वाले कानूनों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराएं; खाद्य सुरक्षा उपायों और मानकों का पालन करने के लिए प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना; पोषण कार्यक्रमों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने में हितधारकों की भूमिका पर चर्चा करें।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|--------------------|------------------------|----------|
| 09-10 अप्रैल, 2020 | 35                     | बेंगलुरु |

### जापानी एन्सेफेलाइटिस

जापानी एन्सेफेलाइटिस (जेई) एशिया में गंभीर एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (ईईएस) का एक प्रमुख वायरल कारण है। यह मुख्यतः पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। ऐसा अनुमान है कि प्रभावित शिशुओं में लगभग 25 प्रतिशत की मौत हो जाती है और जो बच्चे बच जाते हैं उनमें से 32-40 प्रतिशत बच्चे स्नायु-संबंधी विकलांगता (शारीरिक और मानसिक विकृति) का शिकार होते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस की रोकथाम के महत्व को ध्यान में रखते हुए संस्थान के मुख्यालय द्वारा आईसीडीएस कार्यकर्ताओं के लिए जापानी एन्सेफेलाइटिस/गंभीर एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम पर सुग्राह्यता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनके उद्देश्य इस प्रकार थे: जेई/ईईएस के प्रमुख कारणों, संकेतों एवं लक्षणों, इनकी रोकथाम और प्रबंधन पर चर्चा करना; विभिन्न स्तरों पर जेई/ईईएस का मुकाबला करने के लिए कार्य योजनाएं एवं सूक्ष्म योजना प्रक्रियाएं तैयार करना; जेई/ईईएस की रोकथाम में विभिन्न मंत्रालयों की भूमिका और जिम्मेदारी पर चर्चा करना और कम वजन वाले बच्चों का समुदाय आधारित उपचार करना।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-----------------|------------------------|----------|
| 24-25 जून, 2020 | 38                     | बेंगलुरु |

### आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभिन्न राज्यों/के.शा.प्र. में वार्षिक ईसीसीई पाठ्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

## वार्षिक संदर्भकृत आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण

वार्षिक आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन पर आईसीडीएस कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को बाल विकास के महत्व, सिद्धांतों एवं प्रक्षेत्रों से परिचित बनाना; प्रतिभागियों को आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की राष्ट्रीय नीति समेत पाठ्यक्रम रूपरेखा तथा गुणवत्ता मानकों के बारे में अनुशिक्षित करना; आंगनवाड़ी केन्द्रों पर संदर्भकृत ईसीसीई पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने एवं कार्य योजना तैयार करने में प्रतिभागियों का ज्ञान, समझ एवं कौशल विकसित करना; आंगनवाड़ी केन्द्रों में वार्षिक संदर्भकृत ईसीसीई पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने पर आवश्यक प्रशिक्षण कौशल विकसित करना; तथा ईसीसीई के कार्यान्वयन के सहायक पर्यवेक्षण, निर्माणात्मक एवं सतत मूल्यांकन, तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की प्रगति के बारे में प्रतिभागियों को उचित समझ एवं कौशल को विकसित करना। इसके अलावा, इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को समुदाय एवं अभिभावक की साझेदारी को बेहतर बनाने, तथा मौजूदा सेवाओं के साथ सम्बन्ध विकसित करने के बारे में अनुशिक्षित किया गया। आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों को परामर्श एवं निरीक्षण कौशल का परिचय देना।

इसी प्रकार, निपसिड क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली एवं इन्दौर ने आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों एवं मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों के पर्यवेक्षकों / अनुदेशकों के लिए आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में नए विकासों से अवगत कराना; एक मास्टर प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र/मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के पर्यवेक्षकों की क्षमता निर्माण करना, तथा ईसीसीई पाठ्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिए ईसीसीई घटक के बारे में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रभावी मार्गदर्शन करना।

संस्थान द्वारा एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसके उद्देश्य इस प्रकार थे – राज्यों / के.शा.प्र. में वार्षिक ईसीसीई पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना; ईसीसीई पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में सामने आने वाली चुनौतियां साझा करना; ईसीसीई कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने में राज्य ईसीसीई परिषद की भूमिका पर चर्चा करना; तथा राज्यों में आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यचर्या के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सम्भव रणनीतियों के बारे में चर्चा करना एवं सुझाव देना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान               |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| 05 – 09 अगस्त 2019  | 35                     | नई दिल्ली           |
| 24–28 जून, 2019     | 44                     | दमन                 |
| 26–30 अगस्त, 2019   | 36                     | दादरा एवं नगर हवेली |
| 11–13 दिसम्बर, 2020 | 20                     | इन्दौर              |
| 09–11 दिसम्बर, 2019 | 19                     | मोहाली              |
| 05–06 मार्च, 2020   | 30                     | नई दिल्ली           |

## ईसीसीई गतिविधियों का आयोजन करने के लिए कम लागत वाली शिक्षण लर्निंग सामग्रियों (टीएलएम), बिना लागत की शाला पूर्व शिक्षा (पीएसई) सामग्रियों को तैयार एवं उपयोग करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण / कार्यशाला

संस्थान के मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी एवं इन्दौर ने ईसीसीई गतिविधियों के आयोजन तथा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों/मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों के अनुदेशकों हेतु कम लागत वाली शिक्षण लर्निंग सामग्रियों (टीएलएम), बिना लागत वाली शाला पूर्व शिक्षा (पीएसई) सामग्रियों को तैयार एवं उपयोग करने पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: आंगनवाड़ी सेवा योजना के ईसीसीई घटक के बारे में प्रतिभागियों की समझ एवं ज्ञान को सुदृढ़ बनाना; वार्षिक ईसीसीई पाठ्यक्रम के लेनदेन के लिए शिक्षण लर्निंग सामग्रियां (टीएलएम) के विकास की आवश्यकता एवं रणनीति को अंतःग्रहण करना; वार्षिक ईसीसीई पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के लिए कम लागत वाली शिक्षण लर्निंग सामग्रियों की योजना बनाने, उन्हें तैयार करने एवं उपयोग करने के बारे में प्रशिक्षकों के कौशल को बेहतर बनाना; सीडीपीओ/पर्यवेक्षकों को आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और बच्चों के विकास के लिए टीएलएम के महत्व के प्रति सुग्राह्य बनाना; बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त शिक्षण लर्निंग सामग्रियां तैयार करने के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना; तथा प्रतिभागियों को सांस्कृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों की सहायता से बिना लागत/शून्य लागत वाली शिक्षण लर्निंग सामग्रियां तैयार करने के मूल्यों के बारे में सुग्राह्य करना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 8–12 अप्रैल, 2019 | 15                     | इन्दौर    |
| 27–31 मई, 2019    | 23                     | गुवाहाटी  |
| 20–24 जनवरी, 2020 | 23                     | नई दिल्ली |
| 20–24 जनवरी, 2020 | 15                     | गुवाहाटी  |
| 03–07 फरवरी, 2020 | 25                     | गुवाहाटी  |

## वृद्धि की मॉनिटरिंग एवं मातृ शिशु रक्षा कार्ड के उपयोग पर कौशल प्रशिक्षण

संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु ने अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रशिक्षकों और कार्यकर्ताओं के लिए वृद्धि मॉनिटरिंग और मातृ शिशु रक्षा कार्ड के उपयोग पर चार कौशल प्रशिक्षण आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को नए मातृ शिशु रक्षा कार्ड तथा उसके उपयोग के बारे में अनुशिक्षित करना; प्रतिभागियों को पुराने मातृ शिशु रक्षा कार्ड की तुलना में नए मातृ शिशु रक्षा कार्ड में किए गए परिवर्तनों से परिचित बनाना; प्रतिभागियों को एमसीपी कार्ड से जुड़े स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों पर अनुशिक्षित करना; तथा पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचईडी) टूल के रूप में मातृ शिशु रक्षा कार्ड का कार्यान्वयन एवं उपयोग।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 6-10 मई, 2019       | 32                     | नई दिल्ली |
| 16-18 सितम्बर, 2019 | 26                     | बेंगलुरु  |
| 27-29 नवम्बर, 2019  | 17                     | इन्दौर    |
| 6-10 जनवरी, 2020    | 16                     | नई दिल्ली |
| 24-28 फरवरी, 2020   | 23                     | नई दिल्ली |

पदाधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, संस्थान के मुख्यालय ने मुख्य उद्देश्यों के साथ आईसीडीएस सीएएस और मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड पर मास्टर ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया: नए आईसीडीएस कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करें और कार्ड से संबंधित मातृ शिशु शिक्षा कार्ड और काउंसलिंग सेवाओं के बारे में तकनीकी जानकारी प्रदान करें।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 19-21 जून, 2019 | 33                     | नई दिल्ली |
| 19-21 जून, 2019 | 33                     | नई दिल्ली |

## नेतृत्व विकास पर प्रशिक्षण

संस्थान में अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवा के कार्यकर्ताओं हेतु नेतृत्व विकास पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: स्टाफ और अन्य पणधारियों को प्रभावित और प्रोत्साहित करने के लिए कार्यकर्ताओं में कौशल विकसित करना; बेहतर प्रदर्शन पाने के लिए टीम में मिलकर काम करने और आत्मप्रेरणा के महत्व की

समझ को बेहतर बनाना; बातचीत में दक्ष बनाना; विवाद सुलझाना; प्रभावी तरीके से परियोजना का नेतृत्व करने के लिए कार्यकर्ताओं का संप्रेषण कौशल।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 2 - 4 जुलाई, 2019   | 24                     | नई दिल्ली |
| 5-7 अगस्त, 2019     | 20                     | गुवाहाटी  |
| 04-06 सितम्बर, 2020 | 18                     | बेंगलुरु  |

## विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, रोकथाम एवं प्रबन्धन करने पर अनुशिक्षण / सुग्राह्यता कार्यक्रम

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी एवं मोहाली ने विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, रोकथाम एवं प्रबन्धन पर आंगनवाड़ी सेवा योजना के अधिकारियों हेतु चार कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: बच्चों में पाई जाने वाली भिन्न प्रकार की अक्षमताओं और विकारों के बारे में प्रतिभागियों को अनुशिक्षित करना; अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत अक्षमताओं की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उनका कौशल विकसित करना तथा विकलांगताओं की रोकथाम एवं प्रबंधन में आईसीडीएस कार्यकर्ताओं की भूमिका समझना; आगे और अधिक हस्तक्षेप के लिए बच्चों को जीआरआईआईडी में संदर्भित करना तथा दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के बारे में प्रतिभागियों को समझाना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 22-24 जनवरी, 2020 | 22                     | मोहाली   |
| 17-18 फरवरी, 2020 | 36                     | मोहाली   |
| 27-28 फरवरी, 2020 | 36                     | मोहाली   |
| 24-26 फरवरी, 2020 | 21                     | गुवाहाटी |

## अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत शिशुगृह के प्रबंधन पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों ने अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत शिशुगृह के प्रबंधन पर मास्टर प्रशिक्षकों के तीन प्रशिक्षण आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रतिभागियों को राष्ट्रीय शिशुगृह योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अनुशिक्षित करना; शिशुगृहों के

प्रचालन एवं कार्य करने में शामिल तौर-तरीकों एवं महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना; आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) के महत्व तथा इसकी आवश्यक पूर्व-आवश्यकताओं जैसे कि पोषण, देखभाल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, एवं आरम्भिक लर्निंग से सम्बन्धित ज्ञान को बेहतर बनाना; शिशुगृहों में बच्चों के लिए आरम्भिक बाल्यावस्था उत्प्रेरण (जन्म से लेकर तीन वर्ष की आयु तक) तथा ईसीसीई गतिविधियों को संचालित करने बारे में प्रतिभागियों के कौशल को सुदृढ़ करना; शिशुगृह प्रबन्धन में प्रतिभागियों का आयोजन एवं प्रशासनिक कौशल बेहतर बनाना, जैसे कि दैनिक अनुसूची, छोटे बच्चों, अभिभावकों एवं समुदाय की आवश्यकताओं को समझना; शिशुगृहों की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण के बारे में प्रतिभागियों के कौशल को सुदृढ़ बनाना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 01-12 नवम्बर, 2019  | 20                     | नई दिल्ली |
| 02-13 दिसम्बर, 2019 | 15                     | गुवाहाटी  |
| 3-13 फरवरी, 2020    | 12                     | इन्दौर    |

### समेकित बाल विकास सेवाओं में पूरक पोषण में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा खाद्य सुरक्षा मानक बनाए रखने पर सुग्राह्यता कार्यक्रम

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी ने सम्पूरक पोषण में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने पर ब्लॉक स्तरीय आंगनवाड़ी सेवा कार्यकर्ताओं का एक सुग्राह्यता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: पूर्वी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में प्रतिभागियों को सुग्राह्य करना; आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर खाद्य सुरक्षा मानक के रखरखाव हेतु अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में चर्चा; संपूरक पोषक में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कार्यकर्ताओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 20-22 जनवरी, 2020 | 20                     | गुवाहाटी |
| 26-28 फरवरी, 2020 | 14                     | गुवाहाटी |

इसके अतिरिक्त, संस्थान के मुख्यालय ने आंगनवाड़ी सेवा योजना में प्रबन्धन सूचना प्रणाली पर सांख्यिकी

सहायकों/कार्यकर्ताओं हेतु अनुशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला आयोजित किए, जिनके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना में मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण प्रणाली तथा संशोधित एमआईएस का सिंहावलोकन प्रदान करना। उन्हें उपलब्धियों एवं लक्ष्यों की मॉनिटरिंग में उनकी भूमिका से परिचित करवाना; तथा उन्हें डेटा प्रबन्धन एवं विश्लेषण के कौशल से सुसज्जित करना। पाठ्यक्रम की विषयवस्तु— संबंधित पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियां; संशोधित एमआईएस की प्रमुख विशेषताएं, तथा आंगनवाड़ी सेवा योजना की मॉनिटरिंग पर इसके निहितार्थ; संशोधित एमआईएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर रखे गए रखाव किए जाने वाले रिकॉर्ड एवं रजिस्टर; मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के संशोधित प्रारूप; द्रुत रिपोर्टिंग तंत्र; समेकित बाल विकास सेवा – कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तथा वास्तविक समय मॉनिटरिंग, डेटा सत्यापन, डेटा संकलन; डेटा प्रबन्धन में कम्प्यूटर का प्रयोग; आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रस्तुति; प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों और चुनौतियों का सामना किया; तथा अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना की बेहतर मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रभावी रणनीतियां तैयार करना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 23-27 सितम्बर, 2019 | 28                     | लखनऊ      |
| 21-25 अक्तूबर, 2019 | 19                     | नई दिल्ली |
| 18-20 नवम्बर, 2019  | 16                     | इन्दौर    |
| 16-20 दिसम्बर, 2019 | 19                     | नई दिल्ली |
| 12-14 फरवरी, 2020   | 13                     | लखनऊ      |

### सीडीपीओ के लिए कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का ई-लर्निंग सम्पर्क कार्यक्रम

संस्थान ने सीडीपीओ के लिए दो ई-लर्निंग सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: कार्यकर्ताओं के कौशल को बेहतर बनाने के लिए पर्यवेक्षी अभ्यास प्रदान करना; प्रशिक्षकों की सीखने की कमियों को दूर करना; तथा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना और उनके आत्मविश्वास का निर्माण करना।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान        |
|--------------------|------------------------|--------------|
| 25-29 नवम्बर, 2019 | 30                     | आंध्र प्रदेश |
| 27-31 जनवरी, 2020  | 20                     | बेंगलुरु     |

## आईसीडीएस कार्यक्रम में गुणवत्ता सुधार हेतु अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं के ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं का वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों गुवाहाटी, बेंगलुरु, इन्दौर और लखनऊ ने आईसीडीएस कार्यक्रम में गुणवत्ता सुधार हेतु अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं के विभिन्न वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निरन्तर शिक्षा प्रदान करने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के कौशल को बेहतर बनाना; आईसीडीएस सेवाओं में गुणवत्ता सुधार हेतु आंगनवाड़ी सेवा के सभी कार्यकर्ताओं के ज्ञान एवं कौशल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना; आईसीडीएस सेवाओं के प्रदाय की गुणवत्ता सुधार हेतु परियोजना स्तर पर संयुक्त कार्य योजना को गठित करना और मिलकर कार्य करना।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान        |
|--------------------|------------------------|--------------|
| 6-10 मई, 2019      | 60                     | गुजरात       |
| 24-28 जून, 2019    | 47                     | गुजरात       |
| 08-12 जुलाई, 2019  | 46                     | लेह          |
| 15-19 जुलाई, 2020  | 38                     | असम          |
| 22-26 जुलाई, 2019  | 39                     | जम्मू        |
| 26-30 अगस्त, 2019  | 65                     | तमिलनाडु     |
| 26-30 अगस्त, 2019  | 40                     | हरियाणा      |
| 18-22 नवम्बर, 2019 | 51                     | ओडिशा        |
| 18-22 नवम्बर, 2019 | 52                     | महाराष्ट्र   |
| 9-13 दिसम्बर, 2019 | 45                     | मध्य प्रदेश  |
| 21-25 जनवरी, 2019  | 71                     | आंध्र प्रदेश |
| 10-14 फरवरी, 2020  | 42                     | हरियाणा      |
| 10-14 फरवरी, 2019  | 60                     | कर्नाटक      |
| 24-28 फरवरी, 2019  | 65                     | गोवा         |
| 10 - 14 फरवरी 2020 | 33                     | बिहार        |
| 24-28 फरवरी, 2020  | 58                     | छत्तीसगढ़    |
| 24-28 फरवरी, 2020  | 46                     | दमन एवं दीव  |
| 02 - 06 मार्च 2020 | 38                     | झारखंड       |
| 02 - 06 मार्च 2020 | 37                     | बिहार        |

## पर्यवेक्षकों के लिए पोषण पर पाठ्यक्रम

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु ने आंगनवाड़ी सेवा योजना (एसएस) के पर्यवेक्षकों के लिए पोषण पर चार पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिकार के बारे में आईसीडीएस के पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देना; प्रतिभागियों को सरकार के पोषण विशिष्ट एवं पोषण संवेदी कार्यक्रमों के बारे में अनुशिक्षित करना; पोषण मूल्यांकन, विश्लेषण एवं प्रलेखन में कौशल निर्मित; कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाले चुनौतियों के बारे में चर्चा करने के लिए एक फोरम प्रदान करना; बच्चों में कुपोषण की रोकथाम और दूर भगाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का विश्लेषण और उनपर विमर्श करना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 5-7 अगस्त, 2019   | 15                     | बेंगलुरु |
| 3-5 फरवरी, 2020   | 25                     | बेंगलुरु |
| 17-19 फरवरी, 2020 | 25                     | बेंगलुरु |
| 24-26 फरवरी, 2020 | 22                     | बेंगलुरु |

## महत्वाकांक्षी जिलों के आंगनवाड़ी सेवा योजना कार्यकर्ताओं के लिए वृद्धि मॉनिटरिंग कौशल को सुदृढ़ करने पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु ने महत्वाकांक्षी जिलों के आंगनवाड़ी सेवा योजना कार्यकर्ताओं के लिए वृद्धि मॉनिटरिंग कौशल को सुदृढ़ करने पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण की एक शृंखला आयोजित की, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: नवीन विश्व स्वास्थ्य संगठन वृद्धि मानकों के बारे में प्रतिभागियों के कौशल को सुदृढ़ बनाना; वृद्धि चार्ट के कार्यान्वयन की समीक्षा करना; तथा उन्हें कम वजन, अवरुद्ध एवं कम विकास के आंकड़ों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|---------------------|------------------------|----------|
| 3-5 दिसम्बर, 2019   | 50                     | बेंगलुरु |
| 11-13 दिसम्बर, 2019 | 41                     | बेंगलुरु |
| 8-10 जनवरी, 2020    | 39                     | बेंगलुरु |

## क्षण प्रशिक्षण

शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार (आईवाईसीएफ) तथा वृद्धि मॉनिटरिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईवाईसीएफ के महत्व के बारे में माताओं एवं देखभालकर्ताओं

की क्षमता निर्माण करने के लिए संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी, लखनऊ एवं इन्दौर ने विभिन्न हितधारकों के लिए शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार (आईवाईसीएफ) तथा वृद्धि मॉनिटरिंग पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: कार्यकर्ताओं के तकनीकी ज्ञान को बेहतर बनाना तथा परामर्श कौशल का निर्माण करना, जिसमें सही शारीरिक मुद्रा पर जोर देना तथा स्तनपान के लिए समस्या निवारण कौशल तथा उचित संपूरक आहार प्रथाओं पर बल देना; वृद्धि मॉनिटरिंग के बारे में प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करना तथा मातृ शिशु रक्षा कार्ड के उपयोग हेतु कौशल प्रदान करना; प्रतिभागियों को जमीनी स्तर पर सेवाओं के प्रभावी समन्वयन एवं तालमेल हेतु संदर्भात्मक रणनीतियां विकसित करने के लिए सक्षम बनाना।

| तिथि                        | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान      |
|-----------------------------|------------------------|------------|
| 15-17 मई, 2019              | 26                     | नई दिल्ली  |
| 10-14 जून, 2019             | 29                     | नई दिल्ली  |
| 14 जून, 2019                | 41                     | लखनऊ       |
| 04 - 05 अक्टूबर 2019        | 63                     | लखनऊ       |
| 30 अक्टूबर- 01 नवम्बर, 2019 | 27                     | गुवाहाटी   |
| 13-17 जनवरी, 2020           | 16                     | इन्दौर     |
| 17-18 फरवरी, 2020           | 110                    | उत्तराखण्ड |

## चाइल्ड लर्निंग परिणामों के मूल्यांकन पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी ने आंगनवाड़ी सेवा योजना के कार्यकर्ताओं के लिए चाइल्ड लर्निंग परिणामों के मूल्यांकन पर एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: चाइल्ड लर्निंग परिणामों की अवधारणाओं के बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अवगत कराना; उन्हें आगे चलकर सीखने एवं विकास हेतु पर्याप्त बाल लर्निंग परिणाम के महत्व को समझाना; उन्हें ईसीसीई कार्यक्रम तथा बाल लर्निंग परिणाम की गुणवत्ता के बीच के सम्बन्ध को समझने में सहायता करना; तथा एएसएस कार्यकर्ताओं में बच्चों की लर्निंग का मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-----------------|------------------------|----------|
| 12-14 जून, 2019 | 25                     | गुवाहाटी |

## पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचईडी) के आयोजन पर कौशल प्रशिक्षण

संस्थान के मुख्यालय द्वारा अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यकर्ताओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचईडी) के आयोजन पर दो कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रतिभागियों को भारत में महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना तथा एनएचईडी के महत्व पर जोर देना; प्रतिभागियों को एनएचईडी के घटक से अवगत कराना तथा उन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली मौजूदा स्वास्थ्य, पोषण एवं कल्याण सेवाओं/सुविधाओं के बारे में शिक्षित करना; एनएचईडी को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना के कार्यकर्ताओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करना; प्रतिभागियों को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उचित एवं उपयुक्त सम्प्रेषण एवं परामर्श कौशल से सुसज्जित करना तथा क्षेत्र विशिष्ट पोषण एवं स्वास्थ्य हस्तक्षेप कार्यक्रम तैयार करना; तथा सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों, पहलों/योजनाओं की पहचान करना, जिन्हें आंगनवाड़ी सेवा योजना के अन्तर्गत तैयार किया गया है।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|--------------------|------------------------|-----------|
| 19-23 अगस्त, 2019  | 24                     | नई दिल्ली |
| 9-13 दिसम्बर, 2019 | 18                     | नई दिल्ली |

## सक्रिय प्रशिक्षण तकनीकों के उपयोग पर आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र एवं मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षकों का कौशल प्रशिक्षण

संस्थान के मुख्यालय ने सक्रिय प्रशिक्षण तकनीकों के उपयोग पर आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र एवं मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षकों का कौशल प्रशिक्षण आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों / मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षकों को उनके प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कौशल सुदृढ़ करने में सक्षम बनाना; प्रशिक्षकों को विभिन्न सक्रिय प्रशिक्षण तकनीकों में दक्ष बनाना; एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने एवं उनके कार्यान्वयन के बारे में प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन करना; प्रतिभागियों में एक "सफल प्रशिक्षक" के आवश्यक कौशल का निर्माण करना।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 3-5 फरवरी, 2020 | 26                     | नई दिल्ली |

## आरम्भिक बाल्यावस्था उत्प्रेरण (ईसीएस) पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीडीएस कार्यकर्ताओं के लिए आरम्भिक बाल्यावस्था उत्प्रेरण (ईसीएस) पर एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: आरम्भिक बाल्यावस्था उत्प्रेरण के क्षेत्र में प्रतिभागियों के ज्ञान को अद्यतित करना; उन्हें आंगनवाड़ी सेवा योजना में बच्चों के समग्र विकास हेतु आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में आरम्भिक बाल्यावस्था उत्प्रेरण गतिविधियों के महत्व के बारे में अवगत कराना; आंगनवाड़ी सेवा योजना में आरम्भिक बाल्यावस्था उत्प्रेरण गतिविधियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना; आंगनवाड़ी केन्द्रों में बाल्यावस्था उत्प्रेरण गतिविधियों के आयोजन हेतु उनके कौशल को बेहतर बनाना; प्रतिभागियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना; आंगनवाड़ी सेवा योजना के कार्यकर्ताओं की कौशल विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना, यदि कोई हो तो।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 16-18 मार्च, 2020 | 11                     | नई दिल्ली |

## बाल विकास से जुड़े मुद्दों पर सामुदायिक संघटन, पक्ष-समर्थन, जागरुकता एवं आईईसी अभियान के बारे में कौशल प्रशिक्षण

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु ने बाल विकास से जुड़े मुद्दों पर सामुदायिक संघटन, पक्ष-समर्थन, जागरुकता एवं आईईसी अभियान के बारे में एक कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रतिभागियों को सामुदायिक संघटन, सहभागिता की अवधारणा एवं महत्व के बारे में अनुशिक्षित करना; पक्ष-समर्थन, जागरुकता एवं आईईसी अभियान; संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए समुदाय को संघटित एवं प्रेरित करने की पद्धतियों एवं तकनीकों के बारे में प्रतिभागियों के कौशल को बेहतर बनाना; प्रतिभागियों को यह सिखाना कि वे किस तरह से सामुदायिक सहभागिता करवाएं तथा जागरुकता अभियान आयोजित करवाएं ताकि आईसीडीएस कार्यक्रमों का अधिक प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन किया जा सके; आईसीडीएस परियोजना में उपयोग हेतु उभरते हुए मुद्दों हेतु सामग्रियां तैयार करना; आईसीडीएस कार्यकर्ताओं द्वारा समुदाय को शामिल करने हेतु व्यावहारिक कार्य योजना तैयार करना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 22-24 जुलाई, 2019 | 21                     | बेंगलुरु |

## अन्य अतिरिक्त कार्यक्रम

### आरम्भिक प्रशिक्षण

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों हेतु आरम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रतिभागियों को आंगनवाड़ी सेवा योजना के विभिन्न घटकों के बारे में अनुशिक्षित करना ताकि उन्हें अपनी भूमिका तथा योजना के दूसरे कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को समझने में सक्षम बनाया जा सके; तथा उन्हें आईसीडीएस / आंगनवाड़ी सेवा योजना के प्रशासन एवं प्रबन्धन हेतु आवश्यक कौशल विकसित करने में सहायता की जा सके।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|---------------------|------------------------|----------|
| 20-24 मई, 2019      | 28                     | बेंगलुरु |
| 2-6 दिसम्बर, 2019   | 34                     | बेंगलुरु |
| 16-20 दिसम्बर, 2019 | 32                     | बेंगलुरु |
| 6-10 जनवरी, 2020    | 27                     | बेंगलुरु |

## राज्य नोडल अधिकारियों के लिए ई-लर्निंग पाठ्यक्रम पर समीक्षा कार्यशाला

संस्थान के मुख्यालय ने राज्य नोडल अधिकारियों के लिए ई-लर्निंग पाठ्यक्रम पर एक एक-दिवसीय समीक्षा कार्यशाला आयोजित की, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: राज्य नोडल अधिकारियों को ई-लर्निंग कार्यक्रम के उपयोग के बारे में अनुशिक्षित करना; ई-लर्निंग कार्यक्रमों के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना; तथा प्रशिक्षण के ई-लर्निंग मोड के उपयोग एवं महत्व को साझा करना।

| तिथि             | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|------------------|------------------------|-----------|
| 18 अक्टूबर, 2019 | 22                     | नई दिल्ली |

## आंगनवाड़ी सेवा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से सम्बन्धित नोडल अधिकारियों की राष्ट्रीय बैठक

संस्थान के मुख्यालय ने आंगनवाड़ी सेवा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से सम्बन्धित नोडल अधिकारियों की दो-दिवसीय राष्ट्रीय बैठक आयोजित की, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: नोडल अधिकारियों को अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं में हाल के विकासों

के बारे में जानकारी देना; आंगनवाड़ी सेवा कार्यान्वयन की सफलता में बाधा बनने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना; आंगनवाड़ी सेवा कार्यकर्ताओं हेतु प्रभावी प्रशिक्षण योजना बनाने की रणनीतियों के बारे में चर्चा करना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 21-22 जनवरी, 2020 | 27                     | नई दिल्ली |

## विकेंद्रीकृत योजना, प्रबंधन और निगरानी तंत्र पर क्षमता निर्माण

संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ ने अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा के कार्यकर्ताओं हेतु विकेंद्रित आयोजना, प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग तंत्र पर दो क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए, इनके उद्देश्य इस प्रकार थे: वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी); तैयार करने के संबंध में विकेंद्रीकृत आयोजन और प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं को समझना; योजना के अंतर्गत गुणवत्ता सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सहबद्ध विभागों के साथ तालमेल के तंत्र को समझना; अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं के कारका कार्यान्वयन में भारत सरकार तथा राज्यों / के.शा.प्र. के पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग तंत्रों के बारे में चर्चा करना; और भिन्न प्रबंधन कौशलों के बारे में जानना साथ ही आंगनवाड़ी सेवा परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना।

| तिथि               | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|--------------------|------------------------|-----------|
| 9-11 अक्तूबर, 2019 | 25                     | नई दिल्ली |
| 09 - 10 जनवरी 2020 | 09                     | लखनऊ      |

## सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार पर प्रशिक्षण

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र बंगलुरु ने दक्षिणी राज्यों के आंगनवाड़ी सेवा योजना कार्यकर्ताओं के लिए एसबीसीसी पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसके प्रमुख उद्देश्य

इस प्रकार थे: पॉलिसी को सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण की प्रक्रिया एवं सिद्धांतों के बारे में अनुशिक्षित करना; उन्हें प्रभावी सम्प्रेषण के लिए मांग सृजन, संदेश तैयार करने, तथा मीडिया एवं चैनलों के चयन के बारे में अनुशिक्षित करना; तथा उन्हें आईईसी गतिविधियों के मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के बारे में अवगत कराना।

| तिथि                   | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान   |
|------------------------|------------------------|---------|
| 29 जुलाई-2 अगस्त, 2019 | 31                     | बंगलुरु |

## स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धित मुद्दों पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण

### कुपोषण के समुदाय आधारित कुप्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीडीएस/एनएचएम कार्यकर्ताओं एवं नागरिक समाज संगठनों के लिए कुपोषण के समुदाय आधारित प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रतिभागियों को उनके राज्य और सम्बन्धित जिलों में मौजूद स्वास्थ्य एवं कुपोषण के मुद्दों के बारे में अनुशिक्षित करना; राज्यों के उन सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करना जिसमें बच्चों की वृद्धि रोकने वाले कारणों की रोकथाम एवं प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित किया गया हो तथा गर्भावस्था के पहले एवं उसके दौरान महिलाओं की पोषणात्मक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले हस्तक्षेप शामिल हैं; बच्चों की लम्बाई नापने तथा अवरुद्ध-विकास का मूल्यांकन करने के लिए इन्फैन्टोमीटर एवं स्टैडियोमीटर का प्रयोग करने के आवश्यक कौशलों से उन्हें सुसज्जित करना; सामुदायिक परिवेश में सहयोगपूर्ण तरीके से ऐसी रणनीतियां तैयार करना जो कुपोषित बच्चों के प्रबंधन हेतु समन्वित एवं तालमेलपूर्ण कार्यों के सूत्रीकरण में सहायता करें ताकि बच्चों को कोई चिकित्सीय समस्याएं ना होने पाएं।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 15-17 जनवरी, 2020 | 31                     | नई दिल्ली |
| 10-12 जुलाई, 2019 | 25                     | बंगलुरु   |
| 4-8 नवम्बर, 2019  | 33                     | इन्दौर    |

## अत्यधिक कुपोषित (एसएएम) एवं मध्यम कुपोषित (एमएएम) बच्चों के प्रबन्धन पर कौशल प्रशिक्षण

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी ने आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यकर्ताओं के लिए एसएएम बच्चों और एमएएम बच्चों के प्रबन्धन पर कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रतिभागियों में अत्यधिक कुपोषित एवं मध्यम कुपोषित बच्चों तथा कुपोषण से सम्बन्धित मुद्दों की अवधारणा के बारे में एक बेहतर समझ विकसित करना; बच्चों की पौष्टिक स्थिति के सटीक मूल्यांकन के लिए कौशल विकसित करना; उन्हें अत्यधिक कुपोषित एवं मध्यम कुपोषित बच्चों के प्रबन्धन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाना।

इसी प्रकार, संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ ने झारखंड में स्वास्थ्य विभाग और आंगनवाड़ी सेवा योजना के क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं का पोषण पर संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रतिभागियों में अत्यधिक कुपोषित एवं मध्यम कुपोषित बच्चों तथा कुपोषण से सम्बन्धित मुद्दों की अवधारणा के बारे में एक बेहतर समझ विकसित करना; बच्चों की पौष्टिक स्थिति के सटीक मूल्यांकन के लिए कौशल विकसित करना; तथा घरेलू प्रबन्धन द्वारा अत्यधिक कुपोषित एवं मध्यम कुपोषित बच्चों के प्रबन्धन में लाभार्थियों का सटीक तरीके से मार्गदर्शन करना।

| तिथि                | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|---------------------|------------------------|----------|
| 18-22 नवम्बर, 2019  | 31                     | गुवाहाटी |
| 02-06 दिसम्बर, 2019 | 20                     | गुवाहाटी |
| 13-15 नवम्बर, 2019  | 36                     | झारखंड   |

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु द्वारा दक्षिणी राज्यों के आंगनवाड़ी सेवा योजना के कार्यकर्ताओं हेतु स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धित मुद्दों पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति के बारे में अवगत कराना; महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के महत्व के बारे में प्रतिभागियों को सुग्राह्य करना; तथा प्रतिभागियों

को आंगनवाड़ी सेवा योजना (एसएस) में भारत सरकार की नई पहलों के बारे में अनुशिक्षित करना।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-----------------|------------------------|----------|
| 6-8 अगस्त, 2019 | 24                     | बेंगलुरु |

## कौशल प्रशिक्षण के संवर्द्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ ने प्रशिक्षकों तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के प्रशिक्षण कौशल (माइक्रो- शिक्षण और प्रशिक्षण सहायक सामग्री) बढ़ाने पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: प्रतिभागियों को आईसीडीएस कार्यकर्ताओं हेतु ई-लर्निंग कार्यक्रम के उपयोग के बारे में अनुशिक्षित करना; पर्यवेक्षकों को ई-लर्निंग कार्यक्रम के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना; उनके सीखने की कमियों को दूर करके उनमें आत्मविश्वास का संचार करना ताकि वे प्रशिक्षण के ई-लर्निंग माध्यम का प्रयोग कर सकें; भविष्य में ई-लर्निंग कार्यक्रम में मास्टर प्रशिक्षकों की पहचान करना।

| तिथि            | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान |
|-----------------|------------------------|-------|
| 19-21 जून, 2019 | 13                     | लखनऊ  |

## राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम पर परामर्श बैठक

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु ने अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम पर परामर्श बैठक आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत पोषण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना; पोषण अभियान की स्थिति जानना; पोषण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुशंसाएं देना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान    |
|-------------------|------------------------|----------|
| 06-07 फरवरी, 2020 | 54                     | बेंगलुरु |

## ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों का प्रचार

निपसिड, क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी, लखनऊ, इन्दौर एवं मोहाली ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के साथ गठबंधन में ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों पर जागरूकता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए,

जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: बाल विकास के विभिन्न आयामों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए आम मंच प्रदान करना; ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रतिभागियों को पंजीकरण, सीखने और मूल्यांकन की विभिन्न प्रक्रियाओं से अवगत कराना तथा कोर्स पाठ्यक्रम, सामग्री एवं अधिगम माध्यम में सुधार करने के लिए सुझावपूर्ण कार्यवाही प्रदान करना।

| तिथि             | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान        |
|------------------|------------------------|--------------|
| 30 सितम्बर, 2019 | 33                     | गुवाहाटी     |
| 09 अक्टूबर, 2019 | 47                     | मोहाली       |
| 21 अक्टूबर, 2019 | 44                     | इन्दौर       |
| 08 नवम्बर, 2019  | 83                     | चंडीगढ़      |
| 14 नवम्बर, 2019  | 69                     | उत्तर प्रदेश |
| 19 नवम्बर, 2019  | 26                     | मेघालय       |
| 10 दिसम्बर, 2019 | 298                    | उत्तर प्रदेश |
| 11 जनवरी, 2020   | 121                    | उत्तर प्रदेश |
| 17 फरवरी, 2020   | 95                     | मध्य प्रदेश  |
| 19 फरवरी, 2020   | 167                    | पंजाब        |
| 20 फरवरी, 2020   | 96                     | पंजाब        |
| 25 फरवरी, 2020   | 42                     | गुवाहाटी     |
| 28 फरवरी, 2020   | 42                     | गुवाहाटी     |
| 06 मार्च, 2020   | 107                    | गुजरात       |
| 03 मार्च, 2020   | 68                     | हरियाणा      |
| 13 मार्च, 2020   | 114                    | मध्य प्रदेश  |

## महिला बाल विकास मंत्रालय के ई-लर्निंग पोर्टल पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण

संस्थान ने महिला बाल विकास मंत्रालय के ई-लर्निंग पोर्टल पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: महिला एवं बाल विकास के विभिन्न आयामों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए आम मंच

प्रदान करना; ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रतिभागियों को पंजीकरण, सीखने और मूल्यांकन की विभिन्न प्रक्रियाओं से अवगत कराना। आईसीडीएस कार्यकर्ताओं हेतु ई-लर्निंग कार्यक्रम के उपयोग के बारे में अनुशिक्षित करना; ई-लर्निंग कार्यक्रमों के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना; प्रशिक्षण के ई-लर्निंग मोड के उपयोग एवं महत्व को साझा करना।

| तिथि           | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान        |
|----------------|------------------------|--------------|
| 14 जून, 2019   | 28                     | उत्तर प्रदेश |
| 22 अगस्त, 2019 | 22                     | नई दिल्ली    |

## आईवाईसीएफ पर ऑनलाइन ई लर्निंग सर्टिफिकेट कोर्स के अन्तर्गत प्रतिभागियों तथा परास्नातक एवं डिप्लोमा एवं आहार-विज्ञान के विद्यार्थियों तथा ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा समीक्षा सह सम्पर्क / जागरुकता / अनुशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान के मुख्यालय द्वारा बहुत से समीक्षा सह सम्पर्क/ जागरुकता/अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रतिभागियों को तकनीकी ज्ञान देना तथा आईवाईसीएफ पर उनके परामर्श कौशल को बेहतर बनाना; स्तनपान के लिए समस्या निवारण कौशल एवं समस्या निवारण कौशल का प्रदर्शन करना; उचित संपूरक आहार प्रथाएं; मातृ शिशु रक्षा कार्ड के उपयोग के लिए कौशल प्रदान करना; तथा कार्यक्रम पूर्ण करने में किन्हीं समस्याओं/ चुनौतियों का समाधान करना।

| तिथि              | प्रतिभागियों की संख्या | स्थान     |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 29-31 मई, 2019    | 22                     | नई दिल्ली |
| 29-31 जुलाई, 2019 | 25                     | नई दिल्ली |
| 20 जून, 2019      | 25                     | नई दिल्ली |
| 26 - 28 जून, 2019 | 19                     | नई दिल्ली |
| 30 अप्रैल, 2019   | 25                     | नई दिल्ली |

## निपसिड का ई-लर्निंग मॉड्यूल: यूआरएल <[www.nipccd-elearning.wcd.nic.in](http://www.nipccd-elearning.wcd.nic.in)>

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण सह साक्षरता पोर्टल <[www.nipccd-elearning.wcd.nic.in](http://www.nipccd-elearning.wcd.nic.in)> बनाया है, मुख्य रूप से अपने कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु आंगनवाड़ी सेवा योजना के कार्यकर्ताओं के लिए। वैसे कुछ पाठ्यक्रम आम लोगों के लिए भी तैयार किए गए हैं। वर्तमान में निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। पोर्टल के उपयोगकर्ताओं में 61% महिलाएं तथा 39% पुरुष हैं। वेबसाइट पर वर्तमान में 4 ऑनलाइन कोर्स हैं, जिन्हें तालिका 1 में उल्लिखित किया गया है। वेबसाइट पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 1100 है। मार्च, 2020 तक कुल हिट की संख्या 7, 82,834 थी।

| क्र. सं. | पाठ्यक्रम का नाम                                                  | पात्र उम्मीदवार                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.       | बाल विकास परियोजना अधिकारियों के लिए कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम    | केवल सीडीपीओ                                   |
| 2.       | पर्यवेक्षकों के लिए कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम                     | केवल पर्यवेक्षक                                |
| 3.       | समेकित बाल विकास में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम                         | आंगनवाड़ी सेवा योजना कार्यकर्ता एवं सामान्य जन |
| 4.       | शिशु और छोटे बच्चे के आहार सम्बन्धित प्रथाओं में पेशेवर पाठ्यक्रम | आंगनवाड़ी सेवा योजना कार्यकर्ता एवं सामान्य जन |



**અધ્યાય**

**3**

**અનુસંધાન, મૂલ્યાંકન અધ્યયન  
પ્રવં અન્ય પરિયોજનાણું**



## अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन एवं अन्य परियोजनाएं

पूरे किए गए अनुसंधान/प्रलेखन परियोजनाएं

### 1. निपसिड कार्यक्रमों में किशोर न्याय प्रणाली, समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत कार्यकर्ताओं एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिभागियों का डेटाबेस।

निपसिड कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों का समेकित इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार करने से सम्बन्धित एक परियोजना तैयार की गई, जिसमें संस्थान के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में कार्यक्रमों में नियमित रूप से हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों का समस्त विवरण प्रलेखित किया गया। इस गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निपसिड कार्यक्रमों में एक ही व्यक्ति बार-बार हिस्सा नाले, तथा एक ही गैर सरकारी संगठन की बार-बार सहभागिता से बचा जा सके। तदनुसार, संस्थान ने वर्ष 2018-19 में कार्यक्रमों एवं अध्ययन में हिस्सा लेने वाले गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिभागियों का एक एकीकृत डेटाबेस संकलित किया। निपसिड को मिलने वाले पंजीकरण प्रपत्रों, नामांकन प्रपत्रों, तथा कार्यक्रम निदेशकों द्वारा प्रदत्त प्रतिभागी सूची के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों के प्रतिभागियों का विवरण को एकत्रित किया गया। प्रतिभागियों का डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में राज्य-वार एवं वर्ष-वार सुव्यवस्थित किया गया। 2542 प्रतिभागियों का डेटाबेस टैब्युलेटेड एवं विश्लेषण किया गया और संदर्भ के लिए निपसिड मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय केन्द्रों को वितरित किया गया।

उपरोक्त डेटा को प्रलेखित करने के दौरान यह पाया गया कि गैर सरकारी संगठनों के प्रतिभागियों में महिलाओं (2111) की तुलना में पुरुषों (2748) की संख्या अधिक थी। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अधिकांश (2412) प्रतिभागी परास्नातक थे, वहीं 2198 प्रतिभागी स्नातक थे, 28 प्रतिभागी इंटरमीडिएट थे, 21 प्रतिभागी मैट्रिक थे, और 190 प्रतिभागी पीएचडी थे। यह पाया गया कि अधिकांश (1982) प्रतिभागी 26-35 वर्ष की आयु समूह में थे; 1750 प्रतिभागी 36-45 वर्ष की आयु समूह में थे; 751 प्रतिभागी 46-55 वर्ष की आयु समूह में थे; 353 प्रतिभागी 56-65 वर्ष की आयु समूह में थे; 11 प्रतिभागी 66-75 वर्ष की आयु समूह में थे; तथा 12 प्रतिभागी 76-85 वर्ष की आयु समूह में थे।

### 2. बाल देखभाल संस्थानों के देखभालकर्ताओं (घरेलू पिता एवं घरेलू माताओं) के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका

बाल देखभाल संस्थान कठिन एवं दुर्बल परिस्थितियों में बच्चों की प्रभावी देखभाल एवं संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाल देखभाल संस्थानों के कार्यकर्ताओं को बाल संरक्षण मुद्दों जैसे कि भारत में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण, बाल अधिकार, बाल संरक्षण मुद्दे एवं चिंताएं, अन्तर्राष्ट्रीय संधियां, बच्चों से सम्बन्धित विधि प्रावधान आदि के बारे में व्यापक प्रशिक्षण चाहिए। इसके अतिरिक्त, बाल देखभाल संस्थानों ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 तथा समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रशासनिक प्रक्षेत्रों के क्रियान्वयन का निरीक्षण देखने के लिए भूमिकाएं भी निष्पादित की। योजना (समेकित बाल संरक्षण योजना) को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए बाल देखभाल संस्थानों के पास राज्य एवं जिला स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना की क्रियान्वयन रूपरेखा की गहरी समझ होना आवश्यक है। बच्चों को एक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने हेतु किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 समेत बच्चों से जुड़े प्रावधानों की समझ होना अति-आवश्यक है। बच्चों की देखभाल व संरक्षण के लिए, बाल देखभाल संस्थानों के विभिन्न कार्यकर्ताओं समेत घरेलू पिता एवं घरेलू माताओं को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, परन्तु यह भी देखा गया है कि घरेलू पिता एवं घरेलू माताओं के पास किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के नए नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। इसलिए घरेलू पिता एवं घरेलू माता को प्रशिक्षित करने की जरूरत महसूस की गई, जिसके लिए एक व्यापक दिशानिर्देश की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखते हुए बाल देखभाल संस्थानों के घरेलू पिता एवं घरेलू माताओं के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार की गई।

प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार करने के उद्देश्य इस प्रकार हैं— प्रतिभागियों को बाल अधिकारों एवं संरक्षण तथा बुनियादी वास्तविकताओं की अवधारणात्मक रूपरेखा के बारे में अनुशिक्षित करना; उन्हें किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं नियम, 2016 के प्रावधानों को समझने में सक्षम बनाना; देखभालकर्ताओं को किशोर न्याय प्रणाली एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में सुग्राह्य

करना; और अंत में प्रतिभागियों को बाल देखभाल संस्थानों को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की आवश्यकता के बारे में अनुशिक्षित करना।

### 3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का समय प्रबन्धन एवं अतिरिक्त कार्य परिनियोजन

आंगनवाड़ी सेवा(आईसीडीएस) का लक्ष्य छह वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का समग्र विकास है, और इसके लाभार्थी इस आयु समूह के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। इस कार्यक्रम में बच्चे के समग्र विकास को ध्यान में रखा जाता है, और उसके जन्म-पूर्व एवं जन्म-पश्चात परिवेश को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। ये सेवाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एक समेकित तरीके से आंगनवाड़ी केन्द्र पर की जाती हैं। उनकी सेवाएं ना केवल भारत सरकार अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार / के.शा.प्र. प्रशासन द्वारा प्रायोजित अन्य सामाजिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रयोग की जाती हैं, बल्कि स्वास्थ्य, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण, पंचायत राज एवं सरकार के अन्य विभागों से सम्बन्धित अन्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। अन्य सरकारी विभागों के इन अतिरिक्त एसाइनमेन्ट के चलते ना केवल आईसीडीएस के सेवा प्रदाय कार्यों में प्रत्यक्ष एंगेजमेन्ट के लिए उनके समय में कटौती होती है, बल्कि उनकी जिम्मेदारियों में भी बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हो जाती है।

वर्तमान अध्ययन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में उनके समय उपयोग का एक यथार्थपूर्ण मूल्यांकन करने तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यप्रणाली को सुधारने हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ तैयार करने का प्रयास किया गया। अध्ययन के उद्देश्य कुछ इस प्रकार थे – आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्दिष्ट किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने हेतु उनके द्वारा समय आवंटन प्रणाली की वैरियेबिलिटी की जांच-पड़ताल करना, आईसीडीएस के अन्तर्गत अभिकल्पित सेवाओं के प्रदाय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा व्यय किया गया वास्तविक समय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यों की वरीयता निर्धारित करना, अन्य विकासीय कार्यक्रमों के सशक्तिकरण हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा व्यय किए जाने वाले समय की जांच-पड़ताल करना, ग्रामीण, नगरीय एवं जनजातीय आईसीडीएस परियोजनाओं के विभिन्न परिवेशों के अन्तर्गत सेवा प्रदान करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समय आवंटन एवं

विभिन्न पैटर्न की तुलना करना, तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा समय के प्रभावी एवं दक्ष उपयोग हेतु विभिन्न तरीके/रणनीतियों का सुझाव देना। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश के चयनित जिलों की ग्रामीण एवं नगरीय आईसीडीएस परियोजनाओं से डेटा एकत्रित किया गया।

अध्ययन के परिणाम से यह पाया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्य आवंटन एवं समय प्रबन्धन उपयुक्त है तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी सेवाओं का संतुष्टिजनक तरीके से निष्पादन कर रही हैं। अध्ययन के परिणाम से यह पाया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्य आवंटन एवं समय प्रबन्धन उपयुक्त है तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी सेवाओं का संतुष्टिजनक तरीके से निष्पादन कर रही हैं। अध्ययन में महत्वपूर्ण रूप से यह उल्लेख किया गया है कि विभिन्न विभागों के कार्यकर्ताओं के बीच में जमीनी स्तर पर समन्वयन का सकारात्मक परिणाम – विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों की विशाल कवरेज – के रूप में सामने आया है। इसलिए अध्ययन में अनुशंसित किया गया है कि अतिरिक्त एसाइनमेन्ट्स में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग उचित तरीके से किया जाए। अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया है कि कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर आधारित रिपोर्टिंग क्रियातंत्र को सार्वभौमिक रूप क्रियान्वित किया जाए, क्योंकि यह विभिन्न अभिलेखों एवं पंजिकाओं को भरने के लिए समय आवंट को कम करता है, और साथ ही आईसीडीएस के अन्तर्गत सेवा प्रदाय को आगे बढ़ाता है। आगे यह भी अनुशंसित किया गया है कि डिजिटल रिपोर्टिंग क्रियातंत्र का एकरूपी पैटर्न विकसित किया जाए, जिसमें लाइन विभागों के कॉमन मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स/वैरियेबल्स हों, ताकि विभिन्न डैशबोर्ड अथवा प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल या पुनरावर्ती रिपोर्टिंग के लिए समय को कम किया जा सके।

### 4. आईसीडीएस में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी), कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर), तथा स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) की भागीदारी पर अध्ययन

सार्वजनिक-निजी-साझेदारी, सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं को निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं को क्रियान्वित करने का एक माध्यम। सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) अर्थपूर्ण अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के माध्यम से इस सम्बन्ध में और अधिक पेशेवर तौर-तरीका

लाता है। आईसीडीएस की विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठनों एवं सीएसआर निकायों के शामिल होने के साथ ही साथ क्षमता निर्माण पहलों में उनके जुड़ाव को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा बहुत सी अन्य राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा और भी अधिक समर्थित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य आईसीडीएस में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी), कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर), तथा स्वैच्छिक (वीओ) के जुड़ाव से सम्बन्धित पहलों को प्रलेखित करना था। वर्तमान अध्ययन कुल तीन राज्यों तक सीमित थी – नई दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, तथा उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल आठ परियोजनाएं थीं – पांच परियोजनाएं नई दिल्ली में, एक परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में तथा दो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में। सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से अनुरोध किया गया था कि वे आईसीडीएस पहलों में पीपीपी पहलों, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी तथा स्वैच्छिक संगठनों के जुड़ाव से सम्बन्धित सभी पहलों की सूची प्रदान करें। इन पहलों की समीक्षा निम्नलिखित प्रमुख शीर्षकों के अन्तर्गत की गई – परियोजना आवश्यकता एवं उद्देश्य, कवरेज क्षेत्र, सेवा प्रदाय एवं प्रबन्धकीय पहलू, वित्तीय पहलू, चुनौतियां एवं सीमितताएं, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन क्रियातंत्र तथा परियोजना के प्रमुख अधिगम। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि आईसीडीएस में बहुत सी पीपीपी पहलों को वर्तमान में राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। आईसीडीएस की विभिन्न कार्यक्रम-सम्बन्धी कमियों (जैसे कि अन्य आईसीडीएस कार्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जुड़ाव के कारण आरम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा पर अपर्याप्त ध्यान, पूरक पोषण, आरम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा तथा शिक्षण लर्निंग सामग्रियों के लिए पर्याप्त वित्तीय नियमों का अभाव, क्रेच एवं डे केयर सुविधाओं की अनुपलब्धता आदि) का समाधान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की आईसीडीएस सेवाओं का समर्थन करने के लिए निजी प्रदाताओं एवं कॉरपोरेट घरानों के साथ पीपीपी मोड के अन्तर्गत सम्बन्ध स्थापित किया है। इसमें ये चीजें शामिल हैं कि सुदृढ़ीकरण द्वारा पूरक पोषण को बेहतर बनाने में समर्थन करना; अनौपचारिक शाला-पूर्व शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षण लर्निंग सामग्रियों तथा मैनपॉवर की आपूर्ति; मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन; पक्षसमर्थन एवं जागरूकता अभियानों का समर्थन; स्वास्थ्य जांच आदि। आईसीडीएस में पीपीपी, सीएसआर, एवं एनजीओ पहलों के बारे में गहराई से अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब पीपीपी मॉडल को सही से क्रियान्वित

किया जाता है, तो इससे दक्षता, प्रभाविता में वृद्धि होती है तथा आईसीडीएस सेवाओं के पहुंच में विस्तार होती है, जिससे निजी कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट कौशलों का लाभ सरकार को मिलता है, और सरकार द्वारा संचालित आईसीडीएस प्रणाली में मौजूद प्रचालन सीमितताओं को दूर करने में सहायता मिलती है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि पीपीपी के सभी मॉडल, विशेष रूप से लोक सेवा प्रदान करने वाले मॉडल निर्मित किए जाने चाहिए।

## 5. असम एवं नगालैंड के बच्चों में अविधिक गतिविधियों के चलन पर एक अध्ययन

भारत में बच्चों को राष्ट्रीय परिसम्पत्ति माना जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय बाल नीति में घोषित किया गया है। फिर भी भारत में बच्चों का एक बड़ा वर्ग कठिन परिस्थितियों में रहता है। हानिकारक परिवेश, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले अवसरों की कमी, गलत लालन-पालन तथा अन्य कारकों के कारण बच्चों में अवांछित पैटर्न विकसित हो सकता है, जिसके चलते वे पथ-भ्रष्ट हो सकते हैं। भारत में ना केवल दुनिया में बच्चों की सबसे बड़ी जनसंख्या है, बल्कि यहां पर संवेदनशील बच्चों की सबसे बड़ी संख्या भी है जो कठिन परिस्थितियों में हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपराध की गम्भीरता दर्शायी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी पूर्वी राज्यों में, बाल अपराधों के मामले में आसाम शीर्ष स्थान पर है और नगालैंड सबसे निचले स्थान पर है। बच्चों द्वारा कारित की जाने वाली अविधिक गतिविधियों की स्थिति के मामले में ये दो राज्य बिल्कुल प्रतिकूल रुझान दर्शाते हैं। इसी प्रकार, बच्चों में पथ-भ्रष्टता की उच्च एवं निम्न दरों वाले इन दो राज्यों के अध्ययन से यह आशा थी कि इससे उस संदर्भ समेत उत्प्रेरक कारकों के बारे में जानकारी मिलेगी जिनके तहत बच्चे अविधिक गतिविधियां करते हैं। भिन्न सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों वाले दो पड़ोसी राज्यों में बच्चों द्वारा अविधिक गतिविधियां कारित करने के सुस्पष्ट भिन्न रुझानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित उद्देश्यों से वर्तमान अध्ययन किया गया: पिछले पांच वर्षों में आसाम एवं नगालैंड में बच्चों द्वारा कारित किए गए अपराधों का स्तर एवं प्रकृति का पता लगाना; सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कारकों का परीक्षण करना, जो बच्चों को अविधिक क्रियाएं करने के लिए उत्प्रेरित/प्रभावित की हो सकती होंगी; कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए मौजूदा क्रियातंत्र की

प्रभाविता का विश्लेषण करना; तथा बच्चों में आपराधिक प्रवृत्तियों के बढ़ते रुझान की रोकथाम करने के उपायों का सुझाव देना।

प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्तरों समेत प्रेक्षण, विशेष गृह एवं सुरक्षा स्थान पर रखे जाने वाले बच्चों से डेटा एकत्रित किया गया था। अध्ययन के उत्तरदाताओं में शामिल थे कि गृहों के कार्यकर्ता, डीसीपीयू, जेजेबी सदस्य, सम्बन्धित एसजेपीयू अधिकारीगण तथा साथ ही डेटा एकत्रीकरण के समय गृहों में रहने वाले बच्चे। इन प्रत्येक राज्यों एवं अधीक्षकों दोनों के गृहों में केस कार्यकर्ताओं एवं परामर्शदाताओं दोनों का साक्षात्कार भी किया गया था। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में ये चीजें पाई गईं:

1. कुछ बाल दोषियों में आदतन/नियमित रूप से अविधिक गतिविधियां करने की प्रवृत्ति बच्चों में अविधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में एक समस्या प्रस्तुत करती है।
2. बाल दोषियों के मामलों के साथ कार्य करने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जैसे कि एसजेपीयू, जेजेबी के सदस्य तथा केस कार्यकर्ता आदि का भी यह विचार था कि इन दो राज्यों में बच्चों द्वारा कारित किया जाने वाला प्रमुख अपराध चोरी है।
3. इस अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि असम में अधिकांश बच्चों ने अकेले ही अपराध किए हैं, जबकि नगालैण्ड में अधिकांश आरोपित दोषी किसी समूह के सदस्य के रूप में अविधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
4. वर्तमान अध्ययन में यह सामने आया कि बच्चों तथा उनके अभिभावकों में शिक्षा का अभाव या कम शिक्षा स्तर उन बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति विकसित करने का एक प्रमुख योगदायी कारक था।
5. असम एवं नगालैण्ड में 60 प्रतिशत से अधिक बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, अर्थात् इन अपराधों को कारित करते समय वे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे।
6. अध्ययन के डेटा से यह सामने आया कि अध्ययन में शामिल कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकांश बच्चे संयुक्त / विस्तृत परिवारों से थे। इन दो राज्यों में कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकांश बच्चों के माता-पिता एकसाथ रहते थे और बच्चे अपने माता-पिता के साथ रहते थे।
7. अध्ययन में शामिल आसाम में लगभग आधे बच्चों ने तथा नगालैण्ड में अधिकांश बच्चों ने कहा कि उनकी अविधिक गतिविधियों के पीछे उनकी मंश कुछ पैसा कमाना था। आगे की जांच-पड़ताल में यह भी पाया गया कि उन्हें अपनी कुछ

जरूरतें पूरी करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इनमें से अधिकांश बच्चे बहुत कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के हैं, इस तथ्य के संदर्भ पर विचार किया गया।

अध्ययन ने संकेत दिया कि बच्चों द्वारा अविधिक गतिविधियों को रोकने या नियंत्रित करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि विद्यालय में बच्चों का नाम लिखाया जाए, विशेष तौर पर आर्थिक रूप से कम परिवार वाले बच्चों को। इसलिए यह आवश्यक है कि समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) तथा अन्य सदृश पहलों के अन्तर्गत कार्यक्रम सम्बन्धी हस्तक्षेपों को शब्द और भावना में क्रियान्वित किया जाए तथा कमजोर समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा, बच्चों द्वारा अविधिक गतिविधियों की समस्या से निपटने वालों के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का पुनर्वास एवं पुनः एकीकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस उद्देश्य के लिए यह पूर्व-आवश्यकता है कि मौजूदा क्रियातंत्रों को सशक्त बनाया जाए।

## 6. आरम्भिक बाल्यावस्था गृह उत्प्रेरण गतिविधियां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पुस्तिका

अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं के अन्तर्गत परिवार में छोटे बच्चों का उत्प्रेरण तथा ईसीएस प्रावधानों में परिवार की भूमिका को ध्यान में रखते हुए आरम्भिक बाल्यावस्था गृह उत्प्रेरण गतिविधियों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पुस्तिका तैयार करने की परियोजना की शुरुआत की गई, जिसकी सहायता से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं अभिभावकों/देखभालकर्ताओं को घरेलू स्थितियों में ईसीएस गतिविधियां संचालित करने के बारे में शिक्षित कर सकें, इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे:

- बचपन की उत्प्रेरणा गतिविधियों/पारंपरिक बाल देखभाल प्रथाओं पर उपलब्ध सामग्रियों का अध्ययन/समीक्षा और संकलन करने के लिए; तथा
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ईसीसीई वर्कर्स द्वारा माता-पिता/देखभाल के गोताखोरों को उन्मुख करने के लिए उचित दिशानिर्देशों के साथ घरों में माता-पिता/देखभाल के गोताखोरों द्वारा आयोजित की जा सकने वाली उपयुक्त गतिविधियों को विकसित करना।

देश में प्रचलित सांस्कृतिक और सामाजिक आदतों/प्रथाओं की व्यापक रेंज को ध्यान में रखते हुए और इन समृद्ध ईसीएस

गतिविधियों को शामिल करने के लिए, देश के सभी क्षेत्रों से ईसीएस प्रथाओं का पालन करने का प्रयास किया गया। ईसीएस गतिविधियाँ असम के गोलपारा और लखीमपुर जिलों में देखी जाती हैं; नगालैंड में फेक और तुएनसांग; गुजरात में पोरबंदर और वोडोदरा; राजस्थान में अजमेर और उदयपुर; बिहार में भागलपुर और छपरा; और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और जालौन को दस्तावेज़ के लिए माना गया। प्रासंगिक ईसीएस गतिविधियों की पहचान की गई और बच्चों के मील के पथर को ध्यान में रखते हुए और उनमें सुधार किया गया और माता-पिता घर की स्थितियों में क्या कर सकते हैं। हालाँकि, दस्तावेज़ के विकास और गुणात्मक सुधार के सभी डोमेन को कवर करने के लिए विभिन्न उत्तेजना स्रोतों से कई उत्तेजना गतिविधियों को जोड़ा गया था।

हैंडबुक घरेलू परिस्थितियों में ईसीएस गतिविधियों के संचालन पर माता-पिता/देखभाल करने वालों को शिक्षित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/अन्य आईसीडीएस पदाधिकारियों को सुविधा प्रदान करेगी। दस्तावेज़ ईसीएस पर आईसीडीएस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों की मदद भी करेगा। हैंडबुक माता-पिता को उनकी भूमिका समझने के साथ-साथ उनके बच्चों के लिए ईसीएस गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करेगी। यह माता-पिता को आत्मविश्वास और घर के शिक्षकों के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल भी देगा।

## 7. जिला बाल संरक्षण इकाईयों के अन्तर्गत विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारियों तथा बाल देखभाल संस्थाओं में परिवीक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका

प्रशिक्षण मैनुअल को विकसित किया गया था: जेजे एक्ट 2015 और जेजे मॉडल रूल्स 2016 के तहत कानून और बच्चों की देखभाल के लिए संघर्ष में बच्चों के प्रति उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए प्रोबेशन अधिकारियों और कानूनी-सह-परिवीक्षा अधिकारियों को संवेदनशील बनाना; बाल संरक्षण सेवाओं, जेजे प्रणाली और बच्चों से संबंधित अन्य विधानों के तहत प्रावधानों के बारे में अधिकारियों को सक्षम करना; बच्चों के सामाजिक सुदृढीकरण के लिए परिवीक्षा सेवा की आवश्यकता और महत्व के बारे में उन्हें जागरूक करना ; और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बच्चों के मुद्दों

से निपटने के लिए विभिन्न कौशल और तकनीकों के बारे में उन्हें उन्मुख करते हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, मॉड्यूल ने सीखने की प्रक्रिया में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए भागीदारी और इंटरैक्टिव अभ्यासों के व्यापक उपयोग पर जोर दिया। यह एक संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में और प्रशिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए युक्तियों के साथ कार्य को पूरा करने के लिए ट्रेनर की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया था जहां आवश्यक, खेल और अभ्यास जो सत्रों और सामग्री की विशिष्ट जानकारी को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकते हैं और जो प्रशिक्षकों/सुविधाकर्ताओं/को मदद करेंगे संसाधन व्यक्ति सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

## 8. अधिगम एवं व्यवहारात्मक समस्याओं का गहराईपूर्वक विश्लेषण: बाल निर्देशन केन्द्र में रिपोर्ट किए गए मामलों का अध्ययन

बच्चों को अब शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्कूलों और परिवारों दोनों में भारी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कोई संदेह नहीं है कि समस्याओं को हल करने और तनाव और दबाव को कम करने के लिए समर्थन और सहायता की आवश्यकता है। इसलिए हाल के दिनों में मार्गदर्शन और परामर्श के मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता बढ़ गई है क्योंकि बच्चे अपने जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न मुद्दों का सामना कर रहे हैं। परामर्श व्यक्ति को व्यवहार परिवर्तन की सुविधा, मैथुन कौशल को बढ़ाने, निर्णय लेने को बढ़ावा देने, रिश्तों को बेहतर बनाने और व्यक्तिगत क्षमता को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। निपसिड, लखनऊ में बाल मार्गदर्शन केंद्र, फरवरी 2003 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सीखने और व्यवहार की समस्याओं के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है। वर्षों से मामलों की विविधता। सीजीसी में लर्निंग प्रॉब्लम, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर (एडीएचडी), इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिले आदि थे।

वर्तमान अध्ययन प्रकृति में पूर्वव्यापी था जिसके द्वारा सीजीसी निपसिड, लखनऊ में दर्ज किए गए मामलों का अध्ययन किया गया था। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत निष्कर्ष अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के बीच मूल्यांकन के लिए सीजीसी, लखनऊ में पंजीकृत 160 मामलों पर आधारित थे और विशुद्ध रूप से केस रिकॉर्ड, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और विशेष शिक्षक के मूल्यांकन

प्रपत्र सहित केस रिकॉर्ड पर आधारित थे। अध्ययन का जोर सीजीसी में बताए गए बच्चों की समस्याओं के प्रकार और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता और गुंजाइश का पता लगाने के लिए किया गया है। सीजीसी में हस्तक्षेप किए गए और प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के मामलों को समझने के लिए केस स्टडीज को शामिल किया गया था। यह प्रलेखन बच्चों के सीखने और व्यवहार की समस्याओं का अवलोकन प्रदान करता है। अध्ययन के निष्कर्ष मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए उपयोगी होंगे, जिनमें मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल हैं, जो बच्चों की सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याओं पर प्रतिक्रिया देंगे और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए काम करने के लिए शोधकर्ताओं और योजनाकारों के लिए भी उपयोगी होंगे।

## 9. उत्तर पूर्वी राज्यों में आईसीडीएस कार्यकर्ताओं हेतु वर्टिकल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभाविता के मूल्यांकन पर अध्ययन

आईसीडीएस में सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए आईसीडीएस के अधिकारियों के प्रशिक्षण और निरंतर क्षमता निर्माण के महत्व को हमेशा प्रशिक्षण के कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। हाल के वर्षों में, जिला, ब्लॉक, सर्कल और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच ऊर्ध्वाधर संबंधों को मजबूत करने के लिए आईसीडीएस के अधिकारियों के लिए वर्टिकल ट्रेनिंग की अवधारणा शुरू की गई है और जिससे वे न केवल अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करने में सक्षम हैं बल्कि एक जिले या एक ब्लॉक में प्रासंगिक जरूरतों के आधार पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक पारस्परिक रूप से साझा रणनीतियों के साथ आते हैं। इस प्रकार, आईसीडीएस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर के अधिकारी, सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को संयुक्त रूप से काम करने और परियोजना स्तर पर कार्य योजना तैयार करने के लिए ऊर्ध्वाधर प्रशिक्षणों का योगदान करने की उम्मीद है। इस संदर्भ में, इस उद्देश्य के लिए अध्ययन किया गया था: पता लगाएँ कि क्या सीडीपीओ और पर्यवेक्षक, जिन्होंने वर्टिकल ट्रेनिंग में भाग लिया था, मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करने में सक्षम हैं; जाँच करें कि क्या कार्यक्षेत्र प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद पदाधिकारी परियोजना स्तर पर संयुक्त कार्य योजना तैयार कर

रहे हैं; आईसीडीएस के तहत प्रदान की गई सेवाओं की डिलीवरी में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने परियोजना स्तर पर प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा उठाए गए उपायों/कदमों की पहचान करना; और वर्टिकल ट्रेनिंग की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाए।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों से पता चला कि लगभग सभी जिला स्तरीय अधिकारी, सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और एडब्ल्यूडब्ल्यूएस ने स्वीकार किया कि ऊर्ध्वाधर प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए उपयोगी था। सभी जिला स्तर के अधिकारियों ने जवाब दिया कि ऊर्ध्वाधर प्रशिक्षण ने उन्हें अपने ज्ञान के स्तर में सुधार करने में सक्षम बनाया और साथ ही साथ उनके काम के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद की। उनकी नौकरी के प्रदर्शन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सामाजिक पहलुओं पर प्रभाव का पता लगाने के लिए दस सूत्री स्केलिंग विधि (1–10) को अपनाया गया।

अपने कार्य परिवेश में वर्टिकल ट्रेनिंग के उपयोग और उपयोगिता की सीमा के संबंध में, सभी जिला स्तरीय अधिकारी, अधिकांश सीडीपीओ (87.5 प्रतिशत), पर्यवेक्षक (72.83 प्रतिशत) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (81.75 प्रतिशत) ने इसे बहुत अच्छा माना।

अधिकतम जिला स्तर के अधिकारी (डीएलओ), सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और एडब्ल्यूडब्ल्यूएस ने उत्तर दिया कि उन्होंने सेवाओं की डिलीवरी में सुधार देखा है और जिन सेवाओं में विशिष्ट सुधार देखा गया है, वे एसएनपी थे, स्कूल-पूर्व गतिविधियों का संचालन, होम विजिट, सामुदायिक भागीदारी और एनएचईडी/वीएचएनडी/ईसीसीडी का संचालन करना। शाला पूर्व गतिविधियों का संचालन और सर्वेक्षण आयोजित करने जैसी अन्य सेवाओं में भी ऊर्ध्वाधर प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद सुधार किया गया है।

कुल मिलाकर 87.88 प्रतिशत अधिकारियों ने जवाब दिया कि उन्होंने अपने क्षेत्रों में कार्य योजना को लागू किया है। समारोह के विश्लेषण ने बताया कि अधिकतम 93.75 प्रतिशत सीडीपीओ ने अपनी आईसीडीएस परियोजनाओं में कार्य योजना को लागू किया, 87.50 प्रतिशत डीएलओ ने संयुक्त कार्य योजना को लागू किया है, और, 85.87 प्रतिशत पर्यवेक्षकों ने आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर संयुक्त कार्य योजना को लागू किया है।

61% आईसीडीएस पदाधिकारियों ने अलग-अलग स्तर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में काम किया और 81 प्रतिशत

पदाधिकारियों ने जवाब दिया कि उन्होंने ऊर्ध्वाधर प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद निरंतर सत्र आयोजित किया है।

इसके अलावा, अध्ययन ने सुझाव दिया कि प्रतिभागियों के स्तर और शैक्षिक योग्यता के बीच एक बड़ा अंतर था। इसलिए, यह सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकार को ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए, जो कम से कम इंटरमीडिएट पास कर चुके हों, ताकि प्रतिभागियों के भीतर शैक्षिक योग्यता का अंतर कम हो सके। यह भी सिफारिश की गई थी कि जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर के प्रतिभागियों के लिए अलग-अलग ऊर्ध्वाधर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं। यह प्रचार किया गया था कि ऊर्ध्वाधर प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए और आवश्यकता आधारित विषयों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और व्यावहारिक/एक्सपोजर सत्र दिए जाने चाहिए।

## 10. उत्तर प्रदेश राज्य में आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) दिवस की जागरूकता एवं उपयोगिता पर अध्ययन

मासिक आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई दिन) जागरूकता पैदा करने और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा में समुदाय की भागीदारी का एक तरीका है। आंगनवाड़ी केन्द्र में ईसीसीई दिवस आयोजित किया जा रहा है जो प्रारंभिक बचपन शिक्षा सहित सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को समुदाय से जोड़ता है। इसने आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों की अवधारण और नियमितता को बढ़ाने में मदद की है। यह केंद्र के पदाधिकारियों और माता-पिता/समुदाय को एक मंच प्रदान करता है जिसमें गतिविधियों की वकालत के लिए, ईसीसीई के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनकी भागीदारी के लिए भी आयोजित किया जाता है। बच्चों के इष्टतम विकास के लिए साझेदारी स्थापित करने के लिए।

इसलिए, इस अध्ययन ने उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्र में ईसीसीई दिवस के संगठन की स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया। अध्ययन के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित थे: ईसीसीई दिवस आयोजित करने के लिए भौतिक, वित्तीय और मानव संसाधनों की उपलब्धता का आकलन करना; आईसीडीएस पदाधिकारियों, इसके विभिन्न हितधारकों और लाभार्थियों के बीच ईसीसीई दिवस सेवाओं के बारे में जागरूकता का आकलन

करना; ईसीसीई दिन प्रावधानों के उपयोग का आकलन करें और उसके किसी भी अंतर को पहचानें; और आईसीडीएस, एनएचएम के बीच अभिसरण के बारे में एक अंतर्दृष्टि है; सर्व शिक्षा अभियान के; जल और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, पंचायती राज; ईसीसीई दिवस के संगठन में जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता आदि; ईसीसीई दिन की गुणवत्ता सेवा वितरण के लिए संभावित रणनीतियों का प्रस्ताव; ईसीसीई दिन का आकलन करने के लिए गुणवत्ता संकेतक विकसित करना। अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के आठ जिलों के कुल 120 आंगनवाड़ी केन्द्र का सर्वेक्षण किया गया था।

अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि अधिकांश पदाधिकारियों को ईसीसीई दिवस के संगठन के बारे में पता था लेकिन उन्हें ईसीसीई दिवस के संगठन के लिए परियोजना स्तर पर कोई दिशानिर्देश और बजट नहीं मिला है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अधिकतम संख्या के बीच; 31.7 प्रतिशत के पास आवश्यक ईसीसीई सामग्री नहीं थी, 37.5 प्रतिशत में पर्याप्त शिक्षण सहायक सामग्री नहीं थी, 92.5 प्रतिशत के पास राज्य सरकार द्वारा जारी कोई ईसीसीई पाठ्यक्रम नहीं था। पीएसई के आयोजन के लिए, 22.5 प्रतिशत के पास एक्टिविटी बुक और 99.2 प्रतिशत के पास मूल्यांकन कार्ड और साथ ही किसी अन्य ईसीसीई सामग्री नहीं थी। इसके अलावा, अधिकांश सीडीपीओ (87.5%) और पर्यवेक्षकों (85.4%) ने सूचित किया है कि हितधारक निश्चित मासिक ईसीसीई दिवस के जश्न में शामिल होते हैं। इसके अलावा, यह पाया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ईसीसीई दिवस का आयोजन कर रहे थे और ईसीसीई दिन की गतिविधियों के रिकॉर्ड को बनाए रखते थे और अधिकांश श्रमिकों ने एमपीआर में ईसीसीई दिवस के संगठन की सूचना दी थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अधिकांश (79.2%) को ईसीसीई दिवस के आयोजन के लिए स्थानीय हितधारकों और समुदाय से सहायता/समर्थन प्राप्त हुआ है। ईसीसीई दिवस के उत्सव में शामिल होने वाले हितधारक प्राथमिक शिक्षक (62.5 प्रतिशत), साक्षरता मिशन के प्रेरक थे और पर्यवेक्षकों द्वारा सूचित किए गए 56.1 प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा। ईसीसीई दिवस वकालत के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान कर रहा है, ईसीसीई के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ बच्चों के इष्टतम विकास के लिए माता-पिता/समुदाय के साथ साझेदारी स्थापित करने के लिए। इसलिए इसे सभी लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करके जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

## 11. महाराष्ट्र में बाल देखभाल संस्थाओं में नागरिक समाज साझेदारी पर अध्ययन

सार्वजनिक नीतियों की पतली आउटरीच और सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण नागरिक समाज मौजूद है। संस्थानीकरण प्रक्रिया का अस्तित्व जो अभी भी पूरे सामाजिक व्यवस्था में अंतर्निहित है और इसमें गरीब परिवार, सामाजिक सेवाएं, स्कूल, न्यायिक प्रणाली, पुलिस और स्थानीय निकाय/प्राधिकरण शामिल हैं। यह दिलचस्प और मूल्यवान है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन (सीएसओ) किस तरह की समस्याओं को समझने के लिए चुनौतियों का जवाब दे रहा है और महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से स्थितियों की तुलना कर रहा है, ताकि बच्चों के अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण तैयार किया जा सके। इस संदर्भ में, वर्तमान अध्ययन अनिवार्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजक गतिविधियों, उनके पुनर्वास और बाल देखभाल संस्थानों में वैकल्पिक देखभाल के लिए बाल देखभाल हस्तक्षेप के कार्यान्वयन के संबंध में नागरिक समाज संगठन के कामकाज पर केंद्रित है।

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थे: राज्य में सिविल सोसायटी संगठनों चाइल्डकैअर हस्तक्षेप की पहचान; स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों में देखभाल के मानकों का आकलन करना; संस्थागत बच्चों के पुनर्वास के लिए सेवाओं के लिंकेज के अभिनव तरीकों का दस्तावेज; और नागरिक समाज संगठनों और सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों के बीच साझेदारी को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाते हैं और नागरिक समाज संगठनों द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों में देखभाल के मानक में सुधार करते हैं।

अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि किशोर न्याय प्रणाली की वास्तविक प्रकृति राज्य, परिवार और नागरिक समाज के साथ अपने अभिन्न समन्वय में निहित है और प्रत्येक की खेल के लिए एक अलग भूमिका है। बाल संवेदनशीलता को कम करने और संस्थागतकरण की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने के लिए, परिवार आधारित गैर-संस्थागत रूप से बच्चे की देखभाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। न्यूनतम देखभाल सेवाओं के मानक को बनाए रखने के लिए अधिनियम में निर्धारित मानकों में सुधार के बारे में बताएं। संस्थान में बच्चों के लिए देखभाल और सेवाओं के मानकों का पालन करने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है, जहां अधिनियम से कोई विचलन विख्यात या पाया गया हो।

## 12. मध्य प्रदेश राज्य के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर सर्वोत्तम प्रथाएं: मामलों का अध्ययन

भारतीय संविधान हमारे देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान करता है। सरकार की नीतियों, कृत्यों और कई गुना विकास कार्यक्रमों ने देश में समग्र स्थिति और महिलाओं की गरिमा में सुधार पर नीति निर्माताओं का पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया है। महिलाओं की आबादी देश में कुल आबादी का लगभग आधी है, जिसमें से 90 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्रों में स्व-रोजगार उन्मुख स्व-रोजगार व्यवसायों पर आधारित हैं। हालांकि सभी महिलाएं उन छोटे व्यवसायों पर लगी हुई हैं जिन्हें संगठित क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त नहीं है और उन्हें पर्याप्त रूप से पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, जबकि कार्य सहभागिता में उनका अधिकांश योगदान पारिश्रमिक नहीं है या अवैतनिक नहीं है। हमारे समुदाय में उनकी कार्य सहभागिता काफी हद तक अदृश्य है।

उपरोक्त के मद्देनजर, एक प्रयास किया गया: सरस्वती महिला समिति, नामली, रतलाम मध्य प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों और गतिविधियों की संरचना, कार्यों और प्रक्रिया का अध्ययन; महिलाओं के लिए माइक्रो-क्रेडिट और वित्त और सूक्ष्म-उद्यमों पर विशेष जोर देने के साथ महिला सशक्तिकरण में अपनाई गई रणनीतियों, कार्यप्रणाली और सर्वोत्तम प्रथाओं का पता लगाना; कार्य बल में महिलाओं की भागीदारी का पता लगाना; सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दें।

अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि सूक्ष्म वित्त गतिविधियों ने कई परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया था। महिलाओं पर परिवार के अन्य सदस्यों की निर्भरता बढ़ गई है क्योंकि एसएचजी के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि हुई है। गर्भावस्था, देखभाल, संस्थागत प्रसव, सरकार की योजनाओं, शिशु और युवा बच्चों को दूध पिलाने की प्रथाओं और महिलाओं और बच्चे के बारे में अन्य विकास के मुद्दों के बारे में महिलाओं के जागरूकता स्तर कई क्षेत्रों में एसएचजी के बीच इष्टतम थे। उन्होंने उल्लेख किया कि स्वास्थ्य अधिकारियों और आईसीडीएस फंक्शनरीज ने मासिक बैठकों और अभियानों के दौरान उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर

चर्चा की थी। अध्ययन ने सुझाव दिया कि संस्थागत बुनियादी ढांचे और संसाधनों और पर्याप्त क्षेत्र के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में एनजीओ के लिए न्यूनतम मानक तय करने की आवश्यकता है। वित्त पोषण एजेंसियां मध्य प्रदेश राज्य में कठोर निगरानी तंत्र के साथ एनजीओ को निधि की मात्रा बढ़ा सकती हैं।

### 13. असम के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों में स्वच्छता अभ्यासों पर अध्ययन

स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के साथ हमारे देश में अच्छी स्वच्छता प्रथाओं के मुद्दे बहुत प्रासंगिक हो गए हैं। इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि, विशेष रूप से लोगों, महिलाओं और बच्चों के प्रतिदिन के व्यवहार, उनके ज्ञान, दृष्टिकोण, स्वच्छता से संबंधित प्रथाओं, महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं के संदर्भ में, आदिवासी व्यवहारों का पालन करें। समझा और विश्लेषण किया गया है, ताकि लोगों के विभिन्न वर्गों से संबंधित महिलाओं और बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहारों को आत्मसात करने के लिए उपयुक्त रणनीति विकसित की जा सके। उपरोक्त के मद्देनजर, असम के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के बीच स्वच्छता अभ्यास पर एक अध्ययन किया गया था, क्योंकि असम पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में एनएफएचएस 4 (2015–16) के अनुसार सबसे कम (47.7%) रैंक पर है और निम्न भी है राष्ट्रीय औसत (48.4%) की तुलना में बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों के प्रतिशत के संदर्भ में जो कि स्वच्छ व्यवहार का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। अध्ययन इन उद्देश्यों से आयोजित किया गया था: कुछ चयनित मापदंडों के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों की स्वच्छता प्रथाओं का अध्ययन; स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में उनके ज्ञान और दृष्टिकोण का आकलन करें; उन कारकों की पहचान करना जो महिलाओं और बच्चों के बीच स्वच्छ आदतों के विकास को बाधित करते हैं; और महिलाओं और बच्चों के बीच स्वच्छ आदतों को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाते हैं।

अवलोकन के आंकड़ों से पता चला कि अधिकांश महिला उत्तरदाताओं, 78 प्रतिशत शहरी उत्तरदाताओं और 72 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं को समग्र रूप से देखा गया। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के आंकड़ों से पता चला है कि, हाइजीनिक पहलू युवा आयु समूहों की तुलना में कहीं बेहतर थे। इसलिए, यह

निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वच्छता के संबंध में जागरूकता के साथ उम्र में सुधार होता है। लगभग 16 प्रतिशत महिलाओं के उत्तरदाताओं ने उल्लेख किया कि वित्तीय समस्या, समय की कमी, ज्ञान की कमी या जागरूकता की कमी और व्यक्तिगत स्वच्छता के संबंध में पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने के कारण, महिलाएं भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न महत्वपूर्ण स्वच्छता प्रथाओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। अध्ययन ने सिफारिश की कि कार्य के क्षेत्र में उच्च स्तर की स्वच्छता और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर सभी हितधारकों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एडब्ल्यूएच एनएम, एसएचए आदि जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में बार-बार अवगत कराया जाना चाहिए। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी केन्द्र, किशोरों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में भाग लेने वाले बच्चों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सौंपा जाना चाहिए, जबकि घर का दौरा, एनएचईडी और वीएचएसएनडी सत्रों का आयोजन, सामुदायिक बैठकें आदि। बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानने की आवश्यकता है और शिक्षकों को स्कूल में जागरूकता देने के लिए अनिवार्य होना चाहिए। अतिरिक्त, सामुदायिक चैंपियन की पहचान की जानी चाहिए जो दूसरों के बीच आदत और दिनचर्या के रूप में स्वच्छता को आंतरिक बनाने और विकसित करने में मदद कर सकते हैं।

### 14. असम एवं त्रिपुरा में आईसीडीएस के अन्तर्गत संपूरक पोषण के प्रदाय का तुलनात्मक विश्लेषण

राष्ट्रीय बाल नीति 1974 ने प्रारंभिक बाल्यावस्था और अपेक्षाओं और नर्सिंग माताओं के लिए सेवाओं के एकीकृत वितरण पर जोर दिया और योजना आयोग, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी अध्ययन टीमों की सिफारिशों के आधार पर विकसित किया गया था। योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना था। एसएन के दिशानिर्देशों को समय-समय पर पोषण की स्थिति और बाजार की कीमतों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है।

विभिन्न अध्ययनों के साथ-साथ संस्थान के केंद्रीय निगरानी इकाई (सीएमयू) द्वारा उत्पन्न आंकड़ों से पता चला है कि पूरक पोषण वितरण तंत्र संरचित है लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए

विशिष्ट और अद्वितीय है। तदनुसार, लाभार्थियों की कवरेज, खिला दक्षता आदि के संदर्भ में राज्यों की उपलब्धियां राज्य से राज्य में बदलती हैं और कुपोषण के नियंत्रण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। आंगनवाड़ी सेवा योजना में एसएन घटक के महत्व को ध्यान में रखते हुए, फिर आईसीडीएस के रूप में जाना जाता है, कुपोषण के नियंत्रण और प्रबंधन में सेवाओं का पैकेज और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि राज्यों में कार्यान्वयन और उपलब्धि में विविधताएं हैं, अध्ययन किया गया था। असम और त्रिपुरा में एसएन वितरण और प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए।

अध्ययन से पता चला कि पूरक पोषण की खरीद और आपूर्ति के लिए तंत्र दोनों राज्यों में पूरी तरह से अलग था। असम में एसएन/फंड की आपूर्ति की प्रणाली स्वायत्त परिषदों के माध्यम से थी, जबकि त्रिपुरा में, विभाग ने अग्रिम भुगतान करके खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग से चावल की खरीद की थी। फिर से, असम में, धन के हस्तांतरण का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है जिसने पूरक पोषण के वितरण की पूरी प्रक्रिया में देरी की।

अध्ययन में पाया गया कि असम में, एक सप्ताह में अलग-अलग मेनू था, जबकि त्रिपुरा में, सप्ताह के सभी दिनों में खिचड़ी को एचसीएम के रूप में हर रोज परोसा जा रहा था। इसके अलावा, त्रिपुरा में, छह जिलों में कुल आठ जिलों में से, टीएचआर के लिए कोई प्रावधान नहीं था और सभी लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केन्द्र में एचसीएम प्रदान किया गया था। शेष दो जिलों में टीएचआर बच्चों (6 महीने – 3 वर्ष) और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दिया गया था।

असम राज्य में पिछले तीन वर्षों में एसएन की आपूर्ति में व्यवधान था जबकि त्रिपुरा में, पिछले तीन वर्षों में एसएन की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं थी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि दोनों राज्यों में पूरक पोषण की निगरानी निशान तक नहीं थी और एसएनपी के संबंध में कमोबेश अधिकांश पहलुओं पर दोनों राज्यों में पर्यवेक्षकों द्वारा निगरानी रखी गई थी।

अध्ययन में यह भी पता चला है कि, त्रिपुरा की तुलना में असम में अधिकारियों द्वारा सामना की जाने वाली एसएन आपूर्ति के संबंध में अधिक बाधाएं थीं। असम में इस तरह की अड़चनें कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षकों/सीडीपीओ, अनियमित निधि प्रवाह, अपर्याप्त और अधिक धन, आदि द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देर से और गलत तरीके से प्रस्तुत की गईं।

इसके अलावा, असम में पकाए जाने वाले एसएन की मात्रा पदाधिकारियों को ज्ञात नहीं थी। एसएन की तैयार की जाने वाली राशि को किसी विशेष दिन के लिए प्राप्त निधि के आधार पर तय किया गया था, लेकिन कैलोरी मानदंड पर नहीं।

उपरोक्त विवरणों से यह देखा गया कि, त्रिपुरा राज्य की तुलना में असम में अनुपूरक पोषण की आपूर्ति अनियमित और असमान थी।

## 15. मध्य प्रदेश में बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) की स्थिति एवं कार्यप्रणाली का अन्वेषी अध्ययन

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास के उद्देश्य से भारत में बाल देखभाल संस्थानों को संक्षेप में 'सीसीआई' के रूप में स्थापित किया गया है। यह उन बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुरक्षित स्थान प्रदान करता है जो अपनी किशोरावस्था में अपराध करते थे। इन बच्चों के बचाव में विभिन्न कानून हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और वयस्क अपराधियों से अलग व्यवहार करते हैं, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इन बच्चों को सीसीआई में भेजा जाता है, जो या तो अवलोकन के लिए या पुनर्वास के लिए विशेष घरों के रूप में हैं। उन्हें घरों में भेजने के पीछे कारण यह है कि उन्हें सुरक्षा, बेहतर देखभाल, गुणवत्तापूर्ण जीवन और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने वयस्क समकक्षों से अनन्य और अंतर उपचार की आवश्यकता है क्योंकि वे विकास के प्रारंभिक चरण में हैं।

वर्तमान अध्ययन जेसीटी अधिनियम 2015 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के संबंध में, कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए घरों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता पर केंद्रित है। अध्ययन में घरों में रहने वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अध्ययन में मध्यप्रदेश में लड़के और लड़कियों दोनों के लिए सभी सरकारी अवलोकन और विशेष घर शामिल थे।

सीसीआई की स्थिति और कार्यप्रणाली पर अध्ययन ने तीन व्यापक पहलुओं पर जोर दिया। अध्ययन का एक पहलू उनके दिन के कामकाज के लिए अवलोकन और विशेष घरों में मानव संसाधनों की उपलब्धता था। दूसरे पहलू ने इन संस्थानों के मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर ध्यान आकर्षित किया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू

घरों में बच्चों को सेवा वितरण की गुणवत्ता था। अध्ययन के सभी तीन पहलुओं की जांच की गई और प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से निरीक्षण किया गया।

अध्ययन से पता चला है कि सरकार द्वारा संचालित अवलोकन घरों में स्टाफ की कमी अवलोकन और विशेष घरों के कामकाज में एक बड़ी समस्या थी। कुछ महत्वपूर्ण पदों जैसे कि अधीक्षक, परिवीक्षाधीन अधिकारी, परामर्शदाता, शिक्षक, कार्यवाहक के लिए खाली सीटों की पर्याप्त मात्रा में सरकार द्वारा संचालित कुछ घरों के खराब कामकाज को देखा। कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिनके लिए नियमित पदों का कोई प्रावधान अधिनियम द्वारा निर्धारित नहीं है। कार्यवाहक की स्थिति अंशकालिक है। इसे नियमित करने की आवश्यकता है क्योंकि बच्चों की देखभाल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डॉक्टर की स्थिति के बारे में, घरों को डॉक्टर की यात्रा को ठीक करना चाहिए, अर्थात् सप्ताह में दो या तीन बार। यह लंबे समय में बच्चों की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं से बचने में मदद करेगा।

अवलोकन और विशेष घरों में खराब भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थिति समस्या में जुड़ गई। यह भी पाया गया है कि सिवनी के अवलोकन घर में सुविधाओं की कमी और अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण, बच्चे विशेष घर में रह रहे थे। बच्चों की दो श्रेणियों का यह मिश्रण हानिकारक हो सकता है क्योंकि विशेष घर में आपराधिक रिकॉर्ड वाले कुछ बच्चे हैं और जघन्य अपराधों में शामिल थे। इसलिए, सभी घरों में पर्याप्त मानव संसाधन और भौतिक बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त दो के अलावा, बच्चों को प्रदान करने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है। बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिक सामान्य दवाओं, बैंडेज, थर्मामीटर आदि युक्त उचित चिकित्सा किटों की आपूर्ति करनी होगी। संबंधित प्राधिकरण को घरों में दवाओं के शेयरों की नियमित जांच करने और हमेशा आवश्यक दवाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

शिक्षकों की नियुक्ति और कक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश बच्चों को अवलोकन घरों में रहने के दौरान किसी भी कक्षा में भाग लेने के लिए पाया जाता है। बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए कर्मचारियों को पुनर्गठित और पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। घरों को बच्चों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने और उनकी अंतर्निहित विशेषज्ञता में उत्कृष्टता प्राप्त करने

के लिए विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ गठजोड़ करने की आवश्यकता है।

## 16. भारत के उत्तरी राज्यों में आंगनवाड़ी सेवा योजना में सर्वोत्तम प्रयासों का प्रलेखन

आईसीडीएस बच्चों की समग्र विकास पर केंद्रित दुनिया की सबसे बड़ी पहल है, इसे पूरे देश में लागू किया गया है। चूंकि भारत संस्कृति, परंपरा, विश्वास और प्रथाओं आदि के मामले में विविधता में समृद्ध है, इसलिए राज्यों ने स्थानीय आवश्यकताओं और आवश्यकता के अनुसार आईसीडीएस सेवाओं का संदर्भ दिया है और कुछ अच्छी प्रथाओं और नवाचारों के साथ आया है। इन प्रथाओं ने सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाया और मोटे तौर पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दिया। हालांकि कुछ राज्य स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आईसीडीएस सेवाओं को प्रासंगिक बना सकते हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ आईसीडीएस सेवाओं को नवीन उपायों के साथ फिर से जीवंत करने की आवश्यकता है। इसलिए, राज्यों द्वारा शुरू की गई अच्छी प्रथाओं और नवाचारों को दस्तावेज करना आवश्यक था और विभिन्न हितधारकों के साथ साझा किया गया था। राज्यों ने न केवल आंगनवाड़ी सेवा योजना को लागू किया है, बल्कि अपने नवाचारों और पहलों के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में अतिरिक्त मील तक चला गया है। बाल विकास के क्षेत्र में विशेष हस्तक्षेप, नवाचार, अच्छी प्रथाओं को वैज्ञानिक, टिकाऊ और लंबी अवधि के लिए उपयोग किए जाने की क्षमता के साथ विश्वसनीय होना चाहिए और बड़ी आबादी को कवर करने की संभावना भी होनी चाहिए। राज्यों द्वारा नवाचार और पहल की गई और इसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ है।

यह दस्तावेज संस्थान का प्रयास है कि बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों द्वारा राज्य सरकार द्वारा की गई पहलों को साझा करने और उजागर करने के लिए, अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। दस्तावेज आंगनवाड़ी केंद्रों से एकत्र किए गए सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित सूचना / गतिविधियों का संकलन है और यह भी आंगनवाड़ी सेवा योजना से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा साझा किए गए वेबसाइटों, समाचार कतरनों और अनुभवों से – माध्यमिक स्रोतों से एकत्र किए गए हैं। विशेष रूप से आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यान्वयन और ईसीसीई, पोषण, सामुदायिक भागीदारी और विशेष रूप से योजना की निगरानी के क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं

का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया गया है। विकास भागीदारों और कॉर्पोरेट क्षेत्रों द्वारा किए गए कुछ नवाचारों / पहलों की पहचान की गई है और बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों पर इसके प्रभाव को समझने के लिए दस्तावेज किए गए हैं।

यह माना जाता है कि प्रलेखित सर्वोत्तम प्रथाओं / पहलों को, अगर जनसंख्या और संदर्भ चर की समरूपता को ध्यान में रखते हुए अन्य सेटिंग्स में दोहराया जाए तो यह देश भर में मृत्यु दर, रुग्णता और कुपोषण को रोकने में महत्वपूर्ण परिणाम देगा।

## 17. दिल्ली में बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) में स्वास्थ्य एवं पोषण मानक: समीक्षा

बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में रहने वाले बच्चों पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो स्पष्ट रूप से उनके अस्तित्व, स्वास्थ्य और पोषण के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करते हैं; शिक्षा और विकास, संरक्षण और भागीदारी। इसके अलावा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और मॉडल नियम 2016 में संशोधन के साथ, यह समझना उचित है कि देश में सीसीआई में इन नियमों को कहाँ तक लागू किया जा रहा है। प्रदान की जा रही सेवाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए, वर्तमान अध्ययन दिल्ली में आठ अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में आठ सीसीआई भर के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण मानकों का आकलन करने के लिए किया गया था। उद्देश्य बाल देखभाल संस्थानों द्वारा प्रदान की गई मौजूदा स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं का अध्ययन करना था; निर्धारित मानकों के विरुद्ध इन सेवाओं का मूल्यांकन करना और उसमें अपर्याप्तता और अंतराल का पता लगाना; और दिल्ली के सीसीआई में विशिष्ट आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार सुधार का सुझाव देना।

अध्ययन में कुल 109 लड़कों और 71 लड़कियों का साक्षात्कार लिया गया, साथ ही 8 सीसीटीवी में सुपरिंटेंडेंट, केयर गिवर्स, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, रिहैबिलिटेशन-कम-प्लेसमेंट ऑफिसर और हाउस माँ / हाउस फादर्स के साथ किया गया। सीसीआई के प्रकार जो अनुसंधान में शामिल किए गए हैं, वे हैं बच्चों के घर, अवलोकन घर, सुरक्षा के स्थान, खुले आश्रय और विशेष घर।

56.6 प्रतिशत बच्चों ने उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी और लगभग 25 प्रतिशत ने प्राथमिक शिक्षा और 7.1 प्रतिशत ने मध्यवर्ती शिक्षा प्राप्त की थी। 15 बच्चे (8 प्रतिशत) दिव्यांग थे। सभी बच्चों में से 36.1 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने पैसे कमाने के लिए काम किया है / किसी आर्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं।

164 बच्चे (91.1 प्रतिशत) छात्रावासों में रहे और 7.2 प्रतिशत बच्चों ने साझा कमरे बनाए। 87.2 प्रतिशत बच्चों ने सीसीआई में अलग बिस्तर होने की सूचना दी। स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आइटम और मच्छरदानी (48.3 प्रतिशत बच्चों) ने बताया कि उनके पास स्कूल बैग और स्टेशनरी आइटम थे। 28.3 प्रतिशत बच्चों में मच्छरदानी थी। 120 बच्चों (66.6 प्रतिशत) बच्चों ने बताया कि सीसीआई में एक चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध था और 56 बच्चों (31.1 प्रतिशत) ने सीसीआई में एक डॉक्टर की अनुपलब्धता की सूचना दी और कहा कि डॉक्टर आपातकालीन स्थिति में साप्ताहिक (25 प्रतिशत) आते हैं, (21.3 प्रतिशत) और 23 बच्चों (13.8 प्रतिशत) ने सीसीआई में डॉक्टर की दैनिक यात्रा की सूचना दी। बीमारी के बारे में 57 बच्चों (31.6 प्रतिशत) ने बताया कि वे पिछले छह महीनों में कभी बीमार नहीं पड़े और 33 बच्चों (18 प्रतिशत) ने बताया कि वे पिछले महीने में बीमार पड़ गए थे, जिनमें खांसी-जुकाम था और 48 प्रतिशत का इलाज सीसीआई के डॉक्टर से हुआ। 49.4 प्रतिशत ने सरकारी अस्पताल से और कुछ मामलों में निजी अस्पताल से इलाज कराया जहां सीसीआई के अधिकारियों ने भुगतान किया। सीसीआई में लड़कियों के संबंध में, वे मासिक धर्म के बारे में बात करने में संकोच कर रही थीं, लेकिन लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए गए थे। अस्सी प्रतिशत बच्चे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से संतुष्ट थे जबकि 19.5 प्रतिशत बच्चों को लगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं।

जेजे रूल्स, 2016 के नियम 33 में हर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन द्वारा न्यूट्रिशन एंड डाइट स्केल का पालन किया जाता है। पोषण के संबंध में, सभी सीसीआई में रसोई स्थापित की गई थी और पर्याप्त वेंटिलेशन सुविधा के साथ ईंधन के रूप में एलपीजी गैस का उपयोग किया गया था। सभी सीसीआई में एक निश्चित मेनू था। बच्चों को एक दिन में चार भोजन उपलब्ध कराए जा रहे थे। 76 फीसदी बच्चों ने हर दिन फल होने की सूचना दी। सलाद इंटेक कम था क्योंकि 8.3 प्रतिशत बच्चों ने दैनिक आधार पर सलाद होने की सूचना दी थी। 60 प्रतिशत बच्चों में मीट और पोल्ट्री आइटम का सेवन सप्ताह में दो बार होना बताया गया।

बच्चों में कम वजन और मोटापा देखा जाता है। 18 फीसदी बच्चों

ने कभी-कभी अपना नाश्ता बंद करने की सूचना दी। 48 प्रतिशत बच्चों ने संकेत दिया कि सीसीआई के अधिकारियों ने दिन के किसी भी भोजन की योजना बनाने से पहले अपनी भोजन वरीयताओं को शामिल किया और बाकी बच्चों ने भी इससे इनकार किया। मोटे अनाजों का सेवन कम था। 52 प्रतिशत बच्चों ने दालों के दैनिक सेवन की सूचना दी। हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन के संबंध में, केवल 48.3 प्रतिशत ने दैनिक सेवन की सूचना दी। बाल देखभाल संस्थान ने पर्याप्त उपचारित और फिल्टर किया हुआ पेयजल प्रदान किया। वर्तमान अध्ययन में सभी सीसीआई में पर्याप्त स्वच्छता उपायों को बनाए रखा गया था, केवल अवलोकन घरों को छोड़कर जिन्हें आगे देखभाल और सुधार की आवश्यकता थी। 13.5 प्रतिशत बच्चों ने धूम्रपान किया, 18.3 प्रतिशत ने शराब और 10.5 प्रतिशत बच्चों ने ज्यादातर अवलोकन घरों में ड्रग्स लेने की सूचना दी थी और उनमें से अधिकांश वर्तमान में रिकवरी स्टेज पर थे।

66 प्रतिशत बच्चों ने भोजन करने से पहले अपने हाथ धोए और 11.3 प्रतिशत बच्चों ने कुछ समय के लिए हाथ धोने का उल्लेख किया। जब बच्चों से सीसीआई में अधिकारियों से प्राप्त उपचार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उपचार बेहतर था, 17.2 प्रतिशत ने बताया कि यह बदतर था और 12 प्रतिशत ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चों ने बताया कि उन्हें गरिमा के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है और वे जो थे उसके लिए सम्मान करते हैं। सीसीआई में कर्मचारियों और अधिकारियों के बुरे व्यवहार की सूचना देने वाले 17 प्रतिशत लोगों में से, जिनके पास महसूस किया गया कि वे अपनी भावनाओं, जरूरतों और आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील हैं।

संस्थागत के संपर्क में आने वाले बच्चों को सामान्य विकास और स्वस्थ मनोवैज्ञानिक विकास के लिए आवश्यक पोषण और उत्तेजक वातावरण का प्रकार प्राप्त करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को अलग-अलग बिस्तर, स्कूल बैग, वर्दी, स्टेशनरी आइटम और मच्छरदानी मिलें। सीसीआई के लिए डॉक्टर की दैनिक यात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दालें और प्रोटीन का सेवन बढ़ाने के साथ मोटे अनाज के सेवन पर जोर दिया जाना चाहिए। बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार के लिए आहार विविधता आवश्यक है। नमक की मात्रा कम करने और नमक चीनी और नमक के उच्च स्वास्थ्य और स्वास्थ्य परिणामों के हानिकारक प्रभावों के संबंध में बच्चों को पोषण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मादक द्रव्यों के सेवन के संबंध में

सामूहिक वकालत अभियान की आवश्यकता है। हर समय व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए दांतों की नियमित ब्रशिंग और हैंडवाशिंग की वकालत की जानी चाहिए।

बच्चों से गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके लिए सम्मान किया जाना चाहिए। बच्चों की भावनात्मक, शैक्षिक और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के संबंध में और आंकड़े आवश्यक हैं। बड़े स्टाफ के टर्नओवर और उनकी देखभालकर्ताओं के साथ खराब गुणवत्ता के कारण बच्चे स्थिर और निरंतर लगाव के संबंधों को विकसित करने के अवसरों से वंचित हैं। बच्चों के सबसे करीबी कर्मचारियों को सावधानीपूर्वक भर्ती किया जाना चाहिए, जांच की जानी चाहिए, बाल अधिकारों में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, दयालुता और करुणा, धैर्य और सावधानी। मनोसामाजिक पहलुओं के संबंध में कर्मचारियों का प्रशिक्षण ताकि वे बच्चों के प्रति संवेदनशील हों, समय की आवश्यकता है।

## 18.अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (ब्रिज पाठ्यक्रम शिक्षक, बाहरी कार्यकर्ता, तथा सामुदायिक स्वयंसेवी) के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका

मैनुअल उन विषयों पर केंद्रित है जो प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फायदेमंद हैं ताकि क्षेत्र में लागू ज्ञान को लागू किया जा सके। जिन विषयों को मैनुअल में शामिल किया गया है, उनमें बाल अधिकारों की अवधारणा, बच्चों से संबंधित मुद्दे, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए नीतियां और कार्यक्रम शामिल हैं, बच्चों को बचाने की प्रक्रिया जो आउटरीच वर्कर्स के लिए जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और मॉडल नियमों के तहत बाल अधिकारों और प्रावधानों के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान में वृद्धि; बाल संरक्षण सेवा योजना और इसकी सेवा वितरण संरचना के बारे में प्रतिभागियों को बढ़ाना; बाल संरक्षण में संसाधन मानचित्रण अभ्यास के बारे में उन्मुख करना; बाल संरक्षण में आईईसी और वकालत के महत्व पर चर्चा करना; बाल संरक्षण के संदर्भ में समुदाय में एक प्रभावी सर्वेक्षण करने की अवधारणा की व्याख्या करना; और प्रतिभागियों को उनकी नौकरी की जिम्मेदारियों और बाल संरक्षण सेवा योजना के बारे में जागरूक करें। मैनुअल सीखने की प्रक्रिया में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए भागीदारी और इंटरैक्टिव अभ्यासों के व्यापक उपयोग पर जोर देता है।

## 19. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का अद्यतन

संस्थान ने कानून और प्रक्रिया संबंधी नियमों को ध्वस्त करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 पर और सामाजिक प्रबंधन और परिवार और सामुदायिक स्तर पर घरेलू हिंसा पर नियंत्रण के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न विकसित किए हैं। एफएक्यू घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के मामलों से संबंधित अदालतों के नवीनतम निर्णयों के आधार पर तैयार किए गए थे। सामग्री विशिष्ट इनपुट के माध्यम से राज्य मशीनरी, गैर सरकारी संगठनों और घरेलू हिंसा के शिकार लोगों के ज्ञान के निर्माण में मदद करेगी। एफएक्यू उन सभी के लिए अत्यधिक उपयोग होगा जो घरेलू हिंसा को कम करने / समाप्त करने / मुकाबला करने की दिशा में काम करते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित आंगनवाड़ी सेवा योजना के अधिकारियों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ सामग्री के रूप में कार्य करेंगे, जो घरेलू हिंसा की कई घटनाओं से ग्रस्त हैं और घरेलू हिंसा के पीड़ितों की मदद के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सकारात्मक रचनात्मक भूमिका निभाने की उम्मीद है।

### चल रहे अनुसंधान / प्रलेखन

निम्नलिखित चल रहे शोध / प्रलेखन अध्ययन हैं:

- बालिकाओं की रक्षा और सुरक्षा पर कार्यशालाएं
- आपदा प्रबंधन के लिए लैंगिक समावेशी दृष्टिकोण: गाइडबुक
- विभिन्न स्थानों पर महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा पर परामर्श बैठक
- दिल्ली महानगर में महिला घरेलू कामगारों की स्थिति
- हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों में बीबीबीपी योजना का मूल्यांकन: एक खोज
- स्वास्थ्य, पोषण, बाल और महिला विकास, मनोविज्ञान और समाज कल्याण के क्षेत्र में खोज इंजन/ऑनलाइन ई-लर्निंग पोर्टल/डिजिटल लाइब्रेरी/संगठन/संसाधन व्यक्ति का डेटाबेस
- टीकाकरण, शहरी सेटिंग्स में आंगनवाड़ी केंद्रों में भाग लेने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता के बीच टीकाकरण के प्रति दृष्टिकोण
- गर्भावस्था, स्तनपान और आईवाईसीएफ के दौरान देखभाल पर मोबाइल एप्लिकेशन का विकास
- आईसीडीएस पर अनुसंधान सार: 2009–2018 का अवलोकन
- पोषण पर ऑनलाइन बेसिक कोर्स
- आंगनवाड़ी की दैनिक गतिविधियों को करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल किट फ़ोल्डर का विकास
- बचपन की देखभाल और शिक्षा पर अभिभावक जागरूकता (ईसीसीई)
- महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की मांग पर एक तुलनात्मक अध्ययन
- आंगनवाड़ी सेवा योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण का अध्ययन
- भारत के बच्चों पर सांख्यिकी: हैंड बुक 2020
- हरियाणा में किशोर लड़कियों और लड़कों के लिए जीवन कौशल हस्तक्षेप पर प्रलेखन अध्ययन
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया बाल संरक्षण सेवा योजना में अच्छा आचरण – संकलन
- उत्तरी क्षेत्र में बच्चों के लिए गैर-संस्थागत सेवाओं की स्थिति पर अध्ययन
- बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के बारे में गैर-सरकारी संगठनों के बीच जागरूकता के विस्तार पर अध्ययन
- विशिष्ट दत्तक एजेंसियों (एसएए) के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मैनुअल
- निदेशकों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल/विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) के प्रभारी
- सीसीआई में बाल देखभाल संस्थानों की भूमिका और बच्चों के पुनर्वास पर एनएचआरसी का अध्ययन

23. प्रशिक्षण संगठनों के मुख्य कार्यकारियों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल में जेजे अधिनियम के तहत रनिंग चाइल्ड केयर संस्थानों के लिए पंजीकरण किया।
24. ई-आरकाइव डीसीडब्लूसी में दस्तावेजों के डिजिटलीकरण हेतु
25. जेजे एक्ट के तहत संरचनाओं के कामकाज पर सामाजिक ऑडिट
26. बाल अधिकारों और बाल संरक्षण पर एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा डिजाइनिंग पर परियोजना
27. पूर्वोत्तर भारत में "कार्यशील महिला छात्रावासों की योजना" के तहत कामकाजी महिला छात्रावासों का अध्ययन।
28. चिल्ड्रन होम फातिल अंबारी को सपोर्ट करने के लिए एक्शन प्रोजेक्ट
29. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बीबीबीपी योजना के कार्यान्वयन पर अध्ययन
30. भारत के पूर्वी क्षेत्र में परिवार परामर्श केंद्र का अध्ययन
31. पूर्वोत्तर भारत में वन स्टॉप सेंटर्स के कामकाज का गहराई से अध्ययन
32. मध्य प्रदेश में बाल कुपोषण को कम करने के लिए पोषण पुनर्वास केंद्रों का प्रभाव
33. बाल मानसिक स्वास्थ्य: स्कूल शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक पुस्तिका
34. दक्षिण भारत की तस्करी वाली महिलाओं का समर्थन और पुनर्वास
35. मप्र राज्य की आंगनवाड़ी सेवा योजना में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बाल स्वच्छता मिशन का कार्यान्वयन: प्रलेखन
36. मध्य प्रदेश राज्य में संवैधानिक नीतियों, अधिनियमों और कार्यक्रम का कार्यान्वयन: प्रभाव अध्ययन
37. पश्चिमी क्षेत्र के बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के पोषण और स्वच्छता अभ्यास पर एक खोजपूर्ण अध्ययन
38. उत्तर प्रदेश और बिहार में स्वाधार योजना की स्थिति का मूल्यांकन
39. दक्षिण भारत के कैस और गैर-कैस राज्यों के ग्रामीण और जनजातीय पूर्वस्कूली बच्चों में स्टंटिंग और बर्बादी के निर्धारक और प्रसार
40. बेंगलुरु, कर्नाटक में सरकारी कार्यालयों में कार्य स्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का कार्यान्वयन
41. दक्षिणी राज्यों के संसाधन निर्देशिका की आवश्यकता और देखभाल के संरक्षण में बच्चों के लिए कानून के साथ संघर्ष में बच्चे
42. दक्षिणी राज्यों की आंगनवाड़ी सेवा योजना (एएसएस) से संबंधित कार्यालय के आदेशों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों का संकलन।
43. पश्चिम बंगाल के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण
44. कर्नाटक के जेनुकुरुबा जनजातियों में कुपोषण की व्यापकता और निर्धारक
45. दक्षिणी क्षेत्र में सीडब्लूसी के कामकाज पर अध्ययन।
46. दक्षिणी भारत के लिंग क्रिटिकल जिलों में बीबीबीपी योजना के कार्यान्वयन पर अध्ययन
47. बाल अधिकारों और कर्नाटक के संरक्षण में हितधारकों की सफलता की कहानियों पर प्रलेखन
48. दक्षिणी राज्यों के आईसीडीएस समारोह के समय और गति और निगरानी तंत्र की समीक्षा – अध्ययन
49. भारत के दक्षिणी राज्यों में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बच्चों के लिए खुले आश्रयों का मूल्यांकन
50. निपटान प्रक्रिया में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों (सामाजिक कार्यकर्ताओं) द्वारा हस्तक्षेप
51. प्रधानमंत्री माता वंदना योजना एक त्वरित मूल्यांकन
52. उत्तरी क्षेत्र में वन स्टॉप सेंटर योजना की स्थिति पर अध्ययन
53. उत्तरी भारत में स्कूल जाने वाले किशोरों में मादक द्रव्यों के सेवन पर एक अध्ययन: व्यापकता और संभावित योगदान कारक

54. पंजाब के चयनित जिलों में बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में सुधार के लिए सरकार और सिविल सोसायटी द्वारा हस्तक्षेप पर केस स्टडीज
55. दक्षिणी राज्यों में स्वाधार योजना की स्थिति पर समीक्षा।
56. ईसीईसी पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय अध्ययन

### अन्य चालू परियोजनाएँ

#### गुवाहाटी चाइल्डलाइन

गुवाहाटी चाइल्डलाइन ने अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक कुल 198 मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसमें मेडिकल, आश्रय, बहाली, बाल शोषण, लापता और अन्य चाइल्डलाइन द्वारा संदर्भित मामले शामिल थे। कुल कॉल 373 और 106 जागरूकता बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान तीन निदेशकों की बैठक और एक समन्वयक और टीम की बैठक आयोजित की गई।

अन्य गतिविधियाँ 14 अप्रैल, 2019 को आयोजित एक विशेष जागरूकता थी, जो उलुबरी, लतासिल, चंदमारी, नूनमाटी और भरलुमुख के बिहुपंडेल्स में आयोजित की गई थी।

### फील्ड प्रदर्शन सेवाएँ

#### बाल निर्देशन केंद्र

बाल देखभाल केंद्र (सीसीसी) का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है। यह बच्चे के समग्र, अर्थात्, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और भाषा के विकास के लिए एक उत्तेजक वातावरण प्रदान करने के लिए खेल-कूद और गतिविधि दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। ईसीई कार्यक्रम की योजना बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सीसीसी में बाल-केन्द्रित कार्यक्रम व्यक्तिगत और समूह गतिविधियों, मुफ्त खेल और निर्देशित गतिविधियों, सक्रिय खेल, इनडोर और आउटडोर गतिविधियों और विकास के सभी पहलुओं को बढ़ावा देने के बीच संतुलन को दर्शाते हैं।

चाइल्ड केयर सेंटर ने 30 बच्चों को शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2019-मार्च 2020 के लिए निकटवर्ती इलाके से दाखिला दिया। केंद्र हर दिन तीन घंटे 9:30 से 12:30 बजे तक चलाया जाता है

इस वर्ष के दौरान, केंद्र ने रक्षा बंधन, जन्माष्टमी, होली, दिवाली,

क्रिसमस, ईद, सार्वभौमिक बाल दिवस, खेल दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और सीसीसी में शामिल होने वाले बच्चों के जन्मदिन जैसे त्योहार मनाए।

सीसीसी में विभिन्न विषयों पर वर्ष के दौरान विभिन्न अभिभावक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था, जैसे 'प्रीस्कूलर्स के लिए सीखने के तरीके का महत्व'; 'प्रीस्कूलर्स के लिए पौष्टिक व्यंजन'। सीसीसी में 'होम स्टिमुलेशन' आयोजित किया गया और स्कूल की तत्परता।

वर्ष के दौरान वहां पर एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग के छात्रों को भी एक सप्ताह के लिए सीसीसी में रखा गया ताकि गतिविधियों का अवलोकन किया जा सके और उनके केस स्टडीज को लिखा जा सके।

### बाल निर्देशन केंद्र

#### बच्चों और परिवारों के भावनात्मक कल्याण को बहाल करना और उन्हें मजबूत बनाना

तीन दशकों से, संस्थान बच्चों और परिवारों की भावनात्मक भलाई को बहाल करने के मिशन के साथ गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करना जारी रखता है। निपसिड में देश के प्रमुख क्षेत्रों में पाँच बाल मार्गदर्शन केंद्र हैं जो अपने क्षेत्रीय केंद्रों और मुख्यालयों के माध्यम से कार्य करते हैं। सभी पांच केंद्र व्यापक नैदानिक मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करते हैं। ये मूल्यांकन एवं परामर्श सेवाएं—बाल विकास व्यावसायिकों, बाल परामर्शदाताओं, मनोविज्ञानियों, व्यावसायिक चिकित्सकों तथा वाक चिकित्सकों—द्वारा प्रदान की जाती हैं। यहां पर ऐसे बच्चों की विशिष्ट जांच एवं निदान प्रदान किया जाता है, जिनमें सीखने, व्यवहार, ध्यान, तथा विकास सम्बन्धित कठिनाईयों होने का संदेह, जोखिम अथवा लक्षण होता है।

बाल निर्देशन केंद्र ने वर्ष 2015 में सेवाओं का प्रमाणन हासिल किया था, जिसका पुनः नवीनीकरण करवाया गया था, और इसे 9001-2015 के एक उच्चतर संस्करण पर अद्यतित किया गया था। अब यह तीन और वर्ष की अवधि अर्थात् जनवरी 2022 तक के लिए मान्य है। यह प्रमाणता इस तथ्य का साक्ष्य है कि बाल निर्देशन केंद्र में बच्चों (12 वर्ष तक की आयु के) की संज्ञानात्मक क्षमताओं, सामाजिक अनुकूलन, व्यवहारों, कौशलों, प्रतिभाओं, रुचियों और शैक्षणिक लर्निंग, व्यक्तित्व अभिलक्षणों की व्यापक

अभिव्यक्ति और मूल्यांकन के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। प्रदान की जाती हैं, और बच्चों और उनके परिवारों के भावनात्मक कल्याण को मजबूत और मजबूत बनाने में सशक्त किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाणन द्वारा जारी किया गया है।

## बाल केंद्रित एवं परिवार केंद्रित सेवाएँ

बाल मार्गदर्शन केंद्र की प्रथाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि बच्चे सुरक्षित महसूस करें और मूल्यांकन में स्वेच्छा से भाग लें। माता-पिता को मूल्यांकन में साथ लिया जाता है क्योंकि वे बच्चे की खोज में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। वर्ष के दौरान 701 नए बच्चे मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों में मूल्यांकन के लिए पंजीकृत किए गए थे। इनके अलावा, केंद्र में विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए अनुवर्ती सेवाएं भी जारी रखी गईं। सेवाओं की पेशकश एक मामूली शुल्क पर गुणवत्ता गहन है जो परिवारों को प्रतीक्षा अवधि के बावजूद कतार में रहना जारी रखती है।

चूंकि केंद्र का प्राथमिक जनादेश नैदानिक सेवाएं प्रदान करना है, इसलिए लगभग 84% अस्सी चार प्रतिशत (84%) नैदानिक समय समर्पित है मूल्यांकन के लिए और के बारे में सोलह प्रतिशत (16%) विभिन्न के लिए। बाल मार्गदर्शन केंद्र में आने वाले बच्चों में से लगभग अस्सी प्रतिशत (80%) को एक या शर्तों के कारण सीखने की समस्या थी। वर्तमान वर्ष में, बच्चों के तीस प्रतिशत (33%) को उनकी शैक्षणिक कठिनाइयों के लिए प्राथमिक कारण के रूप में विशिष्ट अधिगम अक्षमता का निदान किया गया था। जबकि, एक और 4% में या तो सुस्त और बुद्धिमत्ता के कारण या महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक नुकसान के कारण स्कोलास्टिक पिछड़ापन था जो शैक्षणिक कौशल हासिल करने के लिए बच्चे के लिए मुश्किल बना रहा था। एक और दस प्रतिशत (10%) के पास सीमावर्ती खुफिया जानकारी थी जो शैक्षणिक सीखने की संभावनाओं को प्रतिबंधित करती थी। केवल एक प्रतिशत के पास शैक्षणिक कठिनाइयाँ थीं जो वास्तव में बौद्धिक दिव्यांगता जैसे संज्ञानात्मक क्षमताओं में निहित सीमाओं के कारण थीं। केंद्र में मूल्यांकन किए गए अन्य हार्ड कोर विकारों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों में तेईस प्रतिशत (23%) शामिल थे। सीजीसी में एडीएचडी, भाषण और भाषा विकारों और व्यवहार की समस्याओं सहित अन्य विकारों के बीच बच्चों के बारह प्रतिशत (12%) का विकास में देरी के साथ निदान किया गया था। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि व्यवहार की

समस्याएं माता-पिता द्वारा उठाए गए शैक्षणिक चिंताओं के अनुपात में अगली थीं, लेकिन बड़े पैमाने पर अन्य विकास संबंधी विकारों के लिए या सह-रुग्णता का परिणाम थीं।

सभी हस्तक्षेपों का फोकस परिवार को समाई देना है ताकि वे बच्चे को उसकी उम्र और विकास संबंधी प्रोफाइल के लाभ में समझ सकें। परिवारों को मनो-शिक्षा और सहायक भावनात्मक परामर्श के माध्यम से सशक्त किया जाता है।

## सीजीसी की सेवाओं की जनक प्रतिक्रिया

आईएसओ प्रमाणन के परिणामस्वरूप केंद्र को उन क्षेत्रों की निगरानी के लिए सेवाओं की मूल प्रतिक्रिया प्राप्त करना अनिवार्य है जहां सुधार करने की आवश्यकता है। माता-पिता के नब्बे से अधिक प्रतिशत (94%) ने केंद्र की सेवाओं को उत्कृष्ट के रूप में दर्जा दिया। वे केंद्र में उपलब्ध समग्र सुविधाओं से संतुष्ट थे। पेशेवरों को संवेदनशील और परिवारों की जरूरतों और चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना पाया गया। उन्होंने नैदानिक और मूल्यांकन सेवाओं को व्यापक और प्रामाणिक पाया। अधिकांश माता-पिता ने महसूस किया कि उन्हें बच्चे की कठिनाइयों के प्रबंधन के लिए उचित मार्गदर्शन और व्यावहारिक कदम दिए गए हैं।

## परास्नातक / अनुसंधान विद्यार्थियों के लिए इंटरनशिप एवं एक्सपोजर विजिट

इच्छुक एवं रुचि रखने वाले परास्नातक/अनुसंधान विद्यार्थियों को महिला एवं बाल विकास योजनाओं तथ कार्यक्रमों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की समग्र प्रक्रिया से परिचित बनाने के लिए संस्थान – बाल विकास, महिला विकास, आईसीडीएस प्रशिक्षण, स्वैच्छिक कार्य तथा परामर्श के क्षेत्रों में – विद्यार्थियों को प्रायोगिक अनुभव (एक्सपोजर) प्रदान करता है। इंटर्न्स को अपर/संयुक्त निदेशक के प्रभार वाले किसी विशेषज्ञ अनुभाग जैसे कि बाल विकास, महिला विकास, प्रशिक्षण, जन सहयोग, तथा बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, इन्दौर एवं मोहाली में स्थित निपसिड क्षेत्रीय केन्द्रों के प्रभारी क्षेत्रीय निदेशकों के साथ सहबद्ध किया जाता है। इस वर्ष भी विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में 112 परास्नातक/अनुसंधान विद्यार्थियों को निपसिड में महिला एवं बाल विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रायोगिक अनुभव (एक्सपोजर) दिया गया।

## सीजीसी में छात्रों के लिए प्लेसमेंट और इंटरनशिप सुविधाएं

सीजीसी पूरे शैक्षणिक वर्ष में एडवांस्ड डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग के छात्रों को क्लिनिकल एक्सपोजर प्रदान कर रहा है। एडब्लूसीजीसी के तीन छात्रों ने केंद्र में मूल्यांकन और हस्तक्षेप के नैदानिक कौशल को सम्मानित करने के लिए दो महीने की अवधि के लिए पाठ्यक्रम के अंत में इंटरनशिप का पीछा किया। प्लेसमेंट ने यह सुनिश्चित किया कि छात्र विकासात्मक और बचपन के विकारों वाले बच्चों के साथ काम करने के नैदानिक प्रोटोकॉल से लैस है। इसके अलावा, सीजीसी को विश्वविद्यालयों द्वारा अपने छात्रों को पहले हाथ के नैदानिक अनुभव प्राप्त करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई। इस वर्ष के दौरान बनस्थली विद्यापीठ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल डिग्री कॉलेज तेलंगाना, होली फैमिली नर्सिंग कॉलेज से एम. एस. नर्सिंग जैसे विश्वविद्यालयों से मनोविज्ञान के 56 छात्रों को प्लेसमेंट के अवसर दिए गए।

सीसीआई से बच्चों के लिए वार्षिक कार्यक्रम "हौसला" के दौरान (18–21 दिसंबर 2019)। सीजीसी ने बच्चों के लिए एक अलग काउंसलिंग सेल स्थापित किया, जिसमें वे आ सकते थे और उनके विषय में बात कर सकते थे। हौसला-2019 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल थीं

1. परामर्श केंद्र
2. सीसीआई के बच्चों के लिए जीवन कौशल कार्यशाला।
3. डिजिटल साक्षरता कार्यशाला
4. बच्चों का एप्टीट्यूड परीक्षण

केंद्र ने पोस्टर के माध्यम से हर बच्चे के भावनात्मक कल्याण का कारण बनने की भी वकालत की।

## किशोर मार्गदर्शन सेवा केंद्र (एजीएससी)

किशोरियों के सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से किशोर मार्गदर्शन सेवा केंद्र काम करता है। इसका उद्देश्य परामर्श और सहायक हस्तक्षेप के माध्यम से युवाओं के स्वस्थ मनोसामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। केंद्र द्वारा 12–19 वर्ष की आयु के युवाओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नैदानिक सेवाओं में व्यापक नैदानिक आकलन, कैरियर मूल्यांकन और मार्गदर्शन और परामर्श और संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के रूप में सहायक कार्य शामिल हैं। काम नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं की एक टीम द्वारा किया जाता है।

अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 की अवधि के दौरान; 147 किशोरों को पंजीकृत किया गया था और परामर्श की कुल संख्या एक हजार पांच सौ तेरह (1513) थी।

केंद्र ने वर्ष के माध्यम से मूल्यांकन और हस्तक्षेप कार्य किया। व्यापक नैदानिक मूल्यांकन के लिए किशोरों की संख्या केंद्र में आई। नैदानिक मूल्यांकन के अलावा, कुछ किशोरों ने एक अलग कैरियर मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से कैरियर मार्गदर्शन भी मांगा और विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ अतिरिक्त भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान, केंद्र में रिपोर्ट किए गए विकारों के वितरण में विशिष्ट सीखने की अक्षमता (70%) के कारण शैक्षणिक कठिनाइयां शामिल थीं। एक और 15% किशोरों को शैक्षिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जो कि स्कोलारस्टिक पिछड़ेपन के कारण थे। बॉर्डरलाइन बौद्धिक फंक्शनिंग (8%) को प्रकट करने के लिए किशोरों के एक छोटे प्रतिशत का भी निदान किया गया था। केंद्र में रिपोर्ट किए गए अन्य विकारों में बौद्धिक दिव्यांगता के कारण एडीएचडी या संज्ञानात्मक सीमाएं शामिल हैं। केवल एक बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति का पता चला था।

*અધ્યાય*

**4**

*પ્રલેખન ઇવં પ્રકાશન*



## प्रलेखन एवं प्रकाशन

निपसिड में महिला एवं बाल प्रलेखन केन्द्र (डीसीडब्ल्यूसी) है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। यह महिला एवं बाल प्रलेखन केन्द्र एक विशेषीकृत सूचना केन्द्र है, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित मुद्दों का एक सम्पूर्ण पुस्तकालय है, जो संस्थान के संकाय, स्टाफ तथा संस्थान द्वारा संचालित बाल निर्देशन एवं परामर्श में उच्च डिप्लोमा (जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय, दिल्ली से सम्बद्ध तथा आरसीआई द्वारा प्रमाणित) के विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं अनुसंधान सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करता है। एक ही समय पर विभिन्न छात्र और बाहरी शिक्षाविद डीसीडब्ल्यूसी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह केन्द्र महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित सूचना का एक भंडारगृह है, इसमें रिपोर्टें, पत्र-पत्रिकाओं, शोध लेखों, मार्गदर्शी सिद्धांतों आदि के नियमित संस्करण रखे गए हैं, जो कि महिला एवं बाल प्रलेखन केन्द्र से सूचना प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं संगठनों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए अत्यधिक लाभदायक है।

डीसीडब्ल्यूसी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क (डेलनेट) का सदस्य है तथा अन्तः पुस्तकालय ऋण पर पुस्तकें उधार लेने के लिए अन्य पुस्तकालयों के संसाधनों का प्रयोग भी कर सकता है। यह भारत में एक प्रमुख संसाधन साझा करने वाला पुस्तकालय नेटवर्क है, जिसमें 33 राज्यों एवं 8 दूसरे देशों के 6700 से अधिक पुस्तकालय जुड़े हुए हैं। प्रति वर्ष औसतन 20 पीएचडी शोध छात्र अपने शोध कार्य के लिए डेलनेट का प्रयोग करते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा बाल निर्देशन एवं परामर्श में उच्च डिप्लोमा के छात्र डेलनेट सुविधा का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान सूचना के प्रसार एवं प्रलेखन के क्षेत्र में डीसीडब्ल्यूसी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईं।

### 1. सूचना का एकत्रीकरण, प्रलेखन एवं प्रसार

वर्ष 2019-20 के दौरान, डीसीडब्ल्यूसी ने लगभग 24,000 पुस्तकें एकत्रित कीं, जिन्हें प्रत्येक वर्ष नवीनतम पुस्तकों के साथ अद्यतित किया जा रहा है, पुस्तकालय में 16 विदेशी जर्नल, 51 भारतीय जर्नल, 21 पत्रिकाएं तथा 19 समाचारपत्र (10 अंग्रेजी में तथा 9 हिन्दी में) मंगवाए गए। प्रलेखन केन्द्र ने 'डीसीडब्ल्यूसी की नियमित गतिविधि' नामक परियोजना के अन्तर्गत

निम्नलिखित प्रकाशन मासिक/त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किए।

#### i. डीसीडब्ल्यूसी अनुसंधान बुलेटिन (त्रैमासिक प्रकाशन)

इस परियोजना के अन्तर्गत प्रलेखन केन्द्र महत्वपूर्ण अनुसंधान अध्ययनों को एकत्रित एवं प्रलेखित करता है, तथा उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए ग्रंथसूची विवरण सहित इन अनुसंधान अध्ययनों का संक्षिप्त सारांश तैयार करता है। ये सार इन तीन मुख्य विषय क्षेत्रों के अन्तर्गत व्यवस्थित किए गए: क) बाल विकास पर अनुसंधान के सार; ख) बाल संरक्षण पर अनुसंधान के सार, तथा ग) महिला एवं जेन्डर सम्बन्धी मुद्दों पर अनुसंधान के सार।

पाठकों के बीच में व्यापक प्रसार हेतु प्रकाशन के सभी अंकों को निपसिड वेबसाइट <[www.nipccd.nic.in](http://www.nipccd.nic.in)> पर महिला एवं बाल प्रलेखन केन्द्र के लिए निर्धारित स्लॉट के अन्तर्गत अपलोड किया गया। ये अनुसंधान सार संकाय सदस्यों को अनुसंधान के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास के बारे में जानकारी देने में सहायता करते हैं। यह अनुसंधान बुलेटिन बाल निर्देशन में उच्च डिप्लोमा के विद्यार्थियों के बीच में परिचालित भी किया जाता है, ताकि उन्हें बाल विकास एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र की नवीनतम जानकारी मिलती रहे।

क. **डीसीडब्ल्यूसी समाचार विलप:** यह मासिक प्रकाशन देश के विभिन्न क्षेत्रों के 19 समाचार पत्रों (हिंदी के 9 समाचारपत्रों समेत) की कतरनों का संकलन है, जिसमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों को शामिल किया जाता है, और जिन्हें मुख्य शीर्षों और उप-शीर्षों के अन्तर्गत विषयवार स्कैन और व्यवस्थित किया जाता है। दैनिक समाचार स्कैन किए जाते हैं और सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित किए जाते हैं।

ख. **डीसीडब्ल्यूसी न्यू एडिशनस सर्विस:** यह त्रैमासिक प्रकाशन एक विषयवार वर्गीकृत प्रकाशन है जिसमें पुस्तकालय द्वारा खरीदी गई पुस्तकों और प्रलेखन केन्द्र द्वारा प्राप्त किए गए अप्रकाशित दस्तावेजों का ग्रंथ सूची सम्बन्धी रिकॉर्ड शामिल हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नवीनतम प्रलेखों समेत रिपोर्ट्स को निपसिड संकाय के साथ साझा किया जाता है, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र की नवीनतम घटनाओं की जानकारी रहे।

## 2. डेटाबेस

क. **दस्तावेजों का डेटाबेस:** इसमें लिबसिस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा प्रलेखों के कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस में सभी नए प्रलेखों को दर्ज किया गया है। यह सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ताओं को जानकारी आसानी से प्राप्त करने और कीवर्ड का प्रयोग करके कम्प्यूटरीकृत सूची प्राप्त करने की सुविधाएं देता है।

ख. **संगठनों का डेटाबेस:** इस डेटाबेस में सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, गृह विज्ञान महाविद्यालयों, समाजकार्य विद्यालयों/विभागों, मेडिकल कॉलेजों, स्वैच्छिक संगठनों, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि के बारे में एकत्रित और अद्यतन की गई सूचना शामिल है। इसे नियमित रूप से अद्यतित किया जाता है।

## 3. करेन्ट अवेयरनेस सर्विस (जर्नलों का नियमित पाठ्यक अपडेट) तथा इन्टरनेट से नए दस्तावेज

क. डीसीडब्ल्यूसी ने जर्नलों के अद्यतित अंकों के मुख पृष्ठ और सारांश भी स्कैन किए तथा मुख्यालय और क्षेत्रीय केन्द्रों में उपयोगकर्ताओं को ईमेल से भेजे। इसे चालू पखवाड़े के दौरान निपसिड पुस्तकालय द्वारा मंगवाए गए जर्नलों के अंकों के सारांश पाठकों में जागरूकता लाने के लिए भेजे गए।

ख. डीसीडब्ल्यूसी ने अद्यतन दस्तावेज/रिपोर्ट/महत्वपूर्ण परिपत्र पीडीएफ फॉरमेट में इन्टरनेट से डाउनलोड किए और निपसिड संकाय को ईमेल से भेजे।

## 4. पुस्तकालय एवं डीसीडब्ल्यूसी में विशेष प्रयास

क. निपसिड के संकाय के लिए समय-समय पर पुस्तकालय में पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया ताकि पुस्तकालय में संकाय की रुचि बनी रही।

ख. बाल निर्देशन एवं परामर्श में उच्च डिप्लोमा के छात्रों को भी पुस्तकालय तथा उनके विषयों से सम्बद्ध पुस्तकों की जानकारी दी गई और सुलभ संदर्भ के लिए पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया।

## 5. संस्थान का ई-आरकाइव पोर्टल

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला

एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक ई-आर्काइव पोर्टल स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो एक सम्पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय तथा संसाधन केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करे, जहां पर अधिकृत उपयोगकर्ता प्रलेखों, रिपोर्ट्स आदि को संग्रहित, उपयोग एवं वितरण कर सकें। निपसिड द्वारा ई-आरकाइव पोर्टल तैयार कर लिया गया था, और इस पोर्टल <[www.nipccd-earchive.wcd.nic.in](http://www.nipccd-earchive.wcd.nic.in)> लॉग ऑन करके आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस ई-आरकाइव पोर्टल पर कुल 2000 दस्तावेज अपलोड किए गए हैं। ई-आरकाइव पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं:

- संसाधन सामग्री को स्वास्थ्य, पोषण, बाल विकास, बाल संरक्षण एवं कल्याण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वच्छता एवं सफाई, पंचायतीराज, अल्पसंख्यक मामले, अन्य कानून, संसदीय प्रश्न एवं अन्य विषयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसमें कीवर्ड खोज की सुविधा है, तथा उन्नत खोज का विकल्प भी है।

इसमें सामग्रियों का आसान वर्गीकरण किया गया है, ताकि सामग्रियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल, पंच वर्षीय योजना, अनुसंधान, कार्यशालाओं / संगोष्ठियों की रिपोर्ट, आईईसी सामग्रियों आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन सभी के साथ ही साथ आसानी से खोजने की सुविधा भी प्रदान की गई है, ताकि उपयोगकर्ता अपने लिए सुसंगत सामग्री को कम से कम समय में खोज सकें। इस ई-आरकाइव पोर्टल को निपसिड में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के साथ साझा किया गया है, तथा सूचना तक पहुंचने के लिए प्रतिभागियों को वेबसाइट की विभिन्न सुविधाओं के बारे में अनुशिक्षित भी किया गया है।

## प्रकाशन

संस्थान ने अप्रैल 2019-मार्च 2020 की अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले

1. कार्यक्रम कैलेंडर 2019-20 (अंग्रेजी)
2. कार्यक्रम कैलेंडर 2019-20 (हिन्दी)
3. वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 (अंग्रेजी)
4. वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 (हिन्दी)
5. संस्थान की उपविधियां (द्विभाषी)
6. संस्थान का संविधान (द्विभाषी)
7. आईसीडीएस ग्रोथ मॉनिटरिंग मैनुअल (अंग्रेजी)
8. आईसीडीएस ग्रोथ मॉनिटरिंग मैनुअल (हिन्दी)

9. निपसिड कार्यक्रमों में किशोर न्याय प्रणाली, समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत कार्यकर्ताओं एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिभागियों का डेटाबेस
10. बाल देखभाल संस्थानों के देखभालकर्ताओं (घरेलू पिता एवं घरेलू माताओं) के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका
11. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का समय प्रबन्धन एवं अतिरिक्त कार्य परिनियोजन
12. आईसीडीएस में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी), कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर), तथा स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) का जुड़ाव – पर अध्ययन
13. आसाम एवं नगालैण्ड के बच्चों में अविधिक गतिविधियों के चलन पर एक अध्ययन
14. आरम्भिक बाल्यावस्था गृह उत्प्रेरण गतिविधियां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पुस्तिका
15. जिला बाल संरक्षण इकाईयों के अन्तर्गत विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारियों तथा बाल देखभाल संस्थाओं में परिवीक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका
16. अधिगम एवं व्यवहारात्मक समस्याओं का गहराईपूर्वक विश्लेषण: बाल निर्देशन केन्द्र में रिपोर्ट किए गए मामलों पर अध्ययन
17. उत्तर पूर्वी राज्यों में आईसीडीएस कार्यकर्ताओं हेतु वर्टिकल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभाविता के मूल्यांकन पर एक अध्ययन
18. उत्तर प्रदेश राज्य में आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) दिवस की जागरूकता एवं उपयोगिता पर अध्ययन
19. महाराष्ट्र में बाल देखभाल संस्थाओं में नागरिक समाज साझेदारी पर अध्ययन
20. मध्य प्रदेश राज्य के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर सर्वोत्तम प्रथाएं: – केस अध्ययन
21. असम के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों में स्वच्छता अभ्यासों पर अध्ययन
22. असम एवं त्रिपुरा में आईसीडीएस के अन्तर्गत संपूरक पोषण के प्रदाय का तुलनात्मक विश्लेषण
23. मध्य प्रदेश में बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) की स्थिति एवं कार्यप्रणाली का अन्वेषी अध्ययन
24. भारत के उत्तरी राज्यों में आंगनवाड़ी सेवा योजना में सर्वोत्तम प्रयासों का प्रलेखन
25. दिल्ली में बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) में स्वास्थ्य एवं पोषण मानक की समीक्षा
26. अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (ब्रिज पाठ्यक्रम शिक्षक, पहुंच कार्यकर्ता, तथा सामुदायिक स्वयंसेवी) के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका
27. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का अद्यतन



અધ્યાય

# 5

સંગઠન ઇવં પ્રબંધન



## संगठन एवं प्रबंधन

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के साधारण निकाय तथा कार्यकारी परिषद नामक दो मुख्य संवैधानिक निकाय हैं। साधारण निकाय संस्थान की नीतियां बनाती है जबकि कार्यकारी परिषद संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। कार्यकारी परिषद विशेष कार्यों के निष्पादन के लिए समय-समय पर स्थायी या तदर्थ समितियां गठित कर सकती है। इस समय क्षेत्रीय केन्द्रों के भवन निर्माण के कार्य को देखने के लिए एक तदर्थ भवन समिति बनी हुई है।

### साधारण निकाय और कार्यकारी परिषद की बैठकें

संस्थान की साधारण निकाय की 51वीं सामान्य वार्षिक बैठक 20 मार्च, 2019 को आयोजित की जानी थी। उपरोक्त वर्णित इस बैठक में संस्थान की वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्ष 2019-20 का परिशोधित आकलन तथा वर्ष 2020-21 का बजट आकलन पारित किया जाना था। साधारण निकाय के समक्ष 2019-20 के संस्थान के कार्यक्रमों और गतिविधियों की सामान्य पुनरीक्षा भी प्रस्तुत की जानी थी। परन्तु कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हुए लॉकडाउन (चरण 1) को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त वर्णित बैठक स्थगित करनी पड़ी।

इसी प्रकार संस्थान की कार्यकारी परिषद की 73वीं बैठक ठीक उसी दिन अर्थात् दिनांक 20 मार्च 2020 को आयोजित की जानी थी। बैठक के दौरान, वर्ष 2019-20 के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा की जानी थी तथा परिषद को वर्ष 2018-19 की संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2019-20 के परिशोधित आकलन तथा वर्ष 2020-21 के बजट आकलन को साधारण निकाय द्वारा अनुमोदन हेतु अनुशंसित करना था। हालांकि, कोरोना वायरस फैलने के कारण उपरोक्त वर्णित बैठक को भी लॉकडाउन के आरम्भ हो जाने के कारण स्थगित करना पड़ा।

माननीय मंत्री ने संस्थान की कार्यकारी परिषद, साधारण निकाय एवं अकादमिक अनुभागों के सम्बन्ध में निपसिड की पुनर्संरचना

की इच्छा व्यक्त की है। निपसिड की पुनर्संरचना के संदर्भ में प्रस्ताव की एक प्रति मंत्रालय के पास अग्रेषित की गई है, जिसमें माननीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाने के लिए सूचना संकलित की गई है।

### भारत सरकार से निधियां

भारत सरकार से सहायता अनुदान संस्थान की गतिविधियों के लिए निधियन का मुख्य स्रोत बना रहा। वर्ष 2019-20 के दौरान संस्थान को राजस्व सामान्य, राजस्व वेतन, गैर-एनईआर सामान्य, गैर-एनईआर पूंजीगत, एनईआर सामान्य और एनईआर पूंजीगत के अन्तर्गत रु 55.48 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई, साथ ही वर्ष 2018-19 के रु 2.76 करोड़ की शेष धनराशि को उपयोग करने की अनुमति भी मिली। इन लेखा शीर्षों के अंतर्गत रु 53.73 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई, तथा 31.03.2020 को रु 4.51 करोड़ की अव्ययित शेष धनराशि बची रही। \*ये आंकड़े लेखा परीक्षा के विषयाधीन हैं।

### लेखा और लेखा परीक्षा

संस्थान अपनी उपविधियों की उपविधि-60 के अनुसार अपने लेखाओं को लेखा विधि की प्रोद्गवन प्रणाली से रखता है। वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा मै. वी.एस. टंडन एंड कम्पनी, नई दिल्ली द्वारा की गई। संस्थान के लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र तथा वार्षिक लेखाओं की प्रति इस वार्षिक रिपोर्ट के "लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे 2019-20" के भाग में लगी हुई है।

### कार्मिक मामले

#### वर्ष 2019-20 के दौरान प्रोन्नतियां

| क्र.सं. | जिस पद पर प्रोन्नत किया गया | पदों की संख्या |
|---------|-----------------------------|----------------|
| 1.      | उप निदेशक                   | 4              |
| 2.      | सहायक                       | 3              |
| 3.      | अपर श्रेणी लिपिक            | 5              |
| 4.      | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष      | 1              |

## वर्ष 2019-20 के दौरान नई नियुक्तियां

शून्य

## वर्ष 2019-20 के दौरान एम.ए.सी.पी. का लाभ

वर्ष 2019-20 के दौरान, निम्नलिखित विवरण के अनुसार, समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के स्टाफ सदस्यों को मोड़ीफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) स्कीम के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया:

| क्र.सं. | पदनाम                 | पदों की संख्या |
|---------|-----------------------|----------------|
| 1.      | सहायक निदेशक          | 03             |
| 2.      | सहायक प्रशासन अधिकारी | 01             |
| 3.      | लेखा अधिकारी          | 02             |
| 4.      | आशुलिपिक श्रेणी-I     | 03             |
| 5.      | कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक | 01             |
| 6.      | कम्प्यूटर ऑपरेटर      | 01             |
| 7.      | अ.श्रे.लि.            | 04             |
| 8.      | इंकर फीडर मैन्        | 01             |
| 9.      | रेप्रोग्राफी अटेंडेंट | 01             |
| 10.     | एमटीएस                | 05             |

## वर्ष 2019-20 के दौरान अधिवर्षिता

| क्र.सं. | नाम                  | पदनाम                      |
|---------|----------------------|----------------------------|
| 1.      | श्री डी.के. सैकिया   | क्षेत्रीय निदेशक, गुवाहाटी |
| 2.      | श्रीमती वंदना थापर   | संयुक्त निदेशक             |
| 3.      | श्री भरत कुमार       | क्षेत्रीय निदेशक, मोहाली   |
| 4.      | श्री आनंद कुमार      | सहायक निदेशक               |
| 5.      | श्री डी.के. दूबे     | लेखा अधिकारी               |
| 6.      | श्रीमती विनोद कपूर   | सहायक                      |
| 7.      | श्री डी.के. दुबे     | लेखा अधिकारी               |
| 8.      | श्री संत राम         | अवर श्रेणी लिपिक           |
| 9.      | श्री सुधीर तनेजा     | इंकर फीडर मैन्             |
| 10.     | श्री अरविन्द वशिष्ठ  | डिस्पैच राइडर              |
| 11.     | श्रीमती कांति शर्मा  | अपर श्रेणी लिपिक           |
| 12.     | श्री गोवर्धन प्रसाद  | ऑफसेट मशीन ऑपरेटर          |
| 13.     | श्रीमती सुमन लता     | डेमॉन्सट्रेटर              |
| 14.     | श्री अजीरु रहमान     | एमटीएस                     |
| 15.     | श्री अमीर सिंह       | एमटीएस                     |
| 16.     | श्री कृष्णप्पा       | एमटीएस                     |
| 17.     | श्री द्वारिका प्रसाद | एमटीएस                     |

| क्र.सं. | नाम                  | पदनाम              |
|---------|----------------------|--------------------|
| 18.     | श्रीमती सुमन वधवा    | अपर श्रेणी लिपिक** |
| 19.     | श्री महेन्द्र कुमार  | पेन्टर-सह-पॉलिशर** |
| 20.     | श्री एन.एल. यादव     | स्टाफ कार चालक*    |
| 21.     | श्री डी. नान्जेगौड़ा | चौकीदार**          |

\* स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चुना

\*\* सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो गई

- देश तथा विदेश में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सम्मेलनों/सेमिनारों में संकाय/स्टाफ सदस्यों की प्रतिनियुक्ति संबंधी विवरण

शून्य

- पी.एच.डी. की उपाधि से सम्मानित संकाय सदस्यों के नाम

शून्य

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2019-20 के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सूचना को क्रमशः अनुलग्नक-II तथा III में साझा की गई है।

## राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम 1963 के विभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी उपबंधों की अनुपालना के लिए संस्थान में वर्ष 1980 में हिन्दी अनुभाग की स्थापना की गई। यह अनुभाग मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से संलग्न है। यह अनुभाग प्रशिक्षण सामग्री तथा विभिन्न प्रोफॉर्मों का अनुवाद करके प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम प्रभागों की अपेक्षित मदद करता है और हिन्दी के प्रयोग के लिए समय-समय पर मार्गदर्शन भी करता है। वर्ष के दौरान हिन्दी अनुभाग द्वारा दी गई सेवाओं में वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, पाठ्यक्रमों की रूपरेखा/विभिन्न कार्यक्रमों की विवरणिकाओं का अनुवाद तथा विभिन्न प्रकार की अन्य सामग्री/टिप्पणों/पत्रों का अनुवाद आदि शामिल है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान हिन्दी अनुभाग द्वारा किए गए कार्यों की सूची निम्नलिखित है:

रिपोर्टों/पुस्तकों/पम्पलेट/पुस्तिकाओं तथा पाठ्यक्रम/कार्यक्रम से सम्बन्धित सामग्रियों का अनुवाद

- कार्यक्रम कैलेंडर (2019-20)

2. संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट (2018–2019)
3. वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (2018–19)
4. तुलन पत्र (2018–19)
5. वर्ष 2019–20 के दौरान, जनवरी 2020 तक आयोजित कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षणों
6. संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट (2018–19) की पुनरीक्षा
7. अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रशिक्षकों और कार्यकर्ताओं के लिए वृद्धि मॉनिटरिंग और मातृ शिशु रक्षा कार्ड के उपयोग पर कौशल प्रशिक्षण
8. नव नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों हेतु कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
9. नवजात एवं शिशु तथा छोटे बच्चों के आहार पर वर्टिकल प्रशिक्षण
10. अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा कार्यकर्ताओं के लिए शिशु और छोटे बच्चे के आहार (आईवाईसीएफ) पर प्रशिक्षण
11. शिशु एवं छोटे बच्चे के आहार पर ई-लर्निंग मॉड्यूल
12. मातृ शिशु रक्षा कार्ड भरने का अभ्यास (प्रश्न एवं उत्तर)
13. बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों के लिए कार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (परीक्षा प्रश्न पत्र)
14. बाल देखभाल संस्थान के सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं परामर्शदाताओं के लिए परामर्श तकनीकों पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण
15. ईसीसीई के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट
16. पुलिस सुगमता अधिकारियों एवं चिकित्सा कानून अधिकारियों हेतु वन स्टॉप सेन्टर योजना पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम
17. शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार पर "ऑनलाइन ई लर्निंग प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए समीक्षा सह सम्पर्क कार्यक्रम
18. उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पंजीकरण दृ 2019–20
19. अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवा कार्यकर्ताओं का वार्षिक आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण
20. बाल देखभाल केन्द्र के बच्चों द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अभिभावकीय कार्यशाला
21. संस्थान के छात्रावास एवं कार्यालय हेतु कैटरिंग सेवाओं हेतु निविदा प्रपत्र
22. आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिव्यांगता की शीघ्र पहचान पर मास्टर प्रशिक्षकों हेतु कार्यशाला
23. बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों हेतु बाल संरक्षण पर कार्यशाला
24. अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवा के कार्यकर्ताओं हेतु विकेन्द्रित नियोजन, प्रबन्धन एवं मॉनिटरिंग तंत्र पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
25. अम्ब्रेला आईसीडीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं में गुणवत्ता सुधार के लिए आंगनवाड़ी सेवा कार्यकर्ताओं का वर्टिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम
26. स्वच्छ भारत अभियान के सम्बन्ध में सामग्री
27. अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं में प्रबन्धन सूचना प्रणाली पर सांख्यिकीय सहायकों के लिए अनुशिक्षण पाठ्यक्रम
28. विकास परियोजना अधिकारियों का प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन
29. आईसीडीएस एवं स्वैच्छिक संगठनों के लिए कुपोषण के समुदाय आधारित प्रबन्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
30. ईसीसीई गतिविधियों का आयोजन करने के लिए कम लागत वाली शिक्षण लर्निंग सामग्रियों को तैयार एवं उपयोग करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
31. कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा पर परामर्श बैठक
32. आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों द्वारा गैजेट के उपयोग पर अभिभावकीय कार्यशाला
33. आईसीडीएस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
34. सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु पोषण एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में नेतृत्व विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
35. पंजीकरण प्रपत्र दृ बाल विकास परियोजना अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
36. कोविड-19 के प्रकोप की रोकथाम एवं नियंत्रण में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भूमिका पर एक मॉड्यूल
37. कोविड-19 का मनो-सामाजिक प्रभाव

उपरोक्त अवधि के दौरान हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान द्वारा निम्नलिखित उपाय भी किए गए:

1. वर्ष 1980-81 के दौरान गठित राजभाषा समिति ने इस वर्ष भी हिन्दी से संबंधित कार्य जारी रखा है। रिपोर्टाधीन अवधि में समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की गईं। संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्रों में स्टाफ के सदस्यों के लिए हिन्दी कार्यशाला एवं हिन्दी पखवाड़े इत्यादि का आयोजन करने के अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की गईं।
2. संदर्भाधीन अवधि के दौरान हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं जारी रखी गईं:
  - क) सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना
  - ख) आशुलिपिकों और टाइपिस्टों द्वारा अपना सरकारी काम अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में करने पर प्रोत्साहन भत्ता योजना।
  - ग) हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों हेतु नकद पुरस्कार योजना।
3. 01 से 13 सितंबर, 2019 तक 'हिन्दी पखवाड़े' का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए संस्थान द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह 13 सितम्बर, 2019 को आयोजित किया गया। राजभाषा विभाग की योजनाओं के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करने के अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी नकद पुरस्कार दिए गए।
4. संस्थान में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस अवधि के दौरान हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
5. इस अवधि के दौरान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने दिनांक 5.8.2019 को संस्थान का दौरा किया।
6. इस अवधि के दौरान राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारियों ने दिनांक 14 जनवरी 2020 को संस्थान का दौरा किया और संस्थान में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया।



***लेखा परीक्षा की रिपोर्ट  
और वार्षिक लेखे***



## लेखा परीक्षा रिपोर्ट

साधारण निकाय

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास

नई दिल्ली

### वित्तीय विवरणों पर रिपोर्टें

- हमने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (जिसे इसके बाद संस्थान कहा गया है) के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र तथा उसके साथ संलग्न संस्थान के आय और व्यय लेखे और प्राप्ति तथा भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है। लेखे तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और अन्य विस्तृत जानकारी का सार संलग्न है।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- संस्थान का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ये विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों समेत सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप संस्थान की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इनकी जिम्मेदारी में संस्थान की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य गड़बड़ियों को रोकने और इनका पता लगाने के लिए लेखाकरण रिकॉर्डों का उचित रखरखाव; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना, उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा तैयार करना, इसे लागू करना और इसका रखरखाव करना शामिल है जो कि लेखाकरण रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता का सुनिश्चय करने के लिए कारगर ढंग से चल रहे हैं और उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और इनके प्रस्तुतिकरण के लिए संगत हैं जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण सामने रखते हैं और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त होते हैं।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने की है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। हम लेखा परीक्षा की आयोजना और निष्पादन यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से रहित हों जो कि इन मानकों की अपेक्षा है।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी के खतरों, चाहे वह धोखे के कारण हो या गलती से, का आकलन शामिल है। जोखिम वाले मूल्यांकनों में लेखा परीक्षक विचार करते हैं कि आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थान द्वारा तैयार वित्तीय विवरणों के अनुसार हों, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकें ताकि परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें, लेकिन व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं। इस पर एक राय है कि क्या संस्थान ने वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर कोई पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। लेखा परीक्षा में संस्थान के प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल की गई लेखा विधि नीतियों की उपयुक्तता और किए गए महत्वपूर्ण आकलनों की तर्क संगतता के साथ साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि इस लेखा परीक्षा में हमारी राय का उचित आधार प्रस्तुत करने के लिए हमने जो लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त और उचित हैं।

इन वित्तीय विवरणों में क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी, क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलुरु, क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ और क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर, क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली के हमारे द्वारा परीक्षित लेखे शामिल हैं।

राय

4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा संस्थान के मामलों में 31 मार्च 2020 तक तथा इस तिथि तक समाप्त वर्ष के लिए आय से व्यय की अधिकता के मामले में आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथापि :
- i) उचित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गए 1.82 लाख रुपये का गैर-समायोजन किया गया है।
  - ii) पीडब्ल्यूडी रायपुर को पिछले वर्ष के दौरान दी गई 38.04 लाख रुपये की अग्रिम राशि का गैर-समायोजन किया गया है।
  - iii) सीपीडब्ल्यूडी को पहले वर्षों में दिए गए रुपये 22.97 लाख और रुपये 96,031 / – की अग्रिम राशि का गैर-समायोजन किया गया।
  - iv) पिछले वर्षों में रखे गए रुपये 5.51 लाख की परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के लिए प्रावधान का गैर-समायोजन।
5. इसके अलावा हम यह सूचित करते हैं कि :
- i) हमने सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए की है जो कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे।
  - ii) हमारे विचार में और जहां तक इन बही खातों की जांच से हमें प्रतीत हुआ है कि संस्थान ने ये बही खाते उचित प्रकार से रखे हुए हैं।
  - iii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा का विवरण और प्राप्ति और भुगतान लेखा बहियों के अनुरूप है।
  - iv) हमारे विचार में जहां अन्यथा प्रकटीकरण किया गया है उसके अतिरिक्त उपर्युक्त वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का अनुसरण करते हैं।

कृते वी.एस. टंडन एंड कंपनी

सनदी लेखापाल

फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

हस्ता./—

वी.एस. टंडन

सदस्यता संख्या 083861

तिथि : 30.10.2020

स्थान : नई दिल्ली

## लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

संस्थान के लेखा परीक्षक में वी.एस. टंडन एंड कम्पनी ने वर्ष 2019-20 के लिए संस्थान के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा की और अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कार्रवाई का ब्योरा निम्न प्रकार है :

| मद संख्या | लेखा परीक्षकों की टिप्पणी                                                                                                                   | संस्थान की टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 (i)     | उच्चतम लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गए 1.82 लाख रुपये का गैर-समायोजन                                                                       | यह मामला विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के आधार पर संस्थान द्वारा उचित कार्यवाही कर ली जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 (ii)    | पीडब्ल्यूडी रायपुर को पिछले वर्ष के दौरान दी गई 38.04 लाख रुपये की अग्रिम राशि का गैर-समायोजन                                               | लोक निर्माण विभाग रायपुर के पास जमा 38.04 लाख रुपये की राशि क्षेत्रीय केन्द्र, रायपुर के पूर्व-निर्माण खर्चों के लिए जमा की गयी थी। यह राशि कार्य समाप्त होने के बाद पीडब्ल्यूडी रायपुर से खर्च का विवरण प्राप्त हो जाने के बाद समायोजित कर ली जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 (iii)   | सीपीडब्ल्यूडी को पहले के वर्षों में दी गई 22.94 लाख रुपये एवं पिछले वर्ष 96,031 रुपये की अग्रिम राशि का गैर-समायोजन किया गया।               | संस्थान के मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों की मरम्मत और रखरखाव संबंधी कार्य मोटे तौर पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा आधार पर किया जाता है। संस्थान कार्य के आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास राशि जमा करता है और राशि का निपटान कार्य पूरा होने के अनुसार किया जाता है। बहुत बार भिन्न भिन्न कार्यों के लिए एक ही समय पर एक से ज्यादा बार अग्रिम दे दिया जाता है। अतः अग्रिम देने और इसका निपटान करने की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है तथापि सीपीडब्ल्यूडी को आबंटित कार्य शीघ्र पूरा करने और अग्रिम का निपटारा करने के मामले पर कार्रवाई की जाएगी। |
| 4 (iv)    | परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के लिए प्रावधान 5.51 लाख रुपये और भवन की मरम्मत और रखरखाव के लिए पिछले वर्षों में रखे गए प्रावधान का गैर-समायोजन | परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के लिए रखे गए 5.51 लाख रुपये के प्रावधान पर विचार किया जाएगा और इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान निपटा लिया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(चांदराम)  
उप-निदेशक (लेखा)

(के.सी. जॉर्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से)

(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

## लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 20

### लेखाओं की महत्वपूर्ण नीतियों और टिप्पणियों से सम्बन्धित भाग

#### क. परिचय:

निपसिड के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, महिला एवं बाल विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य एवं अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित प्रमुख संगठन है। संस्थान की स्थापना वर्ष 1956 में नई दिल्ली में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है। देश की क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थान ने इन वर्षों के दौरान पांच क्षेत्रीय केन्द्र – गुवाहाटी (1978), बेंगलुरु (1980), लखनऊ (1982), इन्दौर (2001) तथा मोहाली (2019) – स्थापित किए हैं।

संस्थान अम्ब्रेला आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। एक नोडल संसाधन एजेंसी के रूप में संस्थान को नई समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम तथा बाल अधिकार जैसे दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्क (एसएएआरसी) देशों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थान को नोडल संस्थान के रूप में भी निर्दिष्ट किया है।

#### ख. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां:

##### 1. सामान्य

##### वित्तीय ब्योरे तैयार करने का आधार

- (i) संस्थान के वित्तीय ब्योरे, अगर अन्यथा उल्लिखित न हों तो लेखांकन की प्रोद्घवन प्रणाली के आधार पर और ऐतिहासिक लागत करार के अन्तर्गत एवं चल रहे कार्य के आधार पर प्रस्तुत और तैयार किये जाते हैं।
- (ii) संस्थान के लेखे, जहां तक लागू हो सकता है, भारत सरकार के 26 मई 1999 के पत्र द्वारा भेजे गए निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार तैयार किये जाते हैं और जिसे बाद में कार्यकारी परिषद की 09.2.2016 को हुई अड़सठवीं बैठक में संशोधित किया गया और दिनांक 31.3.2016 के कार्यालय आदेश संख्या एनआई/लेखा/2/5/2015-16 के द्वारा अधिसूचित किया गया।
- (ii) वित्तीय ब्योरों में दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा गुवाहाटी, बेंगलुरु, लखनऊ, इंदौर तथा मोहाली स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों के वित्तीय ब्योरे शामिल होते हैं।

##### अनुमानों का इस्तेमाल

वित्तीय ब्योरे तैयार करने के लिए वित्तीय ब्योरों की तारीख तक परिसम्पत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं समेत) और रिपोर्टाधीन अवधि की आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों में विचारित आकलनों और पूर्वानुमानों के लिए प्रबंधन आवश्यक होता है। प्रबंधन को यह विश्वास है कि वित्तीय ब्योरों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और तर्क संगत हैं।

## 2. राजस्व मान्यता

- (i) संगठन की निधियों का मुख्य स्रोत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त होने वाला अनुदान होता है। पूंजीगत व्यय (वर्ष में इस्तेमाल की गई सीमा तक) के लिए अंशदान के तौर पर प्राप्त अनुदान को पूंजीगत निधि के रूप में माना जाता है। राजस्व खर्च को पूरा करने के लिए प्राप्त अनुदान को उस वर्ष की आय के रूप में लिया जाता है जिस वर्ष इसे वसूल किया गया, इसमें वो प्रोदभूत आय शामिल नहीं है जिसमें मंजूरी वर्ष के अंतिम दिन दी गई हो और जिसे प्राप्त करना और वसूल करना निश्चित हो।
- (ii) संस्थान के बचत बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज का परिकलन प्राप्ति आधार पर किया जाता है। कक्षा के कमरे और छात्रावास प्रभार, उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क, सीजीसी और एजीएससी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क, संस्थागत प्रभार और पंजीकरण प्रभारों के रूप में सहभागियों से प्राप्त शुल्क को उपभोक्ता प्रभारों के रूप में लिया जाता है।
- (iii) निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं का अव्ययित शेष, बचत बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज और विविध प्राप्तियां अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, आगामी वर्ष में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को वापस लौटाई जाएंगी।
- (iv) सीपीएफ / जीपीएफ निधियों के निवेश पर ब्याज का परिकलन प्रोद्घवन आधार पर किया जाता है।

## 3. अचल परिसम्पत्तियां और मूल्यहास

- (i) अचल परिसम्पत्तियां लागत, निम्न संचयी मूल्यहास और हानि, अगर कोई हो तो के आधार पर नियत की जाती हैं। जब तक परिसम्पत्तियां इस्तेमाल हेतु तैयार नहीं हो जाती तब तक लागत को प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण हेतु पूंजीकृत कर लिया जाता है, जैसा भी प्रबंधन चाहे।
- (ii) प्रायोजित परियोजना निधियों से अर्जित परिसम्पत्तियां संस्थान की परिसम्पत्ति मानी जाती हैं।
- (iii) विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त निःशुल्क परिसम्पत्तियों को संस्थान की परिसम्पत्ति माना जाता है और पूंजीगत संचय के लिए तदनु रूप जमा द्वारा लागत के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है।
- (iv) वर्ष के दौरान किसी भी परिसम्पत्ति का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है।

## (इ) मूल्यहास

- (i) अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल्यहासित पद्धति के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार लगाया जाता है।
- (ii) दस हजार रुपये से कम लागत की परिसम्पत्तियों और पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं पर इनकी खरीद के वर्ष में ही मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। वर्ष 2003-2004 से उपर्युक्त परिसम्पत्तियों पर 100 प्रतिशत की दर से मूल्यहास प्रभारित किया जा रहा है।
- (iii) प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संगठनों से उपहार स्वरूप प्राप्त विभिन्न परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास वर्ष 2003-04 से 20 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाता है।

## 4. निवेश

दीर्घावधि निवेशों का मूल्य लागत के अनुसार दर्शाया जाता है।

## 5. कर्मचारी लाभ

### (i) अल्पावधि लाभ

वेतन, भत्ते जैसे अल्पावधि लाभों का भुगतान कर्मचारियों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले किया जाता है, इसको कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि के दौरान हुए खर्च के रूप में माना जाता है।

(ii) निश्चित अंशदान योजना

अंशदायी भविष्य निधि और नई पेंशन योजना जैसी निश्चित अंशदान योजनाओं के लिए संस्थान का अंशदान जब और जैसे खर्च हुआ हो, आय और व्यय लेखों में प्रभावित कर दिया जाता है।

(iii) निश्चित लाभ योजना

संस्थान कर्मचारियों को उपदान का लाभ भी प्रदान करता है जो कि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से दिया जाता है। जैसा कि कार्यकारी परिषद ने 31 मार्च 2004 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया था, उपदान, पेंशन और छुट्टी के बदले नकद भुगतान के संबंध में वर्ष के अंत तक की देयताएं संस्थान द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

ग. लेखाओं की टिप्पणियां

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु निम्नलिखित बजट शीर्षों के अंतर्गत रु 5,547.63 लाख धनराशि अनुदान के रूप में जारी की है।

|       |                   |               |
|-------|-------------------|---------------|
| (i)   | वेतन              | ₹ 2457.29 लाख |
| (ii)  | राजस्व सामान्य    | ₹ 1032.00 लाख |
| (iii) | गैर एनईआर सामान्य | ₹ 1656.88 लाख |
| (iv)  | गैर एनईआर पूंजीगत | ₹ 223.50 लाख  |
| (v)   | एनईआर सामान्य     | ₹ 150.00 लाख  |
| (vi)  | एनईआर पूंजीगत     | ₹ 27.96 लाख   |

2. पूर्वावधि व्यय और आय का ब्योरा निम्न प्रकार है:

**A) पूर्वावधि व्यय:**

| बजट शीर्ष                               | पूर्वावधि व्यय |
|-----------------------------------------|----------------|
| a) जीआईए वेतन                           | ₹ 149.05 लाख   |
| b) जीआईए गैर पूर्वोत्तर क्षेत्र सामान्य | ₹ 0.02 लाख     |

**B) पूर्वावधि आय:**

शून्य

3. संस्थान किसी भी व्यय की देयता की प्रतिप्राप्ति उस समय देता है जब उसके भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन मिल जाता है और तदनुसार उसी समय टीडीएस की कटौती भी की जाती है। इस प्रकार संस्थान ने वर्ष 2019–20 के दौरान किए खर्च के प्रावधानों पर टीडीएस की कटौती नहीं की।
4. संस्थान की कुछ अचल परिसम्पत्तियों का वर्ष 2003 और 2004 में पुनर्मूल्यन किया गया, हालांकि बही खातों की मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार पुनर्मूल्यन की गई परिसम्पत्तियों का समाधान वर्ष के दौरान किया गया और परिसम्पत्तियों के मूल्यों में अन्तर को तदनुसार मूल्यद्वय में समतुल्य समायोजनों के साथ समायोजित कर दिया गया था।
5. ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण (स्व-शक्ति) परियोजना के सेन्ट्रल प्रोजेक्ट यूनिट (सीपीएसयू) का कार्य 01.07.2002 से निपसिड को सौंपा गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ हुए अनुबंध के अनुसार सीपीएसयू से संबंधित बैंक खातों की देखरेख निपसिड करेगा। निपसिड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के पश्चात् सीपीएसयू को निधि देगा। अब जबकि सीपीएसयू यूनिट दिसम्बर 2005 से बंद है और रुपये 35,51,587.59 सीपीएसयू के बैंक में अव्ययित पड़े हैं। इस राशि को खाता बंद होने पर महिला एवं बाल विकास से मंजूरी मिलने के पश्चात् निपसिड के खाते में डाल दिया जाएगा।

6. चालू परिसम्पत्तियां शीर्ष के अंतर्गत तुलन पत्र में “उच्चत खाने” के रूप में दिखाए गए 1.82 लाख रुपये भूतपूर्व कैशियर एच.सी. चांगडा द्वारा किए गए गबन को दर्शाते हैं। यह मामला अभी भी विचाराधीन है।
7. विविध लेनदार (अनुसूची-3) एवं विविध देनदार (अनुसूची-9) के अंतर्गत शेष राशियां अधिकांशतः सरकारी विभागों को देय/प्राप्य राशियां हैं जिनकी विविध देनदार पुष्टि की जानी बाकी है। इसी प्रकार, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची-8) से शेष राशियों एवं चालू देयताओं (अनुसूची-4) की अभी पुष्टि नहीं हुई है एवं संबंधित विभाग से आवश्यक समायोजन हेतु अनुमोदन अभी मिलना है।
8. आकस्मिक देयताएं: संस्थान के एक पूर्व-कर्मचारी ने अपनी बर्खास्तगी के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में 4.91 लाख रुपये जमा किए गए जिन्हें वार्षिक लेखाओं की अनुसूची-8 के अंतर्गत आकस्मिक देयताओं में जमा के रूप में दर्शाया गया है। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अंतरिम भुगतान के रूप में डॉ. तेजिंदर कौर को रु 20 लाख का भुगतान किया गया है, जिसे आकस्मिक अग्रिम के अंतर्गत बकाया के रूप में दर्शाया गया है।
9. संस्थान ने प्राप्त पूंजी अनुदानों से खरीदी गई परिसम्पत्तियों के मूल्य में कमी की है तथा इसको पूंजीगत निधि के रूप में माना है। तथापि, मानव संसाधन मंत्रालय के दिनांक 19 मार्च, 2002 के पत्र संख्या 1703/जेएस एवं एफए (एचआरडी)/2/2002 से प्राप्त अनुदेशों का पालन करने हेतु संस्थान ने परिसम्पत्तियों की लागत पर मूल्यह्रास पर प्रभार लगाना आरंभ कर दिया (लेखाकरण नीति 3 के संदर्भ में)। मूल्यह्रास आय एवं व्यय के द्वारा नहीं होता क्योंकि खरीद के वर्ष में इसके द्वारा प्राप्त अनुदान से सभी परिसम्पत्तियों की पूरी लागत पहले ही कम की जा चुकी है। उपर्युक्त केवल प्रकट करने के लिए ही है एवं इसको परिसम्पत्तियों (अनुसूची संख्या 7 एवं 13) एवं पूंजीगत निधि (अनुसूची 1 एवं 5) से कटौती के रूप में दर्शाया गया है।
10. सीपीएफ/जीपीएफ के अंतर्गत निवेश केवल सरकारी प्रतिभूतियों और ऋण संबंधी प्रतिभूतियों में ही किया गया। संस्थान ने भारत सरकार के नियमों के अनुरूप इक्विटी में कोई निवेश नहीं किया।
11. कराधान  
आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर योग्य आय न होने के कारण आयकर के लिए कोई प्रावधान रखना जरूरी नहीं समझा गया।
12. संस्थान प्रत्येक वर्ष अनुमानित आधार पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की देयता के लिए उत्तरदायी होता है और वर्ष 2019-20 के दौरान सेवा निवृत्ति लाभों के लिए 5,343.43 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है।
13. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं जरूरी समझा गया उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया, उनमें सुधार किया गया और उन्हें पुनः व्यवस्थित किया गया है।
14. अनुसूची '1' से अनुसूची '21' तक की अनुसूची तुलनपत्र का अभिन्न हिस्सा हैं और आय तथा व्यय लेखे और प्राप्ति तथा भुगतान लेखे विधिवत प्रमाणित किए गए हैं।

कृते वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखापाल  
फर्म की पंजीकरण सं. 004693एन

ह0/-  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0/-  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0/-  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

ह0/-  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0/-  
(वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0-083861

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 तक तुलनपत्र

राशि ₹ में

| कायिक/पूँजीगत निधियां एवं देयताएं                           | अनुसूची संख्या | चालू वर्ष             | पिछले वर्ष            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>देयताएं</b>                                              |                |                       |                       |
| पूँजीगत निधि/अर्जित परिसम्पत्तियां                          | 1              | 337,371,423.85        | 381,252,837.28        |
| व्यय से आय की अधिकता                                        | 2              | (456,422,651.44)      | (500,566,751.44)      |
| विविध लेनदार परियोजनाएं                                     | 3              | 19,710,227.77         | 19,777,407.42         |
| चालू देयताएं और प्रावधान                                    | 4              | 615,385,610.82        | 646,604,666.40        |
| निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं की राशि                            | 5              | 3,505,284.02          | 4,458,161.56          |
| सेवा निवृत्ति लाभों की देयताएं                              | 6              | 214,577,293.94        | 218,997,771.60        |
| <b>जोड़</b>                                                 |                | <b>734,127,188.96</b> | <b>770,524,092.82</b> |
| <b>परिसम्पत्तियां</b>                                       |                |                       |                       |
| अचल परिसम्पत्तियां                                          | 7              | 337,371,423.85        | 381,252,837.28        |
| ऋण और अग्रिम                                                | 8              | 59,949,558.99         | 69,458,989.99         |
| विविध देनदान परियोजनाएं                                     | 9              | 25,058,404.89         | 19,483,776.54         |
| सीपीएफ जीपीएफ तथा अन्य निवेश                                | 10             | 215,377,293.94        | 219,758,891.60        |
| सेवा डाक टिकटों का इति शेष                                  | 11             | 58,619.95             | 56,385.95             |
| निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं का इति शेष                         | 12             | 3,505,284.02          | 4,458,161.56          |
| नकद और बैंक में नकदी                                        | 13             | 92,625,008.32         | 75,873,454.90         |
| उचंत्                                                       |                | 181,595.00            | 181,595.00            |
| <b>जोड़</b>                                                 |                | <b>734,127,188.96</b> | <b>770,524,092.82</b> |
| विशेष लेखाविधि नीतियां तथा टिप्पणियां लेखाओं का एक भाग हैं। | 20             | -                     | -                     |

उपरोक्त अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न हिस्सा हैं।

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में  
वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से  
फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

ह0/-  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0/-  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0/-  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

ह0/-  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0/-  
(सी.ए. वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0-083861

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

## 31 मार्च, 2020 तक तुलनपत्र

राशि ₹ में

| कायिक/पूँजीगत निधियां एवं देयताएं                          | अनुसूची संख्या | चालू वर्ष मुख्यालय    | चालू वर्ष क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी | चालू वर्ष क्षेत्रीय केन्द्र बंगलुरु | चालू वर्ष क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ | चालू वर्ष क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर | चालू वर्ष क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली | कुल                   |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>देयताएं</b>                                             |                |                       |                                      |                                     |                                  |                                    |                                    |                       |
| पूँजीगत निधि/अर्जित परिसम्पत्तियां                         | 1              | 27,119,578.43         | 26,418,223.87                        | 13,488,156.31                       | 15,878,856.24                    | 34,890,763.00                      | 219,575,846.00                     | 337,371,423.85        |
| व्यय से आय की अधिकता                                       | 2              | (470,827,814.42)      | 1,275,502.62                         | 3,929,698.80                        | 3,921,804.80                     | 5,737,942.76                       | (459,786.00)                       | (456,422,651.44)      |
| विविध लेनदार परियोजनाएं                                    | 3              | 19,290,278.33         | 360,440.34                           | -                                   | 59,509.10                        | -                                  | -                                  | 19,710,227.77         |
| चालू देयताएं और प्रावधान                                   | 4              | 599,712,922.10        | 2,769,270.00                         | 3,299,203.29                        | 3,613,661.43                     | 3,931,255.00                       | 2,059,299.00                       | 615,385,610.82        |
| निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं की राशि                           | 5              | 3,385,302.24          | 3,624.98                             | 29,996.51                           | 77,669.29                        | 8,691.00                           | -                                  | 3,505,284.02          |
| सेवा निवृत्ति लाभों की देयताएं                             | 6              | 213,563,373.59        | 78,272.20                            | 297,238.35                          | 382,591.06                       | 255,818.74                         | -                                  | 214,577,293.94        |
| <b>जोड़</b>                                                |                | <b>392,243,640.27</b> | <b>30,905,334.01</b>                 | <b>21,044,293.26</b>                | <b>23,934,091.92</b>             | <b>44,824,470.50</b>               | <b>221,175,359.00</b>              | <b>734,127,188.96</b> |
| <b>परिसम्पत्तियां</b>                                      |                |                       |                                      |                                     |                                  |                                    |                                    |                       |
| अचल परिसम्पत्तियां                                         | 7              | 27,119,578.43         | 26,418,223.87                        | 13,488,156.31                       | 15,878,856.24                    | 34,890,763.00                      | 219,575,846.00                     | 337,371,423.85        |
| ऋण और अग्रिम                                               | 8              | 44,834,752.98         | 495,594.00                           | 3,532,071.01                        | 4,564,572.00                     | 6,497,822.00                       | 24,747.00                          | 59,949,558.99         |
| विविध देनदान परियोजनाएं                                    | 9              | 24,974,281.89         | -                                    | 75,073.00                           | -                                | 9,050.00                           | -                                  | 25,058,404.89         |
| सीपीएफए जीपीएफ तथा अन्य निवेश                              | 10             | 214,363,373.59        | 78,272.20                            | 297,238.35                          | 382,591.06                       | 255,818.74                         | -                                  | 215,377,293.94        |
| सेवा डाक टिकटों का इति शेष                                 | 11             | 50,984.95             | 3,666.00                             | 255.00                              | 3,714.00                         | -                                  | -                                  | 58,619.95             |
| निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं का इति शेष                        | 12             | 3,385,302.24          | 3,624.98                             | 29,996.51                           | 77,669.29                        | 8,691.00                           | -                                  | 3,505,284.02          |
| नकद और बैंक में नकदी                                       | 13             | 77,333,771.19         | 3,905,952.96                         | 3,621,503.08                        | 3,026,689.33                     | 3,162,325.76                       | 1,574,766.00                       | 92,625,008.32         |
| उचंचत                                                      |                | 181,595.00            | -                                    | -                                   | -                                | -                                  | -                                  | 181,595.00            |
| <b>जोड़</b>                                                |                | <b>392,243,640.27</b> | <b>30,905,334.01</b>                 | <b>21,044,293.26</b>                | <b>23,934,091.92</b>             | <b>44,824,470.50</b>               | <b>221,175,359.00</b>              | <b>734,127,188.96</b> |
| विशेष लेखाविधि नीतियां तथा टिप्पणियां लेखाओं का एक भाग है। | 20             | -                     | -                                    | -                                   | -                                | -                                  | -                                  | -                     |

उपरोक्त अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न हिस्सा हैं।

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में  
वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से  
फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

ह0/-  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0/-  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0/-  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

ह0/-  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0/-  
(सी.ए. वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0-083861

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 तक आर्जित परिसम्पत्तियों हेतु पूंजीगत निधियों/अनुदानों की अनुसूची

अनुसूची - 1

राशि ₹ में

| विवरण                                            | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>फर्नीचर, साज सज्जा एवं जुड़नार</b>            |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                          | 23,531,368.95        | 7,196,058.67                     | 3,467,007.87                     | 3,057,286.92                 | 5,592,419.51                   | -                              | 42,844,141.92         |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया                          | 3,074,637.00         | 1,628,895.00                     | 312,551.00                       | 894,260.00                   | 62,290.00                      | 84,360.00                      | 6,056,993.00          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | 819,507.21           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 819,507.21            |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>25,786,498.74</b> | <b>8,824,953.67</b>              | <b>3,779,558.87</b>              | <b>3,951,546.92</b>          | <b>5,654,709.51</b>            | <b>84,360.00</b>               | <b>48,081,627.71</b>  |
| <b>उपकरण</b>                                     |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                          | 18,508,796.22        | 8,347,280.73                     | 2,910,521.07                     | 6,224,935.62                 | 3,144,151.00                   | -                              | 39,135,684.64         |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया                          | 2,632,561.00         | 1,002,866.00                     | 623,525.00                       | 362,560.00                   | 197,447.00                     | 410,928.00                     | 5,229,887.00          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | 3,001,903.39         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 3,001,903.39          |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>18,139,453.83</b> | <b>9,350,146.73</b>              | <b>3,534,046.07</b>              | <b>6,587,495.62</b>          | <b>3,341,598.00</b>            | <b>410,928.00</b>              | <b>41,363,668.25</b>  |
| <b>भूमि</b>                                      |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                          | 574,769.10           | 282,295.31                       | 2,242,500.00                     | 149,490.50                   | 40.00                          | -                              | 3,249,094.91          |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया                          | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>574,769.10</b>    | <b>282,295.31</b>                | <b>2,242,500.00</b>              | <b>149,490.50</b>            | <b>40.00</b>                   | <b>-</b>                       | <b>3,249,094.91</b>   |
| <b>पुस्तकें एवं जर्नल</b>                        |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                          | 12,141,525.04        | 2,366,472.72                     | 765,594.74                       | 2,041,929.76                 | 93,261.00                      | -                              | 17,408,783.26         |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया                          | 181,502.00           | 35,946.00                        | 20,000.00                        | 9,472.00                     | -                              | -                              | 246,920.00            |
| घटाया गया: वसूली गई पुस्तकों की कीमत             | -                    | -                                | -                                | 29,293.00                    | -                              | -                              | 29,293.00             |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>12,323,027.04</b> | <b>2,402,418.72</b>              | <b>785,594.74</b>                | <b>2,022,108.76</b>          | <b>93,261.00</b>               | <b>-</b>                       | <b>17,626,410.26</b>  |
| <b>वाहन</b>                                      |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                          | 2,906,719.54         | 1,362,451.00                     | -                                | 1,746,027.11                 | 371,150.00                     | -                              | 6,386,347.65          |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया                          | 728,510.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 728,510.00            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन      | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>3,635,229.54</b>  | <b>1,362,451.00</b>              | <b>-</b>                         | <b>1,746,027.11</b>          | <b>371,150.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>7,114,857.65</b>   |
| <b>भवन</b>                                       |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                          | 11,843,175.41        | 74,680,301.00                    | 40,274,153.00                    | 41,063,515.20                | 69,252,102.00                  | -                              | 237,113,246.61        |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया (पूंजीगत)                | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन      | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | 257,950,000.00                 | 257,950,000.00        |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>11,843,175.41</b> | <b>74,680,301.00</b>             | <b>40,274,153.00</b>             | <b>41,063,515.20</b>         | <b>69,252,102.00</b>           | <b>257,950,000.00</b>          | <b>495,063,246.61</b> |

राशि ₹ में

| विवरण                                            | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>कम्प्यूटर और सहायक उपकरण</b>                  |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                          | 13,723,775.00        | 1,918,361.00                     | 2,282,702.00                     | 1,222,293.30                 | 1,319,030.00                   | -                              | 20,466,161.30        |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया                          | 1,087,565.00         | 250,851.00                       | 150,754.00                       | 39,506.00                    | -                              | 25,000.00                      | 1,553,676.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | 657,539.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 657,539.00           |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>14,153,801.00</b> | <b>2,169,212.00</b>              | <b>2,433,456.00</b>              | <b>1,261,799.30</b>          | <b>1,319,030.00</b>            | <b>25,000.00</b>               | <b>21,362,298.30</b> |
| <b>ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली</b>           |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                          | -                    | 767,350.00                       | -                                | -                            | 70,600.00                      | -                              | 837,950.00           |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया                          | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>-</b>             | <b>767,350.00</b>                | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>70,600.00</b>               | <b>-</b>                       | <b>837,950.00</b>    |
| <b>कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करना</b>            |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                          | 555,803.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 555,803.00           |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया                          | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>555,803.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>555,803.00</b>    |
| <b>सॉफ्टवेयर और वेबसाइट/पोर्टल का विकास</b>      |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                          | 3,099,001.00         | -                                | 46,380.00                        | -                            | -                              | -                              | 3,145,381.00         |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया                          | 16,482.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 16,482.00            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान पूंजीगत                 | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>3,115,483.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>46,380.00</b>                 | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>3,161,863.00</b>  |
| <b>आईसीडीएस परियोजना</b>                         |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| फर्नीचर एवं सहायक उपकरण                          |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                          | 2,707,577.21         | 112,200.00                       | -                                | 328,649.72                   | -                              | -                              | 3,148,426.93         |
| जमा: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन                | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: बट्टे खाते डाली गई वस्तुएं            | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>2,707,577.21</b>  | <b>112,200.00</b>                | <b>-</b>                         | <b>328,649.72</b>            | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>3,148,426.93</b>  |
| <b>विश्व बैंक परियोजना</b>                       |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| फर्नीचर एवं सहायक उपकरण                          |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                          | 1,970,834.70         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 1,970,834.70         |
| जमा: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन                | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: बट्टे खाते डाली गई वस्तुएं            | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>1,970,834.70</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>1,970,834.70</b>  |
| <b>आरडब्ल्यूईपी-स्वशक्ति परियोजनाएं</b>          |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| फर्नीचर एवं सहायक उपकरण                          |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                          | 946,409.38           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 946,409.38           |
| जमा: वर्ष के दौरान खरीद                          | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: बट्टे खाते डाली गई वस्तुएं            | 177,341.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 177,341.00           |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>769,068.38</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>769,068.38</b>    |

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

राशि ₹ में

| विवरण                                            | मुख्यालय | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़            |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>आईसीडीएस का प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश</b>        |          |                                  |                                  |                              |                                |                                |                 |
| आदि शेष                                          | -        | -                                | -                                | 6,850.00                     | -                              | -                              | 6,850.00        |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | -        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -               |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>-</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>6,850.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>6,850.00</b> |

### उद्दिशा परियोजना

फर्नीचर एवं सहायक उपकरण

|                                                  |                     |                     |                     |                   |                   |          |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|
| आदि शेष                                          | 1,561,654.22        | 1,776,420.00        | 1,666,019.00        | 363,843.80        | 190,674.00        | -        | 5,558,611.02        |
| जमा: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन                | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -        | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | 274,456.00          | -                   | -                   | -                 | -                 | -        | 274,456.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन                | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -        | -                   |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>1,287,198.22</b> | <b>1,776,420.00</b> | <b>1,666,019.00</b> | <b>363,843.80</b> | <b>190,674.00</b> | <b>-</b> | <b>5,284,155.02</b> |

### चाइल्डलाइन परियोजनाएं

फर्नीचर एवं सहायक उपकरण

|                         |          |                   |          |          |          |          |                   |
|-------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| आदि शेष                 | -        | 112,717.00        | -        | -        | -        | -        | 112,717.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान खरीद | -        | -                 | -        | -        | -        | -        | -                 |
| <b>जोड़</b>             | <b>-</b> | <b>112,717.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>112,717.00</b> |

### चल रहा कार्य

भवन

|                                                           |                |          |          |          |          |          |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| आदि शेष                                                   | 257,950,000.00 | -        | -        | -        | -        | -        | 257,950,000.00 |
| घटाया गया क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली के भवन को स्थानान्तरित | 257,950,000.00 | -        | -        | -        | -        | -        | 257,950,000.00 |
| <b>जोड़</b>                                               | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       |

### सकल जोड़

|                                                              |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| आदि शेष                                                      | 351,962,271.61       | 98,921,907.43         | 53,654,877.68        | 56,204,821.93        | 80,033,427.51        | -                     | 640,777,306.16        |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद                                | 7,721,257.00         | 2,918,558.00          | 1,106,830.00         | 1,305,798.00         | 259,737.00           | 520,288.00            | 13,832,468.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया             | 4,930,746.60         | -                     | -                    | 29,293.00            | -                    | -                     | 4,960,039.60          |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन (257,950,000.00) | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | 257,950,000.00        | -                     |
| <b>जोड़</b>                                                  | <b>96,802,782.01</b> | <b>101,840,465.43</b> | <b>54,761,707.68</b> | <b>57,481,326.93</b> | <b>80,293,164.51</b> | <b>258,470,288.00</b> | <b>649,649,734.56</b> |

### अवमूल्यन

|                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| आदि शेष                                             | 68,311,418.50        | 71,177,464.97        | 39,270,895.37        | 39,845,666.69        | 40,978,160.51        | -                     | 259,583,606.04        |
| जमा: वर्ष के दौरान अवमूल्यन                         | 6,031,384.00         | 4,244,776.59         | 2,002,656.00         | 1,786,097.00         | 4,074,370.00         | 25,996,942.00         | 44,136,225.59         |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन (4,659,598.92) | -                    | -                    | -                    | (29,293.00)          | 349,871.00           | 12,897,500.00         | 8,558,479.08          |
| <b>जोड़</b>                                         | <b>69,683,203.58</b> | <b>75,422,241.56</b> | <b>41,273,551.37</b> | <b>41,602,470.69</b> | <b>45,402,401.51</b> | <b>38,894,442.00</b>  | <b>312,278,310.71</b> |
| <b>नेट ब्लॉक</b>                                    | <b>27,119,578.43</b> | <b>26,418,223.87</b> | <b>13,488,156.31</b> | <b>15,878,856.24</b> | <b>34,890,763.00</b> | <b>219,575,846.00</b> | <b>337,371,423.85</b> |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

## 31 मार्च, 2020 तक व्यय पर आय की अधिकता की अनुसूची

### अनुसूची - 2

राशि ₹ में

| विवरण                           | मुख्यालय                | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| आदि शेष                         | (515,713,315.10)        | 191,624.62                       | 2,663,204.80                     | 7,518,060.80                 | 3,773,673.44                   | 1,000,000.00                   | (500,566,751.44)        |
| जमा: व्यय से आय की अधिकता       | 44,885,500.68           | 1,083,878.00                     | 1,266,494.00                     | -                            | 1,964,269.32                   | -                              | 49,200,142.00           |
| घटाया गया: आय से व्यय की अधिकता | -                       | -                                | -                                | 3,596,256.00                 | -                              | 1,459,786.00                   | 5,056,042.00            |
| जमा: समायोजन                    | -                       | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                       |
| <b>सकल जोड़</b>                 | <b>(470,827,814.42)</b> | <b>1,275,502.62</b>              | <b>3,929,698.80</b>              | <b>3,921,804.80</b>          | <b>5,737,942.76</b>            | <b>(459,786.00)</b>            | <b>(456,422,651.44)</b> |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

### 31 मार्च, 2020 तक विविध लेनदार की अनुसूची

अनुसूची - 3

राशि ₹ में

| विवरण                                                                          | मुख्यालय          | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आईसीडीएस परियोजना</b>                          |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                        | 83,379.70         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 83,379.70         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                  | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>83,379.70</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>83,379.70</b>  |
| <b>मौरिस पेट पुरस्कार</b>                                                      |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                        | 842,407.32        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 842,407.32        |
| जमा: प्राप्त ब्याज                                                             | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                  | 66,000.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 66,000.00         |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>776,407.32</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>776,407.32</b> |
| <b>अन्य चाइल्डलाइन प्रायोजित कार्यक्रम</b>                                     |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                        | -                 | 15,227.50                        | -                                | 2,365.10                     | -                              | -                              | 17,592.60         |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                  | -                 | 706.00                           | -                                | -                            | -                              | -                              | 706.00            |
| जमा: अनुसूची 9 को अंतरित                                                       | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| जमा: अनुसूची 9 से अंतरित                                                       | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>-</b>          | <b>14,521.50</b>                 | <b>-</b>                         | <b>2,365.10</b>              | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>16,886.60</b>  |
| <b>स्टेप तथा नौरोड के बीच सम्पर्क विकसित करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण</b>  |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                        | 19,152.50         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 19,152.50         |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>19,152.50</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>19,152.50</b>  |
| <b>आईसीडीएस प्रकाश का मुद्रण</b>                                               |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                        | 96,751.04         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 96,751.04         |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>96,751.04</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>96,751.04</b>  |
| <b>राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति</b>                                          |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                        | 13,831.41         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 13,831.41         |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>13,831.41</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>13,831.41</b>  |
| <b>प्रबंध सूचना प्रणाली के सांख्यिकीय कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम</b> |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                        | 39,282.45         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 39,282.45         |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>39,282.45</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>39,282.45</b>  |
| <b>महिला एवं बाल विकास विभाग के दस्तावेजों का मुद्रण</b>                       |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                        | 601,397.68        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 601,397.68        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>601,397.68</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>601,397.68</b> |

राशि ₹ में

| विवरण                                                                        | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| क्षेत्रीय केन्द्र में उदीशा (राज्य)                                          |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                      | -                    | 12,663.08                        | -                                | -                            | -                              | -                              | 12,663.08            |
| घटाया गया: अनुसूची 9 से अंतरित                                               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                  | <b>-</b>             | <b>12,663.08</b>                 | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>12,663.08</b>     |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय— वात्सल्य मेला 14-30 नवम्बर 2013                |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                      | 6,965.00             | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 6,965.00             |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                   | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                  | <b>6,965.00</b>      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>6,965.00</b>      |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय— राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 14.11.2012              |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                      | 35,071.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 35,071.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                   | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                  | <b>35,071.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>35,071.00</b>     |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय — बाल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र     |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                      | 10,384,000.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 10,384,000.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                   | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन                                             | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                  | <b>10,384,000.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>10,384,000.00</b> |
| सीजीसी में उच्च डिप्लोमा विश्वविद्यालय प्रवेश शुल्क                          |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                      | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| वर्ष के दौरान प्राप्त                                                        | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>             |
| एनवाईकेएस— जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम 15-21 फरवरी 2020                    |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                      | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| वर्ष के दौरान प्राप्त                                                        | -                    | -                                | -                                | 196,000.00                   | -                              | -                              | 196,000.00           |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                | -                    | -                                | -                                | 154,000.00                   | -                              | -                              | 154,000.00           |
| <b>जोड़</b>                                                                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>42,000.00</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>42,000.00</b>     |
| म.बा.वि.मं. — महिलाओं के साथ हिंसा से निपटने के लिए अहिंसा मैसेंजर की शुरुआत |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                      | 65,784.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 65,784.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                   | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                  | <b>65,784.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>65,784.00</b>     |
| एनएचएम असम                                                                   |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                      | -                    | 77,264.00                        | -                                | -                            | -                              | -                              | 77,264.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                   | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                  | <b>-</b>             | <b>77,264.00</b>                 | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>77,264.00</b>     |

| विवरण                                                          | मुख्यालय          | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>महिला एवं बाल विकास विभाग</b>                               |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| 15 राज्यों के बजट में जेंडर पर विश्लेषण                        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                        | 5,527.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 5,527.00          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय/लौटाया गया                       | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                    | <b>5,527.00</b>   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>5,527.00</b>   |
| <b>सी पी एस यू आरडब्ल्यूईपी परियोजना</b>                       |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                        | 603,278.56        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 603,278.56        |
| वर्ष के दौरान प्राप्त                                          | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: निम्न को सीपीएसयू में अंतरित किया गया               | 603,278.56        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 603,278.56        |
| <b>जोड़</b>                                                    | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>अम्बेडकर विश्वविद्यालय (सीईसीसीईडी)</b>                     |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                        | -                 | 18,633.00                        | -                                | -                            | -                              | -                              | 18,633.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                  | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                    | -                 | <b>18,633.00</b>                 | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>18,633.00</b>  |
| <b>म.बा.वि.मं. – कार्यशाला का आयोजन</b>                        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| सीआईएनयूएस/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में                   |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                        | 4,999.40          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 4,999.40          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान लौटाया गया/समायोजन वर्ष के दौरान व्यय | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                    | <b>4,999.40</b>   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>4,999.40</b>   |
| <b>सशुल्क कार्यक्रम – क्षमता निर्माण – भूटान सरकार</b>         |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                        | 62,968.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 62,968.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                    | <b>62,968.00</b>  | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>62,968.00</b>  |
| <b>टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस</b>                        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                        | -                 | -                                | -                                | 6,394.00                     | -                              | -                              | 6,394.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                  | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                    | -                 | -                                | -                                | <b>6,394.00</b>              | -                              | -                              | <b>6,394.00</b>   |
| <b>पार्टी को भुगतान</b>                                        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                        | 352,004.00        | 199,485.00                       | -                                | -                            | -                              | -                              | 551,489.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                     | 47,162,120.00     | 5,336,150.00                     | -                                | 3,734,409.00                 | -                              | 5,665,167.00                   | 61,897,846.00     |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                  | 47,162,120.00     | 5,535,635.00                     | -                                | 3,734,409.00                 | -                              | 5,665,167.00                   | 62,097,331.00     |
| <b>जोड़</b>                                                    | <b>352,004.00</b> | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>352,004.00</b> |
| <b>जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त</b>                              |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                        | 107,719.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 107,719.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                  | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                    | <b>107,719.00</b> | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>107,719.00</b> |

राशि ₹ में

| विवरण                                                                           | मुख्यालय         | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>सशक्तिकरण नीति पर क्षेत्रीय कार्यशाला</b>                                    |                  |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| सशुल्क कार्यक्रम                                                                |                  |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                         | 1,161.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 1,161.00          |
| <b>जोड़</b>                                                                     | <b>1,161.00</b>  | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>1,161.00</b>   |
| <b>यूनेसको परियोजना</b>                                                         |                  |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                         | 13,751.22        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 13,751.22         |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                      | -                | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                   | -                | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                     | <b>13,751.22</b> | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>13,751.22</b>  |
| <b>सशुल्क कार्यक्रम.एनएमईडब्ल्यू एमएसके पर परामर्श 8.06.2017</b>                |                  |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                         | 5,405.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 5,405.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                      | -                | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                   | -                | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                     | <b>5,405.00</b>  | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>5,405.00</b>   |
| <b>कारा कार्यक्रम</b>                                                           |                  |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                         |                  |                                  |                                  | 417,711.00                   |                                |                                | 417,711.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                      |                  | -                                |                                  | 528,620.00                   |                                |                                | 528,620.00        |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                   |                  | -                                |                                  | 940,438.00                   |                                |                                | 940,438.00        |
| अनुसूची 9 से अंतरित                                                             |                  |                                  |                                  | -                            |                                |                                | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                     | -                | -                                | -                                | <b>5,893.00</b>              | -                              | -                              | <b>5,893.00</b>   |
| <b>म.बा.वि.वि. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं हेतु हैंडबुक – वर्ष 2003-04</b> |                  |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                         | 21,697.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 21,697.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                      | -                | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय/<br>समायोजन वर्ष के दौरान व्यय                    | -                | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                     | <b>21,697.00</b> | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>21,697.00</b>  |
| <b>सीपीएसयू निधि अंतरित</b>                                                     |                  |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                         | 572,231.54       | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 572,231.54        |
| घटाया गया: सीपीएसयू के नीचे अंतरित                                              | 572,231.54       | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 572,231.54        |
| <b>जोड़</b>                                                                     | -                | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>असम सरकार का कार्यक्रम</b>                                                   |                  |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                         | -                | 109,832.00                       |                                  |                              | -                              |                                | 109,832.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                      |                  | -                                |                                  |                              | -                              |                                | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                   |                  | -                                |                                  |                              | -                              |                                | -                 |
| घटाया गया: अनुसूची 9 से अंतरित                                                  |                  | -                                |                                  |                              | -                              |                                | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                     | -                | <b>109,832.00</b>                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>109,832.00</b> |
| <b>आईएसएसएनआईपी (यूपी)</b>                                                      |                  |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                         |                  | -                                | -                                | 2,505.00                     | -                              |                                | 2,505.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                      |                  | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                   |                  | -                                | -                                | 2,505.00                     | -                              |                                | 2,505.00          |
| <b>जोड़</b>                                                                     | -                | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |

राशि ₹ में

| विवरण                                                                                        | मुख्यालय          | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>म.बा.वि.मं. – आईसीपीएस/स्टेप 2012–13 पर परामर्श</b>                                       |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                      | 388,749.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 388,749.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                                   | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                                | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>388,749.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>388,749.00</b> |
| <b>स्वयंसिद्धा परियोजनाएं</b>                                                                |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                      | 848,549.06        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 848,549.06        |
| जमा: नीचे स्वयंसिद्धा परियोजना से विलय/<br>अनुसूची 9 से नीचे अंतरित                          | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                                | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>848,549.06</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>848,549.06</b> |
| <b>सशुल्क कार्यक्रम – एमएमएण्डब्ल्यू/एस पर कैरियर परामर्श 9–10 नवम्बर'17</b>                 |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                      | 21,483.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 21,483.00         |
| वर्ष के दौरान प्राप्त                                                                        | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                                | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>21,483.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>21,483.00</b>  |
| <b>म.बा.वि.मं.– आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय समारोह 27.02.14</b>                      |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                      | 651,613.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 651,613.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                                   | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                                | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>651,613.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>651,613.00</b> |
| <b>राज्य सुपरवाइजर्स का कार्यक्रम</b>                                                        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                      | -                 | 127,526.76                       | -                                | -                            | -                              | -                              | 127,526.76        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                                   | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                                | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>-</b>          | <b>127,526.76</b>                | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>127,526.76</b> |
| <b>म.बा.वि.मं. – भोपाल में आईसीपीएस पर (दूसरी) क्षेत्रीय परामर्श बैठक 29–30 सितम्बर 2014</b> |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                      | 60,000.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 60,000.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                                   | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                                | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>60,000.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>60,000.00</b>  |
| <b>एफएनबी कार्यक्रम</b>                                                                      |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                      | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                                   | -                 | 134,338.00                       | -                                | -                            | -                              | -                              | 134,338.00        |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                                | -                 | 134,338.00                       | -                                | -                            | -                              | -                              | 134,338.00        |
| घटाया गया: आर.एम.के. को लौटाया गया                                                           | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>          |

राशि ₹ में

| विवरण                                                                              | मुख्यालय            | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>उद्दिशा परियोजना (आईसीडीएस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण)</b>                       |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                            | 3,001.35            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 3,001.35            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                      | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                         | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                        | <b>3,001.35</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>3,001.35</b>     |
| <b>म.बा.वि.मं. — राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एवं आरजीएमएसए 14.11.2014</b>               |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                            | 100,090.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 100,090.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                         | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                        | <b>100,090.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>100,090.00</b>   |
| <b>उत्तर प्रदेश सरकार कार्यक्रम</b>                                                |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                            | -                   | -                                | -                                | 2,857.00                     | -                              | -                              | 2,857.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                         | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                      | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| जमा: अनुसूची 9 से अंतरित                                                           | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                        | <b>-</b>            | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>2,857.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>2,857.00</b>     |
| <b>यूनिसेफ परियोजना</b>                                                            |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                            | 247,563.96          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 247,563.96          |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                         | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                      | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                        | <b>247,563.96</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>247,563.96</b>   |
| <b>सीपीएसयू (आर.डब्ल्यू.डी.ई.पी. (परियोजना)</b>                                    |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                            | 2,321,474.79        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 2,321,474.79        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज                                                   | 136,379.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 136,379.00          |
| जमा: उपरोक्त सीपीएसयू निधि से अंतरित                                               | 572,231.54          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 572,231.54          |
| जमा: उपरोक्त सी.पी.एस.यू. आरडब्ल्यूईपी परियोजना से अंतरित                          | 603,278.56          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 603,278.56          |
| घटाया गया: अनुसूची 9 से अंतरित—<br>आर.डब्ल्यू.डी.ई.पी. एस.एस.पी. एल.टी.ए. परियोजना | 123,455.65          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 123,455.65          |
| <b>जोड़</b>                                                                        | <b>3,509,908.24</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>3,509,908.24</b> |
| <b>म.बा.वि.मं. — 23.5.2012 को सीएमसी एनएमईडब्ल्यू की बैठक</b>                      |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                            | 671.00              | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 671.00              |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                         | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                      | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                        | <b>671.00</b>       | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>671.00</b>       |
| <b>म.बा.वि.मं. — उच्चतम उपलब्धि पुस्तका का मुद्रण एवं वितरण</b>                    |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                            | 45,740.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 45,740.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                         | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                      | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                        | <b>45,740.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>45,740.00</b>    |

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

राशि ₹ में

| विवरण                                                                                    | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास के लिए मॉड्यूल</b>                              |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                                  | 10,593.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 10,593.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                            | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                              | <b>10,593.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>10,593.00</b>     |
| <b>डब्ल्यूएचओ – ईसीडी पर सहयोगी परियोजना 2012</b>                                        |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                                  | 40,038.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 40,038.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                            | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                              | <b>40,038.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>40,038.00</b>     |
| <b>म.बा.वि.मं. – अखिल भारतीय स्लोगन लेखन प्रतियोगिता 23–24 जनवरी 2013</b>                |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                                  | 4,391.00             | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 4,391.00             |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                              | <b>4,391.00</b>      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>4,391.00</b>      |
| <b>म.बा.वि.मं. – लखनऊ में आईसीपीएस पर चौथी क्षेत्रीय परामर्श बैठक 16–17 अक्टूबर 2014</b> |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                                  | 102,223.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 102,223.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                              | <b>102,223.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>102,223.00</b>    |
| <b>सशुल्क कार्यक्रम – अन्तरराष्ट्रीय योगा दिवस 2019</b>                                  |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                                  | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                               | 1,162,590.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 1,162,590.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                            | 1,107,551.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 1,107,551.00         |
| <b>जोड़</b>                                                                              | <b>55,039.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>55,039.00</b>     |
| <b>सशुल्क कार्यक्रम – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग</b>                                      |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                                  | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                               | 602,800.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 602,800.00           |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                            | 131,130.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 131,130.00           |
| <b>जोड़</b>                                                                              | <b>471,670.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>471,670.00</b>    |
| <b>म.बा.वि.मं. . बीबीबीपी कार्यशाला 05 अक्टूबर, 2018</b>                                 |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                                  | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                               | 31,702.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 31,702.00            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                            | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                              | <b>31,702.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>31,702.00</b>     |
| <b>सकल जोड़</b>                                                                          | <b>19,290,278.33</b> | <b>360,440.34</b>                | <b>-</b>                         | <b>59,509.10</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>19,710,227.77</b> |

ह0 / –  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / –  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / –  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

## 31 मार्च, 2020 तक चालू देयताओं एवं प्रावधानों की अनुसूची

अनुसूची - 4

राशि ₹ में

| विवरण                                        | मुख्यालय            | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>प्रतिभूति जमा</b>                         |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                      | 1,286,118.00        | 230,562.00                       | 103,600.00                       | 122,788.00                   | 220,000.00                     |                                | 1,963,068.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                   | 225,000.00          | 148,000.00                       | 36,200.00                        | 25,000.00                    | 55,000.00                      |                                | 489,200.00          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान लौटाया गया          | 362,000.00          | 207,000.00                       | 31,200.00                        | 21,000.00                    |                                |                                | 621,200.00          |
| <b>जोड़</b>                                  | <b>1,149,118.00</b> | <b>171,562.00</b>                | <b>108,600.00</b>                | <b>126,788.00</b>            | <b>275,000.00</b>              |                                | <b>1,831,068.00</b> |
| <b>विद्यार्थियों की प्रतिभूति राशि</b>       |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                      | 199,500.00          | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 199,500.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                   | 150,000.00          |                                  | -                                | -                            | -                              |                                | 150,000.00          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान लौटाया गया          | -                   |                                  | -                                | -                            | -                              |                                | -                   |
| <b>जोड़</b>                                  | <b>349,500.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       |                                | <b>349,500.00</b>   |
| <b>धरोहर राशि</b>                            |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                      | -                   | -                                | 20,000.00                        | 130,000.00                   | -                              |                                | 150,000.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                   | -                   | -                                |                                  | 42,000.00                    | -                              |                                | 42,000.00           |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान लौटाया गया          | -                   | -                                |                                  | 100,000.00                   | -                              |                                | 100,000.00          |
| <b>जोड़</b>                                  | <b>-</b>            | <b>-</b>                         | <b>20,000.00</b>                 | <b>72,000.00</b>             | <b>-</b>                       |                                | <b>92,000.00</b>    |
| <b>राजस्व अनुदान की अव्ययित राशि</b>         |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष – वेतन                               | 3,670,525.00        | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 3,670,525.00        |
| आदि शेष – सामान्य राजस्व                     | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                   |
| आदि शेष – सामान्य                            | 4,312,224.45        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 4,312,224.45        |
| आदि शेष – एनईआर सामान्य                      |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| जमा: वर्ष के दौरान वेतन के अन्तर्गत          | 3,013,241.00        | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 3,013,241.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान राजस्व के अन्तर्गत        |                     | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                   |
| जमा: वर्ष के दौरान सामान्य के अन्तर्गत       | 2,699,394.77        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 2,699,394.77        |
| जमा: वर्ष के दौरान एनईआर सामान्य के अन्तर्गत |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| घटाया गया: अनुसूची 14 को अंतरित              |                     | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                   |
| पूर्व वेतन                                   | 3,670,525.00        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 3,670,525.00        |
| पूर्व सामान्य राजस्व                         | 4,312,224.45        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 4,312,224.45        |
| <b>जोड़</b>                                  | <b>5,712,635.77</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>5,712,635.77</b> |

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

राशि ₹ में

| विवरण                                                   | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>पूँजीगत अनुदान की अव्ययित राशि</b>                   |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष — एनईआर                                         | 204,129.00           |                                  |                                  |                              |                                |                                | 204,129.00           |
| आदि शेष — नॉन एनईआर                                     | 19,414,983.00        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 19,414,983.00        |
| जमा: पूँजीगत अनुदान प्राप्त एनईआर                       | 2,796,000.00         |                                  |                                  |                              |                                |                                | 2,796,000.00         |
| जमा: पूँजीगत अनुदान प्राप्त गैर.एनईआर                   | 22,350,000.00        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 22,350,000.00        |
| घटाया गया: किए गए खर्च एनईआर                            | 2,918,558.00         |                                  |                                  |                              |                                |                                | 2,918,558.00         |
| घटाया गया: चल रहा कार्य एनबीसीसी को अग्रिम के माध्यम से | -                    |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| घटाया गया: किए गए खर्च गैर एनईआर                        | 10,913,910.00        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 10,913,910.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान एनईआर के अन्तर्गत                    | 81,571.00            |                                  |                                  |                              |                                |                                | 81,571.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान नॉन एनईआर के अन्तर्गत                | 30,851,073.00        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 30,851,073.00        |
| <b>जोड़</b>                                             | <b>30,932,644.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>30,932,644.00</b> |
| <b>एसबी खातों पर अर्जित ब्याज</b>                       |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                 | 976,972.73           | -                                | 253,864.45                       | 67,479.00                    | -                              |                                | 1,298,316.18         |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                              | 1,712,770.09         | 105,989.00                       | 184,395.84                       | 175,042.43                   | 76,356.00                      | 60,460.00                      | 2,315,013.36         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान                         | 77,664.17            | 78,513.00                        |                                  | 120,711.00                   | 63,490.00                      |                                | 340,378.17           |
| <b>जोड़</b>                                             | <b>2,612,078.65</b>  | <b>27,476.00</b>                 | <b>438,260.29</b>                | <b>121,810.43</b>            | <b>12,866.00</b>               | <b>60,460.00</b>               | <b>3,272,951.37</b>  |
| <b>उपयोगकर्ता प्रभार — फीस एकत्रीकरण</b>                |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                 | 1,453,237.00         | -                                | -                                | 356,400.00                   | 52,900.00                      |                                | 1,862,537.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                              | 2,692,850.00         | 854,545.00                       | 331,325.00                       | 350,925.00                   | 229,425.00                     | 221,825.00                     | 4,459,070.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान                         | -                    | 795,145.00                       | 313,100.00                       | 427,800.00                   | 279,075.00                     |                                | 1,815,120.00         |
| <b>जोड़</b>                                             | <b>4,146,087.00</b>  | <b>59,400.00</b>                 | <b>18,225.00</b>                 | <b>279,525.00</b>            | <b>3,250.00</b>                | <b>221,825.00</b>              | <b>4,728,312.00</b>  |
| <b>उपयोगकर्ता प्रभार — अन्य तथा प्राप्तियां</b>         |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                 | 705,090.00           |                                  |                                  |                              |                                |                                | 705,090.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                              | 448,404.00           | 190,592.00                       |                                  | 537,523.00                   | 14,470.00                      | 97,844.00                      | 1,288,833.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान                         | -                    | 190,142.00                       |                                  | 21,259.00                    | 14,380.00                      |                                | 225,781.00           |
| <b>जोड़</b>                                             | <b>1,153,494.00</b>  | <b>450.00</b>                    | <b>-</b>                         | <b>516,264.00</b>            | <b>90.00</b>                   | <b>97,844.00</b>               | <b>1,768,142.00</b>  |
| <b>जीएसएलआई का पूर्ण और अंतिम भुगतान</b>                |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                 | 315,279.00           | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 315,279.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                              | 1,039,829.00         | -                                | 150,560.00                       | -                            | -                              |                                | 1,190,389.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान                         | 1,337,984.00         | -                                | 137,175.00                       | -                            | -                              |                                | 1,475,159.00         |
| <b>जोड़</b>                                             | <b>17,124.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>13,385.00</b>                 | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>30,509.00</b>     |
| <b>भुगतान योग्य खाते</b>                                |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                 | 780,552.00           | -                                | 685,946.00                       | 942,020.00                   | 1,779,046.00                   | -                              | 4,187,564.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान                                      | 146,558.00           | -                                | 869,881.00                       | 669,834.00                   | 4,845,610.00                   | 1,172,639.00                   | 7,704,522.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन                        | 762,924.00           | -                                | 685,946.00                       | 942,020.00                   | 3,125,746.00                   |                                | 5,516,636.00         |
| <b>जोड़</b>                                             | <b>164,186.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>869,881.00</b>                | <b>669,834.00</b>            | <b>3,498,910.00</b>            | <b>1,172,639.00</b>            | <b>6,375,450.00</b>  |

राशि ₹ में

| विवरण                                                                          | मुख्यालय              | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>भुगतान योग्य वेतन</b>                                                       |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                                                        | 8,634,655.00          | 2,687,186.00                     | 1,866,156.00                     | 1,596,107.00                 | 120,800.00                     |                                | 14,904,904.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान बकाया                                                       | 73,701,557.00         | 2,207,828.00                     | 1,775,942.00                     | 16,701,831.00                | 11,847,976.00                  | 6,479,609.00                   | 112,714,743.00        |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन                                               | 74,628,082.00         | 2,687,186.00                     | 1,866,156.00                     | 16,473,604.00                | 11,837,810.00                  | 5,995,518.00                   | 113,488,356.00        |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>7,708,130.00</b>   | <b>2,207,828.00</b>              | <b>1,775,942.00</b>              | <b>1,824,334.00</b>          | <b>130,966.00</b>              | <b>484,091.00</b>              | <b>14,131,291.00</b>  |
| <b>सेवा निवृत्तियों के लिए प्रावधान एवं सेवान्त लाभ देयता लेखा (नॉन प्लान)</b> |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                                                        | 581,194,376.00        |                                  | -                                | -                            | -                              |                                | 581,194,376.00        |
| घटाया गया: पिछले वर्ष का प्रावधान समायोजित                                     | 581,194,376.00        | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 581,194,376.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान                                                    | 534,343,334.00        | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 534,343,334.00        |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>534,343,334.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       |                                | <b>534,343,334.00</b> |
| <b>सीपीएफ की वसूली</b>                                                         |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                                                        | -                     |                                  | -                                | -                            | -                              |                                | -                     |
| जमा: वर्ष के दौरान वसूली                                                       | 400,000.00            | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 400,000.00            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित                                               | 400,000.00            | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 400,000.00            |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       |                                | <b>-</b>              |
| <b>जीपीएफ की वसूली</b>                                                         |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                                                        | -                     |                                  | -                                | 100.00                       | -                              |                                | 100.00                |
| जमा: वर्ष के दौरान वसूली                                                       | 23,802,663.00         | -                                | -                                | 3,606,000.00                 | -                              | 285,000.00                     | 27,693,663.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित                                               | 23,802,663.00         | -                                | -                                | 3,606,000.00                 | -                              | 285,000.00                     | 27,693,663.00         |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन                                    |                       |                                  |                                  | (100.00)                     |                                |                                | (100.00)              |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>              |
| <b>भवन की मरम्मत एवं रखरखाव का प्रावधान (नॉन प्लान)</b>                        |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                                                        | 2,016.00              | 299,441.00                       | -                                | -                            | -                              |                                | 301,457.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान                                                             | -                     | 250,940.00                       | -                                | -                            | -                              |                                | 250,940.00            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन                                               | 2,016.00              | 299,441.00                       | -                                | -                            | -                              |                                | 301,457.00            |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>-</b>              | <b>250,940.00</b>                | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       |                                | <b>250,940.00</b>     |
| <b>परिसम्पत्तियों को पूंजीगत करने का प्रावधान</b>                              |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                                                        | 550,924.00            | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 550,924.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान                                                             | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                     |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान पूंजीगत                                               | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                     |
| जोड़ा गया: पिछले वर्ष के समायोजन                                               |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>550,924.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       |                                | <b>550,924.00</b>     |
| <b>विविध वसूली (एम.ए. इमाम)</b>                                                |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                                                        | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                     |
| जमा: वर्ष के दौरान                                                             | 145,240.00            | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 145,240.00            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान                                                | 145,240.00            | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 145,240.00            |
| जोड़ा गया: पिछले वर्ष के समायोजन                                               |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| <b>जोड़</b>                                                                    | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       |                                | <b>-</b>              |

राशि ₹ में

| विवरण                                       | मुख्यालय          | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़              |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>बिक्र कर (वैट)</b>                       |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                     | -                 | -                                | -                                | 5,796.00                     | -                              | -                              | 5,796.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान                          | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन            | -                 | -                                | -                                | 5,796.00                     | -                              | -                              | 5,796.00          |
| <b>जोड़</b>                                 | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जीएसटी टीडीएस</b>                        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| सीजीएसटी                                    | 62,691.00         | -                                | -                                | 4,895.00                     | 6,406.00                       | -                              | 73,992.00         |
| एसजीएसटी                                    | 62,691.00         | -                                | -                                | 4,895.00                     | 6,406.00                       | -                              | 73,992.00         |
| आईजीएसटी                                    | 36,376.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 36,376.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान वसूली                    |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| सीजीएसटी                                    | 284,546.00        | 40,259.00                        | 65,236.00                        | 32,479.00                    | 61,747.00                      | 28,716.00                      | 512,983.00        |
| एसजीएसटी                                    | 284,546.00        | 40,259.00                        | 65,236.00                        | 32,479.00                    | 61,747.00                      | 28,716.00                      | 512,983.00        |
| आईजीएसटी                                    | 426,883.00        | -                                | 23,302.00                        | -                            | -                              | 37,919.00                      | 488,104.00        |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित            | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| सीजीएसटी                                    | 312,563.00        | 34,399.00                        | 58,032.00                        | 35,821.00                    | 68,153.00                      | 25,083.00                      | 534,051.00        |
| एसजीएसटी                                    | 312,563.00        | 34,399.00                        | 58,032.00                        | 35,821.00                    | 68,153.00                      | 25,083.00                      | 534,051.00        |
| आईजीएसटी                                    | 463,259.00        | -                                | 21,846.00                        | -                            | -                              | 34,731.00                      | 519,836.00        |
| <b>जोड़</b>                                 | <b>69,348.00</b>  | <b>11,720.00</b>                 | <b>15,864.00</b>                 | <b>3,106.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>10,454.00</b>               | <b>110,492.00</b> |
| <b>स्टाफ से आवास की प्रतिभूति जमा</b>       |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                     | 107,405.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 107,405.00        |
| वर्ष के दौरान वसूली                         | 5,000.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 5,000.00          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान लौटाया गया         | 106,236.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 106,236.00        |
| <b>जोड़</b>                                 | <b>6,169.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>6,169.00</b>   |
| <b>जीसीएलआई की वसूली</b>                    |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त                       | -                 | 19,175.00                        | -                                | 14,200.00                    | -                              | 6,850.00                       | 40,225.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित            | -                 | 19,175.00                        | -                                | 14,300.00                    | -                              | 6,850.00                       | 40,325.00         |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन | -                 | -                                | -                                | 100.00                       | -                              | -                              | 100.00            |
| <b>जोड़</b>                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>          |
| <b>टीडीएस वेतन</b>                          |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | 13,889.00                      | -                              | 13,889.00         |
| वर्ष के दौरान वसूली                         | 7,776,822.00      | 1,773,510.00                     | -                                | 990,387.00                   | 1,052,491.00                   | 440,332.00                     | 12,033,542.00     |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित            | 7,776,822.00      | 1,773,510.00                     | -                                | 990,387.00                   | 1,056,712.00                   | 440,332.00                     | 12,037,763.00     |
| <b>जोड़</b>                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>9,668.00</b>                | <b>-</b>                       | <b>9,668.00</b>   |
| <b>टीडीएस पार्टी</b>                        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                     | 478,268.00        | -                                | -                                | 1,195.00                     | 11,099.00                      | -                              | 490,562.00        |
| वर्ष के दौरान वसूली                         | 3,491,794.00      | 238,346.00                       | 2,124,625.00                     | 268,057.00                   | 106,032.00                     | 156,802.00                     | 6,385,656.00      |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित            | 3,857,169.00      | 198,452.00                       | 2,085,579.00                     | 269,252.00                   | 116,626.00                     | 144,816.00                     | 6,671,894.00      |
| <b>जोड़</b>                                 | <b>112,893.00</b> | <b>39,894.00</b>                 | <b>39,046.00</b>                 | <b>-</b>                     | <b>505.00</b>                  | <b>11,986.00</b>               | <b>204,324.00</b> |

राशि ₹ में

| विवरण                                                  | मुख्यालय              | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>सीजीसी में उच्च डिप्लोमा-विद्यार्थी कल्याण निधि</b> |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                                | 57,000.00             |                                  |                                  |                              |                                |                                | 57,000.00             |
| वर्ष के दौरान प्राप्त                                  | 30,000.00             | -                                |                                  |                              |                                |                                | 30,000.00             |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान                        | -                     | -                                |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| <b>जोड़</b>                                            | <b>87,000.00</b>      | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>87,000.00</b>      |
| <b>उपयोगकर्ता प्रभार देयता लेखा</b>                    |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                                | 10,510,677.77         |                                  |                                  |                              |                                |                                | 10,510,677.77         |
| वर्ष के दौरान प्राप्त                                  | 87,578.91             | -                                |                                  |                              |                                |                                | 87,578.91             |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान                        | -                     | -                                |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| <b>जोड़</b>                                            | <b>10,598,256.68</b>  | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>10,598,256.68</b>  |
| <b>सकल जोड़</b>                                        | <b>599,712,922.10</b> | <b>2,769,270.00</b>              | <b>3,299,203.29</b>              | <b>3,613,661.43</b>          | <b>3,931,255.00</b>            | <b>2,059,299.00</b>            | <b>615,385,610.82</b> |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2020 तक विभिन्न स्रोतों से निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं की अनुसूची

अनुसूची - 5

राशि ₹ में

| विवरण                                              | मुख्यालय            | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>यूनिसेफ सहायता</b>                              |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                            | 2,491,263.71        | 337,708.40                       | 792,428.94                       | 225,327.00                   | 194,864.00                     |                                | 4,041,592.05        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                         | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया   | 620,040.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 620,040.00          |
| <b>जोड़</b>                                        | <b>1,871,223.71</b> | <b>337,708.40</b>                | <b>792,428.94</b>                | <b>225,327.00</b>            | <b>194,864.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>3,421,552.05</b> |
| <b>एफ सी डब्ल्यू टी सी</b>                         |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                            | 6,854.68            | -                                | -                                | 8,585.71                     | -                              | -                              | 15,440.39           |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया   | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                        | <b>6,854.68</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>8,585.71</b>              | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>15,440.39</b>    |
| <b>अन्य स्रोतों से प्राप्त निःशुल्क वस्तुएं</b>    |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                            | 3,508.38            | 2,893.85                         | 150,613.00                       | 16.75                        | -                              | -                              | 157,031.98          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया   | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                        | <b>3,508.38</b>     | <b>2,893.85</b>                  | <b>150,613.00</b>                | <b>16.75</b>                 | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>157,031.98</b>   |
| <b>एम ओपी एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त पुस्तकें</b> |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                            | -                   | -                                | -                                | 15,225.75                    | -                              | -                              | 15,225.75           |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                         | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                        | <b>-</b>            | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>15,225.75</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>15,225.75</b>    |
| <b>आई एल ओ परियोजनाएं</b>                          |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                            | 225,680.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 225,680.00          |
| <b>जोड़</b>                                        | <b>225,680.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>225,680.00</b>   |
| <b>आर.डब्ल्यू.डी.ई.पी. परियोजना</b>                |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                            | 42,406.40           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 42,406.40           |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया   | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                        | <b>42,406.40</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>42,406.40</b>    |
| <b>यू.एन. सहायता प्राप्त परियोजनाएं</b>            |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                            | 84,436.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 84,436.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                         | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया   | 22,500.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 22,500.00           |
| <b>जोड़</b>                                        | <b>61,936.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>61,936.00</b>    |
| <b>आई एफ ए डी</b>                                  |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                            | 120,646.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 120,646.00          |
| <b>जोड़</b>                                        | <b>120,646.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>120,646.00</b>   |

राशि ₹ में

| विवरण                                                   | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>चाइल्ड लाइन सहायता</b>                               |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                 | -                    | -                                | -                                | 121,919.00                   | -                              | -                              | 121,919.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान खरीद                                 | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>121,919.00</b>            | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>121,919.00</b>    |
| <b>विश्व स्वास्थ्य संगठन</b>                            |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                 | 77,835.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 77,835.00            |
| वर्ष के दौरान प्राप्त                                   | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                             | <b>77,835.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>77,835.00</b>     |
| <b>केयर इंडिया से प्राप्त निःशुल्क वस्तुएं – एनआरपी</b> |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                 | 24,234,032.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 24,234,032.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                              | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                             | <b>24,234,032.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>24,234,032.00</b> |
| <b>सकल जोड़</b>                                         | <b>26,644,122.17</b> | <b>340,602.25</b>                | <b>943,041.94</b>                | <b>371,074.21</b>            | <b>194,864.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>28,493,704.57</b> |
| <b>अवमूल्यन का आदि शेष</b>                              |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| जमा/घटाया गया: परिशोधन/समायोजन                          | 22,978,477.82        | 336,070.94                       | 905,546.33                       | 273,987.92                   | 184,000.00                     | -                              | 24,678,083.01        |
|                                                         | (565,982.89)         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | (565,982.89)         |
| वर्ष के दौरान अवमूल्यन                                  | 846,325.00           | 906.33                           | 7,499.10                         | 19,417.00                    | 2,173.00                       | -                              | 876,320.43           |
| <b>जोड़</b>                                             | <b>23,258,819.93</b> | <b>336,977.27</b>                | <b>913,045.43</b>                | <b>293,404.92</b>            | <b>186,173.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>24,988,420.55</b> |
| <b>सकल जोड़</b>                                         | <b>3,385,302.24</b>  | <b>3,624.98</b>                  | <b>29,996.51</b>                 | <b>77,669.29</b>             | <b>8,691.00</b>                | <b>-</b>                       | <b>3,505,284.02</b>  |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

### 31 मार्च, 2020 तक सेवा निवृत्ति लाभों की देयताओं की अनुसूची

अनुसूची - 6

राशि ₹ में

| विवरण                                    | मुख्यालय              | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>सी पी एफ</b>                          |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                  | 19,565,457.16         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 19,565,457.16         |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त               | 1,737,171.43          | 320,000.00                       | -                                | -                            | -                              | -                              | 2,057,171.43          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान          | 9,093,154.00          | 320,000.00                       | -                                | -                            | -                              | -                              | 9,413,154.00          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन         | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                              | <b>12,209,474.59</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>12,209,474.59</b>  |
| <b>जी पी एफ</b>                          |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                  | 197,393,826.89        | 575,417.20                       | 653,873.23                       | 659,948.58                   | 110,368.54                     | -                              | 199,393,434.44        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त               | 55,813,100.11         | 3,237,855.00                     | 3,134,353.12                     | 10,488,131.48                | 1,447,884.00                   | -                              | 74,121,323.71         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान          | 51,853,028.00         | 3,735,000.00                     | 3,490,988.00                     | 10,765,489.00                | 1,302,433.80                   | -                              | 71,146,938.80         |
| जमा/घटाया गया: परिशोधन/<br>समायोजन       | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                              | <b>201,353,899.00</b> | <b>78,272.20</b>                 | <b>297,238.35</b>                | <b>382,591.06</b>            | <b>255,818.74</b>              | <b>-</b>                       | <b>202,367,819.35</b> |
| <b>नई पेंशन योजना</b>                    |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                  | -                     | -                                | -                                | 38,880.00                    | -                              | -                              | 38,880.00             |
| जमा: कर्मचारियों का अंशदान               | 1,608,555.00          | 608,992.00                       | 356,527.00                       | 490,811.00                   | 599,406.00                     | 278,430.00                     | 3,942,721.00          |
| जमा: सरकार का अंशदान                     | 1,741,166.00          | 750,586.00                       | 433,576.00                       | 523,310.00                   | 599,406.00                     | 373,815.00                     | 4,421,859.00          |
| घटाया गया: एन एस डी एल को<br>अंतरित राशि | 3,349,721.00          | 1,359,578.00                     | 790,103.00                       | 1,053,001.00                 | 1,198,812.00                   | 652,245.00                     | 8,403,460.00          |
| <b>जोड़</b>                              | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>              |
| <b>सकल जोड़</b>                          | <b>213,563,373.59</b> | <b>78,272.20</b>                 | <b>297,238.35</b>                | <b>382,591.06</b>            | <b>255,818.74</b>              | <b>-</b>                       | <b>214,577,293.94</b> |

ह0/-  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0/-  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0/-  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

## 31 मार्च, 2020 तक अचल परिसम्पत्तियों की अनुसूची

अनुसूची - 7

राशि ₹ में

| विवरण                                            | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>फर्नीचर, साज सज्जा एवं जुड़नार</b>            |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                          | 23,531,368.95        | 7,196,058.67                     | 3,467,007.87                     | 3,057,286.92                 | 5,592,419.51                   | -                              | 42,844,141.92         |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद                    | 3,074,637.00         | 1,628,895.00                     | 312,551.00                       | 894,260.00                   | 62,290.00                      | 84,360.00                      | 6,056,993.00          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | 819,507.21           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 819,507.21            |
| जमा: उपस्कर खाते से अंतरित                       | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>25,786,498.74</b> | <b>8,824,953.67</b>              | <b>3,779,558.87</b>              | <b>3,951,546.92</b>          | <b>5,654,709.51</b>            | <b>84,360.00</b>               | <b>48,081,627.71</b>  |
| <b>उपकरण</b>                                     |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                          | 18,508,796.22        | 8,347,280.73                     | 2,910,521.07                     | 6,224,935.62                 | 3,144,151.00                   | -                              | 39,135,684.64         |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद                    | 2,632,561.00         | 1,002,866.00                     | 623,525.00                       | 362,560.00                   | 197,447.00                     | 410,928.00                     | 5,229,887.00          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | 3,001,903.39         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 3,001,903.39          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गया     | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>18,139,453.83</b> | <b>9,350,146.73</b>              | <b>3,534,046.07</b>              | <b>6,587,495.62</b>          | <b>3,341,598.00</b>            | <b>410,928.00</b>              | <b>41,363,668.25</b>  |
| <b>भूमि</b>                                      |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                          | 574,769.10           | 282,295.31                       | 2,242,500.00                     | 149,490.50                   | 40.00                          | -                              | 3,249,094.91          |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद                    | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>574,769.10</b>    | <b>282,295.31</b>                | <b>2,242,500.00</b>              | <b>149,490.50</b>            | <b>40.00</b>                   | <b>-</b>                       | <b>3,249,094.91</b>   |
| <b>पुस्तकें एवं जर्नल</b>                        |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                          | 12,141,525.04        | 2,366,472.72                     | 765,594.74                       | 2,041,929.76                 | 93,261.00                      | -                              | 17,408,783.26         |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद                    | 181,502.00           | 35,946.00                        | 20,000.00                        | 9,472.00                     | -                              | -                              | 246,920.00            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| घटाया गया: वसूली गई पुस्तकों की कीमत             | -                    | -                                | -                                | 29,293.00                    | -                              | -                              | 29,293.00             |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>12,323,027.04</b> | <b>2,402,418.72</b>              | <b>785,594.74</b>                | <b>2,022,108.76</b>          | <b>93,261.00</b>               | <b>-</b>                       | <b>17,626,410.26</b>  |
| <b>वाहन</b>                                      |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                          | 2,906,719.54         | 1,362,451.00                     | -                                | 1,746,027.11                 | 371,150.00                     | -                              | 6,386,347.65          |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद                    | 728,510.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 728,510.00            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन      | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>3,635,229.54</b>  | <b>1,362,451.00</b>              | <b>-</b>                         | <b>1,746,027.11</b>          | <b>371,150.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>7,114,857.65</b>   |
| <b>भवन</b>                                       |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                          | 11,843,175.41        | 74,680,301.00                    | 40,274,153.00                    | 41,063,515.20                | 69,252,102.00                  | -                              | 237,113,246.61        |
| जमा: वर्ष के दौरान (पूँजीगत)                     | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन      | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | 257,950,000.00                 | 257,950,000.00        |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>11,843,175.41</b> | <b>74,680,301.00</b>             | <b>40,274,153.00</b>             | <b>41,063,515.20</b>         | <b>69,252,102.00</b>           | <b>257,950,000.00</b>          | <b>495,063,246.61</b> |

| विवरण                                               | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>कम्प्यूटर और सहायक उपकरण</b>                     |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                             | 13,723,775.00        | 1,918,361.00                     | 2,282,702.00                     | 1,222,293.30                 | 1,319,030.00                   | -                              | 20,466,161.30        |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद                       | 1,087,565.00         | 250,851.00                       | 150,754.00                       | 39,506.00                    | -                              | 25,000.00                      | 1,553,676.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया    | 657,539.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 657,539.00           |
| <b>जोड़</b>                                         | <b>14,153,801.00</b> | <b>2,169,212.00</b>              | <b>2,433,456.00</b>              | <b>1,261,799.30</b>          | <b>1,319,030.00</b>            | <b>25,000.00</b>               | <b>21,362,298.30</b> |
| <b>ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली</b>              |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                             | -                    | 767,350.00                       | -                                | -                            | 70,600.00                      | -                              | 837,950.00           |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद                       | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया    | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                         | <b>-</b>             | <b>767,350.00</b>                | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>70,600.00</b>               | <b>-</b>                       | <b>837,950.00</b>    |
| <b>कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करना</b>               |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                             | 555,803.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 555,803.00           |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद                       | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया    | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                         | <b>555,803.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>555,803.00</b>    |
| <b>सॉफ्टवेयर और वेबसाइट/पोर्टल का विकास (प्लान)</b> |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                             | 3,099,001.00         | -                                | 46,380.00                        | -                            | -                              | -                              | 3,145,381.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान                                  | 16,482.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 16,482.00            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान पूंजीगत                    | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                         | <b>3,115,483.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>46,380.00</b>                 | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>3,161,863.00</b>  |
| <b>आईसीडीएस परियोजना</b>                            |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| फर्नीचर एवं सहायक उपकरण                             |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                             | 2,707,577.21         | 112,200.00                       | -                                | 328,649.72                   | -                              | -                              | 3,148,426.93         |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन             | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: बट्टे खाते डाली गई वस्तुएं               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                         | <b>2,707,577.21</b>  | <b>112,200.00</b>                | <b>-</b>                         | <b>328,649.72</b>            | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>3,148,426.93</b>  |
| <b>विश्व बैंक परियोजना</b>                          |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| फर्नीचर एवं सहायक उपकरण                             |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                             | 1,970,834.70         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 1,970,834.70         |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन             | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: बट्टे खाते डाली गई वस्तुएं               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                         | <b>1,970,834.70</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>1,970,834.70</b>  |
| <b>आरडब्ल्यूईपी – स्वशक्ति परियोजनाएं</b>           |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| फर्नीचर एवं सहायक उपकरण                             |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                             | 946,409.38           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 946,409.38           |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद                       | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया    | 177,341.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 177,341.00           |
| <b>जोड़</b>                                         | <b>769,068.38</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>769,068.38</b>    |

राशि ₹ में

| विवरण                                            | मुख्यालय | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़            |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>आईसीडीएस का प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश</b>        |          |                                  |                                  |                              |                                |                                |                 |
| आदि शेष                                          | -        | -                                | -                                | 6,850.00                     | -                              | -                              | 6,850.00        |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया                          |          |                                  |                                  |                              |                                |                                | -               |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | -        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -               |
| <b>जोड़</b>                                      | -        | -                                | -                                | <b>6,850.00</b>              | -                              | -                              | <b>6,850.00</b> |

#### उद्दिशा परियोजना

फर्नीचर एवं सहायक उपकरण

|                                         |                     |                     |                     |                   |                   |          |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|
| आदि शेष                                 | 1,561,654.22        | 1,776,420.00        | 1,666,019.00        | 363,843.80        | 190,674.00        | -        | 5,558,611.02        |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | -        | -                   |
| घटाया गया: बट्टे खाते डाली गई वस्तुएं   | 274,456.00          | -                   | -                   | -                 | -                 | -        | 274,456.00          |
| <b>जोड़</b>                             | <b>1,287,198.22</b> | <b>1,776,420.00</b> | <b>1,666,019.00</b> | <b>363,843.80</b> | <b>190,674.00</b> | <b>-</b> | <b>5,284,155.02</b> |

#### चाइल्डलाइन परियोजनाएं

फर्नीचर एवं सहायक उपकरण

|                               |          |                   |          |          |          |          |                   |
|-------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| आदि शेष                       | -        | 112,717.00        | -        | -        | -        | -        | 112,717.00        |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद | -        | -                 | -        | -        | -        | -        | -                 |
| <b>जोड़</b>                   | <b>-</b> | <b>112,717.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>112,717.00</b> |

#### चल रहा कार्य

|                                                           |                |          |          |          |          |          |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| आदि शेष                                                   | 257,950,000.00 | -        | -        | -        | -        | -        | 257,950,000.00 |
| घटाया गया क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली के भवन को स्थानान्तरित | 257,950,000.00 | -        | -        | -        | -        | -        | 257,950,000.00 |
| <b>जोड़</b>                                               | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       |

#### सकल जोड़

|                                                  |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| आदि शेष                                          | 351,962,271.61       | 98,921,907.43         | 53,654,877.68        | 56,204,821.93        | 80,033,427.51        | -                     | 640,777,306.16        |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान खरीद                    | 7,721,257.00         | 2,918,558.00          | 1,106,830.00         | 1,305,798.00         | 259,737.00           | 520,288.00            | 13,832,468.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया | 4,930,746.60         | -                     | -                    | 29,293.00            | -                    | -                     | 4,960,039.60          |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन      | (257,950,000.00)     | -                     | -                    | -                    | -                    | 257,950,000.00        | -                     |
| <b>जोड़</b>                                      | <b>96,802,782.01</b> | <b>101,840,465.43</b> | <b>54,761,707.68</b> | <b>57,481,326.93</b> | <b>80,293,164.51</b> | <b>258,470,288.00</b> | <b>649,649,734.56</b> |

#### अवमूल्यन

|                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| आदि शेष                              | 68,311,418.50        | 71,177,464.97        | 39,270,895.37        | 39,845,666.69        | 40,978,160.51        | -                     | 259,583,606.04        |
| जमा: वर्ष के दौरान अवमूल्यन          | 6,031,384.00         | 4,244,776.59         | 2,002,656.00         | 1,786,097.00         | 4,074,370.00         | 25,996,942.00         | 44,136,225.59         |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन | (4,659,598.92)       | -                    | -                    | (29,293.00)          | 349,871.00           | 12,897,500.00         | 8,558,479.08          |
| <b>जोड़</b>                          | <b>69,683,203.58</b> | <b>75,422,241.56</b> | <b>41,273,551.37</b> | <b>41,602,470.69</b> | <b>45,402,401.51</b> | <b>38,894,442.00</b>  | <b>312,278,310.71</b> |
| <b>नेट ब्लॉक</b>                     | <b>27,119,578.43</b> | <b>26,418,223.87</b> | <b>13,488,156.31</b> | <b>15,878,856.24</b> | <b>34,890,763.00</b> | <b>219,575,846.00</b> | <b>337,371,423.85</b> |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 तक ऋण एवं अग्रिमों की अनुसूची

अनुसूची - 8

राशि ₹ में

| विवरण                                      | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>त्यौहार अग्रिम (नॉन प्लान)</b>          |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | 9,040.00             |                                  |                                  |                              |                                |                                | 9,040.00             |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                  | -                    |                                  |                                  |                              | -                              |                                | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली             | 4,540.00             |                                  |                                  |                              |                                |                                | 4,540.00             |
| <b>जोड़</b>                                | <b>4,500.00</b>      | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>4,500.00</b>      |
| <b>बीएसएनएल को अग्रिम</b>                  |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | -                    | -                                | -                                | 285,569.00                   | -                              |                                | 285,569.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                  | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली/<br>समायोजन | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                    |
| <b>जोड़</b>                                | -                    | -                                | -                                | <b>285,569.00</b>            | -                              | -                              | <b>285,569.00</b>    |
| <b>टीए/एलटीसी/चिकित्सा अग्रिम</b>          |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | 623,434.00           | -                                | 235,720.00                       | -                            | 11,364.00                      | -                              | 870,518.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                  | 2,077,041.00         | 288,666.00                       | 539,000.00                       | 437,058.00                   | 311,140.00                     | 538,100.00                     | 4,191,005.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली             | 2,442,632.00         | 288,666.00                       | 774,720.00                       | 437,058.00                   | 297,504.00                     | 513,353.00                     | 4,753,933.00         |
| <b>जोड़</b>                                | <b>257,843.00</b>    | -                                | -                                | -                            | <b>25,000.00</b>               | <b>24,747.00</b>               | <b>307,590.00</b>    |
| <b>डीएवीपी के पास जमा खाता</b>             |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | 1,023,782.00         | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 1,023,782.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                  | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन           | 180,664.00           | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 180,664.00           |
| <b>जोड़</b>                                | <b>843,118.00</b>    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>843,118.00</b>    |
| <b>सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम प्लान</b>       |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | 25,959,474.00        | 299,441.00                       | -                                | 2,902,430.00                 | 4,199,388.00                   | -                              | 33,360,733.00        |
| वर्ष के दौरान भुगतान                       | 20,382,047.00        | 250,940.00                       | 3,483,320.00                     | 1,300,000.00                 | 2,141,764.00                   |                                | 27,558,071.00        |
| जमा: सीपीडब्ल्यूडी से वसूली योग्य          | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन           | 20,856,653.00        | 299,441.00                       | -                                | -                            | -                              | -                              | 21,156,094.00        |
| <b>जोड़</b>                                | <b>25,484,868.00</b> | <b>250,940.00</b>                | <b>3,483,320.00</b>              | <b>4,202,430.00</b>          | <b>6,341,152.00</b>            | -                              | <b>39,762,710.00</b> |
| <b>जीसीएलआई की वसूली</b>                   |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | 2,046.70             | -                                | 440.00                           | 300.00                       | -                              |                                | 2,786.70             |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                  | 142,500.00           | -                                | 16,800.00                        | -                            | -                              |                                | 159,300.00           |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली             | 141,930.00           | -                                | 17,240.00                        | -                            | -                              |                                | 159,170.00           |
| <b>जोड़</b>                                | <b>2,616.70</b>      | -                                | -                                | <b>300.00</b>                | -                              | -                              | <b>2,916.70</b>      |

राशि ₹ में

| विवरण                                      | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>आकस्मिक अग्रिम</b>                      |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | 27,011,313.89        | 884.00                           | -                                | -                            | 28,366.00                      | -                              | 27,040,563.89        |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                  | 4,153,120.00         | 1,202,930.00                     | -                                | 985,615.00                   | 452,510.00                     | 1,195,400.00                   | 7,989,575.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन           | 19,514,137.00        | 1,188,274.00                     | -                                | 931,775.00                   | 466,910.00                     | 1,195,400.00                   | 23,296,496.00        |
| <b>जोड़</b>                                | <b>11,650,296.89</b> | <b>15,540.00</b>                 | <b>-</b>                         | <b>53,840.00</b>             | <b>13,966.00</b>               | <b>-</b>                       | <b>11,733,642.89</b> |
| <b>संस्थान द्वारा प्रतिभूति जमा</b>        |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | 211,505.00           | -                                | 45,780.00                        | 2,900.00                     | 102,124.00                     | -                              | 362,309.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                  | -                    | -                                | -                                | -                            | 1,300.00                       | -                              | 1,300.00             |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली             | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                | <b>211,505.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>45,780.00</b>                 | <b>2,900.00</b>              | <b>103,424.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>363,609.00</b>    |
| <b>एक दिवसीय एसआरपी आदि शेष</b>            |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | -                    | -                                | 2,971.01                         | -                            | -                              | -                              | 2,971.01             |
| <b>जोड़</b>                                | <b>-</b>             | <b>-</b>                         | <b>2,971.01</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>2,971.01</b>      |
| <b>पीडब्ल्यूडी रायपुर को अग्रिम</b>        |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | 3,804,500.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 3,804,500.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                  | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली             | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                | <b>3,804,500.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>3,804,500.00</b>  |
| <b>पूर्वप्रदत्त व्यय</b>                   |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | 33,161.00            | 21,114.00                        | -                                | 26,081.00                    | 17,437.00                      | -                              | 97,793.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                  | 65,898.00            | 229,114.00                       | -                                | 15,533.00                    | 10,280.00                      | -                              | 320,825.00           |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन           | 33,161.00            | 21,114.00                        | -                                | 26,081.00                    | 17,437.00                      | -                              | 97,793.00            |
| <b>जोड़</b>                                | <b>65,898.00</b>     | <b>229,114.00</b>                | <b>-</b>                         | <b>15,533.00</b>             | <b>10,280.00</b>               | <b>-</b>                       | <b>320,825.00</b>    |
| <b>सीएमयू संस्थानों को अग्रिम</b>          |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | 11,727.55            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 11,727.55            |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                  | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन           | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                | <b>11,727.55</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>11,727.55</b>     |
| <b>सीएमयू संस्थानों को अग्रिम 1/3/2014</b> |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | 1,359,103.87         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 1,359,103.87         |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                  | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन           | 86,817.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 86,817.00            |
| <b>जोड़</b>                                | <b>1,272,286.87</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>1,272,286.87</b>  |
| <b>आकस्मिक दायित्व के लिए जमा</b>          |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                    | 490,751.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 490,751.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान जमा                     | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली/समायोजन     | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                | <b>490,751.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>490,751.00</b>    |

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

राशि ₹ में

| विवरण                                           | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>स्कीम ऑफ असिस्टेंट – ए हैंडबुक का मुद्रण</b> |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                         | 68,841.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 68,841.00            |
| <b>जोड़</b>                                     | <b>68,841.00</b>     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>68,841.00</b>     |
| <b>भवन हेतु सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम</b>         |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                         | 96,030.97            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 96,030.97            |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                       |                      |                                  |                                  |                              |                                | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन                | -                    |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| <b>जोड़</b>                                     | <b>96,030.97</b>     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>96,030.97</b>     |
| <b>सीपीडब्ल्यूडी अग्रिम (नॉन प्लान)</b>         |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                         | 564,970.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 564,970.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान भुगतान                       | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन                | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                     | <b>564,970.00</b>    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>564,970.00</b>    |
| <b>स्थायी अग्रिम</b>                            |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                         | 5,000.00             |                                  |                                  | -                            | 2,000.00                       |                                | 7,000.00             |
| वर्ष के दौरान भुगतान                            | -                    |                                  | -                                | 5,947.00                     | 6,000.00                       | 4,000.00                       | 15,947.00            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन                | -                    |                                  | -                                | 1,947.00                     | 4,000.00                       | 4,000.00                       | 9,947.00             |
| <b>जोड़</b>                                     | <b>5,000.00</b>      | -                                | -                                | <b>4,000.00</b>              | <b>4,000.00</b>                | -                              | <b>13,000.00</b>     |
| <b>सकल जोड़</b>                                 | <b>44,834,752.98</b> | <b>495,594.00</b>                | <b>3,532,071.01</b>              | <b>4,564,572.00</b>          | <b>6,497,822.00</b>            | <b>24,747.00</b>               | <b>59,949,558.99</b> |

ह0 / –  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / –  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / –  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

## 31 मार्च, 2020 तक विविध देनदार परियोजनाओं की अनुसूची

अनुसूची - 9

राशि ₹ में

| विवरण                                                                                 | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>एनसीएफ</b>                                                                         |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                               | -                    | -                                | 890.00                           | -                            | -                              | -                              | 890.00               |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                      | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                           | -                    | -                                | <b>890.00</b>                    | -                            | -                              | -                              | <b>890.00</b>        |
| <b>महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य योजना पर बैठक 11-12 अप्रैल 2013</b>             |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                               | 5,612.00             | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 5,612.00             |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                      | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                           | <b>5,612.00</b>      | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>5,612.00</b>      |
| <b>स्टेप परियोजनाएं</b>                                                               |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                               | -                    | -                                | -                                | -                            | 9,050.00                       | -                              | 9,050.00             |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                      | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                           | -                    | -                                | -                                | -                            | <b>9,050.00</b>                | -                              | <b>9,050.00</b>      |
| <b>म.बा.वि.म.— एनएमईडब्ल्यू के सीएमसी की बैठक 14.7.2010</b>                           |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                               | 6,595.00             | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 6,595.00             |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि                                                 | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                           | <b>6,595.00</b>      | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>6,595.00</b>      |
| <b>सशुल्क कार्यक्रम—एनसीएफ हौसला 2018</b>                                             |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                               | 9,448,657.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 9,448,657.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                               | 1,029,899.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 1,029,899.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                      | 75,520.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 75,520.00            |
| जमा/घटाया गया: निम्न शीर्ष/<br>अनुसूची 3 को अंतरित                                    | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                           | <b>10,403,036.00</b> | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>10,403,036.00</b> |
| <b>महिला विकास प्रभाग की परियोजना</b>                                                 |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                               | 298,957.49           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 298,957.49           |
| <b>जोड़</b>                                                                           | <b>298,957.49</b>    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>298,957.49</b>    |
| <b>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय— आईसीपीएस पर राज्य सचिवों की बैठक—15 और 23 जून 09</b> |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                               | 38,852.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 38,852.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                      | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                           | <b>38,852.00</b>     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>38,852.00</b>     |

राशि ₹ में

| विवरण                                                                             | मुख्यालय            | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>जेंडर बजट विश्लेषा सेल</b>                                                     |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                           | 30,665.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 30,665.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                           | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                       | <b>30,665.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>30,665.00</b>    |
| <b>म.बा.वि.मं. — म.बा.वि.मं. की वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण 2001-02</b>             |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                           | 1,967,306.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 1,967,306.00        |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त /<br>समायोजित वर्ष के दौरान व्यय                 | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                       | <b>1,967,306.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>1,967,306.00</b> |
| <b>म.बा.वि.मं. — महिलाओं एवं बच्चों के कार्यबल पर रिपोर्ट का मुद्रण</b>           |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                           | 9,984.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 9,984.00            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त /<br>समायोजित वर्ष के दौरान व्यय                 | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                       | <b>9,984.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>9,984.00</b>     |
| <b>कम्प्यूटर एप्लिकेशन पर विश्व अनुदान आयोग का कार्यक्रम</b>                      |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                           | 25,585.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 25,585.00           |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                  | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                       | <b>25,585.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>25,585.00</b>    |
| <b>सशुल्क कार्यक्रम—एनसीएफ हौसला 2019</b>                                         |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                           | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                           | 12,428,705.00       | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 12,428,705.00       |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                  | 7,685,000.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 7,685,000.00        |
| <b>जोड़</b>                                                                       | <b>4,743,705.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>4,743,705.00</b> |
| <b>म.बा.वि.मं. — स्टेप पर विभाग का प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन 18.10.2013</b>         |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                           | 22,009.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 22,009.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                           | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                       | <b>22,009.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>22,009.00</b>    |
| <b>म.बा.वि.मं. — अनुसूचित जाति की महिलाओं के मुद्दों पर सम्मेलन 30-31 मई 2011</b> |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                           | 189,392.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 189,392.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                           | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन                                                  | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                       | <b>189,392.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>189,392.00</b>   |
| <b>म.बा.वि.मं. — सीएसओ पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक — 25.11.2011</b>                 |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                           | 4,680.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 4,680.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                           | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                  | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                       | <b>4,680.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>4,680.00</b>     |

राशि ₹ में

| विवरण                                                                                              | मुख्यालय          | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>म.बा.वि.वि. सीडीसीएफईओवीओएसएस पर क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु में 30.3.05 को आयोजित कार्यशाला</b> |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                            | 73,892.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 73,892.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                                            | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                        | <b>73,892.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>73,892.00</b>  |
| <b>राज्य सरकार के कार्यक्रम</b>                                                                    |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                            | -                 | -                                | 74,183.00                        | -                            | -                              | -                              | 74,183.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                                            | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन                                                                   | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                        | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>74,183.00</b>                 | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>74,183.00</b>  |
| <b>बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु म.बा.वि.वि. की योजना</b>                                        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                            | 15,833.40         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 15,833.40         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त /<br>समायोजित वर्ष के दौरान व्यय                                  | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                        | <b>15,833.40</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>15,833.40</b>  |
| <b>म.बा.वि.वि. एवं बा.वि. के प्रभावी राज्य सचिवों का सम्मेलन – 19-20 अप्रैल 2012</b>               |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                            | 95,481.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 95,481.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                                            | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                                   | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                        | <b>95,481.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>95,481.00</b>  |
| <b>बाल निर्देशन में उच्च डिप्लोमा व्यावहारिक परीक्षा हेतु प्राप्ति</b>                             |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                            | 40,500.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 40,500.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                                            | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                        | <b>40,500.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>40,500.00</b>  |
| <b>म.बा.वि.मं. अनुसूचित जाति की महिलाओं / बच्चों की समस्या का पता लगाना 18-19 जनवरी 2011</b>       |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                            | 318,715.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 318,715.00        |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                                   | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                        | <b>318,715.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>318,715.00</b> |
| <b>म.बा.वि.मं. – राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास की पत्रकारों के साथ बैठक – 23.09.2011</b>        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                            | 2,590.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 2,590.00          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                                   | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                        | <b>2,590.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>2,590.00</b>   |
| <b>म.बा.वि.मं. – महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार से निपटने पर सीएसी की बैठक 12.12.2013</b>    |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                            | 11,900.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 11,900.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                                            | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                                   | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                                        | <b>11,900.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>11,900.00</b>  |
| <b>आर.डब्ल्यू.डी.ई.पी. एस.एस.पी. एल.टी.ए. परियोजना लेखा</b>                                        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                                            | 123,455.65        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 123,455.65        |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                                            | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: अनुसूची 3 को अंतरित – सीपीएसयू                                                          | 123,455.65        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 123,455.65        |
| <b>जोड़</b>                                                                                        | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>          |

राशि ₹ में

| विवरण                                                                                        | मुख्यालय            | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>म.बा.वि.वि. समवर्ती मूल्यांकन (स्टैप)</b>                                                 |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                                      | 40,828.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 40,828.00           |
| वर्ष के दौरान व्यय                                                                           | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>40,828.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>40,828.00</b>    |
| <b>म.बा.वि.मं. पोषण पर हेल्पलाइन</b>                                                         |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                                      | 304,962.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 304,962.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                                      | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                             | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>304,962.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>304,962.00</b>   |
| <b>म.बा.वि.मं. — महिलाओं के सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मिशन</b>                                  |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                                      | 3,370.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 3,370.00            |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय                                                                | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                                   | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>3,370.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>3,370.00</b>     |
| <b>म.बा.वि.मं. — राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 14 नवम्बर 2010</b>                                   |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                                      | 131,133.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 131,133.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                                      | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                             | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>131,133.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>131,133.00</b>   |
| <b>म.बा.वि.मं. — महिला हेल्पलाइन पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 5.8.14</b>   |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                                      | 24,130.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 24,130.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                                      | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                             | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>24,130.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>24,130.00</b>    |
| <b>म.बा.वि.मं. — राष्ट्रीय रिसोर्स प्लेटफॉर्म (एनआरपी)</b>                                   |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                                      | 4,403,833.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 4,403,833.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                                      | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                             | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>4,403,833.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>4,403,833.00</b> |
| <b>म.बा.वि.मं. — पोक्सो अधिनियम 2012 की जागरूकता के प्रचार प्रसार हेतु क्षेत्रीय सम्मेलन</b> |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                                      | 92,891.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 92,891.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                                      | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त /<br>समायोजित वर्ष के दौरान व्यय                            | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>92,891.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>92,891.00</b>    |
| <b>यूजीसी — एसटीएसएसएफयूएनआई में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम परियोजना प्रपत्र 5-24 जनवरी 04</b>     |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                                                      | 89,796.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 89,796.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                                      | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                             | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                                                                  | <b>89,796.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>89,796.00</b>    |

राशि ₹ में

| विवरण                                                                                | मुख्यालय          | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>म.बा.वि.मं. — पीसीएम पर कार्य योजना मसौदे पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक 18.7.2013</b> |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                              | 2,666.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 2,666.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                              | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                          | <b>2,666.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>2,666.00</b>   |
| <b>म.बा.वि.मं. — राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 22.01.2014</b>                             |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                              | 552,840.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 552,840.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                              | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                          | <b>552,840.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>552,840.00</b> |
| <b>म.बा.वि.मं.— अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08.03.2014</b>                             |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                              | 8,326.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 8,326.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                              | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                          | <b>8,326.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>8,326.00</b>   |
| <b>म.बा.वि.मं. — निर्मया निधि पर कार्यबल की बैठक 27.5.13</b>                         |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                              | 6,820.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 6,820.00          |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                              | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                          | <b>6,820.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>6,820.00</b>   |
| <b>म.बा.वि.मं. — विज्ञान भवन में उच्च स्तरीय समिति की बैठक 24.7.2012</b>             |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                              | 142.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 142.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                              | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                          | <b>142.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>142.00</b>     |
| <b>म.बा.वि.वि. — म.बा.वि.वि. की वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण</b>                        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                              | 8,825.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 8,825.00          |
| जमा: अनुसूची-8 से अंतरित                                                             | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                          | <b>8,825.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>8,825.00</b>   |
| <b>म.बा.वि.मं. — पंचायती राज एमएसडब्ल्यू में महिलाओं की भूमिका 03.03.2013</b>        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                              | 39,524.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 39,524.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                              | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                          | <b>39,524.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>39,524.00</b>  |
| <b>म.बा.वि.मं. — स्टेप योजना पर प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन 19-20 मार्च 2015</b>         |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                   |
| आदि शेष                                                                              | 15,656.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 15,656.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                              | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                                     | -                 | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                 |
| <b>जोड़</b>                                                                          | <b>15,656.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>15,656.00</b>  |

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

राशि ₹ में

| विवरण                                                                         | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>म.बा.वि.वि. एवं बा.वि. के प्रभावी राज्य सचिवों पर सम्मेलन — 02.03.2013</b> |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                       | 12,848.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 12,848.00            |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                       | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                              | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                   | <b>12,848.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>12,848.00</b>     |
| <b>म.बा.वि.मं. — सीएमयू 2010—11</b>                                           |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                       | 930,402.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 930,402.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान व्यय                                                       | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त                                              | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन                                   | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                                                   | <b>930,402.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>930,402.00</b>    |
| <b>सकल जोड़</b>                                                               | <b>24,974,281.89</b> | <b>-</b>                         | <b>75,073.00</b>                 | <b>-</b>                     | <b>9,050.00</b>                | <b>-</b>                       | <b>25,058,404.89</b> |

ह0 /—  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 /—  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 /—  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 तक सीपीएफ, जीपीएफ तथा अन्य लेखाओं के अन्तर्गत निवेश की अनुसूची

अनुसूची - 10

राशि ₹ में

| विवरण                                          | मुख्यालय              | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>जी पी एफ (निवेश)</b>                        |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                        | 177,664,164.58        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 177,664,164.58        |
| जमा: निवेश की गई राशि                          | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| घटाया गया: परिपक्व निवेश                       | 13,000,000.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 13,000,000.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि         | 9,804,538.71          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 9,804,538.71          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन               | 8,376,369.71          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 8,376,369.71          |
| घटाया गया: निवेश को भुनाने पर हुआ घाटा         | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| जोड़ा गया: पिछले वर्ष के समायोजन               | (194,300.00)          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | (194,300.00)          |
| जमा/घटाया गया: परिशोधन/समायोजन                 | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                                    | <b>166,286,633.58</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>166,286,633.58</b> |
| <b>सी पी एफ (निवेश)</b>                        |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                        | 12,369,882.84         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 12,369,882.84         |
| जमा: निवेश की गई राशि                          | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| घटाया गया: परिपक्व निवेश                       | 2,500,000.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 2,500,000.00          |
| घटाया गया: जीपीएफ से भुनाया गया प्राप्ति योग्य | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि         | 2,611,881.15          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 2,611,881.15          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन               | 1,779,337.13          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 1,779,337.13          |
| घटाया गया: निवेश को भुनाने पर हुआ घाटा         | 260,408.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                                    | <b>10,442,018.86</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>10,702,426.86</b>  |
| <b>बैंक में नकदी</b>                           |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| जीपीएफ (इति शेष)                               | 35,067,265.42         | 78,272.20                        | 297,238.35                       | 382,591.06                   | 255,818.74                     | -                              | 36,081,185.77         |
| सीपीएफ (इति शेष)                               | 1,767,455.73          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 1,767,455.73          |
| <b>जोड़</b>                                    | <b>36,834,721.15</b>  | <b>78,272.20</b>                 | <b>297,238.35</b>                | <b>382,591.06</b>            | <b>255,818.74</b>              | <b>-</b>                       | <b>37,848,641.50</b>  |
| <b>मौरिस पेट पुरस्कार (निवेश)</b>              |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                        | 800,000.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 800,000.00            |
| जमा: निवेश की गई राशि                          | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय भुनाया गया       | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                                    | <b>800,000.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>800,000.00</b>     |
| <b>जोड़</b>                                    | <b>214,363,373.59</b> | <b>78,272.20</b>                 | <b>297,238.35</b>                | <b>382,591.06</b>            | <b>255,818.74</b>              | <b>-</b>                       | <b>215,377,293.94</b> |

ह0/-  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0/-  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0/-  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  
31 मार्च, 2020 तक डाक टिकटों और सेवा टिकटों के इति शेष की अनुसूची

अनुसूची - 11

राशि ₹ में

| विवरण                                   | मुख्यालय         | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़             |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| आदि शेष                                 | 50,984.95        | 4,528.00                         | 419.00                           | 454.00                       | -                              |                                | 56,385.95        |
| जमा: वर्ष के दौरान खरीद                 | -                | 11,030.00                        | 19,811.00                        | 15,000.00                    | -                              |                                | 45,841.00        |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया | -                | 11,892.00                        | 19,975.00                        | 11,740.00                    | -                              |                                | 43,607.00        |
| <b>सकल जोड़</b>                         | <b>50,984.95</b> | <b>3,666.00</b>                  | <b>255.00</b>                    | <b>3,714.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>58,619.95</b> |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2020 तक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निःशुल्क वस्तुओं के इति शेष की अनुसूची

अनुसूची - 12

राशि ₹ में

| विवरण                                                  | मुख्यालय            | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>एफसीडब्ल्यूटीसी</b>                                 |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                | 6,854.68            | -                                | -                                | 8,585.71                     | -                              | -                              | 15,440.39           |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान निपटाया गया                   | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                            | <b>6,854.68</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>8,585.71</b>              | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>15,440.39</b>    |
| <b>यूनिसेफ</b>                                         |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                | 2,491,263.71        | 337,708.40                       | 792,428.94                       | 225,327.00                   | 194,864.00                     | -                              | 4,041,592.05        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                             | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया       | 620,040.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 620,040.00          |
| <b>जोड़</b>                                            | <b>1,871,223.71</b> | <b>337,708.40</b>                | <b>792,428.94</b>                | <b>225,327.00</b>            | <b>194,864.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>3,421,552.05</b> |
| <b>अन्य स्रोतों से प्राप्त निःशुल्क वस्तुएं</b>        |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                | 3,508.38            | 2,893.85                         | 150,613.00                       | -                            | -                              | -                              | 157,015.23          |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                             | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया       | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                            | <b>3,508.38</b>     | <b>2,893.85</b>                  | <b>150,613.00</b>                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>157,015.23</b>   |
| <b>पुस्तकालय हेतु अन्य स्रोतों से प्राप्त पुस्तकें</b> |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                | -                   | -                                | -                                | 16.75                        | -                              | -                              | 16.75               |
| <b>जोड़</b>                                            | <b>-</b>            | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>16.75</b>                 | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>16.75</b>        |
| <b>एमओपी से प्राप्त पुस्तकें</b>                       |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                | -                   | -                                | -                                | 15,225.75                    | -                              | -                              | 15,225.75           |
| <b>जोड़</b>                                            | <b>-</b>            | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>15,225.75</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>15,225.75</b>    |
| <b>आई एल ओ परियोजनाएं</b>                              |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                | 225,680.00          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 225,680.00          |
| <b>जोड़</b>                                            | <b>225,680.00</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>225,680.00</b>   |
| <b>आरडब्ल्यूईपी – स्वशक्ति परियोजनाएं</b>              |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                | 42,406.40           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 42,406.40           |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया       | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| <b>जोड़</b>                                            | <b>42,406.40</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>42,406.40</b>    |
| <b>यू.एन. सहायता प्राप्त परियोजनाएं</b>                |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| आदि शेष                                                | 84,436.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 84,436.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                             | -                   | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                   |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया       | 22,500.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 22,500.00           |
| <b>जोड़</b>                                            | <b>61,936.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>61,936.00</b>    |

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

राशि ₹ में

| विवरण                                                    | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>चाइल्डलाइन सहायता</b>                                 |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                  | -                    | -                                | -                                | 121,919.00                   | -                              | -                              | 121,919.00           |
| जमा: वर्ष के दौरान खरीद                                  |                      |                                  |                                  | -                            |                                |                                | -                    |
| <b>जोड़</b>                                              | <b>-</b>             |                                  |                                  | <b>121,919.00</b>            | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>121,919.00</b>    |
| <b>आई एफ ए डी</b>                                        |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                  | 120,646.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 120,646.00           |
| <b>जोड़</b>                                              | <b>120,646.00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>120,646.00</b>    |
| <b>विश्व स्वास्थ्य संगठन</b>                             |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                  | 77,835.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 77,835.00            |
| <b>जोड़</b>                                              | <b>77,835.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>77,835.00</b>     |
| <b>केयर इंडिया से प्राप्त निरुशुल्क वस्तुएं – एनआरपी</b> |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                  | 24,234,032.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 24,234,032.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त                               | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>जोड़</b>                                              | <b>24,234,032.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>24,234,032.00</b> |
| <b>निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं का सकल जोड़</b>              | <b>26,644,122.17</b> | <b>340,602.25</b>                | <b>943,041.94</b>                | <b>371,074.21</b>            | <b>194,864.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>28,493,704.57</b> |
| <b>अवमूल्यन</b>                                          |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                  | 22,978,477.82        | 336,070.94                       | 905,546.33                       | 273,987.92                   | 184,000.00                     | -                              | 24,678,083.01        |
| जमा / घटाया गया / परिशोधन / समायोजन                      | (565,982.89)         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | (565,982.89)         |
| वर्ष के दौरान अवमूल्यन                                   | 846,325.00           | 906.33                           | 7,499.10                         | 19,417.00                    | 2,173.00                       | -                              | 876,320.43           |
| <b>कुल अवमूल्यन</b>                                      | <b>23,258,819.93</b> | <b>336,977.27</b>                | <b>913,045.43</b>                | <b>293,404.92</b>            | <b>186,173.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>24,988,420.55</b> |
| <b>सकल जोड़</b>                                          | <b>3,385,302.24</b>  | <b>3,624.98</b>                  | <b>29,996.51</b>                 | <b>77,669.29</b>             | <b>8,691.00</b>                | <b>-</b>                       | <b>3,505,284.02</b>  |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2020 तक नकदी और बैंक में शेष की अनुसूची

अनुसूची - 13

राशि ₹ में

| विवरण                                                     | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>बैंक शेष</b>                                           |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| i. बैंक                                                   | 63,180,301.92        | 355,692.96                       | 3,621,503.08                     | 150,446.90                   | 3,162,325.76                   | 1,574,766.00                   | 72,045,036.62        |
| ii. बैंक                                                  | -                    | -                                | -                                | 2,876,242.43                 |                                |                                | 2,876,242.43         |
| नकदी                                                      | 3,625.00             | 50,260.00                        | -                                | -                            | -                              | -                              | 53,885.00            |
| पारगमन निधि                                               | -                    | 3,500,000.00                     | -                                | -                            | -                              | -                              | 3,500,000.00         |
| इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के पास निपसिड-सीपीएसयू लेखा    | 3,551,587.59         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 3,551,587.59         |
| सिडिकेट बैंक के पास उपयोगकर्ता प्रभार खाते 90492010122763 | 10,598,256.68        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 10,598,256.68        |
| <b>सकल जोड़</b>                                           | <b>77,333,771.19</b> | <b>3,905,952.96</b>              | <b>3,621,503.08</b>              | <b>3,026,689.33</b>          | <b>3,162,325.76</b>            | <b>1,574,766.00</b>            | <b>92,625,008.32</b> |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

**राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान**  
**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के**  
**रूप में अनुदान/आर्थिक सहायता की अनुसूची**  
**अनुदान / आर्थिक सहायता की अनुसूची**

**अनुसूची - 14**

|                                          |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                | राशि ₹ में            |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| विवरण                                    | मुख्यालय              | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
| वेतन                                     |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| वेतन                                     | 245,729,000.00        | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 245,729,000.00        |
| सामान्य राजस्व                           | 103,200,000.00        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 103,200,000.00        |
| गैर-एनईआर सामान्य                        | 165,688,000.00        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 165,688,000.00        |
| एनईआर सामान्य                            | 15,000,000.00         |                                  |                                  |                              |                                |                                | 15,000,000.00         |
| <b>कुल अनुदान</b>                        | <b>529,617,000.00</b> |                                  |                                  |                              |                                |                                | <b>529,617,000.00</b> |
| <b>जमा: पिछले वर्ष की अव्ययित राशि</b>   |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| पूर्व वेतन                               | 3,670,525.00          |                                  |                                  |                              |                                |                                | 3,670,525.00          |
| पूर्व सामान्य रेवेन्यू                   | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| पूर्व गैर-एनईआर सामान्य                  | 4,312,224.45          |                                  |                                  |                              |                                |                                | 4,312,224.45          |
| पूर्व एनईआर सामान्य                      | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| <b>उप जोड़</b>                           | <b>537,599,749.45</b> |                                  |                                  |                              |                                |                                | <b>537,599,749.45</b> |
| <b>घटाया गया: अनुदान की अव्ययित राशि</b> |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| वेतन                                     | 3,013,241.00          |                                  |                                  |                              |                                |                                | 3,013,241.00          |
| सामान्य राजस्व                           | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| गैर-एनईआर सामान्य                        | 2,699,394.77          |                                  |                                  |                              |                                |                                | 2,699,394.77          |
| एनईआर सामान्य                            | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| <b>उप जोड़</b>                           | <b>5,712,635.77</b>   |                                  |                                  |                              |                                |                                | <b>5,712,635.77</b>   |
| <b>जोड़</b>                              | <b>531,887,113.68</b> | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>531,887,113.68</b> |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

### 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

|                                                          |                |                       |                        | राशि ₹ में |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|
| आय                                                       | अनुसूची संख्या | चालू वर्ष             | पिछले वर्ष             |            |
| अनुदान                                                   | 14             | 531,887,113.68        | 507,433,357.9          |            |
| क्षेत्रीय केन्द्रों दी गई निधियां                        | 15             | 171,372,109.00        | 153,867,740            |            |
| <b>जोड़ (क)</b>                                          |                | <b>703,259,222.68</b> | <b>661,301,097.93</b>  |            |
| <b>व्यय</b>                                              |                |                       |                        |            |
| स्थापना व्यय                                             | 16             | 325,339,399.00        | 343,945,379.00         |            |
| कोर कार्यक्रम गतिविधियां                                 | 17             | 81,058,252.40         | 123,442,089.17         |            |
| अन्य प्रशासनिक व्यय                                      | 18             | 81,345,362.28         | 62,962,627.76          |            |
| क्षेत्रीय केन्द्रों दी गई निधियां                        | 19             | 171,372,109.00        | 153,867,740.00         |            |
| <b>जोड़ (ठ)</b>                                          |                | <b>659,115,122.68</b> | <b>684,217,835.93</b>  |            |
| <b>व्यय से आय की अधिकता / आय से व्यय की अधिकता (A-B)</b> |                | <b>44,144,100.00</b>  | <b>(22,916,738.00)</b> |            |

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में  
वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से  
फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

ह0/-  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0/-  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0/-  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

ह0/-  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0/-  
(सी.ए. वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0-083861

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

|                                    |                |                       |                            |                           |                        |                          |                          | राशि ₹ में            |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| आय                                 | अनुसूची संख्या | मुख्यालय              | क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी | क्षेत्रीय केन्द्र बंगलुरु | क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ | क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर | क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली | जोड़                  |
| अनुदान/आर्थिक सहायता               | 14             | 531,887,113.68        | -                          | -                         | -                      | -                        | -                        | 531,887,113.68        |
| क्षेत्रीय केन्द्रों दी गई निधियांC | 15             | -                     | 44,581,442.00              | 45,376,490.00             | 28,694,202.00          | 32,740,263.00            | 19,979,712.00            | 171,372,109.00        |
| <b>जोड़ (क)</b>                    |                | <b>531,887,113.68</b> | <b>44,581,442.00</b>       | <b>45,376,490.00</b>      | <b>28,694,202.00</b>   | <b>32,740,263.00</b>     | <b>19,979,712.00</b>     | <b>703,259,222.68</b> |
| <b>व्यय</b>                        |                |                       |                            |                           |                        |                          |                          |                       |
| स्थापना व्यय                       | 16             | 227,825,399.00        | 29,111,216.00              | 25,095,153.00             | 20,790,150.00          | 14,403,282.00            | 8,114,199.00             | 325,339,399.00        |
| कोर कार्यक्रम गतिविधियां           | 17             | 41,015,369.00         | 7,912,131.00               | 12,602,270.40             | 5,887,265.00           | 7,453,268.00             | 6,187,949.00             | 81,058,252.40         |
| अन्य प्रशासनिक व्यय                | 18             | 46,788,736.00         | 6,474,217.00               | 6,412,572.60              | 5,613,043.00           | 8,919,443.68             | 7,137,350.00             | 81,345,362.28         |
| क्षेत्रीय केन्द्रों दी गई निधियां  | 19             | 171,372,109.00        | -                          | -                         | -                      | -                        | -                        | 171,372,109.00        |
| <b>जोड़ (ख)</b>                    |                | <b>487,001,613.00</b> | <b>43,497,564.00</b>       | <b>44,109,996.00</b>      | <b>32,290,458.00</b>   | <b>30,775,993.68</b>     | <b>21,439,498.00</b>     | <b>637,675,624.68</b> |
| व्यय से आय की अधिकता (क-ख)         |                | 44,885,500.68         | 1,083,878.00               | 1,266,494.00              | -                      | 1,964,269.32             | -                        | 49,200,142.00         |
| आय से व्यय की अधिकता (ख-क)         |                | -                     | -                          | -                         | 3,596,256.00           | -                        | 1,459,786.00             | 5,056,042.00          |
| <b>निवल शेष</b>                    |                | <b>44,885,500.68</b>  | <b>1,083,878.00</b>        | <b>1,266,494.00</b>       | <b>(3,596,256.00)</b>  | <b>1,964,269.32</b>      | <b>(1,459,786.00)</b>    | <b>44,144,100.00</b>  |

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में  
वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से  
फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

ह0 / -  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0 / -  
(सी.ए. वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0-083861

**राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान**  
**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के**  
**रूप में अनुदान/आर्थिक सहायता की अनुसूची**  
**केन्द्रों को दी गई/क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा प्राप्त निधियों की अनुसूची**

**अनुसूची - 15**

राशि ₹ में

| विवरण                       | मुख्यालय | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| मुख्यालय से प्राप्त निधियां |          | 44,581,442.00                    | 45,376,490.00                    | 28,694,202.00                | 32,740,263.00                  | 19,979,712.00                  | 171,372,109.00        |
| <b>जोड़</b>                 | <b>-</b> | <b>44,581,442.00</b>             | <b>45,376,490.00</b>             | <b>28,694,202.00</b>         | <b>32,740,263.00</b>           | <b>19,979,712.00</b>           | <b>171,372,109.00</b> |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के  
भाग के रूप में अनुदान/आर्थिक सहायता की अनुसूची  
स्थापना व्यय की अनुसूची

अनुसूची - 16

राशि ₹ में

| विवरण                                       | मुख्यालय              | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>वेतन एवं भत्ते</b>                       |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| वेतन एवं पारिश्रमिक                         | 124,106,438.00        | 26,938,075.00                    | 23,079,705.00                    | 19,012,685.00                | 12,839,437.00                  | 7,077,139.00                   | 213,053,479.00        |
| छुट्टी यात्रा रियायत                        | 536,444.00            | 53,152.00                        | 213,918.00                       | 243,443.00                   | 126,768.00                     | 46,864.00                      | 1,220,589.00          |
| बाल शिक्षा भत्ता                            | 925,245.00            | 351,000.00                       | 297,000.00                       | 459,000.00                   | 216,000.00                     | 27,000.00                      | 2,275,245.00          |
| चिकित्सा प्रभारों की प्रतिपूर्ति            | 13,423,609.00         | 637,542.00                       | 606,270.00                       | 366,733.00                   | 239,476.00                     | 30,503.00                      | 15,304,133.00         |
| छुट्टी के वेतन का अंशदान                    | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| नई पेंशन योजना में सरकार का योगदान          | 1,741,166.00          | 750,586.00                       | 434,153.00                       | 523,310.00                   | 733,919.00                     | 373,815.00                     | 4,556,949.00          |
| सीपीएफ में संस्थान का योगदान                | 97,710.00             |                                  |                                  |                              |                                |                                | 97,710.00             |
| बोनस                                        | 566,456.00            | 179,608.00                       | 121,466.00                       | 134,706.00                   | 55,264.00                      | 13,816.00                      | 1,071,316.00          |
| ईपीएफ में संस्थान का योगदान                 |                       | -                                | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| यात्रा एवं दैनिक भत्ता                      | 8,352,152.00          | 201,253.00                       | 342,641.00                       | 50,273.00                    | 192,418.00                     | 545,062.00                     | 9,683,799.00          |
| समयोपरि भत्ता                               | 57,284.00             | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 57,284.00             |
| पूर्वावधि व्यय                              | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                                 | <b>149,806,504.00</b> | <b>29,111,216.00</b>             | <b>25,095,153.00</b>             | <b>20,790,150.00</b>         | <b>14,403,282.00</b>           | <b>8,114,199.00</b>            | <b>247,320,504.00</b> |
| <b>पेंशन एवं सेवा निवृत्ति लाभ</b>          |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| सेवा निवृत्ति एवं सेवान्त लाभों पर व्यय     | 124,869,937.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 124,869,937.00        |
| सेवा निवृत्ति लाभों पर व्यय के लिए प्रावधान | (46,851,042.00)       | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | (46,851,042.00)       |
| <b>जोड़</b>                                 | <b>78,018,895.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>78,018,895.00</b>  |
| <b>सकल जोड़</b>                             | <b>227,825,399.00</b> | <b>29,111,216.00</b>             | <b>25,095,153.00</b>             | <b>20,790,150.00</b>         | <b>14,403,282.00</b>           | <b>8,114,199.00</b>            | <b>325,339,399.00</b> |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के  
भाग के रूप में अनुदान/आर्थिक सहायता की अनुसूची  
कोर कार्यक्रम गतिविधियों की अनुसूची

अनुसूची - 17

राशि ₹ में

| विवरण                                          | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| प्रशिक्षण कार्यक्रम                            | 25,867,717.00        | 3,152,595.00                     | 3,076,112.20                     | 1,218,613.00                 | 1,723,038.00                   | 1,935,830.00                   | 36,973,905.20        |
| सेमिनार / कार्यशालाएं / बैठकें                 | 2,456,693.00         | 579,360.00                       | 2,353,774.20                     | 616,917.00                   | 1,033,865.00                   | 1,168,998.00                   | 8,209,607.20         |
| अनुसंधान / मूल्यांकन                           | 2,687,167.00         | 30,000.00                        | 621,403.00                       | 367,691.00                   | 34,839.00                      | 57,097.00                      | 3,798,197.00         |
| प्रशिक्षण प्रकाशन                              | 1,246,350.00         |                                  |                                  |                              |                                |                                | 1,246,350.00         |
| प्रलेखन                                        | -                    |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| अन्य परियोजनाएं                                | 1,267,075.00         | 2,014,084.00                     | 954,268.00                       | 1,444,770.00                 | 1,429,130.00                   | 843,880.00                     | 7,953,207.00         |
| प्रशिक्षण विकास एवं स्टाफ का<br>क्षमता निर्माण |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| वेबसाइट के माध्यम से सूचना का प्रचार           | -                    |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| आईसीडीएस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण             | 5,555,391.00         | 2,051,092.00                     | 5,513,713.00                     | 2,147,459.00                 | 3,148,368.00                   | 2,182,144.00                   | 20,598,167.00        |
| आईसीडीएस की केन्द्रीय मॉनिटरिंग इकाई           | 1,059,923.00         | 85,000.00                        | 83,000.00                        | 91,815.00                    | 84,028.00                      |                                | 1,403,766.00         |
| ई-आर्काइव                                      | 18,065.00            | -                                | -                                |                              |                                |                                | 18,065.00            |
| निपसिड का ई-लर्निंग मॉड्यूल                    | 856,988.00           | -                                | -                                |                              |                                |                                | 856,988.00           |
| <b>जोड़</b>                                    | <b>41,015,369.00</b> | <b>7,912,131.00</b>              | <b>12,602,270.40</b>             | <b>5,887,265.00</b>          | <b>7,453,268.00</b>            | <b>6,187,949.00</b>            | <b>81,058,252.40</b> |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के  
रूप में अनुदान/आर्थिक सहायता की अनुसूची  
अन्य प्रशासनिक व्यय

अनुसूची - 18

राशि ₹ में

| विवरण                                                     | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| विज्ञापन एवं प्रचार प्रभार                                | 1,971,510.00         | 82,342.00                        | 7,870.00                         | 39,134.00                    | 44,574.00                      |                                | 2,145,430.00         |
| वार्षिक भूमि किराया और<br>सम्पत्ति कर                     | 8,389.00             | 138,968.00                       | 194,971.00                       |                              |                                |                                | 342,328.00           |
| लेखापरीक्षा पर व्यय                                       | 87,646.00            |                                  |                                  |                              |                                |                                | 87,646.00            |
| लेखा परीक्षा शुल्क                                        | 143,900.00           |                                  |                                  |                              |                                |                                | 143,900.00           |
| आकस्मिक व्यय (विविध)                                      | 2,161,355.00         | 198,855.00                       | 157,305.00                       | 468,300.00                   | 1,897,155.68                   | 150,784.00                     | 5,033,754.68         |
| बिजली एवं जल प्रभार                                       | 7,311,969.00         | 1,286,361.00                     | 573,792.00                       | 1,261,039.00                 | 869,183.00                     | 2,944,229.00                   | 14,246,573.00        |
| फर्नीचर एवं उपस्कर किराए पर लेना                          | -                    |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| वाहनों की भर्ती                                           | 1,153,150.00         |                                  | -                                | 16,785.00                    | 2,500.00                       | 29,241.00                      | 1,201,676.00         |
| सत्कार व्यय                                               | 29,738.00            | 5,937.00                         | 5,710.00                         | 2,387.00                     | 2,455.00                       | 567.00                         | 46,794.00            |
| बीमा                                                      | 44,562.00            | 26,495.00                        | -                                | 67,400.00                    |                                |                                | 138,457.00           |
| वर्दियां                                                  | 120,000.00           | 65,000.00                        | -                                | 45,000.00                    |                                |                                | 230,000.00           |
| कंप्यूटर, सहायक सामग्री और<br>सॉफ्टवेयर का रखरखाव         | 1,001,386.00         |                                  | 8,201.00                         |                              | 37,119.00                      |                                | 1,046,706.00         |
| कंप्यूटर नेटवर्क/वेबसाइट का रखरखाव                        | 261,197.00           | 632,133.00                       | -                                |                              | 841,968.00                     |                                | 1,735,298.00         |
| उपस्कारों के रखरखाव का प्रभार                             | 564,380.00           | 86,249.00                        | 61,171.00                        | 305,449.00                   | 211,975.00                     | 27,650.00                      | 1,256,874.00         |
| पत्रिकाएं                                                 | 96,147.00            | 75,344.00                        | 50,723.00                        | 61,809.00                    | 5,112.00                       | 14,670.00                      | 303,805.00           |
| डाक, टेलीफोन और संचार प्रभाग                              | 451,694.00           | 44,824.00                        | 364,876.00                       | 174,821.00                   | 9,186.00                       | 166,169.00                     | 1,211,570.00         |
| मुद्रण और लेखन सामग्री प्रभार                             | 2,591,592.00         | 509,843.00                       | 210,448.60                       | 228,537.00                   | 283,721.00                     | 117,033.00                     | 3,941,174.60         |
| पूर्वावधि की प्राप्ति                                     | 1,993.00             |                                  | -                                |                              |                                |                                | 1,993.00             |
| भवन का किराया                                             | -                    |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| राजस्व की हानि                                            | 4,540.00             |                                  | -                                |                              |                                |                                | 4,540.00             |
| फर्नीचर, जुड़नार और साज-सज्जा<br>की मरम्मत और रखरखाव      | 4,480.00             | 350,460.00                       | -                                | 600.00                       | 11,250.00                      |                                | 366,790.00           |
| संस्थान के भवन और परिसर, छात्रावास की<br>मरम्मत और रखरखाव | 27,824,964.00        | 2,894,395.00                     | 4,777,505.00                     | 2,830,319.00                 | 4,643,326.00                   | 3,668,904.00                   | 46,639,413.00        |
| वाहन चालन और रखरखाव                                       | 954,144.00           | 77,011.00                        | -                                | 111,463.00                   | 59,919.00                      | 18,103.00                      | 1,220,640.00         |
| <b>जोड़</b>                                               | <b>46,788,736.00</b> | <b>6,474,217.00</b>              | <b>6,412,572.60</b>              | <b>5,613,043.00</b>          | <b>8,919,443.68</b>            | <b>7,137,350.00</b>            | <b>81,345,362.28</b> |

ह0/-  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0/-  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0/-  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के  
भाग के रूप में अनुदान/आर्थिक सहायता की अनुसूची  
क्षेत्रीय केन्द्रों को दी गई निधियों की अनुसूची

अनुसूची - 19

राशि ₹ में

| विवरण                       | मुख्यालय              | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी  | 44,581,442.00         | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 44,581,442.00         |
| क्षेत्रीय केन्द्र, बेंगलुरु | 45,376,490.00         | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 45,376,490.00         |
| क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ      | 28,694,202.00         | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 28,694,202.00         |
| क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर    | 32,740,263.00         |                                  |                                  |                              |                                |                                | 32,740,263.00         |
| क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली    | 19,979,712.00         |                                  |                                  |                              |                                |                                | 19,979,712.00         |
| <b>जोड़</b>                 | <b>171,372,109.00</b> | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>171,372,109.00</b> |

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान

राशि ₹ में

| विवरण                               | मुख्यालय              | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>प्राप्तियां</b>                  |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                             |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| नकदी                                | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| बैंक शेष:                           | 42,454,518.00         | 3,643,477.96                     | 5,232,368.24                     | 8,002,713.90                 | 1,614,490.44                   | 1,000,000.00                   | 61,947,568.54         |
| डाक टिकटें                          | 50,984.95             | 4,528.00                         | 419.00                           | 454.00                       |                                |                                | 56,385.95             |
| पारगमन निधि (म.बा.वि.मं.)           |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| पारगमन निधि (आर.सी.एस.)             |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| <b>जोड़</b>                         | <b>42,505,502.95</b>  | <b>3,648,005.96</b>              | <b>5,232,787.24</b>              | <b>8,003,167.90</b>          | <b>1,614,490.44</b>            | <b>1,000,000.00</b>            | <b>62,003,954.49</b>  |
| <b>अनुदान</b>                       |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| वेतन                                | 245,729,000.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 245,729,000.00        |
| सामान्य राजस्व                      | 103,200,000.00        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 103,200,000.00        |
| गैर-एनईआर सामान्य राजस्व            | 165,688,000.00        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 165,688,000.00        |
| गैर-एनईआर पूंजीगत                   | 22,350,000.00         |                                  |                                  |                              |                                |                                | 22,350,000.00         |
| एनईआर सामान्य रेवेन्यू              | 15,000,000.00         |                                  |                                  |                              |                                |                                | 15,000,000.00         |
| एनईआर पूंजीगत                       | 2,796,000.00          |                                  |                                  |                              |                                |                                | 2,796,000.00          |
| <b>जोड़</b>                         | <b>554,763,000.00</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>554,763,000.00</b> |
| <b>क्षेत्रीय केन्द्रों के खाते</b>  |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| मुख्यालय से प्राप्त निधियां         |                       | 47,500,000.00                    | 46,483,320.00                    | 30,000,000.00                | 33,000,000.00                  | 20,500,000.00                  | 177,483,320.00        |
| <b>जोड़</b>                         | <b>-</b>              | <b>47,500,000.00</b>             | <b>46,483,320.00</b>             | <b>30,000,000.00</b>         | <b>33,000,000.00</b>           | <b>20,500,000.00</b>           | <b>177,483,320.00</b> |
| <b>प्राप्त ब्याज</b>                |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| एसबी खाते से                        | 1,635,105.92          | 105,989.00                       | 184,395.84                       | 175,042.43                   | 76,356.00                      | 60,460.00                      | 2,237,349.19          |
| ऋण और अग्रिम से                     | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| <b>जोड़</b>                         | <b>1,635,105.92</b>   | <b>105,989.00</b>                | <b>184,395.84</b>                | <b>175,042.43</b>            | <b>76,356.00</b>               | <b>60,460.00</b>               | <b>2,237,349.19</b>   |
| <b>उपयोगकर्ता प्रभार</b>            |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| शुल्क एवं अंशदान (एडीसीजीसी शुल्क)  | 1,624,000.00          |                                  |                                  |                              |                                |                                | 1,624,000.00          |
| सीजीसी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क  | 553,600.00            | 401,145.00                       | 101,275.00                       | 48,275.00                    | 48,125.00                      | 34,275.00                      | 1,186,695.00          |
| एसीएससी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क | 463,250.00            |                                  | -                                |                              |                                |                                | 463,250.00            |
| सेमिनार/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुल्क   | 47,000.00             | 69,500.00                        | 102,000.00                       | 29,500.00                    | 146,500.00                     | 97,000.00                      | 491,500.00            |
| कक्षा के कमरे एवं छात्रावास प्रभार  | 185,000.00            | 383,900.00                       | 128,050.00                       | 273,150.00                   | 34,800.00                      | 90,550.00                      | 1,095,450.00          |
| संस्थागत प्रभार                     |                       |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| सदस्यता शुल्क/वार्षिक शुल्क         | 6,000.00              |                                  | -                                |                              |                                |                                | 6,000.00              |
| विविध प्राप्तियां                   | 260,676.00            | 64,137.00                        | 18,888.00                        | 462,483.00                   | 14,470.00                      |                                | 820,654.00            |
| पुस्तकालय की पुस्तकों की वसूली      |                       |                                  | -                                | 29,293.00                    |                                |                                | 29,293.00             |
| परिसम्पत्तियों का निपटान            |                       |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| भवन का किराया (लाइसेंस शुल्क)       | 147,464.00            | 90,980.00                        | 67,581.00                        | 38,717.00                    |                                | 36,625.00                      | 381,367.00            |
| विजली प्रभार                        |                       | 192,970.00                       | -                                | 1,234.00                     |                                | 52,385.00                      | 246,589.00            |
| जल प्रभार                           | 38,755.00             | 16,035.00                        | 64,091.00                        |                              |                                | 8,834.00                       | 127,715.00            |
| पूर्वावधि की प्राप्तियां            |                       |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| <b>जोड़</b>                         | <b>3,325,745.00</b>   | <b>1,218,667.00</b>              | <b>481,885.00</b>                | <b>882,652.00</b>            | <b>243,895.00</b>              | <b>319,669.00</b>              | <b>6,472,513.00</b>   |

| विवरण                                           | मुख्यालय              | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | राशि ₹ में<br>जोड़    |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>समायोजन एवं अन्तरण</b>                       |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| गृह निर्माण अग्रिम                              | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| त्यौहार अग्रिम                                  | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| वेतन अग्रिम                                     | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| स्थायी अग्रिम                                   |                       |                                  | 20,000.00                        | 1,947.00                     |                                | 4,000.00                       | 25,947.00             |
| आकस्मिक अग्रिम                                  | 4,043,781.00          | 1,188,274.00                     | 203,800.00                       | 931,775.00                   | 175,513.00                     | 1,195,400.00                   | 7,738,543.00          |
| टीए/एलटीसी/चिकित्सा अग्रिम                      | 2,442,632.00          | 288,666.00                       | 774,720.00                       | 437,058.00                   | 178,826.00                     | 513,353.00                     | 4,635,255.00          |
| सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम                         |                       |                                  | -                                | -                            |                                |                                | -                     |
| डीएवीपी को अग्रिम                               | 180,664.00            |                                  | -                                | -                            |                                |                                | 180,664.00            |
| एनबीसीसी को अग्रिम                              |                       |                                  | -                                | -                            |                                |                                | -                     |
| सीएमयू संस्थानों को अग्रिम (पुराना)             |                       |                                  | -                                | -                            |                                |                                | -                     |
| सीएमयू संस्थानों को अग्रिम 1.04.2013            | 86,817.00             |                                  | -                                | -                            |                                |                                | 86,817.00             |
| एडीसीजीसी – प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए प्राप्ति |                       |                                  | -                                | -                            |                                |                                | -                     |
| एडीसीजीसी – विद्यार्थी कल्याण निधि              |                       |                                  | -                                | -                            |                                |                                | -                     |
| एडीसीजीसी – विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क         |                       |                                  | -                                | -                            |                                |                                | -                     |
| आकस्मिक देयताएं                                 |                       |                                  | -                                | -                            |                                |                                | -                     |
| अंशदायी भविष्य निधि                             | 400,000.00            | 320,000.00                       | -                                | -                            |                                |                                | 720,000.00            |
| धरोहर राशि                                      |                       |                                  | -                                | 42,000.00                    |                                |                                | 42,000.00             |
| निवेश – मौरिस पेट पुरस्कार                      |                       |                                  | -                                | -                            |                                |                                | -                     |
| जीएसएलआई का पूर्ण और अंतिम भुगतान               | 1,039,829.00          |                                  | -                                | -                            |                                |                                | 1,039,829.00          |
| विविध एम.ए.इमाम से वसूली                        | 145,240.00            |                                  | -                                |                              |                                |                                | 145,240.00            |
| सामान्य भविष्य निधि                             | 23,802,663.00         | 3,214,000.00                     | 3,120,875.00                     | 3,606,000.00                 |                                | 285,000.00                     | 34,028,538.00         |
| सामान्य भविष्य निधि (प्रतिनियुक्ति)             | -                     |                                  | -                                | -                            |                                |                                | -                     |
| प्रतिनियुक्त कर्मचारी से प्राप्त एचआरए          | -                     |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| समूह बचत लिंकड बीमा (जीएसएलाआई)                 | 141,930.00            | 19,175.00                        | 17,240.00                        | 14,200.00                    |                                | 6,850.00                       | 199,395.00            |
| वाहनों की भर्ती                                 | -                     |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| एचबीए पर ब्याज-मुख्यालय लेखा                    |                       | 19,440.00                        | -                                |                              |                                |                                | 19,440.00             |
| एलआईसी-एस एस योजना                              |                       | 268,188.00                       | 49,450.00                        | 144,649.00                   |                                |                                | 462,287.00            |
| मौरिस पेट पुरस्कार (व्यय)                       |                       |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| निपसिड कर्मचारियों की टीसी सोसायटी              |                       |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| एनपीएस                                          | 1,608,555.00          | 608,992.00                       | 356,527.00                       | 490,811.00                   |                                | 278,430.00                     | 3,343,315.00          |
| पार्टी को भुगतान                                |                       |                                  | 8,410,138.00                     |                              | -                              |                                | 8,410,138.00          |
| पेशेवर कर                                       |                       | 47,104.00                        | 64,000.00                        |                              |                                |                                | 111,104.00            |
| लाइसेंस शुल्क की वसूली प्रतिनियुक्त कर्मचारी    |                       | 3,010.00                         | -                                |                              |                                |                                | 3,010.00              |
| संस्थान द्वारा प्रतिभूति जमा                    |                       |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| आवास की प्रतिभूति जमा                           | 5,000.00              |                                  | 1,200.00                         |                              |                                |                                | 6,200.00              |
| परियोजना स्टाफ की प्रतिभूति जमा                 |                       |                                  | 35,000.00                        |                              |                                |                                | 35,000.00             |
| विद्यार्थियों की प्रतिभूति जमा                  |                       |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| वापसी योग्य प्रतिभूति जमा                       | 225,000.00            | 148,000.00                       | -                                | 25,000.00                    | 55,000.00                      |                                | 453,000.00            |
| स्टेल चेक खाता                                  |                       |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| टी डी एस पार्टी                                 | 3,491,794.00          | 238,346.00                       | 263,592.00                       | 268,057.00                   | 106,032.00                     | 156,802.00                     | 4,524,623.00          |
| टी डी एस वेतन                                   | 7,776,822.00          | 1,773,510.00                     | 1,861,033.00                     | 990,387.00                   |                                | 440,332.00                     | 12,842,084.00         |
| जीएसटी – सीजीएसटी                               | 284,546.00            | 40,529.00                        | 65,236.00                        | 32,479.00                    | 61,747.00                      | 28,716.00                      | 513,253.00            |
| जीएसटी – एसजीएसटी                               | 284,546.00            | 40,529.00                        | 65,236.00                        | 32,479.00                    | 61,747.00                      | 28,716.00                      | 513,253.00            |
| जीएसटी – आईजीएसटी                               | 426,883.00            |                                  | 23,302.00                        |                              |                                | 37,919.00                      | 488,104.00            |
| अप्रदत्त नकदी लेखा                              | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| आईओबी के पास निपसिड सीपीएसयू लेखा               | 3,551,587.59          |                                  |                                  |                              |                                |                                | 3,551,587.59          |
| उपयोगकर्ता प्रभार लेखा                          | 10,598,256.68         |                                  |                                  |                              |                                |                                | 10,598,256.68         |
| <b>जोड़</b>                                     | <b>60,536,546.27</b>  | <b>8,217,763.00</b>              | <b>15,331,349.00</b>             | <b>7,016,842.00</b>          | <b>638,865.00</b>              | <b>2,975,518.00</b>            | <b>94,716,883.27</b>  |
| परियोजना प्राप्तियों का योगफल                   | 558,411.00            | 134,338.00                       | -                                | 723,880.00                   | -                              | -                              | 1,416,629.00          |
| <b>प्राप्तियों का सकल जोड़</b>                  | <b>663,324,311.14</b> | <b>60,824,762.96</b>             | <b>67,713,737.08</b>             | <b>46,801,584.33</b>         | <b>35,573,606.44</b>           | <b>24,855,647.00</b>           | <b>899,093,648.95</b> |

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

| विवरण                                                   | मुख्यालय       | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | राशि ₹ में     |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                         |                |                                  |                                  |                              |                                |                                | जोड़           |
| भुगतान                                                  |                |                                  |                                  |                              |                                |                                |                |
| स्थापना व्यय                                            |                |                                  |                                  |                              |                                |                                |                |
| वेतन एवं पारिश्रमिक                                     | 125,032,963.00 | 27,439,268.00                    | 23,169,919.00                    | 18,999,250.00                | 10,463,763.00                  | 6,599,722.00                   | 211,704,885.00 |
| छुट्टी यात्रा रियायत                                    | 536,444.00     | 34,912.00                        | 213,918.00                       | 243,443.00                   | 52,384.00                      | 46,864.00                      | 1,127,965.00   |
| बाल शिक्षा भत्ता                                        | 925,245.00     | 351,000.00                       | 297,000.00                       | 459,000.00                   | 216,000.00                     | 27,000.00                      | 2,275,245.00   |
| चिकित्सा प्रभारों की प्रतिपूर्ति                        | 13,426,326.00  | 900,610.00                       | 606,270.00                       | 716,156.00                   | 231,421.00                     | 30,503.00                      | 15,911,286.00  |
| छुट्टी के वेतन और पेंशन का अंशदान                       |                |                                  | -                                |                              |                                |                                | -              |
| सी.पी.एफ. में संस्थान का अंशदान                         | 97,710.00      |                                  | -                                |                              |                                |                                | 97,710.00      |
| एनपीएस 2004 में सरकार का अंशदान                         | 1,741,166.00   | 686,627.00                       | 433,576.00                       | 523,310.00                   | 733,919.00                     | 353,626.00                     | 4,472,224.00   |
| बोनस                                                    | 566,456.00     | 179,608.00                       | 121,466.00                       | 134,706.00                   | 55,264.00                      | 13,816.00                      | 1,071,316.00   |
| यात्रा एवं दैनिक भत्ता                                  | 8,332,152.00   | 201,253.00                       | 342,641.00                       | 50,273.00                    | 192,418.00                     | 549,632.00                     | 9,668,369.00   |
| समयोपरि भत्ता                                           | 57,284.00      |                                  | -                                |                              |                                |                                | 57,284.00      |
| जोड़                                                    | 150,715,746.00 | 29,793,278.00                    | 25,184,790.00                    | 21,126,138.00                | 11,945,169.00                  | 7,621,163.00                   | 246,386,284.00 |
| पेंशन एवं सेवा निवृत्ति लाभ                             |                |                                  |                                  |                              |                                |                                |                |
| पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ—उपादान, सारांशीकरण, आदि | 125,499,180.00 |                                  | -                                | -                            | -                              |                                | 125,499,180.00 |
| जोड़                                                    | 125,499,180.00 | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 125,499,180.00 |
| कोर कार्यक्रम गतिविधियां                                |                |                                  |                                  |                              |                                |                                |                |
| प्रशिक्षण                                               | 11,735,278.00  | 3,159,558.00                     | 3,066,647.20                     | 1,127,091.00                 | 1,413,699.00                   | 1,759,127.00                   | 22,261,400.20  |
| बैठक/संगोष्ठी/कार्यशाला                                 | 2,456,693.00   | 579,360.00                       | 2,348,085.20                     | 555,267.00                   | 988,074.00                     | 938,441.00                     | 7,865,920.20   |
| अनुसंधान/मूल्यांकन                                      | 2,687,167.00   | 30,000.00                        | 586,051.00                       | 457,615.00                   |                                | 57,097.00                      | 3,817,930.00   |
| आईसीडीएस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण                      | 5,555,391.00   | 2,022,469.00                     | 5,513,713.00                     | 2,011,734.00                 | 2,940,882.00                   | 1,705,185.00                   | 19,749,374.00  |
| अन्य परियोजनाएं                                         | 1,287,075.00   | 1,997,778.00                     | 917,494.00                       | 1,474,316.00                 | 1,278,911.00                   | 847,880.00                     | 7,803,454.00   |
| केन्द्रीय मॉनिटरिंग इकाई (सीएमयू)                       | 1,059,923.00   | 85,000.00                        | 111,065.00                       | 119,880.00                   | 100,886.00                     |                                | 1,476,754.00   |
| ई—आर्काइव                                               | 18,065.00      |                                  | -                                |                              |                                |                                | 18,065.00      |
| ई—लर्निंग मॉड्यूल                                       | 856,988.00     |                                  | -                                |                              |                                |                                | 856,988.00     |
| वेबसाइटों आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार              |                |                                  | -                                |                              |                                |                                | -              |
| प्रकाशन                                                 | -              |                                  | -                                |                              |                                |                                | -              |
| परामर्श—सेवा                                            | -              | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -              |
| प्रलेखन                                                 | -              | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -              |
| स्टाफ का प्रशिक्षण, विकास एवं क्षमता निर्माण            | -              | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -              |
| प्रशि. कार्यक्रम. ईडब्ल्यूआर के लिए                     | -              | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -              |
| जोड़                                                    | 25,656,580.00  | 7,874,165.00                     | 12,543,055.40                    | 5,745,903.00                 | 6,722,452.00                   | 5,307,730.00                   | 63,849,885.40  |

| विवरण                                                  | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | राशि ₹ में<br>जोड़    |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>अन्य प्रशासनिक व्यय</b>                             |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| विज्ञापन एवं प्रचार                                    | 1,971,510.00         | 82,342.00                        | 7,870.00                         | 39,134.00                    | 53,058.00                      |                                | 2,153,914.00          |
| वार्षिक भूमि किराया और सम्पत्ति कर                     | 8,371.00             | 129,845.00                       | 194,971.00                       |                              |                                |                                | 333,187.00            |
| लेखा परीक्षा शुल्क                                     | 123,900.00           |                                  | -                                |                              |                                |                                | 123,900.00            |
| लेखापरीक्षा पर व्यय                                    | 87,646.00            |                                  | -                                |                              |                                |                                | 87,646.00             |
| आकस्मिक व्यय                                           | 2,165,271.00         | 189,042.00                       | 196,115.00                       | 455,071.00                   | 1,482,040.68                   | 141,087.00                     | 4,628,626.68          |
| विद्युत एवं जल प्रभार                                  | 7,311,969.00         | 1,636,669.00                     | 578,670.00                       | 1,263,924.00                 | 876,839.00                     | 2,944,229.00                   | 14,612,300.00         |
| फर्नीचर एवं उपस्कर किराए पर लेना                       |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| वाहनों की भर्ती                                        | 1,153,150.00         |                                  | -                                | 16,785.00                    | 31,300.00                      | 29,241.00                      | 1,230,476.00          |
| आतिथ्य                                                 | 29,738.00            | 4,549.00                         | 5,710.00                         | 2,387.00                     | 1,930.00                       | 567.00                         | 44,881.00             |
| बीमा                                                   | 18,052.00            | 19,007.00                        | -                                | 68,631.00                    |                                |                                | 105,690.00            |
| वर्दियां                                               | 120,000.00           | 65,000.00                        | -                                | 45,000.00                    |                                |                                | 230,000.00            |
| कम्प्यूटर और सहायक उपकरण का रखरखाव                     | 1,001,386.00         |                                  | 8,201.00                         |                              | 37,119.00                      |                                | 1,046,706.00          |
| कम्प्यूटर नेटवर्क एवं वेबसाइट का रखरखाव                | 261,197.00           | 842,844.00                       | -                                |                              |                                |                                | 1,104,041.00          |
| उपस्कारों का रखरखाव                                    | 568,440.00           | 55,646.00                        | 61,171.00                        | 295,800.00                   | 207,827.00                     | 27,650.00                      | 1,216,534.00          |
| पीरियॉडिकल्स                                           | 96,147.00            | 54,344.00                        | 48,877.00                        | 58,173.00                    | 4,752.00                       | 14,670.00                      | 276,963.00            |
| डाक-शुल्क, दूरसंचार एवं सम्प्रेषण                      | 452,752.00           | 89,570.00                        | 360,793.00                       | 113,860.00                   | 18,107.00                      | 115,499.00                     | 1,150,581.00          |
| मुद्रण और लेखन सामग्री                                 | 2,592,162.00         | 601,643.00                       | 250,826.60                       | 214,214.00                   | 615,492.00                     | 117,033.00                     | 4,391,370.60          |
| भवन का किराया                                          |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                     |
| फर्नीचर, जुड़नार और साज-सज्जा की मरम्मत और रखरखाव      | 4,480.00             | 210,200.00                       | -                                | 600.00                       | 11,250.00                      |                                | 226,530.00            |
| संस्थान के भवन और परिसर, छात्रावास की मरम्मत और रखरखाव | 16,516,863.00        | 2,421,509.00                     | 4,575,225.00                     | 2,777,468.00                 | 4,089,385.00                   | 3,419,533.00                   | 33,799,983.00         |
| वाहन चालन एवं रखरखाव                                   | 954,144.00           | 64,354.00                        |                                  | 100,781.00                   | 38,694.00                      | 18,103.00                      | 1,176,076.00          |
| आकस्मिक देयताएं                                        |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| <b>जोड़</b>                                            | <b>35,437,178.00</b> | <b>6,466,564.00</b>              | <b>6,288,429.60</b>              | <b>5,451,828.00</b>          | <b>7,467,793.68</b>            | <b>6,827,612.00</b>            | <b>67,939,405.28</b>  |
| <b>सकल योगफल</b>                                       | <b>61,093,758.00</b> | <b>14,340,729.00</b>             | <b>18,831,485.00</b>             | <b>11,197,731.00</b>         | <b>14,190,245.68</b>           | <b>12,135,342.00</b>           | <b>131,789,290.68</b> |

#### अचल परिसम्पत्तियों का क्रय

|                                          |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| भूमि                                     | -                   |                     | -                   |                     |                   |                   | -                    |
| भवन                                      | -                   |                     |                     |                     |                   |                   | -                    |
| कम्प्यूटर और सहायक उपकरण                 | 1,087,565.00        | 250,851.00          | 150,754.00          | 39,506.00           |                   | 25,000.00         | 1,553,676.00         |
| कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करना           | -                   |                     | -                   |                     |                   |                   | -                    |
| इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन                    | -                   |                     | -                   |                     |                   |                   | -                    |
| फर्नीचर एवं सहायक उपकरण                  | 3,074,637.00        | 1,628,895.00        | 312,551.00          | 894,260.00          | 42,320.00         | 84,360.00         | 6,037,023.00         |
| पुस्तकालय पुस्तकें एवं जर्नल             | 197,855.00          | 35,946.00           | 20,000.00           | 9,472.00            |                   |                   | 263,273.00           |
| कार्यालय उपकरण                           | 2,632,561.00        | 1,002,866.00        | 623,525.00          | 362,560.00          | 208,417.00        | 410,928.00        | 5,240,857.00         |
| सॉफ्टवेयर और वेबसाइट/<br>पोर्टल का विकास | 16,482.00           |                     | -                   |                     |                   |                   | 16,482.00            |
| ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली          |                     |                     |                     |                     |                   |                   | -                    |
| वाहन                                     | 728,510.00          | -                   | -                   |                     | -                 |                   | 728,510.00           |
| <b>जोड़</b>                              | <b>7,737,610.00</b> | <b>2,918,558.00</b> | <b>1,106,830.00</b> | <b>1,305,798.00</b> | <b>250,737.00</b> | <b>520,288.00</b> | <b>13,839,821.00</b> |

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

| विवरण                                                     | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | राशि ₹ में<br>जोड़   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>अग्रिम राशियों का भुगतान</b>                           |                      | -                                |                                  |                              | -                              |                                | -                    |
| आकस्मिक अग्रिम                                            | 4,101,260.00         | 1,202,930.00                     | 203,800.00                       | 985,615.00                   | 452,510.00                     | 1,195,400.00                   | 8,141,515.00         |
| टीए/एलटीसी/चिकित्सा अग्रिम                                | 2,077,041.00         | 288,666.00                       | 539,000.00                       | 437,058.00                   | 311,140.00                     | 538,100.00                     | 4,191,005.00         |
| स्थायी अग्रिम                                             |                      |                                  | 20,000.00                        | 5,947.00                     | 6,000.00                       | 4,000.00                       | 35,947.00            |
| वेतन अग्रिम                                               |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| गृह निर्माण अग्रिम                                        |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| त्यौहार अग्रिम                                            |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम                                   | 14,318,831.00        | 250,940.00                       | 3,483,320.00                     | 1,300,000.00                 | 2,141,764.00                   |                                | 21,494,855.00        |
| डीएवीपी को अग्रिम                                         |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| एनबीसीसी को अग्रिम                                        |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| पीडब्ल्यूडी, रायपुर को अग्रिम                             |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| बीएसएनएल को अग्रिम                                        |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| <b>जोड़</b>                                               | <b>20,497,132.00</b> | <b>1,742,536.00</b>              | <b>4,246,120.00</b>              | <b>2,728,620.00</b>          | <b>2,911,414.00</b>            | <b>1,737,500.00</b>            | <b>33,863,322.00</b> |
| <b>उपयोगकर्ता प्रभार</b>                                  |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| शुल्क एवं अंशदान (एडीसीजीसी शुल्क)                        |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| सीजीसी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क                        |                      | 375,445.00                       | 96,200.00                        | 21,350.00                    | 48,825.00                      |                                | 541,820.00           |
| एसीएससी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क                       |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| सेमिनार/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुल्क                         |                      | 60,000.00                        | 102,000.00                       | 29,500.00                    | 166,000.00                     |                                | 357,500.00           |
| कक्षा के कमरे एवं छात्रावास प्रभार                        |                      | 359,700.00                       | 114,900.00                       | 101,950.00                   | 64,250.00                      |                                | 640,800.00           |
| संस्थागत प्रभार                                           |                      |                                  | -                                | 275,000.00                   |                                |                                | 275,000.00           |
| सदस्यता शुल्क/वार्षिक शुल्क                               |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| विविध प्राप्तियां                                         | 4,491.00             | 63,687.00                        | 18,888.00                        | 8,632.00                     | 14,380.00                      |                                | 110,078.00           |
| पुस्तकालय की पुस्तकों की वसूली                            |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| परिसम्पत्तियों का निपटान                                  |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| भवन का किराया (लाइसेंस शुल्क)                             |                      | 90,980.00                        | 54,808.00                        | 12,164.00                    |                                |                                | 157,952.00           |
| बिजली प्रभार                                              |                      | 192,970.00                       | -                                |                              |                                |                                | 192,970.00           |
| जल प्रभार                                                 |                      | 16,035.00                        | 63,479.00                        | 463.00                       |                                |                                | 79,977.00            |
| पूर्वावधि की प्राप्तियां                                  | -                    |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| <b>जोड़</b>                                               | <b>4,491.00</b>      | <b>1,158,817.00</b>              | <b>450,275.00</b>                | <b>449,059.00</b>            | <b>293,455.00</b>              | <b>-</b>                       | <b>2,356,097.00</b>  |
| <b>उपयोगकर्ता प्रभार लेखा में बैंक<br/>ब्याज की वापसी</b> |                      | <b>78,513.00</b>                 |                                  | <b>120,711.00</b>            | <b>63,490.00</b>               |                                | <b>262,714.00</b>    |

| विवरण                                           | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | राशि ₹ में<br>जोड़   |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>अन्य</b>                                     |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| एडीसीजीसी – प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए प्राप्ति | -                    |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| एडीसीजीसी – विद्यार्थी कल्याण निधि              |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| एडीसीजीसी – विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क         |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| एडीसीजीसी – शुल्क वापसी                         | -                    |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| देय धनराशियां                                   | -                    |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| अंशदायी भविष्य निधि                             | 400,000.00           | 320,000.00                       |                                  |                              |                                |                                | 720,000.00           |
| धरोहर राशि                                      |                      |                                  |                                  | 100,000.00                   |                                |                                | 100,000.00           |
| जीएसएलआई का पूर्ण और अंतिम भुगतान               | 1,337,984.00         |                                  |                                  |                              |                                | 6,850.00                       | 1,344,834.00         |
| सामान्य भविष्य निधि                             | 23,802,663.00        | 3,214,000.00                     | 3,120,875.00                     | 3,606,000.00                 | 781,640.00                     | 285,000.00                     | 34,810,178.00        |
| सामान्य भविष्य निधि (प्रतिनियुक्ति)             |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| माल एवं सेवा कर (जीएसटी) टीडीएस                 |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| समूह बचत लिंक बीमा (जीएसएलाआई)                  | 142,500.00           | 19,175.00                        | 16,800.00                        | 14,300.00                    | 11,050.00                      |                                | 203,825.00           |
| क्षे.के. बेंगलुरु की ओर से वसूली प्रेषित        |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| न्यायालय कुर्की की वसूली                        |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| सीपीडब्ल्यूडी अग्रिम                            |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| प्रतिनियुक्ति लेखा                              |                      | 3,010.00                         | -                                |                              |                                |                                | 3,010.00             |
| एचबीए पर ब्याज-मुख्यालय लेखा                    |                      | 19,440.00                        | -                                |                              |                                |                                | 19,440.00            |
| एलआईसी एस एस योजना                              |                      | 268,188.00                       | 49,450.00                        | 144,649.00                   | 68,279.00                      |                                | 530,566.00           |
| निवेश मौरिस पेट पुरस्कार                        | 66,000.00            |                                  | -                                |                              |                                |                                | 66,000.00            |
| विविध वसूली (एम.ए. इमाम)                        | 145,240.00           |                                  | -                                |                              |                                |                                | 145,240.00           |
| एनपीएस                                          | 1,608,555.00         | 608,992.00                       | 356,527.00                       | 529,691.00                   | 552,201.00                     | 278,430.00                     | 3,934,396.00         |
| डीएवीपी को अग्रिम                               |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| पार्टी को भुगतान                                |                      |                                  | 8,410,138.00                     |                              |                                |                                | 8,410,138.00         |
| पूर्वप्रदत्त व्यय                               |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| हौसला-2018                                      |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| प्रधानमंत्री राहत कोष                           |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| पेशेवर कर                                       |                      | 47,104.00                        | 64,000.00                        |                              | 33,956.00                      |                                | 145,060.00           |
| प्रतिनियुक्त कर्मचारी की वसूली                  |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| भुगतान योग्य वेतन                               |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| आवास की प्रतिभूति जमा                           | 106,236.00           |                                  | 1,200.00                         |                              |                                |                                | 107,436.00           |
| संस्थान द्वारा प्रतिभूति जमा                    |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| प्रतिभूति जमा की वापसी                          | 362,000.00           | 207,000.00                       | -                                | 21,000.00                    |                                |                                | 590,000.00           |
| परियोजना स्टाफ से प्रतिभूति                     |                      |                                  | 30,000.00                        |                              |                                |                                | 30,000.00            |
| विद्यार्थियों को वापस की गई प्रतिभूति           |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| टी.डी.एस. पार्टी                                | 3,857,169.00         | 198,452.00                       | 228,049.00                       | 269,252.00                   | 254,956.00                     | 144,816.00                     | 4,952,694.00         |
| टी.डी.एस. वेतन                                  | 7,776,822.00         | 1,773,510.00                     | 1,857,530.00                     | 990,387.00                   | 918,382.00                     | 440,332.00                     | 13,756,963.00        |
| जीएसटी – सीजीएसटी                               | 312,563.00           | 34,399.00                        | 58,032.00                        | 35,821.00                    | 68,153.00                      | 25,083.00                      | 534,051.00           |
| जीएसटी – एसजीएसटी                               | 312,563.00           | 34,399.00                        | 58,032.00                        | 35,821.00                    | 68,153.00                      | 25,083.00                      | 534,051.00           |
| जीएसटी – आईजीएसटी                               | 463,259.00           |                                  | 21,846.00                        |                              |                                | 34,731.00                      | 519,836.00           |
| अप्रदत्त नकदी                                   |                      |                                  | -                                |                              |                                |                                | -                    |
| <b>जोड़</b>                                     | <b>40,693,554.00</b> | <b>6,747,669.00</b>              | <b>14,272,479.00</b>             | <b>5,746,921.00</b>          | <b>2,756,770.00</b>            | <b>1,240,325.00</b>            | <b>71,457,718.00</b> |

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

| विवरण                             | मुख्यालय       | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | राशि ₹ में<br>जोड़ |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| क्षेत्रीय केन्द्रों के खाते       |                |                                  |                                  |                              |                                |                                |                    |
| क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी        | 47,500,000.00  | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 47,500,000.00      |
| क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलुरु        | 43,000,000.00  | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 43,000,000.00      |
| क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ            | 30,000,000.00  | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 30,000,000.00      |
| क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर          | 33,000,000.00  | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 33,000,000.00      |
| क्षेत्रीय केन्द्र मोहाली          | 20,500,000.00  |                                  |                                  |                              |                                |                                | 20,500,000.00      |
| जोड़                              | 174,000,000.00 | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 174,000,000.00     |
| निवेश                             |                |                                  |                                  |                              |                                |                                |                    |
| मौरिस पेट पुरस्कार का निवेश       | -              | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                  |
| अन्य निवेश (यदि कोई)              | -              |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                  |
| जोड़                              | -              | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                  |
| परियोजना भुगतानों का योगफल        |                |                                  |                                  |                              |                                |                                |                    |
|                                   | 5,698,084.00   | 135,044.00                       | -                                | 1,096,203.00                 | -                              | 26,263.00                      | 6,955,594.00       |
| पारगमन निधि एवं इति शेष           |                |                                  |                                  |                              |                                |                                |                    |
| पारगमन निधि                       | -              | 3,500,000.00                     |                                  |                              |                                |                                | 3,500,000.00       |
| डाक टिकटें                        | 50,984.95      | 3,666.00                         | 255.00                           | 3,714.00                     | -                              | -                              | 58,619.95          |
| बैंक शेष                          | 63,180,301.92  | 355,692.96                       | 3,621,503.08                     | 150,446.90                   | 3,162,325.76                   | 1,574,766.00                   | 72,045,036.62      |
| बैंक शेष                          | -              | -                                | -                                | 2,876,242.43                 | -                              | -                              | 2,876,242.43       |
| नकदी                              | 3,625.00       | 50,260.00                        |                                  |                              |                                |                                | 53,885.00          |
| आईओबी के पास निपसिड सीपीएसयू लेखा | 3,551,587.59   |                                  |                                  |                              |                                |                                | 3,551,587.59       |
| उपयोगकर्ता प्रभार लेखा            | 10,598,256.68  |                                  |                                  |                              |                                |                                | 10,598,256.68      |
| जोड़                              | 77,384,756.14  | 3,909,618.96                     | 3,621,758.08                     | 3,030,403.33                 | 3,162,325.76                   | 1,574,766.00                   | 92,683,628.27      |
| भुगतानों का सकल जोड़              | 663,324,311.14 | 60,824,762.96                    | 67,713,737.08                    | 46,801,584.33                | 35,573,606.44                  | 24,855,647.00                  | 899,093,648.95     |

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में  
वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से  
फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

ह0/-  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0/-  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0/-  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

ह0/-  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0/-  
(सी.ए. वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0-083861

# राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए परियोजनाओं की प्राप्ति एवं भुगतान

राशि ₹ में

| विवरण                                                     | मुख्यालय          | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>प्राप्तियां</b>                                        |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| सी.ए.आर.ए.                                                |                   |                                  |                                  | 527,880.00                   |                                |                                | 527,880.00          |
| चाइल्डलाइन परियोजना                                       |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                   |
| एनवाईकेएस- जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम 15-21 फरवरी 2020 |                   |                                  |                                  | 196,000.00                   |                                |                                | 196,000.00          |
| म.बा.वि.मं. - बाल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र   |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                   |
| राष्ट्रीय बाल कोष                                         |                   |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                   |
| म.बा.वि.मं. - बीबीबीपी कार्यशाला 05 अक्टूबर, 2018         | 31,702.00         |                                  |                                  |                              |                                |                                | 31,702.00           |
| सशुल्क कार्यक्रम - मानवाधिकार आयोग                        | 471,670.00        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 471,670.00          |
| सशुल्क कार्यक्रम - अन्तरराष्ट्रीय योगा दिवस               | 55,039.00         |                                  |                                  |                              |                                |                                | 55,039.00           |
| सशुल्क कार्यक्रम - राज्य सरकार                            |                   | 134,338.00                       |                                  |                              |                                |                                | 134,338.00          |
| <b>कुल</b>                                                | <b>558,411.00</b> | <b>134,338.00</b>                | <b>-</b>                         | <b>723,880.00</b>            | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>1,416,629.00</b> |

| विवरण                                                                             | मुख्यालय            | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>भुगतान</b>                                                                     |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                |                     |
| सी.ए.आर.ए.                                                                        |                     |                                  |                                  | 527,880.00                   |                                |                                | 527,880.00          |
| बाल निर्देशन केन्द्र                                                              |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                   |
| चाइल्डलाइन परियोजना                                                               |                     | 706.00                           |                                  |                              |                                |                                | 706.00              |
| सशुल्क कार्यक्रम - दत्तकग्रहण पर राज्य स्तरीय ओ.आर.टी कार्यक्रम 17.3.2018         |                     |                                  |                                  | 210,674.00                   |                                |                                | 210,674.00          |
| सशुल्क कार्यक्रम - दत्तकग्रहण पंजीकरण पर राज्य स्तरीय ओ.आर.टी कार्यक्रम 19.3.2018 |                     |                                  |                                  | 199,652.00                   |                                |                                | 199,652.00          |
| आईएसएसएनआईपी (आईवाईसीएफ पर एमओ एंड एफएलएचडब्ल्यू का प्रशिक्षण)                    |                     |                                  |                                  | 2,505.00                     |                                |                                | 2,505.00            |
| सशुल्क कार्यक्रम - सी.ए.आर.ए. पंजीकरण ओ.आर.टी. 16-17 जनवरी 2017                   |                     |                                  |                                  | 1,492.00                     |                                |                                | 1,492.00            |
| निपसिड टीछसी सोसायटी लिमिटेड                                                      |                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                   |
| सशुल्क कार्यक्रम - राज्य सरकार                                                    |                     | 134,338.00                       |                                  |                              |                                | 26,263.00                      | 160,601.00          |
| सशुल्क कार्यक्रम - हौसला 2018-19                                                  | 5,698,084.00        |                                  |                                  |                              |                                |                                | 5,698,084.00        |
| एनवाईकेएस- जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम 15-21 फरवरी 2020                         |                     |                                  | 154,000.00                       |                              |                                | 154,000.00                     |                     |
| <b>जोड़</b>                                                                       | <b>5,698,084.00</b> | <b>135,044.00</b>                | <b>-</b>                         | <b>1,096,203.00</b>          | <b>-</b>                       | <b>26,263.00</b>               | <b>6,955,594.00</b> |

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में  
वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से  
फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

ह0/-  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0/-  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0/-  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

ह0/-  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0/-  
(सी.ए. वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0-083861

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 को सीपीएफ का तुलन पत्र

|                                                      | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | राशि ₹ में<br>जोड़   |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>देयताएं</b>                                       |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| <b>सदस्यों का खाता (अंशदान एवं ब्याज)</b>            |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                              | 11,965,987.00        |                                  | 0.51                             | -                            | -                              | -                              | 11,965,987.51        |
| जमा: सदस्यों से प्राप्त                              | 720,000.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 720,000.00           |
| घटाया गया: सदस्यों को भुगतान किया गया                | 9,093,154.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 9,093,154.00         |
| जमा: संस्थान का अंशदान                               | 97,710.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 97,710.00            |
| जमा: प्रदत्त ब्याज                                   | 639,800.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 639,800.00           |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन          | 55,747.00            | -                                | (0.51)                           | -                            | -                              | -                              | 55,746.49            |
| <b>जोड़</b>                                          | <b>4,386,090.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>4,386,090.00</b>  |
| <b>निवेश पर अर्जित ब्याज</b>                         |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष – मुख्यालय                                   | 7,935,901.45         | -                                | 0.51                             | -                            | -                              | -                              | 7,935,901.96         |
| आदि शेष – क्षेत्र. गुवाहाटी                          | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| जमा: व्यय से आय की अधिकता                            | 151,781.43           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 151,781.43           |
| जमा/घटाया गया: समायोजन                               | 72,133.00            | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 72,133.00            |
| घटाया गया: आय से व्यय की अधिकता                      | -                    | -                                | 0.51                             | -                            | -                              | -                              | 0.51                 |
| <b>जोड़</b>                                          | <b>8,159,815.88</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>8,159,815.88</b>  |
| <b>सकल जोड़</b>                                      | <b>12,545,905.88</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>12,545,905.88</b> |
| <b>परिसम्पत्तियां</b>                                |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| <b>निवेश</b>                                         |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                              | 10,926,977.00        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 10,926,977.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान निवेश                             | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान नकदीकरण                     | 2,500,000.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 2,500,000.00         |
| घटाया गया: जीपीएफ से प्राप्ति योग्य निवेश का नकदीकरण | -                    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| घटाया गया: निवेश को भुनाने पर हुआ घाटा               | 260,408.00           | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 260,408.00           |
| <b>जोड़</b>                                          | <b>8,166,569.00</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>8,166,569.00</b>  |

राशि ₹ में

|                                                                          | मुख्यालय             | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज                                                 |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| आदि शेष                                                                  | 1,779,337.13         | -                                |                                  | -                            |                                |                                | 1,779,337.13         |
| जमा: प्रोद्भूत ब्याज                                                     | 2,484,001.15         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 2,484,001.15         |
| घटाया गया: जीएफ लेखा से प्राप्ति योग्य<br>ब्याज पृथक रूप से दिखाया जाएगा |                      | -                                | -                                | -                            |                                | -                              | -                    |
| जमा: ब्याज देय परन्तु प्राप्त नहीं                                       |                      | -                                |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| जमा: जीएफ लेखा से प्राप्ति योग्य ब्याज                                   |                      | -                                |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| घटाया गया: पूर्वावधि                                                     | 1,779,337.13         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 1,779,337.13         |
| जमा/घटाया गया: वर्ष के दौरान<br>किए गए समायोजन                           |                      | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                    |
| <b>इति शेष</b>                                                           | <b>2,484,001.15</b>  | -                                | -                                | -                            |                                | -                              | <b>2,484,001.15</b>  |
| <b>नकद और बैंक में नकदी</b>                                              | <b>1,767,455.73</b>  | -                                | -                                | -                            |                                | -                              | <b>1,767,455.73</b>  |
| <b>इति शेष</b>                                                           | <b>1,767,455.73</b>  | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>1,767,455.73</b>  |
| <b>संस्थान का अंशदान प्राप्ति योग्य</b>                                  |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                |                      |
| आदि शेष                                                                  |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि                                   | 127,880.00           |                                  |                                  |                              |                                |                                | 127,880.00           |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित                                        |                      |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                    |
| <b>इति शेष</b>                                                           | <b>127,880.00</b>    | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>127,880.00</b>    |
| <b>सकल जोड़</b>                                                          | <b>12,545,905.88</b> | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | <b>12,545,905.88</b> |

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में  
वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से  
फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

ह0/—  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0/—  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0/—  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

ह0/—  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0/—  
(सी.ए. वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0—083861

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सीपीएफ का आय एवं व्यय लेखा

राशि ₹ में

| विवरण                                          | चालू वर्ष<br>मुख्यालय | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>गुवाहाटी | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>बेंगलुरु | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>लखनऊ | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>इन्दौर | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>मोहाली | चालू वर्ष<br>जोड़   |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>आय</b>                                      |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                     |
| निवेश पर ब्याज                                 |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                     |
| वास्तविक                                       | 164,912.00            | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 164,912.00          |
| जमा: देय परन्तु प्राप्त नहीं                   | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                   |
| जमा: वर्ष के दौरान प्रोद्भूत                   | 2,484,001.15          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 2,484,001.15        |
| घटाया गया: पूर्वावधि                           | 1,779,337.13          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 1,779,337.13        |
| जमा: जीएफ लेखा से प्राप्ति योग्य               |                       |                                            |                                            |                                        | -                                        |                                          | -                   |
| घटाया गया: निवेश की खरीदारी पर प्रोद्भूत ब्याज | -                     |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          | -                   |
| निवल: वर्ष के लिए                              | 869,576.02            | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 869,576.02          |
| एसबी खाते से ब्याज                             | 182,413.41            | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 182,413.41          |
| आय से व्यय की अधिकता                           | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | 0.00                                     | -                                        | -                   |
| <b>कुल आय</b>                                  | <b>1,051,989.43</b>   | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | <b>1,051,989.43</b> |
| <b>व्यय</b>                                    |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                     |
| ब्याज का भुगतान किया गया                       |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                     |
| मुख्यालय के सदस्य                              | 639,800.00            | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 639,800.00          |
| क्षे.के. बेंगलुरु के सदस्य                     | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                   |
| क्षे.के. गुवाहाटी के सदस्य                     | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                   |
| क्षे.के. इंदौर के सदस्य                        | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                   |
| क्षे.के. लखनऊ के सदस्य                         | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                   |
| आकस्मिक व्यय                                   |                       |                                            | -                                          |                                        |                                          |                                          | -                   |
| घटाया गया: निवेश का नकदीकरण                    | 260,408.00            |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          | 260,408.00          |
| व्यय से आय की अधिकता                           | 151,781.43            | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 151,781.43          |
| <b>कुल व्यय</b>                                | <b>1,051,989.43</b>   | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | <b>1,051,989.43</b> |

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में  
वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से  
फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

ह0/-  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0/-  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0/-  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

ह0/-  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0/-  
(सी.ए. वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0-083861

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सीपीएफ का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

राशि ₹ में

| विवरण                                        | चालू वर्ष<br>मुख्यालय | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>गुवाहाटी | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>बेंगलुरु | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>लखनऊ | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>इन्दौर | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>मोहाली | चालू वर्ष<br>जोड़    |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>प्राप्तियां</b>                           |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                      |
| आदि शेष                                      | 7,195,574.32          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 7,195,574.32         |
| कर्मचारी अंशदान – मुख्यालय                   | 720,000.00            | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 720,000.00           |
| कर्मचारी अंशदान – क्षेत्र. गुवाहाटी          | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| एसबी खातों पर प्राप्त ब्याज                  | 182,413.41            | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 182,413.41           |
| निवेश पर अर्जित ब्याज                        | 164,912.00            | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 164,912.00           |
| निवेश नकदीकरण                                | 2,500,000.00          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 2,500,000.00         |
| जीपीएफ निवेश के लिए नकदीकरण                  | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| मुख्यालय सदस्यों के लिए<br>संस्थान का अंशदान | 97,710.00             | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 97,710.00            |
| <b>जोड़</b>                                  | <b>10,860,609.73</b>  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                                 | <b>10,860,609.73</b> |
| <b>भुगतान</b>                                |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                      |
| स्टाफ को अग्रिम                              | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| फाइनल आहरण                                   | 9,093,154.00          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 9,093,154.00         |
| पार्ट फाइनल आहरण                             | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| निधियों का निवेश                             | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| जीपीएफ की भुगतान— योग्य देयता उन्मोचित       | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| आकस्मिक व्यय                                 | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| बैंक में इति शेष                             | 1,767,455.73          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 1,767,455.73         |
| <b>जोड़</b>                                  | <b>10,860,609.73</b>  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                                 | <b>10,860,609.73</b> |

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में  
वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से  
फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

ह0 / -  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0 / -  
(सी.ए. वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0-083861

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 को जीपीएफ तुलन पत्र

राशि ₹ में

|                                          | मुख्यालय              | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>देयताएं</b>                           |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| <b>A. अंशदान</b>                         |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                  | 33,623,074.00         | 13,093,570.00                    | 711,334.70                       | 8,924,436.00                 | 4,520,719.00                   | -                              | 60,873,133.70         |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त               | 24,840,363.00         | 3,214,000.00                     | 3,120,875.00                     | 3,731,000.00                 | 783,720.00                     |                                | 35,689,958.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान          | 25,655,813.00         | 1,935,000.00                     | 2,490,988.00                     | 1,235,277.00                 | 350,000.00                     | -                              | 31,667,078.00         |
| जमा: वर्ष के दौरान समायोजन               | 1,197,205.00          | 275,022.00                       | 5,102,433.00                     | 116,198.00                   | 6,937,962.00                   |                                | 13,628,820.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन         | 8,288,671.00          | 9,231,921.00                     | 2,851,708.00                     | 6,730,212.00                 | 2,900,624.00                   |                                | 30,003,136.00         |
| <b>इति शेष</b>                           | <b>25,716,158.00</b>  | <b>5,415,671.00</b>              | <b>3,591,946.70</b>              | <b>4,806,145.00</b>          | <b>8,991,777.00</b>            | <b>-</b>                       | <b>48,521,697.70</b>  |
| <b>B. कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज</b> |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                  | 90,679,205.00         | 9,957,695.00                     | 8,753,320.00                     | 11,314,922.00                | 1,963,048.80                   | -                              | 122,668,190.80        |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान प्राप्त/अंतरित  | 9,536,091.00          | 1,575,041.00                     | 1,162,100.00                     | 1,445,214.00                 | 652,363.00                     |                                | 14,370,809.00         |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन  | 172,111.00            | -                                | 1,074,115.00                     | -                            | -                              |                                | 1,246,226.00          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन         | -                     | -                                | -                                | -                            | 1,246,296.80                   |                                | 1,246,296.80          |
| <b>जोड़</b>                              | <b>100,387,407.00</b> | <b>11,532,736.00</b>             | <b>10,989,535.00</b>             | <b>12,760,136.00</b>         | <b>1,369,115.00</b>            | <b>-</b>                       | <b>137,038,929.00</b> |
| <b>उप जोड़ A+B</b>                       | <b>126,103,565.00</b> | <b>16,948,407.00</b>             | <b>14,581,481.70</b>             | <b>17,566,281.00</b>         | <b>10,360,892.00</b>           | <b>-</b>                       | <b>185,560,626.70</b> |
| <b>निवेश पर अर्जित ब्याज</b>             |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                  | 46,564,608.19         | (11,000,257.80)                  | (8,814,676.77)                   | (9,046,722.42)               | (1,850,841.26)                 | -                              | 15,852,109.94         |
| जमा: व्यय से आय की अधिकता                | 5,591,360.11          | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 5,591,360.11          |
| घटाया गया: आय से व्यय की अधिकता          | -                     | 1,551,186.00                     | 1,148,621.88                     | 1,418,294.52                 | 640,632.80                     |                                | 4,758,735.20          |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन  | -                     | -                                | -                                | -                            | 70.80                          |                                | 70.80                 |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन         | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | -                     |
| <b>जोड़</b>                              | <b>52,155,968.30</b>  | <b>(12,551,443.80)</b>           | <b>(9,963,298.65)</b>            | <b>(10,465,016.94)</b>       | <b>(2,491,403.26)</b>          | <b>-</b>                       | <b>16,684,805.65</b>  |
| <b>क्षेत्रीय केन्द्र से प्राप्त राशि</b> |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                  | 26,526,939.70         | (11,475,590.00)                  | 3,895.30                         | (10,532,687.00)              | (4,522,558.00)                 |                                | -                     |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त               | 5,900,000.00          | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 5,900,000.00          |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान अन्तरित         | 16,374,316.00         | -                                | -                                | -                            | -                              |                                | 16,374,316.00         |
| घटाया गया मुख्यालय को अंतरित निधियां     | -                     | 1,800,000.00                     | 1,000,000.00                     | 2,800,000.00                 | 300,000.00                     |                                | 5,900,000.00          |
| जोड़ा गया: वर्ष के दौरान किए गए समायोजन  | 8,288,671.00          | 9,231,921.00                     | 2,851,708.00                     | 6,730,212.00                 | 4,146,850.00                   |                                | 31,249,362.00         |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन         | 1,369,316.00          | 275,022.00                       | 6,176,548.00                     | 116,198.00                   | 6,937,962.00                   |                                | 14,875,046.00         |
| <b>जोड़</b>                              | <b>22,971,978.70</b>  | <b>(4,318,691.00)</b>            | <b>(4,320,944.70)</b>            | <b>(6,718,673.00)</b>        | <b>(7,613,670.00)</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>              |
| <b>सीपीएफ खाते को अंतरण योग्य राशि</b>   |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| निवेश नकदीकरण                            | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| सीपीएफ निवेश पर ब्याज                    | 287,299.00            |                                  |                                  |                              |                                |                                | 287,299.00            |
| घटाया गया: सीपीएफ खाते को अंतरित         | 164,912.00            |                                  |                                  |                              |                                |                                | 164,912.00            |
| <b>जोड़</b>                              | <b>122,387.00</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>122,387.00</b>     |
| <b>सकल जोड़</b>                          | <b>201,353,899.00</b> | <b>78,272.20</b>                 | <b>297,238.35</b>                | <b>382,591.06</b>            | <b>255,818.74</b>              | <b>-</b>                       | <b>202,367,819.35</b> |

राशि ₹ में

|                                            | मुख्यालय              | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>गुवाहाटी | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>बेंगलुरु | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>लखनऊ | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>इन्दौर | क्षेत्रीय<br>केन्द्र<br>मोहाली | जोड़                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>परिसम्पत्तियां</b>                      |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| <b>निवेश</b>                               |                       |                                  |                                  | -                            |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                    | 169,287,794.87        | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 169,287,794.87        |
| जमा: वर्ष के दौरान निवेश                   | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान नकदीकरण           | 13,000,000.00         | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 13,000,000.00         |
| जोड़ा गया सीपीएफ लेखा के लिए शामिल नकदीकरण | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| घटाया गया: निवेश को भुनाने पर हुआ घाटा     | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| जमा/घटाया गया: समायोजन                     | 194,300.00            |                                  |                                  |                              |                                |                                | 194,300.00            |
| <b>जोड़</b>                                | <b>156,482,094.87</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>156,482,094.87</b> |
| <b>सीपीएफ खाते से प्राप्ति योग्य</b>       |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| <b>A. निवेश नकदीकरण</b>                    | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| आदि शेष                                    | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि     | -                     | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | -                     |
| घटाया गया: समायोजन                         | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| <b>जोड़</b>                                | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>              |
| <b>B. निवेश पर ब्याज</b>                   |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                    | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि     | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित          | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| <b>जोड़</b>                                | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>              |
| बैंक में नकदी                              | 35,067,265.42         | 78,272.20                        | 297,238.35                       | 382,591.06                   | 255,818.74                     |                                | 36,081,185.77         |
| <b>जोड़</b>                                | <b>35,067,265.42</b>  | <b>78,272.20</b>                 | <b>297,238.35</b>                | <b>382,591.06</b>            | <b>255,818.74</b>              | <b>-</b>                       | <b>36,081,185.77</b>  |
| <b>निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज</b>            |                       |                                  |                                  |                              |                                |                                |                       |
| आदि शेष                                    | 8,376,369.71          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 8,376,369.71          |
| जमा: वर्ष के दौरान प्रोद्भूत               | 9,804,538.71          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 9,804,538.71          |
| जमा: सीपीएफ लेखा से प्राप्ति योग्य ब्याज   | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजन           | 8,376,369.71          | -                                | -                                | -                            | -                              | -                              | 8,376,369.71          |
| जमा: खरीदारी पर प्रोद्भूत ब्याज            | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| घटाया गया: सीपीएफ लेखा को देय ब्याज        | -                     |                                  |                                  |                              |                                |                                | -                     |
| <b>इति शेष</b>                             | <b>9,804,538.71</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>9,804,538.71</b>   |
| <b>सकल जोड़</b>                            | <b>201,353,899.00</b> | <b>78,272.20</b>                 | <b>297,238.35</b>                | <b>382,591.06</b>            | <b>255,818.74</b>              | <b>-</b>                       | <b>202,367,819.35</b> |

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में  
वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से  
फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

ह0 / -  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0 / -  
(सी.ए. वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0-083861

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए जीपीएफ की प्राप्तियां एवं भुगतान

राशि ₹ में

| विवरण                                         | चालू वर्ष<br>मुख्यालय | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>गुवाहाटी | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>बेंगलुरु | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>लखनऊ | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>इन्दौर | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>मोहाली | चालू वर्ष<br>जोड़    |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>आय</b>                                     |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                      |
| प्राप्त ब्याज                                 |                       | -                                          |                                            |                                        |                                          |                                          |                      |
| A. निवेश से                                   |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                      |
| वास्तविक                                      | 12,372,009.00         |                                            | -                                          |                                        | -                                        |                                          | 12,372,009.00        |
| जमा: वर्ष के दौरान प्रोद्भूत                  | 9,804,538.71          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        |                                          | 9,804,538.71         |
| घटाया गया: समायोजित: पूर्वावधि                | 8,376,369.71          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        |                                          | 8,376,369.71         |
| जमा: बही प्रविष्टि के माध्यम से प्राप्त ब्याज |                       | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        |                                          | -                    |
| घटाया गया: सीपीएफ का अंतरित ब्याज             |                       | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        |                                          | -                    |
| जमा: सीपीएफ खाते से प्राप्ति योग्य            | -                     |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          | -                    |
| <b>वर्ष के लिए निवल</b>                       | <b>13,800,178.00</b>  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                 |                                          | <b>13,800,178.00</b> |
| B. एसबी खाते से ब्याज                         |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                      |
| वास्तविक                                      | 1,132,973.11          | 23,855.00                                  | 13,478.12                                  | 26,919.48                              | 11,801.00                                |                                          | 1,209,026.71         |
| जमा: वर्ष के दौरान प्रोद्भूत                  | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        |                                          | -                    |
| घटाया गया: पूर्वावधि                          | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        |                                          | -                    |
| <b>निवल</b>                                   | <b>1,132,973.11</b>   | <b>23,855.00</b>                           | <b>13,478.12</b>                           | <b>26,919.48</b>                       | <b>11,801.00</b>                         |                                          | <b>1,209,026.71</b>  |
| निवेश के नकदीकरण पर मुनाफा                    | 194,300.00            | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        |                                          | 194,300.00           |
| आय से व्यय की अधिकता                          | -                     | 1,551,186.00                               | 1,148,621.88                               | 1,418,294.52                           | 640,632.80                               |                                          | 4,758,735.20         |
| <b>कुल आय</b>                                 | <b>15,127,451.11</b>  | <b>1,575,041.00</b>                        | <b>1,162,100.00</b>                        | <b>1,445,214.00</b>                    | <b>652,433.80</b>                        |                                          | <b>19,962,239.91</b> |
| <b>व्यय</b>                                   |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                      |
| खरीदे गए निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज             | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        |                                          | -                    |
| सदस्यों को भुगतान किया गया ब्याज              |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                      |
| मुख्यालय के कर्मचारी                          | 9,536,091.00          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        |                                          | 9,536,091.00         |
| क्षे.के. बेंगलुरु के कर्मचारी                 | -                     | -                                          | 1,162,100.00                               | -                                      | -                                        |                                          | 1,162,100.00         |
| क्षे.के. गुवाहाटी के कर्मचारी                 | -                     | 1,575,041.00                               | -                                          | -                                      | -                                        |                                          | 1,575,041.00         |
| क्षे.के. इन्दौर के कर्मचारी                   | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | 652,363.00                               |                                          | 652,363.00           |
| क्षे.के. लखनऊ के कर्मचारी                     | -                     | -                                          | -                                          | 1,445,214.00                           | -                                        |                                          | 1,445,214.00         |
| आकस्मिक व्यय                                  | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | 70.80                                    |                                          | 70.80                |
| घटाया गया: निवेश का नकदीकरण                   |                       | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        |                                          | -                    |
| व्यय से आय की अधिकता                          | 5,591,360.11          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        |                                          | 5,591,360.11         |
| <b>कुल व्यय</b>                               | <b>15,127,451.11</b>  | <b>1,575,041.00</b>                        | <b>1,162,100.00</b>                        | <b>1,445,214.00</b>                    | <b>652,433.80</b>                        |                                          | <b>19,962,239.91</b> |

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में  
वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से  
फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

ह0/-  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0/-  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0/-  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

ह0/-  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0/-  
(सी.ए. वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0-083861

## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए जीपीएफ की प्राप्तियां एवं भुगतान

राशि ₹ में

| विवरण                                  | चालू वर्ष<br>मुख्यालय | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>गुवाहाटी | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>बेंगलुरु | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>लखनऊ | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>इन्दौर | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>मोहाली | चालू वर्ष<br>जोड़    |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>प्राप्तियां</b>                     |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                      |
| आदि शेष                                | 19,729,662.31         | 575,417.20                                 | 653,873.23                                 | 659,948.58                             | 110,368.54                               | -                                        | 21,729,269.86        |
| सदस्यों का अंशदान                      | 24,840,363.00         | 3,214,000.00                               | 3,120,875.00                               | 3,731,000.00                           | 783,720.00                               | -                                        | 35,689,958.00        |
| क्षेत्रीय केन्द्रों से प्राप्त निधियां |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                      |
| गुवाहाटी                               | 1,800,000.00          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 1,800,000.00         |
| बेंगलुरु                               | 1,000,000.00          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 1,000,000.00         |
| लखनऊ                                   | 2,800,000.00          | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 2,800,000.00         |
| इन्दौर                                 | 300,000.00            | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 300,000.00           |
| निवेश नकदीकरण                          | 13,000,000.00         | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 13,000,000.00        |
| सीपीएफ से सम्बन्धित निवेश का नकदीकरण   | 2,500,000.00          |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          | 2,500,000.00         |
| निवेश पर ब्याज                         | 12,372,009.00         | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | 12,372,009.00        |
| सीपीएफ से सम्बन्धित निवेश पर ब्याज     | 287,299.00            |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          | 287,299.00           |
| एसबी खाते पर ब्याज                     | 1,132,973.11          | 23,855.00                                  | 13,478.12                                  | 26,919.48                              | 11,801.00                                | -                                        | 1,209,026.71         |
| सीपीएफ खाते से प्राप्त                 |                       | -                                          | -                                          |                                        | -                                        | -                                        | -                    |
| <b>जोड़</b>                            | <b>79,762,306.42</b>  | <b>3,813,272.20</b>                        | <b>3,788,226.35</b>                        | <b>4,417,868.06</b>                    | <b>905,889.54</b>                        |                                          | <b>92,687,562.57</b> |

| विवरण                                              | चालू वर्ष<br>मुख्यालय | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>गुवाहाटी | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>बेंगलुरु | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>लखनऊ | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>इन्दौर | चालू वर्ष<br>क्षेत्रीय केन्द्र<br>मोहाली | चालू वर्ष<br>जोड़    |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>भुगतान</b>                                      |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          |                      |
| सदस्यों को अग्रिम                                  | 880,000.00            |                                            | 630,650.00                                 | 346,400.00                             |                                          | -                                        | 1,857,050.00         |
| फाइनल आहरण                                         | 13,571,813.00         |                                            | 310,338.00                                 | 258,877.00                             |                                          | -                                        | 14,141,028.00        |
| पार्ट फाइनल आहरण                                   | 11,204,000.00         | 1,935,000.00                               | 1,550,000.00                               | 630,000.00                             | 350,000.00                               | -                                        | 15,669,000.00        |
| निधियों का निवेश                                   | -                     |                                            | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| फाइनल भुगतान पर दिया गया ब्याज                     | -                     |                                            |                                            |                                        |                                          | -                                        | -                    |
| मुख्यालय/क्षेत्रीय केन्द्रों को अंतरित राशि        |                       |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          | -                    |
| गुवाहाटी                                           | 6,792,396.00          | 1,800,000.00                               |                                            |                                        |                                          | -                                        | 8,592,396.00         |
| बेंगलुरु                                           | 2,851,708.00          | -                                          | 1,000,000.00                               | -                                      | -                                        | -                                        | 3,851,708.00         |
| लखनऊ                                               | 6,730,212.00          | -                                          | -                                          | 2,800,000.00                           | -                                        | -                                        | 9,530,212.00         |
| इन्दौर                                             | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | 300,000.00                               | -                                        | 300,000.00           |
| आकस्मिक व्यय                                       | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | 70.80                                    | -                                        | 70.80                |
| मुख्यालय को अंतरित ब्याज                           | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| घटाया गया: निवेश का नकदीकरण                        | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा मुख्यालय को अंतरित राशि |                       |                                            |                                            |                                        |                                          | -                                        |                      |
| गुवाहाटी                                           | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| बेंगलुरु                                           | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| लखनऊ                                               | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| इन्दौर                                             | -                     | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| अंतरित सीपीएफ के निवेश का नकदीकरण                  | 2,500,000.00          |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          | 2,500,000.00         |
| अंतरित सीपीएफ के निवेश पर ब्याज                    | 164,912.00            |                                            |                                            |                                        |                                          |                                          | 164,912.00           |
| सीपीएफ को अंतरित ब्याज की राशि                     |                       | -                                          | -                                          | -                                      | -                                        | -                                        | -                    |
| बैंक में इति शेष                                   | 35,067,265.42         | 78,272.20                                  | 297,238.35                                 | 382,591.06                             | 255,818.74                               | -                                        | 36,081,185.77        |
| <b>जोड़</b>                                        | <b>79,762,306.42</b>  | <b>3,813,272.20</b>                        | <b>3,788,226.35</b>                        | <b>4,417,868.06</b>                    | <b>905,889.54</b>                        |                                          | <b>92,687,562.57</b> |

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में  
वी.एस. टंडन एंड कम्पनी  
सनदी लेखपालों के लिए और उनकी ओर से  
फर्म की पंजीकरण संख्या 004693एन

ह0 / -  
(चांद राम)  
उप निदेशक (लेखा)

ह0 / -  
(के.सी. जार्ज)  
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह0 / -  
(पी. कृष्णामूर्ति)  
अपर निदेशक

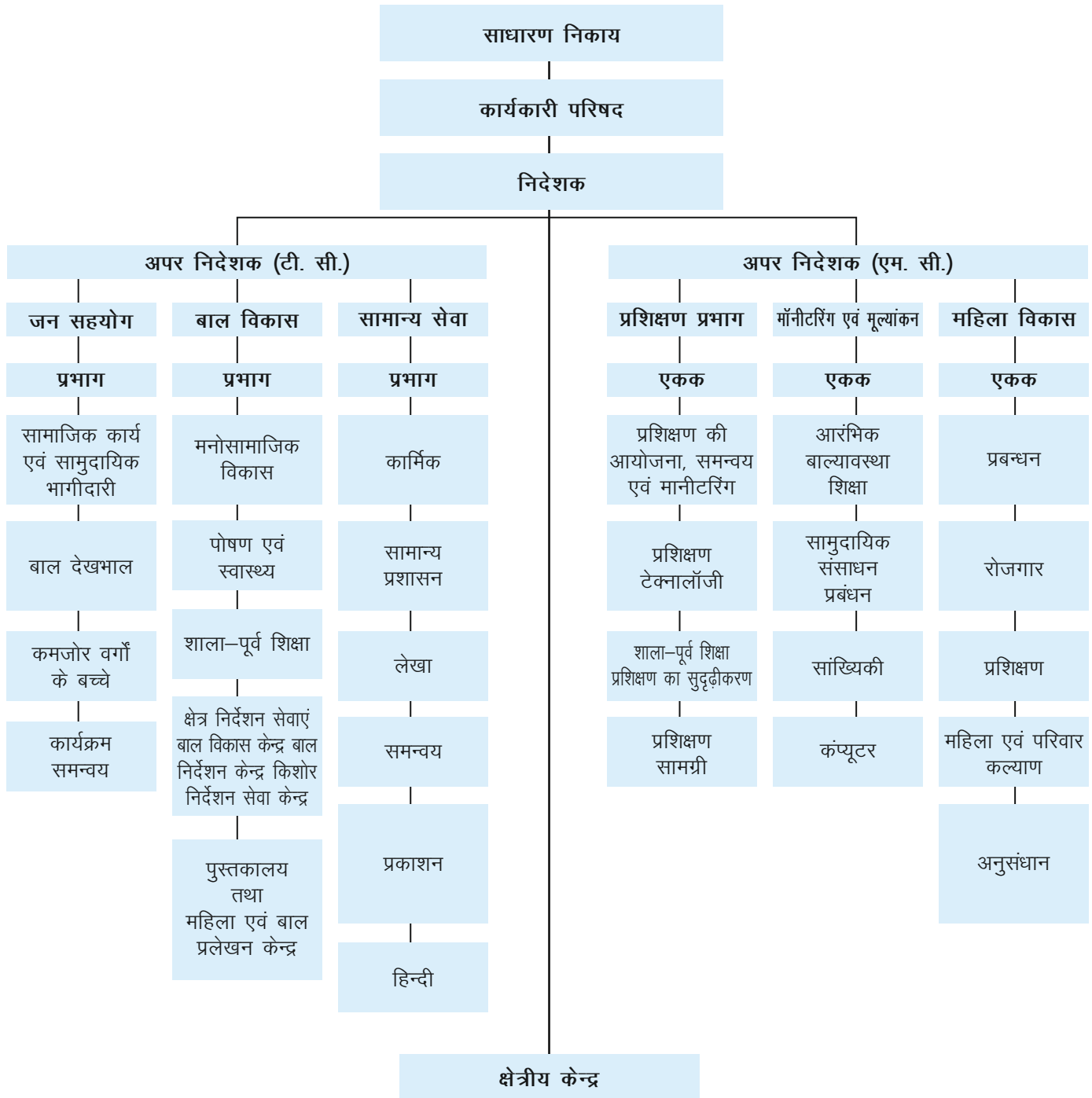
ह0 / -  
(एल.के. मीणा)  
निदेशक

ह0 / -  
(सी.ए. वी.एस. टंडन)  
पार्टनर  
एम. नं0-083861

**അഗ്രഗണന**



संस्थान का संगठनात्मक चार्ट



एजीएससी (AGSC): किशोर निर्देशन सेवा केन्द्र  
सीसीसी (CCC): शिशु देखभाल केंद्र  
सीडी (CD): बाल विकास  
सीएस (CS): सामान्य सेवाएँ  
सीजीसी (CGC): बाल निर्देशन केन्द्र

डिव (Div.): डिवीजन  
एमसी (MC): मातृ एवं शिशु  
एमई (ME): परीवीक्षण व मूल्यांकन  
पीसी (PC): जन सहयोग  
पीएसई (PSE): प्री-स्कूल शिक्षा

ट्रा. (TRG): प्रशिक्षण  
टीसी (TC): प्रशिक्षण और सामान्य सेवाएँ  
डब्ल्यू डी (WD): महिला विकास

अनुलग्नक II

वर्ष 2019-20 के दौरान अपंगताग्रस्त व्यक्तियों का प्रतिवेदन

| समूह                             | कर्मचारियों की संख्या |     |                |               | सीधी भरती                    |     |                |               | प्रोन्नति     |                              |     |                |               |               |    |    |    |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|-----|----------------|---------------|------------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|------------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|----|----|----|----|----|
|                                  |                       |     |                |               | आरक्षित रिकित्तयों की संख्या | कुल | दृष्टि विकलांग | श्रवण विकलांग | अस्थि विकलांग | आरक्षित रिकित्तयों की संख्या | कुल | दृष्टि विकलांग | श्रवण विकलांग | अस्थि विकलांग |    |    |    |    |    |
|                                  |                       | कुल | दृष्टि विकलांग | श्रवण विकलांग | अस्थि विकलांग                | 6   | 7              | 8             | 9             | 10                           | 11  | 12             | 13            | 14            | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1                                |                       | 2   | 3              | 4             | 5                            |     |                |               |               |                              |     |                |               |               |    |    |    |    |    |
| समूह 'क'                         |                       | 42  | -              | -             | 01                           | -   | -              | -             | -             | -                            | -   | -              | -             | -             | -  | 04 | -  | -  | -  |
| समूह 'ख'                         |                       | 51  | -              | -             | 01                           | -   | -              | -             | -             | -                            | -   | -              | -             | -             | -  | 03 | -  | -  | -  |
| समूह 'ग'                         |                       | 60  | -              | 01            | -                            | -   | -              | -             | -             | -                            | -   | -              | -             | -             | -  | 06 | -  | -  | -  |
| समूह 'घ' (समूह 'सी') में उन्नयित |                       | 35  | -              | -             | 02                           | -   | -              | -             | -             | -                            | -   | -              | -             | -             | -  | -  | -  | -  | -  |
| कुल                              |                       | 188 | -              | 01            | 04                           | -   | -              | -             | -             | -                            | -   | -              | -             | -             | -  | 13 | -  | -  | -  |

वीएच- दृष्टि विकलांग

एचएच- श्रवण विकलांग

ओएच- अस्थि विकलांग

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)  
अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सूचना  
(31.03.2020 को)

| क्रम | विषय                                                                                       | कुल   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| क)   | वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या                                           | एक    |
| ख)   | वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या                                                | एक    |
| ग)   | वर्ष के दौरान 90 दिनों से अधिक समय तक लम्बित मामलों की संख्या                              | शून्य |
| घ)   | वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जागरुकता कार्य कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं की संख्या | 18    |

अनुलग्नक IV

संक्षिप्त रूप

|                             |                                                          |            |                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| एडीएचडी                     | ध्यान की कमी वाला अतिसक्रियता विकार                      | डीपीओ      | जिला कार्यक्रम अधिकारी                           |
| ईएस                         | गम्भीर एन्सेफलाइटिस लक्षण                                | ईसीसीडी    | आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा             |
| एजीएससी                     | किशोर निर्देशन सेवा केन्द्र                              | ईसीसीई     | आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा             |
| एएनएम                       | सहायक परिचारिका दाई                                      | ईसीएस      | आरम्भिक बाल्यावस्था उत्प्रेरण                    |
| एपीआईपी                     | वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना                      | ईडब्ल्यूआर | निर्वाचित महिला प्रतिनिधि                        |
| आशा                         | प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य सक्रियतावादी                | एफएक्यू    | प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न                     |
| एएसएस                       | आंगनवाड़ी सेवा योजना                                     | एफसीसी     | परिवार परामर्श केन्द्र                           |
| एडब्ल्यूसी                  | आंगनवाड़ी केन्द्र                                        | एफसीआरए    | विदेशी योगदान (विनियमद्ध अधिनियम, 1976)          |
| आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र | आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र                              | जीजीएसआईपी | गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय      |
| आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं      | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता                                     | जीआईडी     | गिरी विकास अध्ययन संस्थान                        |
| बीबीबीपी                    | बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना                               | जीओआई      | भारत सरकार                                       |
| सीएसएस                      | कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर                                 | जीआरआईआईडी | बौद्धिक विकलांगता के लिए सरकारी पुनर्वास संस्थान |
| सीसीआई                      | बाल देखभाल संस्थाएं                                      | एचसीएम     | गर्म पकाया हुआ भोजन                              |
| सीसीएल                      | कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे                         | आईसीसी     | आंतरिक शिकायत समिति                              |
| बाल विकास परियोजना अधिकारी  | बाल विकास परियोजना अधिकारी                               | आईसीडीएस   | समेकित बाल विकास सेवा योजना                      |
| सीईडीएडब्ल्यू               | महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव दूर करने की संधि | आईसीपीएस   | समेकित बाल संरक्षण योजना                         |
| सीएफएनएस                    | खाद्य सुरक्षा गठबंधन                                     | आईसीटी     | सूचना संचार प्रौद्योगिकी                         |
| सीएफटीआरआई                  | केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीगत शोध संस्थान               | आईईसी      | सूचना शिक्षा एवं संचार                           |
| सीजीसी                      | बाल निर्देशन केन्द्र                                     | आईआईएम     | भारतीय प्रबंधन संस्थान                           |
| सीएमएयू                     | केन्द्रीय मॉनीटरिंग एकक                                  | आईटीपीए    | आईटी प्रोसेस ऑटोमेशन                             |
| सीएनसीपी                    | देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे                | आईवाईसीएफ  | शिशु और छोटे बच्चे के आहार                       |
| सीपीएस                      | समेकित बाल संरक्षण योजना                                 | जेई        | जापानी एंसेफलाइटिस                               |
| सीएसडीजी                    | संवहनीय लक्ष्य केन्द्र                                   | जेजे       | किशोर न्याय                                      |
| सीएसओआई                     | प्रशासनिक सेवा अधिकारी संस्थान                           | जेजेबी     | किशोर न्याय बोर्ड                                |
| सीएसआर                      | बाल लिंग अनुपात                                          | केजीबीवी   | कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय                   |
| सीएसआर                      | कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी                              | एलसीसी     | स्थानीय शिकायत समिति                             |
| सीडब्ल्यूसी                 | बाल कल्याण समिति                                         | एलडीसी     | अवर श्रेणी लिपिक                                 |
| डीसीपीयू                    | जिला बाल संरक्षण एकक                                     | एलपीजी     | तरलीकृत पेट्रोलियम गैस                           |
| डीसीडब्ल्यूसी               | पुस्तकालय तथा महिला एवं बाल प्रलेखन केन्द्र              | एलपीओ      | विधि कम परीक्षा अधिकारी                          |
| डीईएलएनईटी                  | विकासशील पुस्तकालय नेटवर्क                               | एलपीयू     | विधि कम परीक्षा अधिकारी                          |
| डीएलओ                       | जिला स्तर अधिकारी                                        | एमसीपी     | संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति                  |
|                             |                                                          | एमसीपी     | मातृ शिशु रक्षा कार्ड                            |
|                             |                                                          | एमआईएस     | प्रबंधन सूचना प्रणाली                            |

|               |                                                       |              |                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| एमएलटीसी      | मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र                          | एसएआईएफ आरएन | दक्षिण एशियाई शिशु फीडिंग शोध नेटवर्क |
| एमपी          | मध्य प्रदेश                                           | एसएमएम       | तीव्र गम्भीर कुपोषण                   |
| एमएससपीसीआर   | महाराष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग              | एसएआरए       | राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण        |
| एमटीएस        | मल्टी टास्क स्टाफ                                     | एसबीसीसी     | सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार        |
| एमडब्ल्यूसीडी | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय                          | एसबीएम       | स्वच्छ भारत मिशन                      |
| एनजीओ         | गैर-सरकार संगठन                                       | एससीपीसीआर   | बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग         |
| एनएचईडी       | पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा                              | एससीपीएस     | राज्य बाल संरक्षण सोसायटी             |
| एनएचएम        | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन                              | एसडीजी       | संवहनीय विकास लक्ष्य                  |
| निपसिड        | राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान              | एसएचजी       | स्वयं सहायता समूह                     |
| एनआरसीसीपी    | बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र               | एसजेपीयू     | विशेष किशोर पुलिस एकक                 |
| एनएसएस        | राष्ट्रीय सेवा योजना                                  | एसएन         | पूरक पोषण                             |
| एनवीबीडीसीपी  | राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय | एसओपी        | मानक प्रचलन क्रियाविधि                |
| ओसीडी         | अनियंत्रित जुनूनी विकार                               | एसआरबी       | जन्म के समय लिंग अनुपात               |
| ओएससी         | वन स्टॉप सेंटर                                        | एसएसए        | सर्व शिक्षा अभियान                    |
| पीसीएसएमए     | बाल विवाह निषेध अधिनियम                               | टीएचआर       | घर पर राशन                            |
| पीएलए         | संभागी लर्निंग एवं कार्रवाई                           | टीएलएम       | शिक्षण लर्निंग सामग्रियां             |
| पॉक्सो        | लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम           | टीओटीएस      | प्रशिक्षकों का प्रशिक्षक              |
| पोषण          | समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री अतिव्यापी योजना       | यूडीसी       | अपर श्रेणी लिपिक                      |
| पीपीपी        | सार्वजनिक निजी भागीदारी                               | यूएनसीआरसी   | संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि       |
| पीडब्ल्यूडीए  | घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम                  | यूनिसेफ      | संयुक्त राष्ट्र बाल कोष               |
| आरसीआई        | भारतीय पुनर्वास परिषद                                 | यूटी         | केन्द्र शासित प्रदेश                  |
| आरकेएसके      | राष्ट्र किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम                     | वीएचएनडी     | ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस |
| आरपीएफ        | रेलवे सुरक्षा बल                                      | वीएचएसएनडी   | ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस |
| एसएए          | विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेन्सी                           | वीओ          | स्वैच्छिक संगठन                       |
|               |                                                       | वॉश          | जल सफाई स्वच्छता                      |
|               |                                                       | डब्ल्यूसीडी  | महिला एवं बाल विकास                   |





## मुख्यालय

5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया

हौज खास

नई दिल्ली - 110 016

फोन: (011) 26963002, 26963204, 26969010

26967592, 26852702, 26518501, 26602313

फैक्स: (011) 26865187, 26851349, 26962447, 26515579, 26966329

ई-मेल: nipccd\_progu@yahoo.co.in

वेबसाइट: www.nipccd.nic.in

## क्षेत्रीय केन्द्र

### बैंगलुरु

18, न्यू टाउन, येलाहांका, फेडरल मोगल लि.

डोडा बल्लापुर रोड, बैंगलुरु -560 106 (कर्नाटक)

फोन: (080) 28563796, 28461355, 28462818

फैक्स: (080) 28461793

ई-मेल: rdnipccdbl@gmail.com

### गुवाहाटी

जवाहर नगर, डाकघर खानपारा,

गुवाहाटी - 781 022, (असम)

फोन: (0361) 2301519, 2301843, 2301697, 2303049

फैक्स: (0361) 2301649

ई-मेल: nipccdghy@gmail.com

### लखनऊ

स्पोर्ट्स कालेज के समीप,

कुर्सी रोड, डाकघर गुडम्बा

लखनऊ - 226 026, (उत्तर प्रदेश)

फोन: (0522) 2960743, 2362643, 2960760, 2730435,

2730436, 2730420, 2732816

फैक्स: (0522) 2361885

ई-मेल: nipccdiko@gmail.com

### इंदौर

बड़ा बगारडा,

हथोड़ रोड, गोमतगिरी,

एमपीएसईबी कार्यालय के सामने

इंदौर - 453 112 (मध्य प्रदेश)

फोन: (0731) 6537256, 2882111, 2882112

फैक्स: (0731) 2882110

ई-मेल: rdnipccdin@rediffmail.com

### मोहाली

सेक्टर 79, एस.ए.एस. नगर

मोहाली - 140308

पंजाब

फोन: 0172-2972935

ई-मेल: nipccdrcom@gmail.com



## राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

(यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के तत्वावधान में कार्यरत एक स्वायत्तशासी निकाय है)

5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016